राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 2] आठवीं विधान सभा के द्वितीय सत्र का प्रथम दिवस [संख्या 1

मंगलवार,

दिनांक 2 जुलाई, 1985

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

[श्री हीरालाल देवपुरा, अध्यक्ष पदासीन,]

व्यवस्था का प्रश्न

कार्य सूची का माननीय सदस्यों को प्रेषण

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज की कार्य सूची किसी भी माननीय सदस्यों को नहीं मिली है। आज की कार्य सूची नहीं मिली है, मैं समझता हूं यह सदन को अवमानना है। मैं आप से निवेदन करता हूं कि इस विषय में कोई व्यवस्था दी जाय।

(व्यवधान)

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पहुंची नहीं....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायं।

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं पर्टिकुलरली विधायकपुरी का नाम ले रहा हूं। विधायकपुरी के किसी भी माननीय सदस्य को आज की कार्य सूची नहीं मिली है। यह हमारी अवमानना है, हमारे विशेषाधिकारों का हनन है। हम किस बात की तैयारी करके आते।

श्री अध्यक्ष : आप रोष क्यों करते हो, थोड़ी शांति रखिये।

(व्यवधान)

मैंने आपसे कहा न, मैंने आपकी बात सुन ली। माननीय सदस्य, सुनिये तो सही।

श्री हीरालाल आर्य : हम किस बात की तैयारी करके आते, माननीय अध्यक्ष महोदय। हम किस पर बोलेंगे ?

श्री अध्यक्ष : आपने मुझे बताया था कि आज की कार्य सूची की आपको जो प्रति मिलनी चाहिए थी वह नहीं भेजी गयी है। मैंने सैक्रेटेरियेट से कहा है, मैं इसकी जांच करूंगा कि किस की गलती रही है। इसको मैं देखूंगा। यह देखूंगा कि जो कार्य सूची तैयार की जाती है वह आपको हमेशा समय पर मिले। मैं इस बात को भी देखूंगा, निश्चित रूप से देखूंगा कि नहीं मिली है तो कैसे नहीं मिली है। इसकी जांच कर लूंगा।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

है कि सदन के प्रश्न काल की कार्यवाही स्थगित कर दें। आखिर प्रश्न तो मिलें ? प्रश्न नहीं मिलें तो क्या तो आप पुकारेंगे, क्या मंत्री उत्तर देंगे और क्या हम सप्लीमेंट्री करेंगे ? इसका मतलब क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जायं, माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, ऐसा है कि सबको नहीं मिली हो। ऐसी बात नहीं है। अगर किसी माननीय सदस्य को नहीं मिल पायी है ··

श्री दाऊदयाल जोशी : विधायकपुरी में 24 मैम्बर हैं।

श्री अध्यक्ष : ···· मैं देखूंगा कि क्यों नहीं मिली है। अगर प्रश्न नहीं पहुंचे तो मैं अभी पहुंचा देता हूं। प्रश्न सूची माननीय सदस्य के पास पहुंचा दी जाय।

श्री दाऊदयाल जोशी : अब क्या तैयारी कर लेंगे ?

(व्यवधान)

अब हम तैयारी कब करेंगे ? आज का प्रश्न काल स्थगित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सदन में पूछे जाने वाले प्रश्न आपके अपने प्रश्न हैं। मुझे क्या आपत्ति हो सकती है।

श्री शोभत सिंह (हनुमानगढ़) : आपका मैसेंजर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्रश्नों का लाभ आपका है। मेरा अपना कोई प्रश्न नहीं है। प्रश्नों का लाभ लेना है, लीजिए। नहीं लेना है तो मैं क्या कर सकता हूं।

श्री नाथू सिंह (टोडारायसिंह) : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सुझाव है। जिन माननीय सदस्यों के प्रश्न प्रश्न सूची में हैं, उनको एक दिन पहले यह मिलनी चाहिए थी ताकि तैयारी कर सकते। उनको प्रश्न सूची नहीं मिली है इसलिये उनके प्रश्नों को स्थगित कर दें।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न आयेगा तब देखूंगा। माननीय सदस्य। कृपया।

श्री भैरूंलाल मीणा।

तारांकित प्रश्नोत्तर

परिवहन निगम की सेवा में अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों का नियोजन

(1) **श्री भैरूंलाल मीणा** (सराड़ा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य पथ परिवहन निगम में रोस्टर के आधार पर अनुसूचित जन जाति के नवयुवकों को विभिन्न पदों पर नियुक्ति नहीं दी गयी है ? यदि हां, तो उदयपुर, डूंगरपुर व बांसवाड़ा डिपों में कितने स्थान अनुसूचित जन जाति के लिए खाली हैं ?

(2) क्या यह सही है कि तीनों जिलों में अनुसूचित जन जाति का बाहुल्य होते हुए भी निगम ने आदिवासी नव युवकों को रोजगार नहीं दिया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

(श्री भैरू लाल मीणा)

(3) निगम में अनुसूचित जन जाति के कितने व्यक्तियों को उदयपुर, डूंगरपुर व बांसवाड़ा के राज्य परिवहन के डिपो में रोजगार दिया गया और वह कितने प्रतिशत है ?

यातायात मंत्री (श्रीमती कमला) : (1) जी नहीं, उदयपुर, डूंगरपुर व बांसवाड़ा आगारों में अनुसूचित जन जाति के वर्तमान में रिक्त पदों, स्थानों की सूचना सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(2) जी नहीं।

(3) रोस्टर के अनुसार उदयपुर, डूंगरपुर व बांसवाड़ा के आगारों में अनुसूचित जन जाति के कुल 54 व्यक्तियों को रोजगार दिया हुआ और वह 4.83 प्रतिशत है।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री भैरू लाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, जो मुझे सूची दी गयी है उसमें 93 पद खाली बताये गये हैं। उदयपुर में 1976 से जन जाति विभाग खोल रखा है जो कि आदिवासियों के उत्थान के लिए है। मैं नहीं समझता कि अब तक चालक, परिचालक या छोटे मोटे क्लीनर वगैरह का काम करने के लिए भी कोई योग्य व्यक्ति नहीं हो पाये इसलिये रिक्त पद रहे। मैं जानना चाहूंगा कि रिक्त पदों को रोस्टर प्रणाली के अनुसार क्यों नहीं भरा गया, कोटा अभी तक क्यों नहीं पूरा किया गया ? अध्यक्ष महोदय, जितने पद कोटा के होने चाहिए थे उस हिसाब से भी नहीं बताये। मैंने 1983 के सत्र के अन्दर एक प्रश्न पूछा, उसके उत्तर में इन्होंने बताया था कि हम ऐसे लोगों को ट्रेनिंग देकर भी उनको नौकरी पाने का अवसर देंगे लेकिन उसके बावजूद जो लिस्ट दी उसमें इतने पद क्यों खाली है, इसके क्या कारण हैं ?

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि जितना प्रतिशत शिडयूल्ड ट्राइब्स के व्यक्तियों का आगारों में चयन में आना चाहिये था, जितना कुल जो स्टाफ लगा हुआ है उसके पेटे होना चाहिये था उससे बहुत कम लोग ही लगे हुए हैं, वैसे पिछले दो साल से ड्राइवर और कण्डक्टर के अलावा सभी पदों पर नियुक्ति पर बैन लगा हुआ है। लेकिन इनके अन्दर भी जितने व्यक्तियों का चयन किया जाना चाहिए, जितने पद स्थापित होने चाहिए उतने नहीं हुए। इसका कारण यह है कि कण्डक्टर के लिए जो सर्टिफिकेट दिया जाता है, रेडक्रॉस वाले भी देते हैं, दूसरी संस्थायें भी देती हैं, उनमें कुछ दिनों की ट्रेनिंग लेने के बाद, सर्टिफिकेट लेने के बाद ही कण्डक्टर भर्ती हो सकते हैं। इसी तरह से ड्राइवरों को भी ट्रेनिंग के बाद लाइसेंस दिया जाता है। मैंने समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों से बात की और उन से कहा है कि जिन जिन स्थानों पर, जिस जिस तरह की रिक्विजिट क्वालिफिकेशन न सर्टिफिकेट न होने के कारण भर्ती नहीं की जा रही है मेहरबानी करके उनके लिए इन्तजाम करिये क्योंकि छोटे से ट्रेनिंग कोर्स को भी पूरा न करने के कारण अनुसूचित जन जाति के लोगों को नहीं ले पा रहे हैं। उनके पास जितनी एप्लिकेशन आयी थी वह सब तो पदस्थापित कर दिये लेकिन उसके बाद एप्लिकेशन ही नहीं आयीं क्योंकि जो सर्टिफिकेट ऑफ ट्रेनिंग मांगा था वह उनके पास था नहीं। बहुत से लोगों ने एप्लाई नहीं किया। इसलिए निवेदन यह है समान

(श्रीमती कमला)

कल्याण मन्त्री जी से भी और विभाग के अधिकारियों से भी, कि जिस तरह की रिक्विजिट क्वालिफिकेशन चयन के लिए होनी चाहिए वह उपलब्ध नहीं है इसके कारण से यह कमी चली आ रही है।

श्री भैरूलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, जैसे कि आपने ट्रेनिंग की बात की कि योग्य व्यक्ति नहीं मिलते हैं, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि कई एक ड्राइवर मिलिट्री से निकलते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो आसपास से ट्रकों का सारा काम सीख लेते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस उनके पास हैं। लेकिन विभाग जिस तरह एप्लीकेशन कॉल करता है उसमें कई तरह की तकनीकी योग्यता मांग लेता है इसलिए वह आ नहीं सकते। आदिवासी तो केवल ड्राइवरी सीखता है, मामूली सा शिक्षित होता है, नवीं पास होता है। लेकिन मैट्रिक हो, हायर सैकण्डरी हो यह ट्रेनिंग हो दुनिया भर का एक्सपीरियेंस हो, उनसे एप्लीकेशन मांगते हैं इसलिए एप्लीकेशन नहीं देते हैं। उनको छूट आपने क्या दी? उनको तो दूसरों की बराबरी का मानते हो। कम से कम यह सुविधा तो होनी चाहिए।

मुख्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : मैं आपकी भावना से सहमत हूं। राज्य सरकार की ओर से विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि आदिवासी लोग, आदिवासी क्षेत्र के लोग इस प्रकार के एक्सपीरियेंस में आ सकें। राज्य सरकार विशेष रूप से इस की व्यवस्था करेगी और देखेगी कि रोस्टर के अनुसार पूर्ण भर्ती हो।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : क्या सरकार अनुसूचित जन जाति के प्रशिक्षण के लिए....

श्री अध्यक्ष : श्री भंवरलाल।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): आगे क्या करेंगे, प्रश्न यह नहीं है। प्रश्न यह है कि अब तक जिन लोगों को अधिकार मिलना चाहिए था, रोजगार मिलना चाहिए था उन्हें आपकी व्यवस्था के कारण नहीं मिला। इसके लिए कौन दोषी है? आश्वासन तो आप रोज देते हो।

श्री हरिदेव जोशी : ओवर ऑल तो प्रशासन दोषी है इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर हम टेक्निकली देखें तो स्थिति यह है कि रिक्विजिट क्वालिफिकेशन मांगी वह नहीं मिली इसलिये उन्होंने भर्ती नहीं की। एक मार्जियन के तौर पर राज्य सरकार को यह व्यवस्था करनी चाहिये, जो लोग समझते नहीं हैं, उनके लिये इसकी व्यवस्था करें और....

श्री मानिक चन्द सुराना : क्या राज्य सरकार इस तरह के कोई विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगी जिसके माध्यम से जो कम क्वालिफिकेशन के लोग है उनको विशेष सुविधा, उनको विशेष रियायत देकर प्रशिक्षण दिलाया जा सके और वह उस क्वालिफिकेशन तक पहुंच सकें?

श्री हरिदेव जोशी : प्रोफेशन गाइडेन्स जरूरी है। जब तक यह व्यवस्था नहीं है तब तक भील, आदिवासी लोग किसी भी तरह के काम के अन्दर अपने आपको स्वतः लगा सकें ऐसा मुझे कम दिखाई देता है। इसकी हम व्यवस्था करेंगे।

श्री मानिक चन्द सुराना : प्रशिक्षण संस्थान की व्यवस्था करेंगे?

श्री हरिदेव जोशी : जी।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री दीनबन्धु वर्मा।

विद्युत मण्डल द्वारा जवाहर सागर तालाब क्षेत्र में प्रदुषण को बढ़ावा

2. **श्री दीनबन्धु वर्मा** (कपासन) : क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा जिले में जवाहर सागर तालाब को कोटा ताप बिजली घर से निकली अवशिष्ट राख से पूरी तरह पाटने के राजस्थान पत्रिका दिनांक 11 जून, 1985 में प्रकाशित समाचार क्या वस्तु स्थिति बतलाते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार राज्य विद्युत मन्डल पर पर्यावरण कानूनों का उल्लघन करने हेतु कार्यवाही करेगी ?

(2) सुरखाब पक्षी के आश्रय स्थल जवाहर सागर पर पक्षियों की संख्या क्या है और उनकी संख्या बढ़ाने हेतु जवाहर सागर को सुरक्षित क्षेत्र घोषित करने के बारे में सरकार का क्या विचार है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मन्त्री, वन (श्री शीशराम ओला) (1) जी नहीं। इस तालाब एव कुछ क्षेत्र को राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल द्वारा इस प्रयोजन हेतु मार्च, 1977 से अधिगृहित किया जा चुका है।

(व्यवधान)

श्री नत्थीसिंह (कुम्हेर) : समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या बोल रहे है ?

श्री शीशराम ओला : (2) जवाहर सागर जलाशय के चारों ओर स्थित वन्य प्राणी अभयारण्य पर सुर्खाब पक्षियों की विधिवत कोई गणना नहीं की गई है। इन प्रवासी पक्षियों की अनुमानतः संख्या 200 है। सभी वन्य जीवों की संख्या बढ़ाने हेतु एवं संरक्षण हेतु जवाहर सागर जलाशय एवं उसके आस-पास के क्षेत्र को राज्य सरकार द्वारा सन् 1975 में राज्यादेश संख्या एफ 3(5) 13/रेवेन्यू/8/73 दिनांक 9-10-1975 से अभयारण्य घोषित किया जा चुका है।

श्री दीनबन्धु वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्री महोदय एवं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि 1977 में इस जमीन को कोटा ताप बिजली घर के लिये अधिगृहित किया गया, इसका मतलब यह नहीं था, जहां तक मैं समझता हूं, जवाहर सागर तालाब को कोटा ताप बिजली घर की राख से भरें ? नम्बर एक।

नम्बर दो, पर्यावरण असतुलन के बारे में सरकार की उदासीनता से मैं चिन्तत हू। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जवाहर सागर में राख भरने की व्यवस्था कर रखी है। वन्य प्राणी पशु-पक्षी इस क्षेत्र के अन्दर रहे इसकी सुविधा के लिये क्या नीति है ?

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सारा का सारा क्षेत्र, चाहे कोटा हो, बून्दी हो, चित्तौड़ हो या बांसवाड़ा, सारे राजस्थान के....

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं करें, माननीय सदस्य। प्रश्न से सम्बन्धित बात पूछें, विस्तार में न जायं।

श्री दीनबन्धु वर्मा : प्रश्न के बारे में ही पूछ रहा हूं....

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री शीशराम श्रोला : अध्यक्ष जी, तालाब में राख नहीं गिरती....

श्री दाऊदयाल जोशी : क्या, माननीय मन्त्री महोदय, यह सही है कि अब इससे जल प्रदूषण पैदा कर दिया गया है और सुरखाब पक्षी, प्रवासी पक्षी का इस क्षेत्र में आना बन्द कर दिया गया है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस प्रश्न का जवाब आ चुका है।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, 1977 में 5 हजार पक्षी इस क्षेत्र में आते थे। अब जो माननीय मन्त्री महोदय ने आंकड़े बताये हैं वह 200 के बताये हैं। अभयारण्य सुरक्षित किया है इसका कितने किलो मीटर का क्षेत्र है ? अध्यक्ष महोदय, जवाहर सागर और तालाब दोनों अलग अलग चीजें है। इसलिये मैं जानना चाहता हू, कि अभयारण्य सुरक्षित किया है उसका एरिया कितना है ?

श्री शीशराम श्रोला : जवाहर सागर इससे लगता हुआ है....

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : जवाहर सागर तालाब जवाहर सागर से 25 किलो मीटर दूर है---

(व्यवधान)

श्री शीशराम श्रोला : मूल प्रश्न जो पूछा गया था उसका उत्तर मैंने दे दिया। यह इससे सम्बन्धित नहीं है, अलग प्रश्न है....

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पष्ट प्रश्न पूछा था कि अभयारण्य कितने किलो मीटर क्षेत्र में है ?

श्री अध्यक्ष : जवाहर सागर में जो अभयारण्य क्षेत्र घोषित किया गया है उसका एरिया कितना है वह बात दीजिये ?

श्री शीशराम श्रोला : जवाहर सागर और जवाहर तालाब दोनों अलग अलग हैं, जवाहर सागर से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। जहां तक एरिया का सवाल है कितने क्षेत्र में है ठीक से नहीं कह सकता कि यहां से लगा हुआ है, उत्तर में इतना है, दक्षिण में इतना, पश्चिम में इतना है और पूर्व में इतना। जानकारी मंगवाकर में सम्पूर्ण उत्तर दे दूंगा कि कितने एकड़ में है, कितने किलो मीटर में है....

(व्यवधान)

श्री दीनबन्धु वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरा नम्बर है....

(व्यवधान)

श्री नत्थीसिंह : अध्यक्ष महोदय, मन्त्रीजी और सरकार हाउस को सीरियसली नहीं लेना चाहती, सवाल का जवाब साफ नहीं दे रही है। अध्यक्ष महोदय, आप हमारे अधिकारों की रक्षा कीजिये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ जायं। माननीय सदस्यों से मै निवेदन करना चाहूंगा कि एक-एक करके प्रश्न पूछें। इस प्रकार से तो न मन्त्रीजी कुछ समझ पायेंगे और न मैं कुछ समझ पाऊंगा।

श्री दीनबन्धु वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है कि जवाहर सागर तालाब राख से भर गया है, राजस्थान पत्रिका में फोटो छपा है....

श्री अध्यक्ष : आप दुबारा पूछ लें।

श्री दीनबन्धु वर्मा : राजस्थान पत्रिका में फोटो प्रकाशित हुआ है कि जवाहर सागर तालाब राख से भर गया है। उसको निकालने के बारे में सरकार क्या प्रयत्न कर रही है ?

श्री अध्यक्ष : जवाब दे दिया।

श्री शीशराम ओला : आपके प्रश्न का जवाब दे दिया है। और कोई नई जानकारी आप चाहते हैं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्रीजी से पूछना चाहूंगा, क्या उनकी जानकारी में है कि इस प्रकार के ताप बिजली घर बनते हैं, बिजली घर के पास राख इकट्ठी करने के लिये कृत्रिम टैंक बनते हैं और उस राख से सीमेंट बनती है फिर उसको बेचा जाता है। कृत्रिम टैंक बनाया नहीं गया, टैंक में राख इकट्ठी की नहीं गई और राख का घोल जवाहर सागर तालाब में डाल दिया गया जिससे उसका 7/8 भाग राख से भर गया। मैं जानकारी करना चाहता हूं कि क्या ताप बिजली घर के पास कृत्रिम टैंक बनाया गया, राख इकट्ठी करने की वजह से, उसको नीलाम करने की वजह से....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जवाब दे दिया....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : गलत जवाब दिया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि करेक्ट करें इस जवाहर सागर में पिछले तीन सालों से राख डाली जा रही है। इसके बाद और भी राख डाली जायगी तो फिर इसमें राख ही रह जायगी और पानी उपलब्ध नहीं हो सकेगा। इसलिए कृत्रिम टैंक बनाये जाने चाहिए जिससे जवाहर सागर को बचाया जा सके।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्रीजी ने कहा है कि दूसरे टैंक में डाली जाती है, जवाहर सागर में नहीं डाली जा रही है।

श्री शोपत सिंह : यह गलत जवाब दिया है।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : माननीय मन्त्रीजी के क्या सुरखाब के पर लग रहे हैं ? वह क्यों नहीं जवाब देते ?

मुख्य मन्त्री (श्री हरिदेव जोशी) : आपको क्यों शिकायत है अगर माननीय मन्त्रीजी के सुरखाब के पर लग रहे हैं तो।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्रीमती विद्या पाठक ।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न जो पूछा गया है और उसका जो उत्तर मन्त्री महोदय ने दिया है उससे लगता है कि यह विभाग उनके लिए बिल्कुल नया है। एक सवाल तो यह है कि उस मिट्टी का डिस्पोजल कहां होता है ? उसके पार्टिकल्स से जो नुकसान होता है उससे बचाव का क्या उपाय किया गया है ? अगर आपका उत्तर सही भी मान लिया जाय तो क्या विद्युत मण्डल इस राख के पार्टिकल्स को रखने में अक्षम रहा है ? उसकी व्यवस्था कराने की आपके पास कोई शक्ति नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : जवाहर सागर में कोई चिमनी नहीं है, प्रश्न जवाहर सागर का है । ताप बिजली घर से इसका सम्बन्ध नहीं है ।

श्री हरिकुमार औदिच्य (रामगंज मण्डी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि जवाहर सागर से कितनी राख निकली है और वह कहां डाली गई ?

(व्यवधान)

श्री शीशराम ओला : मैं निवेदन कर रहा हूं, मूल प्रश्न का उत्तर मैंने दिया है । यह सही नहीं है कि कोटा ताप बिजली घर से अवशिष्ट राख नान्ता से आगे कोटा बांध जाने वाले मार्ग पर स्थित जवाहर सागर तालाब में डाली जा रही है । वायु प्रदूषण नियन्त्रण हेतु ताप बिजली घर की चिमनियों से निकली राख को इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर द्वारा चुम्बकीय आकर्षण से खींचकर पानी के घोल के साथ इस तालाब में छोड़ा जा रहा है । इससे कोई हानि नहीं होती । अगर विद्युत मण्डल कोई खराबी करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करेंगे ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, जवाहर सागर डेम 7/8 भाग मिट्टी से भर गया है । माननीय मन्त्री महोदय ठीक से उत्तर नहीं दे रहे हैं । यह राख छानकर नहीं डाली जा रही है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय कह रहे हैं कि राख छानकर डाली जा रही है और आप कह रहे हैं कि छानकर नहीं डाली जा रही है, इसका क्या उपाय है ।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : जानकारी गलत दी जा रही है, माननीय अध्यक्ष महोदय ।

(व्यवधान)

श्री हरिकुमार औदिच्य : मैं यह जानना चाहूंगा कि जो राख डाली जाती है उसका प्रभाव कोटा नगर के तीन अन्य बांधों....

श्री अध्यक्ष : यह इससे सम्बन्धित नहीं है।

श्री हरिकुमार औदिच्य : कोटा नगर के तीन और बांध प्रदूषण से ग्रसित हैं ।

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा

(श्री मानिक चन्द सुराणा)

कि पर्यावरण के किन अधिकारियों ने सर्टिफिकेट दिया है कि जवाहर सागर में राख डालना हानिकारक नहीं है और पर्यावरण को दूषित करने वाला नहीं है? यह किस स्तर के अधिकारी ने कहा है?

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, या तो इस प्रश्न को समझा नहीं गया है या जानबूझ कर समझने योग्य नहीं रहने दिया जा रहा हैं। स्थिति यह है कि पावर हाउस से जो राख निकलती है, वह जवाहर सागर, जिसको बिजली घर कहते हैं, में नहीं बल्कि उसके सिवाय जो तालाब है उसमें 16" पाइप से पानी में घोलकर छान कर डाली जा रही है। फिर भी कोई बात हो तो इसकी जांच की जा सकती है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा। नेक्स्ट।

शराब विक्रय के लाइसेंस

3. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या आबकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य सरकार ने वर्ष 1980 से मार्च, 1985 तक कितने शराब विक्रेताओं को शराब विक्रय के लाइसेंस दिये हैं? कृपया देशी व विदेशी दोनों तरह की शराब के विक्रेताओं को स्थानवार सूची सदन के पटल पर रखें।

शिक्षा मंत्री (श्री रामपाल उपाध्याय) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को 15 दिन के लिए स्थगित करने की प्रार्थना है वह इसलिए कि यह प्रश्न सारे राजस्थान से सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर-ग्रामीण) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हर बार इस प्रश्न को टाला जाता है। आप यह विश्वास दिलाइये कि 15 दिन बाद इसका जवाब दिलाया जायगा और इसको स्थगित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री हीरालाल आर्य।

इटावा मांगरोल तथा इन्द्रगढ़ में रेफरल अस्पताल

4. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पीपल्दा क्षेत्र की जनता इटावा, मांगरोल तथा इन्द्रगढ़ में रेफरल अस्पताल को क्रमोन्नत करने हेतु बार-बार मांग करती रही है?

(2) क्या सरकार को जनहित को मद्दे नजर रखते हुए उक्त स्थानों पर शीघ्र रेफरल अस्ताल क्रमोन्नत करने का विचार रखती है?

समाज कल्याण मंत्री (श्री छोगाराम बकोलिया) : (1) जी हां।

(श्री छोगाराम बकोलिया)

(2) जनसहयोग से भवन व्यवस्था का ठोस प्रस्ताव आने व योजना मद में समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर अन्य स्थानों के साथ विचार करना सम्भव हो सकेगा।

श्री हीरालाल आर्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मन्त्री महोदय, ने बताया, मैं जानना चाहता हूं कि क्या भवन उपलब्ध कराने का कोई ठोस प्रस्ताव आया है? इटावा इन्द्रगढ़ और मांगरोल की जनता ने यह लिखकर दिया है कि भवन उपलब्ध है और इसके अलावा भी आवश्यकता हो तो और भवन उपलब्ध कराने को तैयार हैं।

इसके अलावा दूसरा प्रश्न यह है कि वहां की भौगोलिक स्थिती कुछ ऐसी है कि अगर किसी गांव में आदमी बीमार पड़ जाता है तो उसको डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर के अस्पताल में ले जाना पड़ता है इन्द्रगढ़ से बून्दी के अस्पताल में ले जाना पड़ता है। इटावा में अगर कोई ज्यादा बिमार पड़ जाता है तो उसको कोटा ले जाना पड़ता है। इसके अलावा एक बात और जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि बारिश के दिनों में तो बहुत ही दिक्कत हो जाती है क्योंकि जब कोई इमरजेन्सी का केस होता है तो मरीज को दूर ले जाना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि मरीज रास्ते में ही मर जाता है। पिछले साल भी बारिश के दिनों में इस प्रकार कई मरीज मर गये थे। मेरा यह निवेदन है कि वहां की भौगौलिक परिस्थितयों को देखते हुए इटावा, मांगरोल और इन्द्रगढ़ के रेफरल अस्पतालों को क्रमोन्नत किया जावे।

श्री छोगाराम बकोलिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया कि जनसहयोग से भवन व्यवस्था का ठोस प्रस्ताव आने व योजना मद में समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर ही इस पर विचार किया जा सकेगा। साथ ही, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि कोटा जिले में 12 पी. एच. सी हैं। राज्य सरकार ने यह तय कर रखा है कि चार पी. एच. सी. पर एक रेफरल हास्पिटल बनाया जायेगा। कोटा में तीन रेफरल हास्पिटल है तो इस प्रकार 25 प्रतिशत हो चुके हैं। इसके अलावा चूंकि बीसवीं सदी के अन्त तक हम एक लाख की आबादी पर हर जगह हास्पिटल खोलना चाहते हैं। माननीय सदस्य ने कहा कि हम भवन बनाने को तैयार हैं पर अस्पताल खोलना वित्तीय साधनों पर निर्भर है।

एक माननीय सदस्य : यह कब तक खोलने का विचार रखते हैं?

श्री छोगाराम बकोलिया : एक लाख की आबादी पर सन दो हजार अन्त तक।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री हीरालाल आर्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने निश्चित रूप से कोई उत्तर नहीं दिया। इन्होंने तो कह दिया कि वित्तीय साधनों की उपलब्धि पर निर्भर है और...

श्री अध्यक्ष : और वित्तीय साधनों की स्थिति दयनीय है।

(व्यवधान)

श्री हीरालाल आर्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा इलाका बहुत ही पिछड़ा हुआ है। हम चाहते हैं कि वहां के लोगों को पूरी चिकित्सा सुविधा मिले।

वहां पर माननीय अध्यक्ष महोदय, बारिस के दिनों में मरीजों को अनावश्यक रूप से बहुत अधिक परेशानी होती है। तो ऐसी व्यवस्था हो कि जिससे मांगरोल इटावा और इन्द्रगढ़ व उसके आस पास आबादी वाले इलाके के लोगों चिकित्सा सुविधा पूरी मिल सके।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज।

श्री छोगाराम बकोलिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की भावनाओं पर विचार किया जायेगा और वित्तीय साधनों के उपलब्ध होते ही इसकी व्यवस्था की जायेगी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट प्रश्न। श्री मांगीलाल मेघवाल।

अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों के खेतों पर वृक्षारोपण

(5) श्री मांगीलाल मेघवाल (पाटन) व श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) :क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि अनुसूचित जाति सहकारी निगम की अनुसूचित जाति के खेतों पर पेड़ लगाने की कोई योजना थी? यदि हां, तो वर्षवार क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये थे?

(2) क्या यह भी सही है कि अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के खेतों में पेड़ लगाने हेतु गैर अनुसूचित जाति की संस्था को निगम द्वारा पेड़ लगाने हेतु कुछ राशि दी दी गई है? यदि हां, तो कब, क्यों, और कितनी?

(3) उक्त संस्था ने कितने पेड़ किसके खेत में लगाये? कृपया सूची मय नाम कृषक पिता का नाम, जाति, पता, खसरा नम्बर रकबा, पेड़ों की संख्या, जीवित पेड़ों की संख्या सदन के पटल पर रखें।

राज्य मंत्री, समाज कल्याण (श्री छोगाराम बकोलिया) (1) अनुसूचित जाति विकास सहकारी निगम ने अनुसूचित जाति के गरीब कृषकों की भूमि पर वृक्ष लगाने की एक योजना वर्ष 1982-83 में लागू की थी। इ के अन्तर्गत कुल एक लाख पौधे लगाने का लक्ष्य था। एक अन्य योजना, जिसमें अनुसूचित जाति के कृषकों को उनकी भूमि पर लगानेके लिए 15 लाख वृक्ष वितरित किए जाने का लक्ष्य था, वर्ष 1983-84 में लागू हुईथी।

(2) यह सही है कि राजस्थान विकास सम्मेलन, जयपुर, जिन्हें वर्ष 1983-84 में 15 लाख वृक्षों के पौध तैयार करने तथा उन्हें अनुसूचित जाति के कृषकों को वितरीत करने का कार्य दिया गया था को 4,45,-500.00 रु. की राशि दी गई थी। इसमें से वित्त विभाग की स्वीकृति की शर्तों के अनुसार 1,98,000 रु. की प्रथम किश्त

(श्री छोगाराम बकोलिया)

दिनांक 22-7-83 को योजना स्वीकृत होने पर दी गई थी तथा 2,45,500 रु. की दूसरी किश्त पौध उगाने का सत्यापन होने पर दिनांक 31-12-83 को दी गई थी।

(3) स्वीकृत योजना के अनुसार अनुसूचित जाति के कृषकों को वृक्षारोपण के लिए पौधे वितरित करने का कार्य उक्त संस्था का था। संस्था का काम कृषकों के खेतों पर पेड़ लगाने का नहीं था।

श्री हीरालाल आर्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि जब पौध लगाने का काम करना था, सारे राजस्थान में किया तो अनुसूचित जाति के हित में जिस पैसे का उपयोग किया जाना चाहिये था तो उसके लिये पौधे लगाने की अलग से व्यवस्था किये जाने की क्या आवश्यकता थी? मैं यह भी पूछना चाहूंगा कि क्या जिस संस्था को आपने पौधे लगाने हेतु राशि दी है, क्या वह अनुसूचित जाति क व्यक्तियों की संस्था है? यदि नहीं, तो इस संस्था को इतनी बड़ी राशि देने की क्या कारण है।

श्री छोगाराम बकोलिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, संस्था तो कोई भी काम कर सकती है। लेकिन अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को होना आवश्यक नहीं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विकास योजना के अन्तर्गत वृक्ष लगाने की स्वीकृति दी थी राज्य सरकार के द्वारा। जो पौधे मांगते हैं उनको पौधे लगाने के लिये दिये जाते हैं।

श्री शोपत सिंह : सवाल यह है कि कितने आदमी उनमें शिड्यूल्ड कास्ट्स के थे और कितने आदमी दूसरे हैं।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सवाल जो पूछा गया है उसके सवाल को छिपा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री मोहन छंगाणी (फलौदी) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूं कि इस प्रश्न के महत्व को देखते हुए इसको मुख्य मन्त्री जी को विशेष रूप से देखना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में सोशल फोरेस्टरी के नाम से बहुत बड़ा रेकेट है। सामाजिक वृक्षारोपण का नाम लेकर सारी संस्थायें इसमें लगी हुई हैं किस तरह से अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति के खेतों मे पेड़ लगाये जायं, लाखों का प्रोग्राम है, इसमें इतना बड़ा रेकेट है, अध्यक्ष महोदय, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 98 प्रतिशत पेड़ों की मोर्टेलिटी खतम हो जाती है। आप एक दिन, माननीय मुख्य मंत्री जी इसका असेसमेंट करके देख लिजिये। इसमें काफी गड़बड़ी है। मेरा यह निवेदन है कि मुख्य मन्त्री जी इसको अपने कन्ट्रोल में लेवें अन्यथा मुझे आज भी याद है कि किस प्रकार से दूलारामजी के ऊपर दबाव डाला गया था और किस किस प्रकार से इसमें सौदेबाजी हुई थी। अध्यक्ष महोदय, कई व्यक्ति विशेष तौर से दलाल का धन्धा इसमें कर रहे हैं। मैं एक व्यक्ति विशेष को जानता भी हूं इसलिये मैं यह चाहूंगा कि इसमें जो दलाली का काम हो रहा है उसको बन्द किया जाना चाहिये।

मुख्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : इसको मैं स्वयं देखूंगा।

(व्यवधान)

श्री शोपत सिंह (हनुमानगढ़) : इसमें यह देखें कि पीछे कितने लोगों ने काम किया और कितना पैसा डकार गये ?

मुख्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : मैं इसको देखूंगा।

श्री शोपत सिंह : आप पीछे क्या हुआ। उसको तो देखेंगे ही। यह भी देखें कि कितने पेड़ लगे और कितने लाख रुपये लोग खा गये।

श्री हरिदेव जोशी : मैं इसको देखूंगा।

श्री शोपत सिंह : पीछे का भी देखेंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा है ना कि वह स्वयं देखेंगे।

श्री हीरालाल आर्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, पेड़ लगाने के कार्यक्रम में लाखों रुपयों का घोटाला हुआ है। इसकी जांच की जानी चाहिये। इसमें यह देखने की बात है कि कितने पेड़ लगाये गये किस किस व्यक्ति के खेत में और उसमें कितना खर्चा आया ?

श्री छोगाराम बकोलिया : अध्यक्ष महोदय, दूसरे प्रश्न के जवाब में यह साफ कहा है कि वर्ष 1983-84 में 15 लाख वृक्षों के पौध तैयार करने तथा उन्हें अनुसूचित जाति के कृषकों को वितरित करने का कार्य किया गया था। इसमें 4, 45, 500 रु. की राशि दी गयी थी।

श्री शोपत सिंह : कितने पेड़ लगाये और कितने रुपये खा गये ? यह बता दें। सीधा सवाल है, कितने पेड़ लगाये और कितने रुपये खा गये ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री छोगाराम बकोलिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के विकास सम्मेलन को 15 लाख पौधे तैयार कर वितरण हेतु दिये गये थे। इसमें 18 लाख 31 हजार पौधे तैयार करने थे। इसके लिये एक कमेटी बनायी गयी थी। उसने सत्यापन करके अपनी पूरी रिपोर्ट दी है, उसके सत्यापन के अनुसार 14 लाख....

(व्यवधान)

श्री भवरलाल शर्मा (हवामहल) : सत्यापन का मतलब ?

श्री अध्यक्ष : पहले आप सुन लें।

श्री छोगाराम बकोलिया : 14 लाख 94 हजार पौधे वितरित किये गये। इसकी रिपोर्ट आई, जो पेड़ लगाये हैं उनमें जो सरवाइवल का प्रतिशत 42.3 प्रतिशत है। सरवाइवल की रिपोर्ट के अनुसार नार्मल वे में जयपुर में 46 प्रतिशत सरवाइवल की रेट रहती है। जयपुर के अन्दर पौध वितरित की गई है, इसकी यह वन विभाग की रिपोर्ट है। वन विभाग पेड़ लगाता है तो एक साल में तीस प्रतिशत पेड़ और जोड़ते हैं, जब कि इसमें वह एड नहीं होते हैं। इसका पूरे का सत्यापन में 42.3. प्रतिशत आया

(श्री छोगाराम बकोलिया)

है। विकास अधिकारी ने प्रमाण पत्र दिया है। जहां अनुसूचित जाति के लोगों का सवाल है, उसकी पूरी लिस्ट हमारे पास तैयार है। माननीय सदस्य देखना चाहें तो देख सकते हैं।

श्री मोहन छंगाणी : सबसे पहले तो यह देखा जाये कि पेड़ कौन से लगाये जायें। आप देखें आजकल तो यूकिटलिप्स वगैरह के पेड़ लगाये जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज माननीय सदस्य।

श्री मोहन छंगाणी : यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : अगर आप महत्वपूर्ण समझते हैं तो इसे किसी अन्य माध्यम से उठायें।

श्री मोहन छंगाणी : एक पेड़ की कीमत कितनी लगी और उसकी देखरेख पर कितना खर्च हुआ है यह सब नहीं बताया। असेसमेंट मार्टलिटी के दिये हैं वह सरकार × × × लोग पटवारी से मिले हुए होते हैं। मैं यह मानकर चलता हूं कि इसका मानिटरिंग किया जाये तो सारी बात सामने आ जायगी।

श्री अध्यक्ष : वह तो मुख्य मन्त्री ने कह दिया है कि वह स्वयं देखें।

श्री हीरालाल आर्य : हमने सूची मांगी थी, हमको नहीं दी।

श्री हरिदेव जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की आवाज को मैं चुनौती नहीं देता और न मेरी यह मन्शा है कि जो बात यह कह रहे हैं उसका विरोध करूं, चेलेंज करूं। मैंने निवेदन किया है कि मैं इसको देखूंगा, तो इसमें कोई मतभेद नहीं होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह दलालों की संस्था है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य मैंने दूसरा प्रश्न पुकार लिया है, आप बैठ जाय।

श्री विहारीलाल पारीक (मान्डल) : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने यह बात कही, मैं इनको कहना....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। श्री घनश्याम तिवाड़ी।

(व्यवधान)

चुपचाप बैठें।

श्री भंवरलाल शर्मा : अगर इसमें सच्चाई है तो....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने दूसरा प्रश्न पुकार लिया है, इस पर काफी चर्चा हो चुकी है।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह दलालों की संस्था है ....

श्री अध्यक्ष : श्री घनश्याम तिवाड़ी।

सीकर नगर परिषद सीमा का विस्तार

6. **श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर)** : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने सीकर नगर परिषद सीमा क्षेत्र का विस्तार कर दिया है ? यदि हां, तो कृपया गजट नोटिफिकेशन की प्रति, किस किस दिशा में कितने-कितने किलोमीटर तक विस्तार किया गया है तथा कौन-कौन सी ढाणियां तथा गांव सम्मिलित किये गये हैं, सीकर शहर के नक्शे तथा सम्मिलित किये गये क्षेत्र के नक्शे सहित, विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सम्मिलित किये गये क्षेत्र की कुल जनसख्या कितनी है ? इन क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार कितनी अतिरिक्त धनराशि नगर परिषद् को देने का विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्रीमती कमला): (1) जी हां। सीकर नगर परिषद् सीमा क्षेत्र के विस्तार के गजट नोटिफिकेशन की प्रति एवम् सम्मिलित किये गये गांव व ढाणियां सहित नक्शे की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सम्मिलित किये गये क्षेत्र की वर्ष 1981 की जनगणना के आधार पर 2973 जनसंख्या है इस क्षेत्र को अभी हाल ही में सीमा क्षेत्र सम्मिलित किया गया है, इसलिए नगर परिषद् द्वारा विकास हेतु अभी तक कोई विशेष योजना नहीं बनाई गई है, एवम् न ही अतिरिक्त धनराशि की मांग की गई है।

(अधिसूचना व विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-2 देखें एवं मानचित्र पुस्तकालय में रखा गया)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से पूछना चाहता हूं क्या यह सही कि सबलपुरा, शिवसिंहपुरा, राधा किशनपुरा, देवीपुरा की ढाणी, जो आंशिक आबादी थी, को तो सम्मिलित कर लिया है, आधी से अधिक आबादी को जानबूझ कर छोड़ दिया गया है और सीमा रेखा इस तरह डाली गई है कि ढाणी के दो-दो टुकड़े हो गये हैं ? यह किस प्रकार और क्यों किया ?

श्रीमती कमला : नगर परिषद् की टैक्स वसूली में जो गड़बड़ी होती थी उसकी रोकथाम की दृष्टि से इस क्षेत्र को शामिल किया गया है। जैसा कि विधायक महोदय जानते हैं, इसको जारी करने से पहले ग्राम जनता से इसके लिए आपत्तियां प्रस्तुत करने को कहा गया था, वह भी एक नहीं दो बार कहा था। लेकिन वहां के किसी निवासी और यहां तक कि विधायक महोदय ने भी आपत्ति प्रस्तुत नहीं की। तारीख निकलने के बाद तक भी कोई आपत्ति नहीं आई तो उसके बाद जिलाधीश ने सरकार को लिखा कि वह अवधि निकल गई है। हमने काम शुरू किया। मुख्य स्थानों को लेने का मतलब यह है कि ग्राम निवासी इस बात को जान रहा था कि यह सही है। क्योंकि एक भी आपत्ति का विवरण नहीं आया जिससे हमें पता लगता कि किस क्षेत्र को कितना इसमें सम्मिलित किया जाय। इसके बाद हमने नोटिफिकेशन जारी कर दिया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह मांग की गई थी कि जो टैक्स इवेजन करते हैं उन्होंने जहां गोदाम बना रखे हैं उन स्थानों तक नगर परिषद की सीमा जाये। आपने कहा कि मांग नहीं की। मैंने और श्री नारायण सिंह जी ने भी निवेदन किया था और कहा था कि सबलपुरा, राधाकिशन पुरा, शिवसिंह पुरा इन क्षेत्रों को छोड़ने,

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

का कोई मतलब नहीं है। यह बात मैंने यहां सदन में भी कही थी। माननीय मन्त्री श्रीराम गोटेवाला ने कहा था कि इस बात को ध्यान में रखा जायगा। मैंने भी आपत्तियां प्रस्तुत की थीं। आप सदन को गलत जानकारी दे रही हैं। अध्यक्ष महोदय, छोटे स्थानों को शामिल कर लिया लेकिन दो हजार नौ सौ तेहत्तर आदमियों का कुल क्षेत्र है, उस बड़े स्थान को शामिल नहीं किया गया। जो नगर परिषद की सीमा में गोदाम आते हैं उनको आपने छोड़ दिया। यह गलत ढंग से लिख दिया कि कोई फायदा होने वाला नहीं है। आपने जो नोटिफिकेशन प्रकाशित किया है उसको पढ़ने से मालूम होता है कि यह गलत है। इसमें आपने ऊपर लिखा है कि सालासर सीकर नगर परिषद क्षेत्र के अन्दर आता है, लेकिन सारे गोदामों को छोड़ दिया है।

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, दूर-दराज के अन्दर किसी छोटी-सी ढाणी में कोई बिना पढ़ा-लिखा अनजान आदमी कहता कि इसकी जानकारी नहीं थी तो ठीक था, लेकिन विधायक महोदय....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैंने हाउस में कहा था---

श्रीमती कमला : जरा सुनने का कष्ट करें। माननीय सदस्य को मालूम था कि आपत्तियां मांगी गई थीं, कब देनी चाहिए थी....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : वह दी थी।

श्रीमती कमला : बीच में क्यों बोलते हैं।

श्री अध्यक्ष : आपको जो कहना है वह बाद में कह लीजिये।

श्रीमती कमला : अपको मालूम नहीं है जिस वक्त आपत्तियां मांगी जाती हैं, किस अधिकारी के द्वारा मांगी जाती है, कहां दी जाती हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपने कहा है कि सब निरस्त कर दी हैं।

श्री अध्यक्ष : आप सुन लीजिये।

श्रीमती कमला : आप कहते हैं कि विधान सभा में आवाज उठाई थी, तो विधान सभा में आपत्तियां नहीं मांगी गई थीं। आपत्तियां कलेक्टर के द्वारा मांगी जा रही थीं, एक निश्चित अवधि में मांगी जा रही थीं। शायद कुछ और कारण होगा कि आप नहीं करना चाहते होंगे या आप अपना इरादा छुपाना चाहते हो। इसलिए जिस प्रकार की स्थिति आई हमने कर दी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदया गलत कह रही हैं। गजट नोटिफिकेशन में साफ-साफ लिखा है कि जितनी भी आपत्तियां आई उन्हें अमान्य किया गया। मैंने कार्यालय में आपत्तियां प्रस्तुत की थीं। मन्त्री महोदया गलत कह रही है कि हाउस में नहीं बोल सकते। हाउस जनता का मंच है, दुनिया हाउस की बात सुनती है। गांव वालों ने लिखकर दिया है कि आपने जानबूझ कर हमारे गांव को दो टुकड़ों में बांट दिया है। सबलपुरा गांव है वह शहर में आधा आ गया है। तो इन परिस्थितियों को देखते हुए और जो गांव में सीमा रेखा निकली है इसको देखते हुए सारी कार्यवाही पूर्ण करवायेंगी ?

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक महोदय ने चुनौती दी है कि आप जो कह रहे हैं कि कोई आपत्ति नहीं आई, आपत्तियां पेश की गई थीं। और खुद ने आपत्ति पेश की हुई बताते हैं। वह यह सूचना देते हैं कि आपत्तियां आई उनको अमान्य किया गया। मुझे सूचना दी गयी कि कोई आपत्ति नहीं आई। तो आपके कहे मुताबिक अगर बात सच है तो मैं उस अधिकारी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करूंगी जिसने गलत सूचना दी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा): इस गजट से ज्यादा और क्या प्रूफ चाहिए आपको।

श्री अध्यक्ष : आपत्तियां किस की आई, किस की नहीं आई यह गजट में नहीं आता।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

श्रीमती कमला : मेरी बात सुनिये।

मैं यह कह रही हूं कि मुझे यह सूचना दी गयी है कि कोई आपत्तियां प्राप्त नहीं हुई। अगर यह सूचना गलत दी गयी है तो मैं उस अधिकारी, जिसने गलत सूचना दी है के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करूंगी दूसरी बात जो माननीय विधायक महोदय ने कही....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मन्त्रीजी यही तो कहेंगी कि गलत सूचना दी गयी तो कार्यवाही करूंगी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : एक बार गजट में आ गया कि जो सुझाव दिये गये थे वह अमान्य कर दिये, फिर 'यदि' का कहां प्रश्न आया?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

सीकर का सवाल है।

श्री मोहन प्रकाश (राजाखेड़ा) : सीकर का है तो क्या हुआ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदया से पूछना चाहता हूं कि सदन सुप्रिम बाडी है। अगर गलत है तो क्या मन्त्री महोदया काग्नीजेन्स नहीं लेंगी?

श्री अध्यक्ष : आपत्तियों की मियाद होती है। अगर उसमें आपत्ति पेश की गयी हैं तो ठीक है।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज....

श्री भंवरलाल शर्मा : गजट नोटिफिकेशन में लिखा है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री भंवरलाल शर्मा : इस प्रकार उपरोक्त धारा के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में जो आपत्तियां प्राप्त हुई, सभी अमान्य कर दी गयीं....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बता दिया गया है।

(व्यवधान)

(18)

(श्री अध्यक्ष)

आर्डर प्लीज....

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : माननीय सदस्य स्वयं जानते थे....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपस में नहीं।

मुख्य मन्त्री (श्री हरिदेव जोशी) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य इस गजट की कापी को पढ़कर गलत धारणा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मेहरबानी करके इस पूरे को पढ़ लें। दिनांक 25-4-84 को प्रकाशित हुई थी, इस प्रकार उपरोक्त धारा के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : यह सेकण्ड है।

श्री हरिदेव जोशी : Even then माननीय सदस्य भी मन्त्री रहे है और मन्त्री की परिस्थिति को आप समझते हैं। आप वही तो सूचना देंगे इस सदन को जो आपको दी गयी है। आप इसके सिवाय और क्या चाहते हैं? मिनिस्टर ने यह कह दिया कि अगर मुझे दी गयी सूचना गलत है तो मैं एक्शन लूंगी। इससे अधिक और क्या चाहते हैं आप ?

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए।

जो गजट नोटिफिकेशन निकला है इसके आरम्भ में रुटिन में एक जो भाषा लिखी जाती है माननीय सदस्य ने उसको सिर्फ पढ़कर कहा है। उसमे लिखा है, वह लिखा यह है 'उपरोक्त धारा के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में जो आपत्तियां प्राप्त हुई सभी अमान्य कर दी गई यह रुटिन में लिखा गया है लेकिन वास्तव में क्या हुआ कि इस निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं हुई। वास्तविक स्थिति यह है कि कोई आपत्ति नहीं आई।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह सेकण्ड टाइम की बात है।

श्री मोहन प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, सवाल आपत्तियों का नहीं है। मेरा प्रश्न यह है कि वह कौन से मापदण्ड थे जिनके आधार पर आधा गांव छोड़ दिया गया और आधा गांव लिया गया ?

श्रीमती कमला : जो सूची प्रस्तुत की गयी है उसमें है कितने गांव आंशिक रूप से आये हैं और कितने गांव पूरे आये हैं। सिर्फ एक गांव पूरा है और बाकी के गांव आंशिक रूप से शामिल किये गये हैं।

श्री शोपत सिंह : आंशिक क्यों ?

श्रीमती कमला : इसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया है उस समय आपने ध्यान नहीं दिया। जहां टैक्स इवेजन रोकने की कार्यवाही को प्रभावी ढंग से चालू किया जाना जरूरी था उतने ही एरिया को इसमें शामिल किया गया है और बाकी को शामिल नहीं किया गया है। मैं विधायक महोदय से निवेदन करना चाहती हूं कि अगर आपको आपत्ति है, उस समय आपत्ति थी और आपने प्रस्तुत की है तो वह आपत्ति मैं मगाकर देखूंगी कि आपने क्या आपत्ति दी है और जिलाधीश ने कैसे हमारे को लिखा है कि कोई आपत्ति नहीं आई। अगर आपत्ति है और फिर भी लिखा है तो

(श्रीमती कमला)

आपकी आपत्ति को दुबारा सुनकर दुरूस्त करूंगी और उस अधिकारी के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्यवाही करूंगी।

श्री मोहन प्रकाश : मैं उन मापदण्डों को जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री अश्क अली।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, दूसरा प्रश्न पुकार लिया गया है।

भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के प्रत्येक परिवार को रोजगार

7. **श्री अश्क अली टांक** (फतेहपुर) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मन्त्री यह बताने की कृपया करेंगे :—

(1) क्या ग्रामीण भूमिहीन श्रमिक रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकार ने कोई कार्यक्रम बनाया है? यदि हां, तो कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त योजना के अन्तर्गत हर भूमिहीन खेतिहर मजदूर के परिवार में से एक व्यक्ति को रोजगार देने का कार्य सरकार द्वारा प्रारम्भ कर दिया गया है?

राज्य मन्त्री, विशिष्ट योजना संगठन (श्री शीशराम ओला) : (1) जी हां, सरकार ने ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम बनाया है जिसका विवरण सदन की मेज पर परिशिष्ट "क" में प्रस्तुत है।

(2) जी हां, धनराशि सीमित होने के कारण प्रत्येक भूमिहीन खेतिहर के परिवार में से एक व्यक्ति को रोजगार देना सम्भव नहीं हो पाता पर श्रमिकों को लगाने में उन्हें प्राथमिकता दी जाती है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

श्री अश्क अली टांक : इस कार्यक्रम के अन्तर्गत किस आधार पर क्या मापदण्ड बनाया गया कि यह रोजगार देना था? चयन का मापदण्ड क्या था और उनका चयन कब किया गया? कार्यक्रम लागू करने के पहले या कार्यक्रम लागू करने के बाद? चयन करने के बाद में सरकार ने जो योजना के अन्तर्गत कार्य प्रारम्भ किये उनमें क्या उन क्षेत्रों का विशेष ध्यान रखा गया जो कि अभावग्रस्त ज्यादा हैं?....

(12 म. प.)

दूसरे प्रश्न के उत्तर सम्बन्ध में मैं जानना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, इस योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार से धन-राशि प्राप्त हो चुकी है? यदि नहीं, तो क्यों? और हां, तो कितनी?

श्री शीशराम ओला : माननीय अध्यक्षजी, जो प्रश्न पूछा गया था उसका उत्तर बहुत स्पष्ट प्रस्तुत कर दिया गया है। यह अलग से प्रश्न है। इन्होंने जो पूछा है, जो जानकारी चाही है वह दे दी गई है स्पष्ट। इसके अलावा यह अलग से प्रश्न है।

श्री अश्क अली टांक : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास वह जानकारी आई नहीं है जो जानकारी चाही थी। मन्त्री बता रहे हैं कि दे दी गई है पर मुझे नहीं मिली है।

श्री अध्यक्ष : परिशिष्ट नहीं मिला ?

श्री अश्क अली टांक : नहीं। मेरे प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न के जबाब के साथ देखिये।

श्री अश्क अली टांक : मेरे पास नहीं है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न का जवाब नहीं मिला ?

श्री अश्क अली टांक : बिल्कुल नहीं आया।

एक माननीय सदस्य : इस प्रश्न को पोस्टपोन कर दीजिये।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री अश्क अली टांक : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं, इस प्रश्न को स्थगित कर दिया जाये।

श्री अश्क अली टांक : आपको सूची मिली या नहीं मिली।

श्री अध्यक्ष : नहीं मिली।

श्री अध्यक्ष : आपको प्रश्न का उत्तर मिला ?

श्री अश्क अली टांक : नही मिला।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया। प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय अगर परीक्षा में प्रश्न का उत्तर ऐसा दें तो इनको कितने अंक मिलें ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

खाद एवं बीज की खरीद हेतु अनुदान

1. **श्री नवनीत लाल** (घाटोल) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार किसानों को बीज खाद के लिये सहकारी समितियों द्वारा कोई अनुदान देती है ?

(2) क्या अधिकारियों द्वारा उक्त अनुदान के दुरुपयोग के बारे में राज्य सरकार को घाटोल जिला बांसवाड़ा की कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो किस आशय की ?

(3) क्या सरकार यह अनुदान, बीज, खाद के मूल्य को ही कम कर क्रय के समय ही देने पर विचार रखेगी ? यदि हां, तो कब तक एसी व्यवस्था कर दी जावेगी ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, केवल अकालग्रस्त एवं बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में अकाल सहायता विभाग के माध्यम से ग्राम सेवा सहकारी समितियों/ लेम्पस के प्रभावित कृषकों को इनके बी कम्पोनेन्ट ऋण पर लघु एवं सीमान्त कृषकों को अनुदान दिया जाता है।

(2) जी हां, खाद बीज पर दिये जाने वाले अनुदान की राशि उनके खाते में जमा नहीं किये जाने के बाबत सैनावास लेम्प के 4 सदस्यों की शिकायत प्राप्त हुई थी जिसकी जांच कराये जाने पर शिकायत कर्ताओं के ऋण खाते में अनुदान राशि समायोजन द्वारा जमा होना पाया गया है।

(3) जी नहीं, अभी तक कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है लेकिन भारत सरकार से उपलब्ध तिलहन एवं दलहन विकास परियोजनाओं के अन्तर्गत बीज पर देय अनुदान की राशि विक्रय मूल्य में ही कम करवा कर राजस्थान राज्य बीज निगम के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाती है।

जयपुर नगर की एप्रूव्ड गृहनिर्माण सहकारी समितियां

2. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर-ग्रामीण) : क्या नगर विकास एवं नगर आयोजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जयपुर नगर में कुल कितनी गृह-निर्माण सहकारी समितियों की योजना एप्रूव्ड है ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) आवासीय कालोनी एप्रूव्ड करने के क्या मानदण्ड हैं ? कृपया नियम की प्रति सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) 77 योजनाएं तत्कालीन न्यास के समय से अनुमोदित हैं तथा 136 योजनाओं को प्राधिकरण समय में अनुमोदित किया गया है अतः अब तक कुल 153 योजनायें अनुमोदित की जा चुकी हैं, जिसकी सूची संलग्न है।

(2) आवासीय कालोनी एप्रूव्ड करने के माप दण्ड एवं नियमों की प्रति संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट- 5 देखें)

ग्राम सेवा सहकारी समिति, जायडू का गोदाम

3. **श्री गंगाराम चौधरी** (बाड़मेर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला बाड़-मेर में ग्राम सेवा सहकारी समिति, जायडू अपना गोदाम एक स्थान पर बनाने जा रही है जो उसके मुख्यालय से 5-6 कि मी. दूर है और जहां न कोई गांव निकट है और न कोई बस्ती है और यह एक निर्जन सुनसान स्थान है ?

(2) क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी कि ग्राम तथा सहकारी समिति लि., जायडू अपना गोदाम नियमानुसार अपने मुख्यालय पर ही बनाये ?

उत्तर

(1) जी नहीं। जायड़ ग्राम सेवा सहकारी समिति लि., जिला बाडमेर की गोदाम जायड़ ग्राम की खसरा नं. 300 की भूमि पर बनाया जा रहा है जायड़ अलग अलग ढ़ाणियों में बिखरा हुआ है। जहां यह गोदाम बनाया जा रहा है व अन्य गांव इन्दोई, सियाणी व अन्य ढ़ाणियों के लिये भी उपयुक्त है तथा ट्रान्सपोर्टेशन की भी सुविधा है जिसके आस पास ग्राम इन्दोई, सियाणी व ढ़ाणियां तथा अन्य कई गांव हैं।

(2) ग्राम सेवा सहकारी समिति लि., जायड़ अपना गोदाम नियमानुसार समिति के मुख्यावास पर ही बना रही है।

समान प्रश्न-पत्र योजना

4. **श्री मालाराम** (खेतड़ी) : क्या प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1984 85 में समान प्रश्न-पत्र योजनान्तर्गत बस्सी, चौमू जयपुर एवं आमेर पंचायत समिति के इन्चार्ज मोती कटला स्थित राजकीय नेताजी सुभाष उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य थे? यदि हां, तो उक्त प्रश्न पत्रों की अर्द्धवार्षिक परीक्षा मुद्रण किस फर्म से कितनी राशि में करवाया गया और क्या इसे भुगतान कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? अब कब तक भुगतान दिया जावेगा?

(2) क्या सरकार की जानकारी में है कि उक्त प्रधानाचार्य की लापरवाही एवं नियम विरुद्ध तरीके अपनाकर स्थानीय प्रेस में वार्षिक परीक्षा प्रश्न-पत्रों का मुद्रण करवाये जाने से प्रश्न-पत्र आउट हो गये थे? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रभारी के विरुद्ध गोपनीयता भंग करने के लिए कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां, प्रश्न-पत्रों का मुद्रण मैसर्स विनोद कुमार गोयल, स्टेशनर्स एण्ड प्रिंटर्स, उपरला बाजार (मूसावर) भरतपुर से करवाया गया था। कुल मुद्रण 16,658 05 की राशि का था। भुगतान की गई राशि व शेष अन्य कटोतियों के पश्चात् देय राशि का विवरण निम्न प्रकार है :—

1.	फर्म को नकद भुगतान किया	300.00
2.	मुद्रकों को जिनके माध्यम से उक्त फर्म ने प्रश्न पत्रों का मुद्रण करवाया भुगतान किया	8377.00
	कुल भुगतान किया	8677.00
1.	विलम्ब से मुद्रण त्रुटियां बिल में अधिक राशि का बताना एवं अन्य कारणों से निविदा की शर्तें पूरी न करने के फलस्वरूप कटौतियां	6270.00
अ.	नकद भुगतान एवं कुल कटौतियां सहित राशि	14947.00
ब.	शेष भुगतान योग्य	1711.05
	कुल बिल	16658.05

(प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा मन्त्री) :

उक्त भुगतान प्राप्त किये जाने हेतु (1711.0) फर्म को 19.6.1985 को कटौतियों की सूची का उल्लेख करते हुए पत्र दिया गया था जिसके सन्दर्भ में फर्म ने अपने पत्र दिनांक 21.6.1985 द्वारा उक्त कटौतियों के बारे में विस्तृत विवरण भिजवाने हेतु लिखा है। जबकि कटौतियों का विवरण फर्म को पहले ही दे दिया गया था। देय राशि का बैंक ड्राफ्ट द्वारा भुगतान किये जाने की शीघ्र कार्यवाही की जा रही है।

(2) स्थानीय समाचार पत्र में उसी दिन छपी खबर से यह ज्ञात होता है कि कक्षा 9 के अनिवार्य हिन्दी के द्वितीय प्रश्न पत्र के भाग-ब का प्रश्न संख्या 1 आउट हो गया था। कुल प्रश्नों की संख्या 10 के बारे में भी जानकारी दी गई थी किन्तु प्रश्नों का उल्लेख नहीं था। इस प्रकरण में प्रधानाचार्य का किसी प्रकार की लापरवाही एवं नियम विरुद्ध तरीके अपनाकर स्थानीय प्रेस में यह प्रश्न पत्र छपवाने के कारण आउट होने का दोषारोपण उचित प्रतीत नहीं होता। क्योंकि प्रधानाचार्य ने स्वयं ने उसी दिन 16.4.85 को पुलिस थाना रामगज में इस सम्बन्ध में एफ. आई. आर. दर्ज करवा दी थी। अतः प्रधानाचार्य के विरुद्ध वर्तमान तथ्यों को देखते हुये किसी कार्यवाही का औचित्य नहीं है।

ग्राम मैथना में वन विभाग की भूमि

5. **श्री बाबूलाल बैरवा** (कठूमर) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर में ग्राम मैथना में वन विभाग की कितनी ज़मीन है?

(2) क्या उक्त भूमि पर अनधिकृत कब्जे किये हुये हैं? यदि हां तो कृपया उन काश्तकारों के नाम व पते सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उन व्यक्तियों से अनधिकृत कब्जा हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर के ग्राम मैथना में वन विभाग की 353 हैक्टेयर वन भूमि है।

(2) जी हां। अनधिकृत कब्जे किये हुए काश्तकारों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) जी हां। सूची में अंकित चार व्यक्तियों के न्यायालय सहायक वन सरक्षक, अलवर द्वारा दिये गये बेदखली सम्बन्धी निर्णय के विरुद्ध इन्होंने अतिरिक्त जिलाधीश अलवर के न्यायालय में अपील दायर की हुई है। साथ ही इन व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमित भूमि के सम्बन्ध में एक वाद सहायक जिलाधीश, लक्ष्मणगढ़ के न्यायालय में भी दायर किया हुआ है। न्यायालय के फैसलों के उपरान्त बेदखली की कार्यवाही की जावेगी।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-6 देखें)

जौहरी बाजार क्षेत्र, जयपुर में अतिरिक्त डिस्पेन्सरीज

7. **श्री कालीचरण सराफ** (जौहरी-बाजार) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री कालीचरण सर्राफ)

(1) क्या यह सही है कि जयपुर में आगरा रोड, पुराना घाट, खानिया पुरोहितान की बावड़ी व बन्धा कच्ची बस्ती इलाके में एक भी सरकारी डिस्पेन्सरी नहीं है ?

(2) क्या इस इलाके के लगभग 3000 निवासियों को इलाज के लिए बस्ती से 6 कि. मी. दूर जयपुर शहर में आना पड़ता है जिसके कारण यहां के नागरिकों को काफी कठिनाई होती है ?

(3) क्या सरकार वहां सरकारी डिस्पेंसरी खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं, इस इलाके के निवासियों के लिए आगरा रोड पर लगभग एक किलो मीटर दूरी पर राजकीय चिकित्सालय, जामडोली, पास ही दो कि. मी. की दूरी पर राजकीय चिकित्सालय सेठी नगर में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(3) योजना मद में समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर अन्य स्थानों के साथ विचार करना सम्भव हो सकेगा।

टौंक के निगम बस स्टैण्ड पर सुविधाएं

8. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर)

श्री हरलाल सिंह खर्रा (श्री माधोपुर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) टौंक जिला मुख्यालय पर प्रति दिन कितने यात्री टौंक से आते तथा जाते हैं ?

(2) बस स्टैण्ड पर यात्रियों के उठने बैठने, खड़े होकर टिकट लेने, सार्वजनिक मूत्रालय, शौचालय आदि की क्या व्यवस्था है ?

(3) क्या यह सही है कि बस स्टैण्ड की सुविधा उपलब्ध कराना निगम का उत्तरदायित्व है ? यदि हां, तो यह सुविधा कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी ?

उत्तर

(1) टौंक जिला मुख्यालय पर परिवहन निगम की बसों से प्रतिदिन औसतन 5000 यात्री टौंक म आते तथा जाते हैं।

(2) वर्तमान बस स्टैण्ड स्थानीय नगर परिषद का है जिस पर वर्तमान में यात्रियों के उठने बैठने, खड़े होकर टिकट लेने हेतु यात्री प्रतिक्षालय एवं उसमें तीन बेंचे उपलब्ध हैं। साथ ही स्त्री पुरुष यात्रियों के लिये पृथक पृथक शौचालय/मूत्रालय की व्यवस्था है। पीने के पानी हेतु पानी का नल लगा हुआ है। जिसमें जलदाय विभाग के समय चक्रानुसार पानी आता है, पृथक से एक हैण्ड पम्प स्थापित है तथा स्थानीय लायन्स क्लब की ओर से पक्की प्याउ की व्यवस्था है।

(3) जी हां। लेकिन इस समय निगम टौंक में स्वयं का बस स्टेण्ड बनाने की आर्थिक स्थिति में नहीं है। वर्तमान बस स्टेण्ड नगर परिषद का है स्थानीय नगर परिषद द्वारा टौंक में आने तथा टौंक से

(यातायात मंत्री)

जाने वाले, यात्रियों से प्रति यात्री 25 पैसा शुल्क वसूल किया जा रहा है अतः टौंक में बस स्टेण्ड की सुविधा उपलब्ध कराना स्थानीय नगर परिषद का भी दायित्व है। निगम द्वारा राज्य सरकार को स्थानीय नगर परिषद के स्तर से बस स्टेण्ड का निर्माण कराकर निगम को प्रयोग हेतु उपलब्ध कराने हेतु प्रसंग किया हुआ है। इसके लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित दरों पर किराया भुगतान करने को सहमत है।

सांगानेर नगरपालिका क्षेत्र के नाले के किनारे पिचिंग कार्य

9 श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सांगानेर नगरपालिका के वार्ड नम्बर 1 में गत 2-3 वर्षों में 42 हजार रुपये का ठेका देकर नाले के किनारे पिचग का काम करवाया गया था ?

(2) क्या यह भी सही है कि पहले वर्ष में ही पिचिंग ध्वस्त हो गया क्योंकि वहां केवल कीचड़ में बड़े बड़े पत्थर जमा दिये गये थे ?

(3) यदि हां, तो क्या इसकी जांच नगरपालिका ने करवाई ? यदि हां तो कृपया जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वार्ड नम्बर 1 में नाली निर्माण, मिट्टी भरवाने का कार्य करवाया गया था।

(2) वर्षा के कारण कार्य ध्वस्त हो गया था।

(3) जांच लोकायुक्त सचिवालय द्वारा की जा रही है। अभी जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

टी. एस एस. स्कीम, ग्राम बवाइचा

10. श्री रमजान खां (पुष्कर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम बवाइचा में टी. एस. एस. स्कीम लागू की हुई है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस गांव के ग्रामवासियों ने अपने घरों में 50 से अधिक नल कनेक्शन ले रखे हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि ग्राम पंचायत ने जलदाय विभाग, अजमेर को लिखकर मांग की है कि टंकी का निर्माण तुरन्त करवाया जाये और उसके बाद इस स्कीम को ग्राम पंचायत अपने स्तर पर चालू रखने के लिए भी लिख चुकी है ? यदि हां, तो अब तक विभाग ने वहां की टंकी का निर्माण क्यों नहीं करवाया और अब कब तक टंकी का निर्माण करवा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं। ग्राम बवाइचा में पम्प एण्ड टेंक योजना चालू है।

(जनस्वास्थ्य अभियांत्रिक)

(2) जी हां।

(3) जी हां। दिनांक 10-6-65 को ऐसा पत्र ग्राम पंचायत से अधिशासी अभियन्ता जिला खण्ड अजमेर को प्राप्त हुआ है। परन्तु विभाग की नवीनतम नीति के अनुसार एवं धन के अभाव के कारण ग्रामीण योजनाओं पर 50 कनेक्शन से अधिक होने पर भी उच्च जलाशय का निर्माण करना जरूरी नहीं है।

आवासन मण्डल में आवास हेतु पंजीकरण

11. **श्री मानिक चन्द सुराना** (लूणकरणसर) : क्या आवासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान आवासन मण्डल में किस किस शहर में कितने व्यक्तियों ने आवास प्रदान किए जाने हेतु अपने आपको पंजीकृत कराया है? कृपया शहरवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) आवासन मण्डल ने अपने गठन के बाद किस किस शहर में अपने मकान या फ्लेट्स का निर्माण कर नागरिकों की आवश्यकता की पूर्ति की है? कृपया शहरवार आंकड़े सदन की मेज पर रखें।

(3) गठन के बाद से नागरिकों का कितना रुपया पंजीकर के रूप में आवासन मण्डल के पास आज जमा है?

(4) अब तक पंजीकृत व्यक्तियों की आवश्यकताओं को राजस्थान आवासन मण्डल किस अवधि तक पूरा करने का विचार रखता है?

(5) राजस्थान आवासन मण्डल ने राज्य के किन किन शहरों में नागरिकों के लिए आवास बनाने का निर्णय किया है? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(6) उपरोक्त शहरों का चयन आवासन मण्डल ने किन मानदण्डों के आधार पर किया है?

(7) जिन शहरों में आवासन मण्डल वर्तमान में आवास बनाने का कार्य कर रहा है उन शहरों की आबादी से अधिक आबादी वाले शहर कौन कौन से हैं? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सूची परिशिष्ट "अ" पर है।

(2) जिस जिस शहर में मकानों का आवंटन किया गया उनकी सूची परिशिष्ट 'ब' पर है तथा मकानों का कब्जा देने की स्थिति परिशिष्ट 'स' पर है।

(3) आवासन मंडल के गठन के बाद से दिनांक 31.3.85 तक आवेदकों का 2608.54 लाख रुपये पंजीकरण के रूप में जमा हुआ।

(4) अब तक पंजीकृत आवेदकों में से जयपुर के अतिरिक्त सभी शहरों में मण्डल द्वारा 3 वर्ष में तथा जयपुर शहर में पंजीकृत आवेदकों को वर्ष 89 तक मकान आवंटन किये जाने के प्रयास किये जा रहे है।

(5) सूची परिशिष्ट 'द' पर उपलब्ध है।

(6) बोर्ड द्वारा पंजीकरण लोगों की आवश्यकता, जनप्रतिनिधियों या जनता अथवा जिलाधीश की माग आदि को ध्यान

(आवासन मंत्री)

रखकर किसी शहर में खोला जाता है। जिन शहरों में 200 से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त हो जाते हैं,उनमें कार्य हाथ में लिया जाता है।

(7) आवासन मण्डल जिन शहरों में आवास का निर्माण कर रहा है उन शहरों से अधिक आबादी वाले शहरों की सूची परिशिष्ट "ख" पर उपलब्ध है।

(सूचियों के लिये कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

अजमेर में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम

12. **श्री गोविन्द सिंह** (नसीराबाद) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी प्रोग्राम के तहत अजमेर जिले की अजमेर तहसील में कितने कार्य कब कब स्वीकृत किये गये ? उनमें से कितने पूरे हो गये व कितने चल रहे हैं ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह सच है कि विगत दो साल में इस कार्यक्रम के तहत कोई नया कार्य अजमेर तहसील में स्वीकृत नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत अजमेर जिले की तहसील अजमेर क्षेत्र के अब तक 18 कार्य स्वीकृत हुए हैं। वर्ष 83-84 में 8 कार्य, 84-85 में 3 कार्य तथा 85-86 में 7 कार्य स्वीकृत किए गए हैं। स्वीकृत कार्यों में से 3 कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा शेष कार्य प्रगति पर हैं। विस्तृत सूची परिशिष्ट "क" सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(2) जी नहीं। उक्त कार्यक्रम के तहत गत दो सालों में अजमेर तहसील क्षेत्र के 18 कार्य स्वीकृत किए गए हैं जिसकी सूची संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 8 देखें।)

धौलपुर जिले के लिये आवंटित बजट

13. **श्री मोहन प्रकाश** (राजाखेड़ा) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) धौलपुर जिले के निर्माण के बाद राज्य सरकार के बजट का कितना प्रतिशत धन धौलपुर जिले को आवंटित किया गया ? कृपया प्रतिवर्ष की सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) उक्त जिले के निर्माण के बाद शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन, सार्वजनिक निर्माण विभाग व सिंचाई विभागों को कितना धन आवंटित किया गया ? कृपया प्रतिवर्ष का विभागवार विवरण सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1 व 2) वित्त विभाग द्वारा आंकड़े मदवार रखे जाते हैं जिलेवार नहीं। अतः चाही गई सूचना दिया जाना संभव नहीं है।

नगरपालिका एवं ग्रामीण क्षेत्रों की कृषि भूमि का आबादी में परिवर्तन

14. **श्री हेमाराम चौधरी** (गुडामालानी) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि को आबादी में परिवर्तन हेतु नियम बने हुए हैं ? यदि हां, तो क्या नगरपालिका क्षेत्र में गृह निर्माण सहकारी समितियों को कृषि भूमि को आबादी भूमि से परिवर्तन कराने का अधिकार है जबकि ग्रामों में गृह निर्माण सहकारी समितियों को कृषि भूमि को आबादी भूमि में परिवर्तन कराने का अधिकार नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) ग्रामीण गृह निर्माण सहकारी समितियों के कृषि भूमि को आबादी में रूपान्तरण कराने के अधिकारों के लिए नियमों में प्रावधान करने के बारे में क्या सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक नियम बना दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि ग्रामीण जनता को ग्राम पंचायतों के क्षेत्र में गृह निर्माण सहकारी समितियों को कृषि भूमि को आबादी भूमि में परिवर्तन कराने के नियम नहीं होने के कारण आबादी विस्तार की गम्भीर समस्या पैदा हो गयी है ?

(4) क्या यह भी सही है कि इन नियमों के बन जाने से राज्य सरकार को राजस्व में बहुत बड़ी वृद्धि भी होगी ?

(5) क्या यह सही है कि ग्रामों में गृह निर्माण सहकारी समिति कृषि भूमि को आबादी में परिवर्तन के नियम नहीं होने तथा ग्रामों में आबादी विस्तार नहीं होने से ग्रामीण जनता शहरों को जा रही है ? यदि हां, तो सरकार इस पर क्या विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) नगरपालिका क्षेत्र में कृषि भूमि का आबादी में रूपान्तरण हेतु नियम, 1981 बने हुये हैं व उन नियमों में गृह निर्माण सहकारी समितियों को कृषि भूमि को आबादी भूमि रूपान्तरित करने का अधिकार है। इस प्रकार का कोई प्रावधान ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का आबादी हेतु रूपान्तरण नियम, 1971 में कोई प्रावधान नहीं है।

(2) जी हां, मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(3) ग्रामीण क्षेत्रों में नियमों के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति को स्वय की भूमि को आबादी हेतु रूपान्तरित कराने का प्रावधान है व इन प्रावधानों के अन्तर्गत यह सुविधा दी जाती है। केवल सहकारी समितियों को यह सुविधा उपलब्ध नहीं है जिसके लिए राज्य सरकार विचार कर रही है।

(4) उपरोक्तानुसार प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(5) जी नहीं। ग्रामीण क्षेत्रों में उपरोक्त नियमों में संशोधन विचाराधीन है।

लाडनूं क्रय विक्रय समिति

15. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि लाडनूं जिला नागौर में क्रय विक्रय समिति बनी हुई है ?

(श्री हरजीराम बुरड़क)

यदि हां, तो कब से तथा उसकी हिस्सा राशि कितनी थी और वह कहां पर जमा थी ?

(2) क्या उक्त हिस्सा राशि खतम हो चुकी है ? यदि हां, तो किस कार्य में ?

(3) क्या इस समिति का ऑडिट हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? कृपया ऑडिट रिपोर्ट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(4) मौजूदा समय यह समिति क्या-क्या कार्य कर रही है तथा इसके पदाधिकारी कौन-कौन हैं ?

(5) भविष्य में इस समिति को चलाने की सरकार की क्या योजना है ?

उत्तर

(1) जी हां। समिति का पंजीयन दिनांक 4.7.66 को हुआ था। सदस्यों की हिस्सा राशि 30920/- रुपये हैं। समिति के वर्तमान में केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. नागौर की शाखा लाडनूं में रुपये 25697.63 बचत खाते में जमा हैं।

(2) हिस्सा राशि में से लगभग 2 तिहाई समाप्त हो गई है। यह राशि हानि एवं गबन के कारण समाप्त हुई है।

(3) समिति का दिनांक 30.6.84 तक का आडिट हो चुका है। आडिट रिपोर्ट के अनुसार समिति के भू. पू. व्यवस्थापक द्वारा 4121.79 पैसे का गबन करना पाया गया था जिसके विरुद्ध धारा 74 के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ हो चुकी है। आडिट रिपोर्ट की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(4) वर्तमान में समिति का कार्य पूंजी के अभाव में बन्द है। सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियां नागौर समिति के प्रशासक हैं।

समिति का कार्य चलाने के लिये विभाग की ओर से एक निरीक्षक को अपने कार्य के अतिरिक्त समिति के व्यवस्थापक का कार्य करने हेतु नियोजित किया जा चुका है।

(5) समिति को पूंजी उपलब्ध कराने हेतु केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. नागौर से साख सीमा स्वीकृत कराने के लिये निर्देशन दिये जा चुके हैं।

(आडिट रिपोर्ट की प्रति के लिये कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

महाविद्यालय शिक्षकों के वेतनमान

16. **श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** (कोटा) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य के महाविद्यालय शिक्षकों के यू. जी सी. वेतनमान 1973 से लागू किये गये थे ?

(2) क्या इसके पश्चात् राज्य कर्मचारियों के लिये 1976 में एवं 1981 में पेरी कमीशन के अनुसार नये वेतनमान लागू किये जा चुके हैं ?

(3) क्या केन्द्रीय सरकार ने यू. जी. सी. वेतनमानों के पुनरीक्षण के लिये समिति नियुक्त की है एवं समिति की रिपोर्ट से पूर्व

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

केन्द्रीय विश्वविद्यालय शिक्षकों के लिये दो बार अन्तरिम राहत की घोषणा कर चुकी है ?

(4) क्या राज्य सरकार अपने विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षकों के लिये ऐसी अन्तरिम राहत देने का विचार करती है ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

(4) प्रश्न अभी सरकार के विचाराधीन है।

आवासन मण्डल में वर्ष 1979 में आवासों हेतु पंजीकरण

17. **श्री नाथ सिंह** (टोडारायसिंह) : क्या आवासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर वर्ष 1979 में जयपुर शहर के लिए विभिन्न श्रेणियों में कितने पंजीकरण हुए ?

(2) क्या उक्त पंजीकृत व्यक्तियों को आवास आवंटित करने हेतु वरिष्ठता सूची की लाटरी निकाल ली गई है। यदि हां, तो कब ? कृपया पंजीकृत व्यक्तियों की वरिष्ठता संख्या सहित पूर्ण सूची की प्रति केटेगरीवाइज सदन के पटल पर रखें।

(3) इन पंजीकृत आवेदकों में से जिनकी वरिष्ठता सूची का प्रकाशन किया जा चुका है, कितने आवेदकों को आवासों का आवंटन कर दिया गया है ? शेष को कौन सी स्कीम में व कब तक आवास आवंटित कर दिये जायेंगे ?

(4) आवंटित किये जाने वाले विभिन्न श्रेणी के आवासों की कीमत क्या होगी ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह भी सही है कि 1973 में पंजीकृत आवेदकों को भी अभी तक मकान आवंटित नहीं किये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों व कितनों को ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(6) अब ऐसे आवेदकों को कब तक मकान आवंटित कर दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) जयपुर शहर में मण्डल द्वारा खोली गई सामान्य पंजीकरण योजना 1979 के तहत विभिन्न आय वर्गों के 20129 आवेदकों द्वारा पंजीकरण करवाया गया। उक्त वर्ष के पंजीकृत आवेदकों को आवास आवंटित करने हेतु वरीयता सूची निम्न तिथियों को निकाली गई थी :—

(आवासन मन्त्री)

	आय वर्ग	आवेदकों की संख्या	तिथि
1.	उच्च आय वर्ग	1911	31.1.85
2.	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग	4470	15.2.85
3.	अल्प आय वर्ग	3997	19.2.85
4.	मध्यम आय वर्ग (अ)	4479	25.2.85
5.	मध्यम आय वर्ग (ब)	5272	26.2.85

(2) वरिष्ठता सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) अभी तक कोई आवंटन नहीं किया गया है परन्तु लगभग 3400 आवेदकों को आवास आरक्षण पत्र जारी कर दिये गये हैं जिन्हें शीघ्र आवास आवंटित किये जायेंगे। सभी आवेदकों को मान सरोवर योजना में 1989 तक मकानों का आवंटन करने के प्रयास किये जायेंगे।

(4) मण्डल द्वारा आवंटित किये गये विभिन्न आय वर्गों के आवासों की अनुमानित लागत निम्नानुसार है :—

1.	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग	12 हजार रुपये
2.	अल्प आय वर्ग	20 हजार रुपये
3.	मध्यम आय वर्ग (अ)	30 हजार रुपये
4.	मध्यम आय वर्ग (ब)	50 हजार रुपये
5.	उच्च आय वर्ग	1.25 लाख रुपये

(5) मण्डल द्वारा वर्ष 1973 के अधिकांश आवेदकों को मकानों का आवंटन किया जा चुका है परन्तु उच्च आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग (अ) एवं मध्यम आय वर्ग (ब) के 2 10 आवेदकों को मकानों का आवंटन नहीं हो सका जिसका मुख्य कारण भूमि व धन का अभाव रहा है। सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(6) वर्ष 1973 के शेष बचे हुए आवेदकों को मान सरोवर योजना में मकान उपलब्ध कराये जा रहे हैं तथा वर्ष 1987 के अन्त तक आवंटन करने का प्रयास किया जावेगा। इन 2510 अवशेष आवेदकों में से 890 को मकानों के आरक्षण पत्र जारी किये जा चुके हैं।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

पिछोला झील में मछली व मेढकों का ठेका दिए जाने से उत्पन्न प्रदूषण

18. सुश्री गिरिजा व्यास (उदयपुर) : क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पिछोला झील, उदयपुर व उसके आस पास के क्षेत्र में मछली व मेढकों का ठेका दिया जाता है जिससे प्रदूषण काफी बढ़ गया है ?

(2) क्या इस प्रदूषण से निपटने हेतु सरकार के पास कोई योजना है ? यदि हां,

(सुश्री गिरिजा व्यास)

तो कब तक उपरोक्त योजना कार्य रूप मे परिणित हो जायेगी ?

उत्तर

(1) यह सही है कि उदयपुर के इस क्षेत्र में मछली का ठेका दिया जाता है। परंतु मेढ़कों का ठेका नहीं दिया जाता है। राज्य सरकार ने समस्त जिलाधीशों को निर्देश देकर मेढ़कों के ठेके न दिये जाने बाबत आदेश जारी कर दिये हैं। मछलियों के ठेके दिये जाने से प्रदूषण बढ़ने का कोई प्रमाण नहीं है तथा आंशिक रूप से इनका प्रभाव जल मे पाये जाने वाले छोटे मोटे कीड़े तथा अन्य तत्वों को प्राकृतिक रूप से संतुलित करने में सहायक होता है तथा जल स्वच्छ रह सकता है।

(2) चूंकि उक्त मछली के ठेके से प्रदूषण बढ़ने का कारण नहीं है, अतः इस प्रकार की प्रदूषण रोकने की कोई योजना राज्य सरकार के पास नहीं है। क्योंकि मछलियों के अंडे देने व प्रजनन के समय में ठेके नहीं दिये जाते हैं। इसलिए मछली पकड़ने के ठेके नहीं दिये जा रहे हैं। पिछौला झील के लिये वस्तुस्थिति का अध्ययन कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। पिछौला झील में अन्य प्रकार के जल प्रदूषण को रोकने हेतु राज्य सरकार द्वारा सिवरेज योजना 1979 मे क्रियान्वित की गई थी।

खेल प्रशिक्षक

19. **श्री देवी सिंह भाटी** (कोलायत) : क्या खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में किस किस खेल के लिए कुल कितने प्रशिक्षक हैं ? प्रदेश में राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान, पटियाला के किस किस खेल के कितने कितने प्रशिक्षक हैं ? राज्य सरकार ने प्रशिक्षक पदों की कितनी रिक्तियों का विज्ञापन जारी कर साक्षात्कार कर रखे हैं ? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें।

(2) राज्य में जयपुर, विभिन्न जिलों व खण्ड मुख्यालयों में कितने शिक्षक किस किस खेल के नियुक्त हैं ? कृपया नाम सहित सूची सदन के पटल पर रखें।

(3) क्या सारे खेल प्रशिक्षकों को खेल उपकरण उपलब्ध कराये जा चुके हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य खेल परिषद में नियुक्त व राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान पटियाला में प्रतिनियुक्ति पर आए खेल वार प्रशिक्षकों की संख्या परिशिष्ट 'क' पर है। वर्ष 1798 तक प्रशिक्षकों की नियुक्तियां परिषद की स्थाई समिति द्वारा की गई हैं। इसके पश्चात् अल्पकालिक प्रशिक्षकों के रूप में अनुभवी व्यक्तियों को तदर्थ रूप से नियुक्तियां दी गई हैं तथा ऐसे पदों को विज्ञापित भी किया गया। परन्तु बाद में इन प्रशिक्षकों के अनुभव को मद्दे नजर रखते हुए इनके कार्य का स्क्रीनिंग एक कमेटी द्वारा किया गया तथा इनकी सेवाऐं परिविक्षा अवधि पर स्थाई समिति के निर्णय अनुसार है।

(2) राज्य में जयपुर, विभिन्न जिलों व खण्ड मुख्यालयों में नियुक्त प्रशिक्षकों की सूची नामों सहित परिशिष्ट 'ब' में अंकित है।

(खेल मंत्री)

(3) समस्त खेल प्रशिक्षकों को खेल सामग्री परिषद् द्वारा उपलब्ध करायी जाती है।

(सूचियों के लिये कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

राजस्थान को-आपरेटिव डेयरी फेडरेशन द्वारा संचालित डेयरी प्लान्ट्स

20. **श्री शोपत सिंह** (हनुमानगढ़) : क्या पशुपालन (दुग्ध विकास) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान कोआपरेटिव डेयरी फेडरेशन इस समय कितने व कहां कहां डेयरी प्लान्ट्स चला रही है ? इनमें कितने प्लान्ट्स घाटे में चल रहे हैं तथा कितने लाभ काम रहे हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि अच्छा बाजार न मिलने की सूरत में डेयरी के काफी प्रोडक्ट्स नहीं बिकने के कारण सस्ते दामों पर बेचने पड़ रहे हैं या सड़ रहे हैं ?

उत्तर

(1) राजस्थान को-आपरेटिव डेयरी फेडरेशन द्वारा वर्तमान में आठ डेयरी संयंत्र जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, अलवर, जयपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर और कोटा में संचालित किये जा रहे हैं। डेयरी संयंत्रों के लेखे अन्तिम रूप से पूरे नहीं होने के कारण लाभ-हानि के सम्बन्ध में निष्कर्ष निकालना अभी सम्भव नहीं है।

(2) जी नहीं।

बालोतरा में रेफरल हॉस्पिटल

22. **श्री चंपालाल बांठिया** (पचपदरा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बालोतरा में चुनावों के पूर्व रेफरल हॉस्पिटल खोलने की घोषणा तत्कालीन मन्त्री द्वारा की गई थी ? यदि हां, तो इसे अभी तक नहीं खोले जाने के क्या कारण हैं ?

(2) क्या राज्य सरकार जनहित में बालोतरा में रेफरल हॉस्पिटल खोलने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) बालोतरा में 50 रोगी शैयाओं का रेफरल अस्पताल कार्यरत है, जिसमें 6 डाक्टर, 8 नर्सिंग स्टाफ, 1 रेडियोग्राफर, 1 टेक्नीशियन के पद सृजित हैं।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

नगर सुधार न्यास, जोधपुर द्वारा एम. एस. पाइप पोल की खरीद

23. **श्री बिरदमल सिंघवी** (जोधपुर) : क्या नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि नगर सुधार न्यास, जोधपुर के अध्यक्ष एवं अधिकारियों द्वारा वित्तीय वर्ष 1982-83 में एम. एस. पाइप पोल की खरीद में रु. 60,449/- की हानि न्यास को पहुंचाई गयी ? क्या लोकल फण्ड आडिट ने अपने आडिट आक्षेप संख्या

(श्री बिरदमल सिंघवी)

(7) में इसका उल्लेख किया है ? कृपया सम्बन्धित आडिट आक्षेप की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या आडिट हुए 15 माह व्यतीत हो चुके हैं ? यदि हां, तो राज्य सरकार दोषी व्यक्तियों से राजस्थान नगर सुधार अधिनियम की धारा (93) (ए) के अनुसार उपरोक्त हानि की राशि कब तक वसूल कर लेगी एवं उनके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत कब तक क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उत्तर

(1) यह सही है कि लोकल फण्ड आडिट ने अपने आक्षेप संख्या 7 में वित्तीय वर्ष 82-83 में एम. एस. पोल की खरीद में न्यास कोष कोष को रुपये 60,449/- की हानि बतायी है। सम्बन्धित आडिट आक्षेप की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(2) आडिट आक्षेप के अनुसार न्यास से प्रतिवेदन मगाकर मामले का परीक्षण किया जा रहा है। परिक्षण करने के पश्चात् ही दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही किया जाना संभव हो सकेगा।

(आडिट आक्षेप की प्रतिलिपि के लिये कृपया परिशिष्ट-11 देखें।)

छबड़ा से जयपुर तक बस सेवा

25. **श्री प्रतापसिंह** (छबड़ा) :

श्री प्रभुलाल (नैनवा): क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य के कौन कौन से ऐसे सब-डिवीजन हैं जो बस सेवा से सीधे राजधानी से नहीं जुड़े हुये हैं ?

(2) क्या राज्य सरकार छबड़ा सब डिवीजन से जयपुर तक बस चलाने का इरादा रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) राज्य के निम्नलिखित सब डिविजन निगम की सीधी बस सेवा से राजधानी से जुड़े हुये नहीं हैं :—

1. नैनवा
2. छबड़ा
3. शाहबाद
4. कुशलगढ़
5. सलूम्बर
6. झाड़ोल
7. बल्लभ नगर
8. सागवाड़ा
9. भीनमाल
10. करणपुर
11. नोहर
12. रायसिंह नगर

(2) जी हां। छबड़ा सब डिविजन से जयपुर के लिये सीधी बस सेवा हेतु पर्याप्त सीधा यात्रीभार उपलब्ध न होने के कारण वर्तमान में सीधी बस सेवा का संचालन अनार्थिक है। छबड़ा से कोटा के लिये सीधी बस सेवा उपलब्ध है तथा छबड़ा के जो कुछ यात्री जयपुर आते हैं उनको कोटा से पर्याप्त बसें उपलब्ध होती हैं।

धौलपुर में पेयजल समस्याग्रस्त गांव

26. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** (धौलपुर) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र धौलपुर में कितने गांव पेयजल की दृष्टि से समस्या-ग्रस्त श्रेणी में आते हैं? इनमें से कितने गांवों को पेयजल उपलब्ध करा दिया गया है तथा कितने गांवों को नहीं?

(2) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना में सम्पूर्ण विधान सभा क्षेत्र के गांवों को पेयजल उपलब्ध करा दिया जावेगा? क्या इसके लिए जिलेवार योजना बना ली गई है? यदि हां, तो किस-किस वर्ष में कितने-कितने गांवों को पेयजल उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र धौलपुर में 143 गांव पेयजल की दृष्टि से समस्याग्रस्त श्रेणी में आते हैं, इनमें से 88 गांव मार्च, 85 तक पेयजल से लाभान्वित किये जा चुके हैं। शेष 55 गांवों को सातवीं पंचवर्षीय योजना में लाभान्वित कर दिया जावेगा।

(2) जी हां। योजना विचाराधीन है। तकनीकी उपयुक्ता एवं धन की उपलब्धि के अनुसार शेष गांवों को पेयजल से लाभान्वित कर दिया जावेगा।

नगर सुधार न्यास, जोधपुर द्वारा भू-खण्डों की नीलामी

27. **श्रीमती सुमित्रा सिंह** (पिलानी): क्या नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि नगर सुधार न्यास, जोधपुर के अध्यक्ष एवं अधिकारियों ने वित्तीय वर्ष 1982-83 में नीलाम किये गये भूखण्डों की 3/4 राशि विलम्ब से जमा होने पर ब्याज व शास्ती वसूली न कर न्यास कोष को रु. 1,10,915/- की हानि पहुंचाई जिसका उल्लेख लोकल फण्ड ऑडिट ने भी अपने आक्षेप संख्या 20 में किया?

(2) यदि हां, तो राज्य सरकार दोषी व्यक्तियों से राजस्थान अरबन इम्प्रूवमेन्ट एक्ट की धारा 93 (ए) के अन्तर्गत उक्त हानि की राशि कब तक वसूल कर लेगी एवं उनके विरुद्ध इंडियन पैनल कोड के अनुसार कब तक क्या कार्यवाही करेगी?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है कि लोकल फण्ड ऑडिट ने अपने आक्षेप में यह बताया है कि न्यास कोष को रु. 1,10,915/- की हानि हुई है। लोकल फण्ड ऑडिट द्वारा नियमों का सही विवेचन नहीं करने के कारण यह हानि बताई है। क्योंकि राजस्थान इम्प्रूवमेन्ट डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड रूल्स 1974 के एनेक्जर 'ए' के क्लाज 'जी' के अनुसार बोली जब अध्यक्ष स्वीकृत कर देते हैं तभी 3/4 राशि जमा कराने का नोटिस जारी होता है। ऐसा पत्र जारी होने के पश्चात् ही 30 दिवस में राशि जमा होती है।

(2) जी नहीं न्यास को कोई हानि नहीं हुई है अतः वसूली इत्यादि की कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

जयपुर में पार्किंग व्यवस्था

28. **श्री परसादी लाल** (लालसोट): क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर के जौहरी बाजार में सड़क के दोनों तरफ व्हीकल्स खड़े किये जाते हैं? यदि हां, तो क्या इसके लिये अनुमति दी हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों खड़े किये जाते हैं ?

(2) क्या इनके खड़े होने से आवागमन में बाधा उत्पन्न होती है और दुर्घटनायें होती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इस पर प्रतिबन्ध लगाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या जयपुर के ऐसे व्यस्त बाजारों सुचारु आवागमन हेतु पास में ही गाड़ियों के पार्किंग स्थल की व्यवस्था करने का सरकार का विचार है ?

उत्तर

(1) जी हां। भारी वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबन्ध हैं। केवल हाफ बोडी, निशान, लाडिंग, मेटाडोर आदि मध्यम वाहनों के आवागमन पर प्रातः 9 बजे से 12 बजे तक एवं सांय 4 बजे से 7 बजे तक प्रतिबन्ध है।

(2) यातायात में बाधा व दुर्घटनाओं की सम्भावनाओं के संदर्भ में ही उपर्युक्तानुसार प्रतिबन्ध लगाया गया है। वैकल्पिक व्यवस्था ट्रैफिक कन्ट्रोल बोर्ड के विचाराधीन है।

(3) जी हां। इस सम्बन्ध में ट्रैफिक कन्ट्रोल बोर्ड को स्थिति का अध्ययन कर सिफारिश करने के लिये कहा गया है।

सेण्ड स्टोन रायल्टी की दर

29. **श्री हरि मोहन शर्मा** (बून्दी) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या बून्दी में एवं शेष राजस्थान में सेन्ड स्टोन रायल्टी की दर में अन्तर है ? यदि हां, तो कितना और क्यों ? इस अन्तर का आधार क्या है ?

उत्तर

बून्दी तथा कोटा, झालावाड़, सवाई-माधोपुर, भरतपुर व धौलपुर जिलों में सेण्ड स्टोन खनिज पर रायल्टी की दर रु 10/- प्रतिटन है जबकि अन्य जिलों में रायल्टी की दर रु. 8/- प्रतिटन है। अन्तर का कारण यह है कि जिन क्षेत्रों में रायल्टी की दर रु. 10/- प्रतिटन रखी गयी है, वहां सेन्ड स्टोन के बड़े-बड़े पट्टे दिये गये हैं तथा इनमें पाये जाने वाला सेन्ड स्टोन भी तुलनात्मक रूप से उच्च श्रेणी का है। अन्य क्षेत्रों में खनन पट्टे न दिये जाकर रेन्ट कम रायल्टी के पट्टे दिये जाते हैं जो बहुत छोटे होते हैं तथा उन पर रायल्टी के अतिरिक्त रेन्ट भी देय होता है।

पाली जिले की ग्राम सेवा सहकारी समितियां

30. **श्री हीरा सिंह चौहान** (रायपुर): क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री हीरा सिंह चौहान)

(1) पाली जिले में कितनी ग्राम सेवा सहकारी समितियां वर्ष 1985 से पूर्व कार्यरत थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त ग्राम सेवा सहकारी समितियों को एक दूसरे में मिलाया गया ? ऐसी कितनी ग्राम सेवा समितियों को समाप्त किया गया व किन ग्राम सेवा समितियों में उनको मिलाया गया? कृपया ब्यौरा सदन के पटल पर रखें।

(3) क्या रायपुर तहसील की ग्राम सेवा सहकारी समितियां, बगड़ी, कलालिया, चांग चिताड, रेलड़ा जो बहुत बड़ी-बड़ी ग्राम सेवा सहकारी समितियां थी, को पड़ोस की सहकारी समितियों में मिलाया गया ?

(4) क्या राज्य सरकार इस प्रकार से समाप्त की गई सहकारी समितियों को पुनर्जीवित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो कौन से ऐसे कारण हैं जिसके आधार पर वर्षों पुरानी सहकारी समितियां पुनर्जीवित नहीं की जा सकती ?

उत्तर

(1) पाली जिले में वर्ष 1975 से पूर्व 330 ग्राम सेवा सहकारी समितियां कार्यरत थीं।

(2) जी हां। 101 ग्राम सेवा सहकारी समितियों को विलीन करके तथा 15 को अवसायन में लाया जाकर समाप्त किया गया जिस-जिस ग्राम सेवा सहकारी समिति को जिस ग्राम सेवा सहकारी समिति में मिलाया गया उसका ब्यौरा परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) जी हां। रायपुर तहसील की ग्राम सेवा सहकारी समितियां, बगड़ी, कलालिया, चांग चिताड, रेलडा ग्राम सेवा सहकारी समितियां के निष्क्रिय होने तथा इनके कार्य क्षेत्र में निर्धारित मानदण्डों के अनुसार कृषि योग्य भूमि 2000 हैक्टर्स न होने के कारण पास की ग्राम सेवा सहकारी समितियों में मिलाया गया हैं।

(4) ग्राम सेवा सहकारी समितियों के पुनर्गठित का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(ब्यौरे के लिये कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

नगर परिषद्, कपासन की गुलाब सागर योजना

31. **श्री दीन बन्धु वर्मा** (कपासन) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगर परिषद्, कपासन द्वारा प्रस्तावित गुलाब सागर योजना में आवासीय भू-खण्ड काटने एवं बेचने की अनुमति दे दी गई है ?

(2) यदि हां, तो बीच नगर के स्थित तालाब को आवासीय योजना में परिवर्तित करने के पीछे क्या आधार है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। नगरपालिका द्वारा प्रस्तावित आवासीय योजना को स्वीकृति नहीं दी गई है, किन्तु यह नगर नियोजक को तकनीकी राय के लिए भेजी गई है। जहां विचाराधीन है।

(स्वायत्त शासन मन्त्री)

(2) शहर के पास स्थित पालिका भूमि में गन्दगी व अतिक्रमण नही हो तथा आवासीय समस्या के समाधान व क्षेत्र के विकास केलिए नगरपालिका मण्डल ने भूखण्ड काटने व बेचने का प्रस्ताव किया है।

परबतसर उपखण्ड में चिकित्सकों व नर्सेज के रिक्त पद

32. **श्री मोहन लाल चौहान** (परबतसर) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

परबतसर उपखण्ड में चिकित्सकों तथा मेल व फीमेल नर्सेज के कितने पद रिक्त हैं? इनकी कब तक नियुक्ति कर दी जायेगी?

उत्तर

परबतसर उप खण्ड जिला नागौर में वर्तमान में चिकित्सकों के दो पद रिक्त हैं। मेल नर्स के 17 व फीमेल नर्सेज के 25 पद रिक्त हैं। चिकित्सक व प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ उपलब्ध होने पर ही इन पदो को भरा जा सकेगा।

बीकानेर जिले में प्रौढ़ शिक्षा पर व्यय

33. **श्रीमती रतन कंवर** (शेरगढ़)
श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बीकानेर जिले मे प्रौढ़ शिक्षा पर 1980-81 से 1984-85 कितना धन वर्षवार व्यय किया गया तथा किन-किन संस्थाओं के माध्यम से कहां-कहां खर्च किया गया? कृपया विवरण सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) प्रौढ़ शिक्षा से कितने व्यक्तियों को रोजगार योग्य बनाया गया? कृपया ग्रामवार सूची मय नाम पता सदन के पटल पर रखें।

(3) जिला बीकानेर में वर्तमान में कहां कहां प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र कार्यरत हैं? वर्ष 1985-86 में कहां-कहां नये केन्द्र खोलना प्रस्तावित है?

उत्तर

(1) बीकानेर जिले में प्रौढ़ शिक्षा पर वर्षवार निम्न प्रकार धन व्यय किया गया :—

1980–81	रु.	2,84,254/–
1981-82	रु.	2,25,000/-
1982-83	रु.	4.00,000/–
1983-48	रु.	4,00.000/–
1984–85	रु.	8,55,300/–

बीकानेर जिले केवल बीकानेर प्रौढ़ शिक्षण समिति, बीकानेर द्वारा पंचायत समिति—बीकानेर, लूणकरणसर, कोलायत तथा नोखा में प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों पर धन व्यय किया गया।

(2) प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य निरक्षर प्रौढ़ों को साक्षर बनाना है। ताकि सामाजिक चेतना तथा व्यावसायिक दक्षता में वृद्धि हो। रोजगार योग्य बनाना प्रौढ़ शिक्षा का मूल लक्ष्य नहीं है। अतः वांछित सूची प्रस्तुत करना सम्भव नहीं है।

(शिक्षा मन्त्री)

(3) जिला बीकानेर में वर्तमान में कोई प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र कार्यरत नहीं है। बीकानेर प्रौढ़ शिक्षण समिति द्वारा संचालित 300 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों का सत्र 31/5/1985 को समाप्त हो गया है। बीकानेर प्रौढ़ शिक्षण समिति को 300 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों का नया सत्र चलाने की अनुमति राज्य सरकार द्वारा प्रदान कर दी गई है। समिति द्वारा वर्ष 1985-86 में नये 300 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों को चलाना प्रस्तावित है। जिनकी ग्रामवार सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 13 देखें)।

कुम्भलगढ़ क्षेत्र के वन्य जीव प्रतिपाल के विरुद्ध शिकायतें

34. **श्री दिग्विजय सिंह** (उनियारा) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1982-83 से 1984-85 तक कुम्भलगढ़ क्षेत्र के वन्य जीव प्रतिपाल के विरुद्ध कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या यह सत्य है कि अभी तक तक इन शिकायतों की जांच नहीं गई ? यदि हां, तो जांच से क्या पाया और दोषी अधिकारी को क्या दण्ड दिया गया ?

(3) क्या यह सही है कि वन्य जीव प्रतिपाल का मुख्यालय देलवाड़ा में है जबकि उक्त प्रतिपाल सादड़ी में रहता है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्ष 1982-83 से 84-85 तक कुम्भलगढ़ क्षेत्र के वन्य जीव प्रतिपालक के विरुद्ध कुल 32 शिकायती प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए हैं। इन शिकायतों की जांच की गई।

(2) जी नहीं। सम्बन्धित शिकायत की जांच की गई है अब तक की गयी शिकायतों की जांचों में अधिकारी दोषी नहीं पाये गये कुछ शिकायतों की जांच चल रही है।

(3) जी हां वन्य जीव प्रतिपालक का मुख्यालय केलवाड़ा है। सादड़ी रेंज का क्षेत्र वन्य जीव प्रतिपालक कुम्भलगढ़ के अधीनस्थ है। अतः सादड़ी वह दौरे पर जाते हैं।

आहोर के ग्रामों में पानी की ऊंची टंकियों का निर्माण

35. **श्री भागराज चौधरी** (आहोर): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या तहसील आहोर, जिला जालोर के गांव नोसरा, सुगालीया, जोधा रोडला, कवराडा एव साकरना में पानी की ऊंची टंकियां बनाने की योजना है ?

(2) यदि हां, तो इनका कार्य कब तक पूरा कर लिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं। केवल एक गांव कवराड़ा में उच्च जलाशय बनाने की योजना है।

(2) गांव कवराड़ा में ऊंची टंकी का निर्माण कार्य इस वर्ष बजट उपलब्धि के अनुसार कराया जावेगा।

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजली

सर्वश्री शोभराज मल, मोहर सिंह नाथूसिंह, भूतपूर्व सदस्य, राजस्थान विधान सभा एवं जम्बूजेट विमान दुर्घटना में यात्रियों के निधन पर शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजली।

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, यह अत्यन्त ही दुःख का विषय है कि सातवीं विधान सभा के चित्तौड़गढ़ से कांग्रेस टिकट पर विजयी हुए श्री शोभराज जी आज हमारे बीच में नहीं हैं। श्री शोभराज जी सार्वजनिक जीवन, विशेषकर चित्तौड़गढ़ जिले में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। उन्होंने नगर-पालिका के जरिये और दूसरी सामाजिक संस्थाओं के जरिये काफी काम किये और इसके बाद सातवीं विधान सभा में चुन कर आये। वे बहुत ही लगनशील व्यक्ति थे। विधान सभा में विशेषाधिकार समिति और नियम समिति आदि के जरिये उन्होंने काम किया। वे अब हमारे बीच में नहीं हैं।

मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं दिवगत आत्मा की शांति के लिये भी प्रार्थना करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, इस सदन के एक और सदस्य माननीय श्री मोहर सिंहजी राठोड़ भी आज हमारे बीच में नहीं हैं। वे तीसरी और पांचवीं विधान के सदस्य रहे थे। उसके बाद पिछले लोकसभा के चुनावों में वे लोकसभा के लिये चुने गये थे चूरू जिले से। वे एक बहुत ही लगनशील कार्यकर्ता थे। सामाजिक जीवन में रुचि रखते थे। उनके देहावसान से हुई क्षति इतनी बड़ी है कि उसकी पूर्ति निकट भविष्य में दिखाई नहीं देती।

मैं दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं उनकी आत्मा की शांति के लिये भी प्रार्थना करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, श्री नाथूसिंहजी प्रथम विधान के सदस्य बाड़मेर से निर्वाचित हुए थे। उनका देहावसान थोड़े ही दिन पहले हुआ है। वे बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता थे। इस सदन में उनकी सेवायें उल्लेखनीय रही हैं। मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी आत्मा की शांति के लिये प्रार्थना करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, 23 जून, 1985 को एयर इन्डिया का एक जम्बो जेट समुद्र में गिर गया और उसमें सफर करने वाले सभी यात्री डूब गये, उनमें से कोई सर्वाइव नहीं हो सका। साधारणतः कोई जवाज कोई सामान्य तरीके से डूब जाता, गिर जाता और उसमें सवार वह हो जाते तो दूसरी बात थी मगर ऐसा लगता है कि कुछ लोग भारत में और ससार में आतंकवाद के जरिये....

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : गलत। आप मत बोलिये कम से कम श्रद्धांजलि के टाइम।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री यदुनाथ सिंह : उसकी जांच हो रही है। गलत परम्परायें नहीं डालें....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।....

श्री यदुनाथ सिंह : रिपोर्ट आने वाली है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज।

श्री हरिदेव जोशी : ऐसा वातावरण पैदा करने की कोशिश करते हैं, इसलिये कहता हूं।

किन्हीं लोगों ने उसकी जिम्मेदारी अपने सिर के ऊपर ली है, संसार के बहुत से पत्रों में इस प्रकार की बातें भी प्रकाशित हुई हैं।

अध्यक्ष महोदय, यह देश प्रजातंत्र में विश्वास करता है। प्रजातांत्रिक सिद्धान्तों के जरिये अपने ग्रिवान्सेज को अपने विचारों को समाज के समक्ष रखने और उनका समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं। मगर जब समाधान लोकतांत्रिक नहीं होता तब परेशानी पैदा होती है। उस परेशानी के दौर से भारत गुजर रहा है। हम सब चिन्तित हैं हम यह चाहते हैं कि न केवल हमारे देश में बल्कि संसार में कहीं भी इस प्रकार की घटना न हो और मानवता को इस प्रकार की हानि न हो।

इस दृष्टि से उन सभी व्यक्तियों, जिनमें से कइयों को हम जानते थे और अनेकों को हम नहीं जानते थे ज्ञात और अज्ञात व्यक्तियों को मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि उन सब लोगों, जिन्हें उनके बिछुड़ने से दुख हुआ है, पीड़ा हुई है, हानि हुई है, को परमात्मा शांति प्रदान करे, शक्ति प्रदान करे ताकि इस दुख को वह सह सकें।

इन्हीं शब्दों के साथ में शोकाभिव्यक्ति प्रकट करते हुए दिवंगत आत्माओं को श्रृद्धांजलि अर्पित करता हूं।

एक माननीय सदस्य : आन ए पाइंट आफ आर्डर.......

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, श्री शोभाराज, श्री मोहरसिंह जी व श्री नाथूसिंह का स्वर्गवास हुआ। उनकी दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, यह तीनों ही इस सदन के सदस्य रहे हैं। तीनों से मेरा व्यक्तिगत रूप से अच्छा सम्पर्क रहा है और साथ ही विधान सभा की कार्यवाही के कारण भी उनसे विधान सभा में और विधान सभा के बाहर राजस्थान में अच्छा परिचय रहा है। सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि मोहरसिंह जी अभी हाल ही में निर्वाचित हुए थे। चुनाव के समय इस बात का अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता था कि इस व्यक्ति को भयंकर बीमारी है या बीमारी हो सकती है और 6 महीने में इनका स्वर्गवास हो जायेगा। संयोग की बात है कि बीमारी जिस गति से बढ़ी उसके बावजूद शायद मोहरसिंह जी को मोहरसिंह जी के परिवार वालों को भी अनुमान नहीं था कि वे इतनी जल्दी हमारे बीच में उठ जायेंगे। किन्तु यह सब कुछ हुआ और मोहरसिंह जी हमारे बीच में नहीं रहे।

नाथूसिंह जी को शायद इस विधान सभा में बहुत कम सदस्य जानते होंगे। 1952 में वे निर्वाचित हुए थे। मैं यह कह सकता हूं कि लोकतन्त्र में क्षेत्रीय प्रतिनिधि किस प्रकार का व्यक्ति होना चाहिए उसका वह एक पहला उदाहरण थे। एक छोटे से गांव में जन्मा, किसान परिवार में उत्पन्न हुआ व्यक्ति विधान सभा में पहुंच जाय यह 1952 में लोगों को इस बात की प्रेरणा देने के लिए काफी था कि लोकतन्त्र में गरीब और अमीर, अनपढ़ और विद्वान के बीच

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

में किसी प्रकार का मतभेद नहीं है। जनता जिसको उचित समझे वह चाहे गरीब परिवार का हो, चाहे कृषक हो, चाहे मजदूर हो, उसको विधान सभा या लोक सभा में अपने प्रतिनिधित्व के लिए भेज सकती है। नाथूसिंह जी ने उस समय इसी का प्रकार उदाहरण पेश किया।

जहां तक शोभराज जी का सवाल है, पिछली विधान सभा के वे सदस्य थे। बहुत ही सज्जन पुरुष थे, मृदुभाषी थे और मैं यह कह सकता हूं कि किसी प्रकार के विवाद से अपने को परे रखने वाले एक इस प्रकार के विधायक थे जिनका अभाव निश्चित रूप से उस क्षेत्र में अखरेगा।

मैं इन तीनों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथ ही भगवान से यह प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवारजन को उनके अभाव, कमी के कारण हुए दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे।

अध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य से जो विमान दुर्घटना हुई है यह हमारे सब के लिए बहुत ही दुखद है। किसी को भी यह कहने में आपत्ति नहीं हो सकती कि जिस प्रकार की घटना हुई है बहुत ही आपत्तिजनक है। हमारे इस समूचे देश के लिए आपत्तिजनक है। हमारी सारी व्यवस्था के प्रति ऐसी घटनाओं से अविश्वास उत्पन्न होता है। यह ऐसी घटना है जिस घटना में सारे के सारे आदमी खतम हो गये, एक भी नहीं बचा। उनको शायद विमान में सवार होते वक्त यह कल्पना भी नहीं होगी कि हम अपने घर नहीं पहुंचेंगे, अपने परिवार के लोगों से हम नहीं मिल सकेंगे या हमारी यह अन्तिम यात्रा होगी। यह घटना किसी प्रकार हुई हो इस घटना का दोष यदि किसी के ऊपर आये तो मैं समझता हूं यह दोष इस प्रकार का है जिसके लिए किसी भी हालत में उसे क्षमा नहीं किया जा सकता और न ही किया जाना चाहिये। दुर्घटना किन कारणों से हुई यह जांच का विषय है और जांच हो रही है। जांच से उसका परिणाम निकलेगा तभी सही अंदाजा लगाया जा सकता है कि घटना किस प्रकार से हुई। अभी यहां घटना कोई चर्चा का विषय नहीं है। अभी दुर्घटना पर दुख प्रकट करने का अवसर मिला है। उस नाते हम अपना दुःख प्रकट करते हैं और जो इस दुर्घटना में मारे गये उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। साथ ही शोक संतप्त-परिवारों, जिन्हें परिवार के व्यक्ति के अभाव में दुख हो रहा है, को इस दुःख को सहन करने की शक्ति भगवान प्रदान करे, इस बात की प्रार्थना करते हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं उन सब को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री नाथूराम मिर्धा (मेड़ता) : अध्यक्ष जी, सदन के नेता जोशी जी ने श्री शोभराजमल, श्री मोहरसिंह, श्री नाथूसिंह, इस विधान सभा में सदस्य रहे और आज संसार में नहीं है, को श्रद्धांजलि अर्पित करने का प्रस्ताव रखा, मैं और मेरे दल के सब लोग उससे सहमति व्यक्त करते हैं।

जहां तक हवाई दुर्घटना का सवाल है उसमें जानें जाने का सवाल है। 300 और कितने यात्री जो हवाई जहाज में थे वह सारे के सारे स्वर्गवासी हो गये। इसलिए यह भी एक दुःख का विषय है। किस प्रकार से घटना हुई क्या हुआ यह तो जांच का

(श्री नाथूराम मिर्धा)

मसला है। दुनिया के कई देश इसमें मदद करने के लिए लगे हुए हैं ताकि सही स्थिति का पता लगाया जा सके। पता लगने पर ही फैक्ट्स सामने आयेंगे। पर आदमी जो चले गये वह तो इस दुनिया से चले गये, वह तो हमारे बीच में नहीं आयेंगे, वह अपने अपने परिवार को सुना छोड करके चले गये। उनमें अच्छे-अच्छे व्यक्ति थे, हमारे समाज के काफी अच्छे लोगों में से थे जो हवाई जहाज में उड़कर अपने डैस्टीनेशन पर जा रहे थे। इसलिए देश के सब आदमियों को दु:ख है, सदन को दु:ख है, मुझे दु:ख है, मेरे लोगों को दु:ख है।

तीन जो विधान सभा के सदस्य थे उनमें से दो से तो मैं भी बहुत अच्छी तरह से परिचित हूं। 1952 में जब नाथू सिंह जी आये तो मैं भी साथ था। जानता हूं उनको अच्छी तरह से। बहुत सीधे सादे ग्रामीण व्यक्ति थे। अपने तरीके से अपनी बात कहने वाले थे। बाड़मेर के प्रतीक, बहुत सरल स्वभाव और सीधे साधे व्यक्ति थे। मोहर सिंह जी को भी मैं अच्छी तरह से जानता हूं। शोभराज मल जी से मेरा मिलने का काम नहीं रहा, पर वह भी बहुत अच्छे व्यक्ति थे। मैं भी मेरे दल की तरफ से जो प्रस्ताव रखा है उससे सहमति व्यक्त करता हूं और सदन से, आप सब से निवेदन करता हूं कि इस प्रस्ताव को पास करें।

श्री केदारनाथ शर्मा (गंगानगर) : माननीय अध्यक्ष जी, सदन के नेता ने जो शोक प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं।

चूरू के रहने वाले श्री मोहर सिंह जी को मैं निजी तौर पर जानता हूं। उनकी शराफत, उनकी मिलनसारिता, उनकी सादगी हमेशा याद रहेगी।

अभी जो जम्बो जेट क्रैश हुआ हमारे देश के लिए यह बहुत बड़ा नेशनल इवेन्ट है। एक रेजीमेंट, एक जो दशमेश के नाम से जानी जाती है, ने इसकी जिम्मेदारी, जैसा अखबारों में हमें पढ़ने को मिला है, अपने ऊपर ली है। जिस तेजी से टैरेरिज्म चल रहा है हमारे देश में और दुनिया में यह बहुत सीरियस कन्सर्न का है इसमें कोई शक नहीं। इसको कन्डेम करने के लिए, इसको समाप्त करने के लिए, रोकने के लिए काफी कोशिश कर रहे हैं। वाकई यह बहुत दु:ख का विषय है। मैं इसकी घोर निन्दा करता हूं। साथ ही जिन 329 आदमियों की लाफइ एक दम कुछ सैकण्ड्स में समाप्त हो गई। उनको और तीन सदस्यों को अपनी ओर से, अपने दल की ओर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री शोपत सिंह (हनुमानगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन के तीन माननीय सदस्य हमारे बीच में नहीं रहे। कुछ अर्से पहले इन तीनों ही सदस्यों का, माननीय सदस्यों का स्वर्गवास हो गया। मैं अपनी पार्टी की तरफ से इन तीनों माननीय सदस्यों के शोक संतप्त परिवारों तक श्रद्धांजलि पहुंचाना चाहता हूं आपके माध्यम से।

इसके साथ-साथ अभी जो हवाई दुर्घटना हुई वह मेरे ख्याल में दुनिया में अब तक की सबसे भयंकर दुर्घटनाओं में से है, यह एक बड़ी अजीब विडम्बना है। अभी उसकी

(श्री शोपत सिंह)

जांच चल रही है। हम अभी यह नहीं कह सकते कि किन लोगों का हाथ है जिन लोगों ने जिन दलों ने अपने ऊपर जिम्मेदारी ली है वह सही है या गलत, सवाल यह नहीं है। सबसे बड़ी हैरानी और विडम्बना की बात यह है कि जो लोग देश में और दुनिया में आतंकवाद के खिलाफ हैं, एक तरफ लड़ रहे हैं दूसरी तरफ कुछ उसको हवा दे रहे हैं। ऐसे वातावरण में हमारे देश के ही लोग नहीं मरे। उस हवाई दुर्घटना में, हमारे देश के और अन्य देशों के नागरिक भी उसमें सवार थे। उन तमाम लोगों को मैं आपके मार्फत हमारी पार्टी की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके शोक संतप्त परिवारों को इस विधान सभा के माध्यम से सम्वेदना पहुंचाना चाहता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : सदन के नेता विपक्ष के नेता और अन्य दलों के महोदयों ने इस सदन के माननीय सदस्य रहे श्री मोहरसिंहजी, श्री शोभराजमलजी और श्री नाथूसिंह के निधन पर शोकाभिव्यक्ति की हैं, उसमें मैं अपने आपको शामिल करता हूं।

श्री नाथूसिंहजी से मेरा व्यक्तिगत भी परिचय रहा, सम्बन्ध रहा। ये इस सदन के उन सदस्यों में से रहे हैं जो हमेशा अपने क्षेत्र के विकास के लिए ही नहीं राजस्थान के विकास के प्रति जागरूक रहे हैं। उनका निधन निश्चित रूप से उनके अपने क्षेत्रों के लिए तो एक असहनीय घटना है ही लेकिन राजस्थान के लिए भी सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के बीच में से इस प्रकार के कार्यकर्ताओं का उठ जाना असहनीय है।

मोहरसिंहजी दो बार इस विधान सभा के सदस्य रहे। शोभराजमलजी छठी विधान सभा के सदस्य रहे....

एक माननीय सदस्य : सातवीं विधान सभा के।

श्री अध्यक्ष : उनके व्यवहार से, उनके काम से सभी परिचित हैं। इस प्रकार के सदस्यों का उठ जाना निःसन्देह हमारे लिए पीड़ादायक है।

नाथूसिंहजी पहली बार की विधान के सदस्य रहे थे। वे जागरूक सदस्य थे। अपने क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा जूझते रहे थे। उनका भी उठ जाना हम सब के लिए दुखदायी है। मैं भी अपने आपको आपकी भावनाओं के साथ सम्मिलित करता हुए उनके निधन पर शोक प्रगट करता हूं। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवारजनों को इस असहनीय दुख को सहन करने की शक्ति दे।

23 जून सन् 1985 का दिन हमारे देश के लिए एक बहुत ही दर्दनाक पीड़ा देने वाला दिन साबित होकर सामने आया है। हवाई दुर्घटना, और वह भी ऐसी हवाई दुर्घटना जो भारतवर्ष के लिए शायद पहली दुर्घटना है, हवाई जहाज का समुद्र में डूब जाना और उसमें बैठे हुए सभी यात्रियों, 329 की संख्या कम नहीं होती, का समुद्र में समा जाना, बहुत ही दुखदायी है। यह घटना हमारे सामने हुई है। दुर्घटनायें होती हैं, नहीं होतीं ऐसी बात नहीं है लेकिन इस प्रकार की दुर्घटना न केवल एक देश के वरन् सभी देशों के सामने, विश्व के सामने आई है। यह दुर्घटना एक विशेष प्रकार की

(श्री ग्रध्यक्ष)

दुर्घटना है जो ग्रसहनीय है। यह चुनौती सब के लिए है, केवल एक देश के लिए नहीं है। ग्राज जो भी वातावरण बना है उस वातावरण में इस प्रकार की चुनौती को गम्भीरता से लेना ग्रावश्यक है। जांच हो रही है, क्या परिणाम इसके ग्रायेंगे ग्राज हम नहीं कह सकते। लेकिन यह निश्चित बात है, जिस प्रकार की खबरें सुनते ग्रा रहे हैं उससे लगता है यह दुर्घटना एक ग्राकस्मिक दुर्घटना नहीं है, यह दुर्घटना एक व्यवस्थित रूप में की गई दुर्घटना है, जानबूझ कर की जाने वाली दुर्घटना के रूप में सामने ग्राई है। इसलिए यह हम सब के लिए चिन्ता का विषय है। इसको सख्ती के साथ रोका जाना चाहिए।

इसमें जितने भी यात्री सफर कर रहे थे वे इस देश के भी थे ग्रौर दूसरे देशों के भी थे, वह ग्राज हमारे बीच में नहीं रहे। उनके प्रति मैं ग्रपनी हार्दिक संवेदना प्रगट करता हूं। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि उनकी ग्रात्मा को शांति प्रदान करे ग्रौर उनके परिवारजनों पर जो ग्रचानक वज्रपात हुग्रा है उसे सहन करने की शक्ति प्रदान करें।

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि दो मिनट के लिए ग्रपने स्थान पर मौन खड़े हो जावें।

(सदन ने दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत ग्रात्माग्रों को श्रद्धांजलि ग्रर्पित की)

स्थगन प्रस्तवों पर ग्रध्यक्षीय व्यवस्था

श्री ग्रध्यक्ष : स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री हीरासिंह चौहान, श्री ललित किशोर चतुर्वेदी ग्रौर श्री विरदमल सिंघवी, सदस्य, विधान सभा की ग्रोर से लूनी पंचायत समिति में गांव खालवेड़ा में दूषित पानी पीने से पेचिस की बीमारी के ग्राठ बच्चों की मृत्यु के सम्बन्ध में,

(2) श्री हरिश शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ग्रोर से 10 जून, 1985 को कोटा में शान्तिपूर्वक प्रदर्शन पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज के सम्बन्ध में,

(3) श्रीमती उजला ग्ररोड़ा, सदस्य, विधान सभा की ग्रोर से जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 25 रुपये प्रति वर्ग गज की दर से विकास शुल्क वसूल किये जाने के बारे में,

(4) श्री चम्पालाल बांठिया, सदस्य, विधान सभा की ग्रोर से चननीया का पार व ग्रन्य सीमा पर स्थित गांव में पाक घुसपैठियों द्वारा निरन्तर लूट के सम्बन्ध में,

(5) श्री नवरंगसिंह, सदस्य, विधान सभा की ग्रोर से पेयजल की दरों में वृद्धि से जनता से ग्रसन्तोष के सम्बन्ध में,

(6) श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य, विधान सभा की ग्रोर से राष्ट्रीयकृत पाठ्यपुस्तक मण्डल द्वारा प्रकाशित पुस्तकों के ग्रभाव के बारे में,

इन स्थगन प्रस्तावों पर सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

(श्री ग्रध्यक्ष)

श्री भंवरलाल शर्मा ग्रौर श्री गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य, विधान सभा की ग्रोर से जयपुर शहर में पेयजल वितरण के ग्रभाव के बारे में।

यह विषय ग्रविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है। ग्रतः मैं इस पर स्वीकृति देने में ग्रसमर्थ हूं।

जिन माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव मैंने ग्रस्वीकार किये हैं। ग्रपनी पूर्व परम्परा के ग्रनुसार दो-दो मिनट उनको ग्रपने विचार व्यक्त करने की इजाजत दूंगा। जिन माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्तावों पर सरकार से जानकारी चाही है, उन पर राज्य की ग्रोर से जानकारी ग्राने पर ग्रासन की ग्रोर से व्यवस्था दी जाएगी। इसके बाद माननीय सदस्यों को विचार प्रकट करना है या नहीं करना है, जैसी भी स्थिति होगी उस उस तरह से ग्राज्ञा प्रदान की जावेगी।

श्री भंवरलाल शर्मा।

स्थगन प्रस्तावों ग्रादि पर चर्चा

श्री हरिश शर्मा (खानपुर) : पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर। ग्रध्यक्ष महोदय, यह बड़ी गम्भीर समस्या है कि ग्रभी तक ग्रधिकांश माननीय सदस्यों को मकान, ग्रलाट नहीं हुए हैं। न उनके पास रहने को कोई जगह है...............

श्री ग्रध्यक्ष : माननीय सदस्य, ग्राप कृपया मेरे कक्ष में ग्राकर बात कर लीजिए।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, यह विधान सभा के कार्य क्षेत्र का विषय है। जो सदन में नहीं उठाना चाहिए नियमों के ग्रनुसार। ग्राप मेरे कक्ष में ग्राकर बात कर लीजिए।

श्री केदारनाथ शर्मा (गंगानगर) : मान्यवर, मैंने भी स्थगन प्रस्ताव दिया था---

श्री ग्रध्यक्ष : मैंने उसको रेफर करना उचित नहीं समझा क्योंकि वह नियमों में नहीं ग्राता है।

श्री नत्थीसिंह (कुम्हेर) : ग्रध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि गृह समिति की बात यहां नहीं होगी लेकिन हमारे पास ऐसी सूचना है कि सरकार के द्वारा गृह समिति के फैसलों को क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है ग्रौर जो मकानों में बैठे हुए हैं उनको कह दिया गया है कि 15 ग्रगस्त तक बैठे रहो ग्रौर चिन्ता मत करो। यह सदन की बात नहीं, सरकार की बात है।

(व्यवधान)

श्री ग्रध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिए। ग्राप मेरे कक्ष में ग्राकर बात कर लीजिए कि किस तरह से क्या हो सकता है।

श्री भंवरलाल शर्मा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, जयपुर शहर की पेयजल की समस्या को ग्रापने लोक महत्व का नहीं माना....

श्री अध्यक्ष : अविलम्बनीय लोक महत्व का।

श्री भंवरलाल शर्मा : अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं माना। यह जो आपकी व्यवस्था है शिरोधार्य है। लेकिन यह समस्या निश्चित रूप से बड़े भयंकर रूप से जयपुर शहर में खड़ी है। मेरी तो यह मान्यता है कि यह केवल जयपुर तक ही यह सीमित नहीं है, सम्पूर्ण राजस्थान इससे ग्रसित है। जयपुर शहर में जब पिछली बार बारिश नहीं हुई थी तब सरकार को ज्ञान हो गया था कि आगे आने वाला समय यह समस्या लेकर आयगा। रामगढ़ का बंधा, जिससे जयपुर नगर को पेयजल मिलता है भराव बहुत कम था। सरकार को मालूम था कि यह समस्या निश्चित रूप से जयपुर के सामने खड़ी होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले अगस्त-सितम्बर में ही सरकार को जानकारी हो गई थी कि जयपुर में पानी का अभाव रहेगा। अगस्त के बाद सितम्बर, अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रेल, मई और जून में हम आ गये तब तक राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में, इस समस्या के समाधान का कोई रास्ता नहीं निकाला। नवम्बर में केवल एक प्रस्ताव पास किया कि जयपुर शहर में हैण्ड पम्प लगा दिये जायं। इनकी संख्या भी केवल 335 ही निश्चित की, जयपुर शहर की जनसंख्या को देखते हुए। आज वर्तमान में जो पी.एस.पी. लगे हुए हैं, जिनसे लोगों को पानी मिलता है वह करीब दो हजार होंगे उसके मुकाबले में केवल 335 हैण्ड पम्प लगाकर जयपुर की पानी की समस्या का समाधान करने का निर्णय नवम्बर तक सरकार ने नहीं लिया। नवम्बर में इसका निर्णय लेने के बाद जबकि पानी की समस्या गर्मी के प्रारम्भ होते ही खड़ी होती है, ये हैण्ड पम्प नहीं लगाये गये। आज भी सरकार इस स्थिति में नहीं है कि जो हैण्ड पम्प की संख्या इन्होंने तय की है उनको ठीक तरीके से इंस्टाल करा सके। परिणाम यह हुआ कि जयपुर की जनता मई और जून, जो अत्यधिक आतशिक दिवस होते हैं, में पानी के मामले में तड़पती रही।

इस सरकार के सामने हमने कई प्रकार के प्रस्ताव रखे, आन्दोलन भी किये पर इसने कोई समाधान नहीं निकाला। माननीय अध्यक्ष महोदय, चाहिये तो यह था कि जल समस्या के समाधान के लिये जन-प्रतिनिधियों या अन्य लोगों से यह सलाह लेते कि जयपुर में जल समस्या का समाधान तात्कालिक रूप से कैसे किया जा सकता है। मेरा यह सुझाव हो सकता था, बजाय हैण्ड पम्प के ट्यूब वैल बोर करके ओवर हैड टैंक बनाये जाते तो इस समस्या से शायद ज्यादा ठीक तरीके से निपटा जा सकता है। नहीं मालूम किन कारणों से यह हैण्ड पम्प लगाने का निर्णय लिया गया? माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे अधिक आपत्ति की बात तो यह है कि यह निर्णय लिया गया कि ये किन-किन स्थानों पर लगेंगे और कितनी संख्या में लगेंगे, तब भी जन-प्रतिनिधियों से नहीं पूछा गया कि आप किन-किन जगह पर इनको उपयुक्त समझते हैं, और समस्या का समाधान क्या हो सकता है। ऐसा नहीं किया गया। यकायक रात को हैण्ड पम्प लगाने की मशीन कहीं भी, किसी भी स्थान पर जाती थी, वह स्थान उपयोगी है, या नहीं है उसका उपयोग समस्या के समाधान के लिये होगा या नहीं होगा, यह जाचे बिना जहां इच्छा हुई वहां लगा कर आ गये।

(श्री भंवरलाल शर्मा)

आज उसका परिणाम यह है कि जयपुर शहर में जितने हैण्ड पम्प लगाये हैं उनमे से 20 पर्सेंट ऐसे है या तो उनमे पानी खारा आता है या पानी के बजाय मिट्टी आती है। कई स्थान तो आज भी ऐसे हैं जहां केवल पोल गाड़ दिया है, उस पर न तो हैन्डल लगाया है, न उससे पानी आना शुरू हुआ है। ऐसी परिस्थिति में जो पानी निकला है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा एक दिन ये मेरे साथ जयपुर चलें, हर पम्प का पानी मैं इन्हें पिलाना चाहूंगा। कई हैण्ड पम्प का पानी तो ऐसा होगा जिससे अपने हाथ धोना भी पसन्द नहीं करेंगे, पीने की बात तो अलग है। तो यह जांच किये बिना हैण्ड पम्प लगा दिये कि जहां हम हैण्ड पम्प लगा रहे हैं इसका कोई उपयोग होगा भी या नहीं इसमें से निकलने वाला पानी क्या जल-समस्या को दूर कर सकेगा। इसका कोई विचार नहीं किया गया कि विधान सभा आ रही है और लोगों को यह जवाब देना होगा, इस डर से 30 जून तक हैण्ड पम्प लगाने का काम पूरा किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं, जल समस्या की जानकारी पहले थी उसके समाधान के लिये अगर हैंण्ड पम्प ही लगाने थे तो गर्मी के प्रारम्भ में हैण्ड पम्प क्यों नहीं लगा दिये ? माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको आश्चर्य होगा....

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर): कई स्थान ऐसे हैं आपके जौहरी बाजार क्षेत्र में हैण्ड पम्प लगाने गये वहां हैण्ड पम्प लगाने नही दिया।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया व्यवधान न डालें।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : आपके क्षेत्र जौहरी बाजार के अन्दर जो अपनी दाई की गली है वहां मेरे सामने हैण्ड पम्प लगाने पहुंचे थे लेकिन उन लोगों ने हैण्ड पम्प लगाने के लिये मना कर दिया।

श्री अध्यक्ष। आर्डर, माननीय सदस्य।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह भी ठीक है। इस सरकार की तो यह हालत है, इस सरकार की तो यह दुर्दशा है....

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : आपके लोगों ने हैण्ड पम्प लगाने से मना कर दिया, यहां पर गंदगी होती है इसलिये हैण्ड पम्प नहीं लग सकता। मैं खुद वहां पर मौजूद था।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठें।

(व्यवधान)

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : मैं इन्हीं के क्षेत्र का निवासी हूं इसलिये मुझे मालूम है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर। आर्डर प्लीज।

श्री भंवरलाल शर्मा : इस सरकार की तो यह भी दुर्दशा रही है कि हैण्ड पम्प लगाने....

(व्यवधान)

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : आप लोगों ने मना कर दिया।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपस में नहीं। माननीय सदस्य, बैठें। आर्डर प्लीज।

श्री भंवरलाल शर्मा : सरकार की यह दुर्दशा है इसलिये हुई, श्रीमान्‌जी, यदि आप पहले जन-प्रतिनिधियों से पूछते, उपयुक्त स्थान तय करते तो लोग आपसे कहते कि यहां लगाइये। आपने मनमाने ढंग से लगाने शुरू कर दिये....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपनी बात कहिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : और यह जौहरी बाजार मेरा क्षेत्र नहीं है, आप जानकारी करिये, मेरा तो हवामहल है जिसमें आप विराज रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कई जगह तो पालिटिकल आधार पर हैण्डपम्प लगाये, कई जगह पालिटिकल तरीके से आपने लगाने नहीं दिये। मतलब यह हुआ कि जो उपयोग आप करना चाहते थे वह उपयोग इन हैण्ड पंप के द्वारा नहीं हुआ। हैण्ड पम्प लगा कर केवल आपने आंकड़े दे दिये, यह जल समस्या के समाधान के हल का कोई तरीका नहीं है। आज भी जयपुर शहर में दबाव से पानी नहीं आता। कई स्थान ऐसे हैं जहां पहली मंजिल पर भी पानी आता ही नहीं। कई बार टूंटी का मुंह भी गीला नहीं होता।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री भंवरलाल शर्मा : ऐसी परिस्थिति में यह माना जाय कि जयपुर में कहीं पानी की समस्या नहीं तो यह जयपुर शहर के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। मैं सरकार को यही कहना चाहूंगा, यह जो आपने हैण्ड पम्प लगाये हैं, यह योजना फेल रही है। उनमें से बहुत सारे तो बेकार हो गये, बहुत सारे अनुपयोगी हैं, जिनका कोई उपयोग नहीं है। नवज्योति में देखें, तो हैण्ड पम्प की स्थिति यह है कि इसके चारों तरफ कूड़ा पड़ा हुआ है, न इसमें कोई हैण्डिल है, न क्या है। केवल एक ठूंठ खड़ा हुआ है, चारों तरफ कूड़ा है, लोग उस पर गधे बांधते हैं। श्रीमान् माननीय अध्यक्ष, अभी तो लोग गधे बांध रहे हैं, मन्त्रीजी यदि आप चले गये इस समस्या का मुकाबला करने के लिये तो....

(व्यवधान)

मैं नहीं कहूंगा आपको बांध देंगे।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं यह नहीं कहूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय आपके द्वारा मैं तो यही माननीय मंत्री महोदया से कहना चाहता हूं कि इस समस्या के समाधान के लिए कोई उपयुक्त रास्ता निकालिये। आप केवल यह इंतजार कर रहे हैं कि अगर बरसात आ जाय तो हम यह कहेंगे कि अब तो बरसात आ गई, अब पानी का संकट नहीं है। यह तो अभी भी मानते हैं कि पानी का संकट नहीं है। इनके अफसर रोज स्टेटमेंट देते हैं, जयपुर में कोई जल संकट नहीं है, जल प्रदाय की जैसी जयपुर में व्यवस्था है वैसी हिन्दुस्तान में कहीं नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना बड़ा × × ×

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री अध्यक्ष : × × × शब्द का प्रयोग नहीं करे।

श्री भंवरलाल शर्मा : असत्य है।

श्री अध्यक्ष : × × × शब्द को एक्सपंज किया जाय।

श्री भंवरलाल शर्मा : घोर असत्य है। क्या तथ्यों की जानकारी सरकार के अधिकारियों पास नही है ? मैं आपको चुनौती देता हूं। आप अपने जवाब में कहेंगे कुछ न कुछ। आप मेरे साथ चलिये, चल कर आप देखिये कि किन किन इलाकों में पानी नहीं आता है। आपको जानकारी मिलेगी। आप मेरे साथ चलेंगे और लोग अगर यह जान गये कि आप पानी के मंत्री हैं तो, माननीय मंत्री महोदया कपड़े सुरक्षित नहीं रहेंगे। मेरा आपसे निवेदन यही है कि समस्या को गम्भीरता से लीजिये, इसका कोई विकल्प निकालये। केवल यह कह देने से कि आपने हैण्ड पम्प लगा दिये, कोई समस्या का समाधान नहीं होगा। इससे यह जरूर जरूर लाभ हुआ है कि जो पी. एस. पी. से पानी भरते थे ग्राम जनता के लोग, उनको थोड़ी राहत मिली है। पर जो घरों के नल से पानी भरते हैं जिनसे हजार हजार मीटर दूर हैण्ड पम्प लगा दिये वहां कौन पानी भरने जायगा ? यह कैसे सम्भव है ? सुबह से शाम तक आदमी अपने धंधे पर लगा रहे. आपने हैण्ड पम्प दूर-दूर वहां लगा दिये उनकी समस्या कैसी सुलझेगी।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में कहिये, माननीय सदस्य।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं इतना ही कहना चाहूंगा, मंत्री महोदया, आप जन-प्रतिनिधियों को विश्वास में लीजिये, इसमें कोई राजनैतिक बात नहीं है। आपको यह डर लगता है कि यदि जयपुर शहर के विधायकों को पूछा तो उनकी ख्याती होगी क्योंकि आपके दल के विधायक नहीं हैं यहां पर, असल में यह है आपकी मजबूरी। तो राजनीतिक दृष्टि से इस पर विचार मत करिये, राजनीति से कभी कभी तो मुक्ति लीजिये, कभी कभी तो राजनीति से ऊंचा उठिये। पानी की समस्या मानव की समस्या है। जहां पर कुवों में पानी निकल सकता है वहां हैण्ड पम्प की बजाय ट्यूब वैल लग सकते है। लेकिन जब आप जानकारी करेंगे नहीं जन प्रतिनिधियों को पूछेंगे ही नहीं तो कैसे मालूम पड़ेगा। जब आपसे पूछा गया कि क्या आपने जन प्रतिनिधियों से जानकारी की है तो आपने जवाब दिया कि तकनीकी आधार पर हैण्ड पंप लगाये हैं। आपका तकनीकी आधार है, या तो वहां पर खारा पानी निकलता है या पानी नहीं निकलता। पानी की समस्या जनता की समस्या है आप इसका राजनीति से ऊपर उठ कर, हमारे साथ बैठकर समाधान करिए तब तो इस समस्या का समाधान होगा वरना आप याद रखिये कि आपका गलियों में निकलना मुश्किल हो जाएगा।

इसी समय आपने पानी की दरें बढ़ा दीं। हमने माननीय मुख्य मंत्री जी से इस बारे में मुलाकात की थी और निवेदन किया कि यह तो आपने लोगों में उल्टा असंतोष पैदा कर दिया। एक उदाहरण दिया जो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा।

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री अध्यक्ष : आप मुझे बताना चाहेंगे ।

श्री भंवरलाल शर्मा : मेरे एक मित्र के बच्चे की शादी थी । उसने कहा कि हमारे लिए एक बैण्ड कर दीजिए, हमारे पास बैण्ड नहीं है । मैंने एक बैण्ड वाले से बात की कि 6 बजे से 9 बजे तक बैण्ड किराये पर करना है। उसने कहा, हजार रुपये लगेंगे । मैंने कहा, देंगे । अब बैण्ड वाले ने क्या किया वह 6 बजे की बजाय साढ़े सात बजे आया। बाराती समय पर आ गये सब दुखी हो रहे थे, बेचारे जा भी नहीं सकते थे । हरबैण्ड तो तैयार है लेकिन बैण्ड नहीं है बारात भी तैयार, लोग बड़े दुखी हुए, बेचारे । कुछ तो उठकर चले गये । इन्तजार करते करते। खैर ! साढ़े सात बजे बैण्ड आया । और बारात रवाना हुई ! लड़की वाले का मकान नजदीक आया तो बैण्ड वाले ने कहा कि साहब 9 का टाइम हो गया, मैं तो बीच में से ही जाऊंगा । मैंने कहा, भई, यह क्या अन्याय कर रहे हो । उसने कहा अन्याय वन्याय कुछ नहीं मैं तो जाऊंगा ही । और वह बीच में से ही चला गया। जाते समय बैण्ड मास्टर हमारे पास आया और कहा, साहब इनाम तो दिलाओ ।

श्री अध्यक्ष : आपने किया था न बैण्ड इसलिए।

श्री भंवरलाल शर्मा : किया तो मैंने ही था लेकिन वह बैण्ड वाला कांग्रेस सरकार की तरह था। हमने कहा, मुख्य मंत्री जी, अगर बैण्ड वाला टाइम पर आता, टाइम पर जाता, पूरे टाइम ठीक बजाता रूकता और फिर कहता कि इनाम दो तो इनाम भी दिया जा सकता था लेकिन यह तो किया नहीं और फिर इनाम मांगते हैं। कौन इनाम देगा । इसी तरह स आपने पानी की समस्या का हल तो किया नहीं और फिर रेट और बढ़ा दी, यह तो जले पर नमक छिड़क रहे हो ।

माननीय मंत्री महोदया, मैं मानता हूं, आप मेरी बात मानेंगी नहीं, × × × और बिल्कुल राजनैतिक दृष्टि से बड़ी ओतप्रोत है. आपके दिमाग में तो राजनीति घुसी रहती है इसलिए मेरी बात तो आपके समझ नहीं आएगी लेकिन मैं जनता की भलाई के लिए आपको सुझाव देना चाहता हूं कि आप मेरी बात को समझ कर समस्या का समाधान निकालिए तब तो ठीक है वरना तो जैसा आपके मन में आवे करते रहिए, समस्या नहीं सुलझेगी, ।

श्री अध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल भार्गव

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बातें कहीं वह तो मुझे मालूम हैं लेकिन जो विश्लेषण किए हैं वे वापस ले लीजिए ।

श्री भवरलाल शर्मा : आप समाधान तो करिए वह तो मैं वापस ले लूंगा ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । श्री गिरधारीलाल भार्गव ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (किशनपोल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर शहर में यह बड़ी गंभीर समस्या है । जयपुर शहर में प्रति व्यक्ति 35 गैलन पानी की

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

(52)

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

आवश्यकता है जबकि राज्य सरकार इस समय शायद 15 गैलेन प्रति व्यक्ति ही उपलब्ध नहीं करा रही है। पीने के पानी प्रेशर के साथ पहले दो समय जयपुर शहर में मिला करता था लेकिन अब एक समय भी पूरा प्रेशर के साथ पानी नहीं दिया जा रहा है। ऊपर की मंजिल पर तो पानी चढ़े हुए 4-5 महीने हो गये हैं। यह सर्वविदित बात है और आपको भी जयपुर नगर में रहने के कारण इसका ज्ञान है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कच्ची बस्तियों में, मान्यवर, यह समस्या और भी गंभीर है। वहां पर नलों की संख्या कम है। नलों की सख्या कम होने कारण वहां पर मटकों की लाइन, क्यू लगी हुई रहती है, फौजदारी के केसेज रोजना होते रहते हैं, फौजदारी के वकीलों को मुकदमें ज्यादा मिलने लग गये हैं क्योंकि लोग आपस में मार पिटाई करते हैं।

राज्य सरकार ने, मान्यवर, जो पिछली बार हैण्ड पम्प लगाये, मैं नाहरी का नाका कच्ची बस्ती की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा, वहां पर हैण्ड पम्प पूरे नहीं पड़ते हैं उनके हैण्डल्स खराब पड़े हैं। 11 हैण्ड पपों में से 9 हैण्ड पंप मेरे साथ चल कर देख लें, कूड़े के नीचे दबे हुए हैं और उनमें एक बूंद पानी नहीं आ रहा है। इस प्रकार से जयपुर शहर में 335 हैण्ड पंप जो लगाये गये, मान्यवर, मुख्य मंत्रीजी ने कहा था कि जन प्रतिनिधियों का हम सहयोग लेंगे पर दुर्भाग्य से जलदाय विभाग ने जयपुर नगर में हैण्ड पंप लगाते समय जन प्रतिनिधियों से पूछा नहीं। हमसे कार्यकर्ता पूछ कि कहां पर हैण्ड पम्प लगेंगे तो क्या कहें, हमारी बात तो सुनते नहीं। तो फिर आपको एम. एल. ए. काहे को चुन कर भेजा है? जयपुर शहर में हैंड पंप लगा कर, मैं समझता हूं, कार्यकर्ताओं में असन्तोष पैदा कर दिया है। टिक्कड़मल के रास्ते पर हैंड पंप लगा हुआ है उसमें एक बूंद पानी नहीं आ रहा है। कैजड़ों वाले रास्ते पर हैण्ड पंप लगा हुआ है उसमें एक बूंद पानी नहीं आ रहा है। चांदपोल दरवाजे बाहर पानी नहीं आ रहा है। यानि जयपुर शहर में 335 हैण्ड पम्प में से लगभग 70-80 हैण्डपम्प ऐसे हैं जिनमें पानी आ भी रहा है लेकिन, अध्यक्ष महोदय, वह दूषित पेयजल है, खारा पानी है जिसका लोग उपयोग नहीं कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि यह 335 की संख्या अपर्याप्त है। राज्य सरकार ने असंतोष पैदा कर दिया है 335 की संख्या करके। यह तय करना चाहिए था कि जहां पर सार्वजनिक नल हैं वहां पर ही हैण्ड पंप लगाये जाने चाहिए। यह नीति पहले तय की गई थी लेकिन किसी भी आधार पर वहां ही लगाए जहां से इनके लोग आएंगे। इस तरह से जयपुर शहर में असंतोष पैदा कर दिया। इसलिए मेरा निवेदन है कि जयपुर शहर में जहां जहां सार्वजनिक नल लगे हुए हैं वहां पर हैण्ड पंप लगाये जाने चाहिए। अस्पताल हो, चिकित्सालय हो, श्मशान, कब्रिस्तान या और जो सार्वजनिक स्थान हैं। जहां स्कूल और कालेज हों वहां पर लगाए जाएं तब तो हैण्ड पंप उपयोगी रहेंगे वरना मैं समझता हूं कि असंतोष की भावना जयपुर शहर में हैण्ड पंप लगाकर पैदा कर दी है। मान्यवर, मेरा इसमें निवेदन करना यह है कि यह जो सारा काम किया है वह तकनीकी आधार पर नहीं किया है, यह मनमाने आधार पर किया गया है।

इसके साथ साथ मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा, माननीय मंत्री महोदया, आपने

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

पिछले विधान सभा सत्र में कहा था कि जयपुर शहर में पेयजल योग्य जो कुए हैं उनकी सफाई की जाएगी, उनकी सफाई करके हैण्ड पंप लगाये जाएगे उनको पेयजल के लिए उपयोगी बनाया जाएगा और बोरिंग का काम किया जायेगा। जलदाय विभाग के मंत्री महोदय ने इस प्रकार का आश्वासन विधान सभा में दे दिया। यह तो आप ही उत्तर देने वाले थे और आपने ही विधान सभा में कहा था....

श्रीमती कमला (राजस्व मंत्री) : मैंने कब कहा कि नहीं कहा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आपने कहा था यह तो मैं मानता हूं।

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार) : आज के जवाब में ना लिखा हुआ है।

श्रीमती कमला : वह गलती से छपा हुआ है। मेरे सवाल में हां लिखा है, उसको करेक्ट कर लीजिए। मेरे अपने कागज में हां लिखा है....

(व्यवधान)

इसको काट कर दुरुस्त कर लीजिए।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह आपका विभाग भी आपके कंट्रोल में नहीं है क्या, मनमानी लिख सकता है।

श्रीमती कमला : यह साइक्लोस्टाइल में गलती हो गई, बाकी ओरिजनल में 'जी हां' है। इसको आप 'जी हां' कर लीजिए।

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : अभी आपने कहा कि मुझे भी गलत लिख कर दिया था।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इसको करेक्ट कर लीजिए।

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी के लिए यह भी कहना चाहती हूं कि 22 कुए दुरुस्त करा कर चालू किए गये हैं। माननीय विधायक कह रहे थे कि बाकी जगह काम करने नहीं दिया गया....

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : वह कुए किसके घर में हैं, यह तो बतावें आप, जयपुर में कहां हैं कुए ?

श्रीमती कमला : मेरे पास पूरा अता पता है लिस्ट है आप चाहें तो बता सकती हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय को यह भी मुगालता है। सरकारी अधिकारियों ने गलत बात कही है, जयपुर शहर में एक भी कुए की सफाई नहीं की गई, एक भी कुए में हैण्ड पंप नहीं लगाया गया। विधान सभा में भी मैंने कहा, आप साफ स्वीकार कर रही हैं, जलदाय

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

विभाग के अधिकारियों से हजार बार मैंने कहा....

श्रीमती कमला : 22 कुओं पर मशीन लगा कर जल वितरण का काम किया जा रहा है, यह मैंने आप लोगों से अर्ज किया ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मन्त्री महोदया, बहुत समय पहले जो पूर्व की व्यवस्था थी केवल वह ही चालू है नए कुए पर कोई मशीन नहीं लगाई गई, न कोई सफाई की गई, न किसी सूखे कुए में बोरिंग किया गया. यह आज भी मैं दावे के साथ, चुनौती के साथ जयपुर नगर की एक एक गली के बारे में कह सकता हूं । मेरा निवेदन है, मेरा भाषण पूरा हुआ नहीं है, किसी पुराने कुए पर मशीन नहीं लगाई गई और न नए नल कूप लगाए ।

मेरा निवेदन करना यह है कि इसका स्थायी समाधान, अध्यक्ष महोदय, किया जाना चाहिए था, रामगढ़ बांध में जो रिसाव हो रहा है उस रिसाव को रोका जाना चाहिए था, उसको पांच फीट ऊंचा विश्व बैंक की सहायता से किया जाने का प्रोजेक्ट था । रामगढ़ का बांध सूखा पड़ा है । वह, मैं समझता हूं, सूख कर खराब हो जाएगा । समाचार पत्रों में समाचार छप गया, रामगढ़ बांध की मरम्मत की ही नहीं गई, पांच फीट ऊंचा करके उसके पानी को रोका जाना चाहिए वह हुआ नहीं और रिसाव रोका नहीं गया । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कानोता के बांध से पानी लाया जाएगा, खातीपुरा के विन्दायका से पानी लाया जायेगा, पानी के महकमे से पानी लाया जाएगा यह सारी की सारी घोषणाएं केवल घोषणा ही रह गई । आपने कहा था, बीसलपुर योजना लागू की जायेगी, बनास योजना लागू की जाएगी । तो जब तक वह बनास योजना जयपुर शहर के लिए लागू नहीं की जाती तब तक इस समस्या का स्थायी हल होगा नहीं । कानोता, खातीपुरा, बाड़ी नदी का डेम और नल कूप जयपुर शहर के लिए लगाना बहुत अहमियत का प्रश्न है । माननीय अध्यक्ष महोदय आपने इस प्रस्ताव को अस्वीकार किया, लोक महत्व का नहीं माना, यह तो आपकी व्यवस्था है लेकिन इससे बढ़ कर लोक महत्व का प्रश्न हो नहीं सकता । यह बड़ा अहमियत का प्रश्न है इसलिए मन्त्री महोदया को कहें कि जयपुर शहर के पेयजल की समस्या का समाधान करने के लिए कितने हैण्ड पप और लगने वाले हैं उनका यहां पर घोषणा होनी चाहिए वरना 335 से कैसे काम चलेगा । सार्वजनिक स्थानों पर यह लगे नहीं हैं । ये जो 335 लगे हैं वे खराब हालत में पड़े हुए हैं । 335 अभी भी लग नहीं सके । इनकी संख्या बढ़ानी चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें ।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : पानी सारी जगहों पर मिलना चाहिए ।

गर्मियों के दिनों में पेयजल की समस्या का समाधान करने के लिए उनकी अल्पकालीन योजना क्या है, यह बताना चाहिए । बल्कि, मान्यवर, आपको ध्यान होगा कि सरकार ने यह नहीं करके पानी की रेट को फ्लैट रेट के आधार पर, किन आधार पर बढ़ा करके, जो पहले 80 नये पैसे थी उसको 1 रुपया 60 नया पैसा प्रति हजार लीटर कर दिया । उस रेट को सरकार ने

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

दुगुना कर दिया, इन्डेक्स की रेट को सरकार ने दुगुना कर दिया। यह जले पर एक प्रकार से नमक छिड़कने का काम इस सरकार ने किया है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। कृपया समाप्त करें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : सरकार को मालूम था कि विधान सभा का सत्र होगा तो, ऐसा कौनसा पहाड़ टूटा जा रहा था कि पानी की रेट को वे बढ़ाते। विधान सभा में बजट बीच होने वाला है, विधान सभा में बजट रख कर पानी की रेट को बढ़ाने वाले हैं. हैण्ड पम्पों की रेट बढ़ाने वाले हैं बिजली की रेट बढ़ाने वाले हैं। विधान सभा को फेस नहीं करके अर्थात् इस पिछाड़ी का रास्ता अपना कर यह क्यों करते हैं। राजस्थान की जनता प्यासी मर रही है, त्राही-त्राही कर रही है, मारी-मारी फिर रही है। इस पानी में मैं समझता हूं, बहुत बड़े-बड़े कीड़े निकलते हैं। गटर लाइन से जो पानी की पाइप लाइन जुड़ी हुई है उसकी कोई व्यवस्था नहीं करके राजस्थान की जनता के जले पर, मैं समझता हूं, नमक छिड़का है कई माननीय सदस्य इस बात से परिचित हैं।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मान्यवर, मैं एक मिनट में निवेदन करना चाहूंगा। जयपुर शहर का प्रश्न है। गरीब जो जयपुर शहर में रहने वाले हैं वे गरीब प्यासे नहीं मर जायें। आखिरकार, मान्यवर, आप हमारे अध्यक्ष हैं। यह सारे सदस्यों की भावनाओं के आधार पर, मैं कहता हूं। सदस्यों को दुःखी नहीं होना चाहिए, जयपुर में रहने वालों को मकान मिलना चाहिए, पीने के लिए पानी मिलना चाहिए। आखिरकार यह कब होगा ? राजस्थान का मुख्य मंत्री देखेगा नहीं, 36-36 विभाग, एक-एक मंत्री के पास हैं। मन्त्रिमण्डल बन नहीं रहा है आखिर आपका यह कर्त्तव्य है, परम कर्त्तव्य है। माननीय सदस्यों की ओर भी आप ध्यान दें। हम लोग जयपुर की जनता का ध्यान आप तक पहुंचा रहे हैं। मंत्री महोदय की इस सम्बन्ध में क्या व्यवस्था है, इस सम्बन्ध में उनका वक्तव्य इस सदन में दिलाया जाना बहुत ही आवश्यक है।

श्री मोहन प्रकाश (राजाखेड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में मेरा एक....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री शिवराम शर्मा (बनीपार्क) : गुमराह कर रहे हैं।....

(व्यवधान)

घोषणा

सभापति तालिका

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठें।

माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 9(1) के अन्तर्गत सभापति तालिका के एक रिक्त स्थान पर श्री पंकज पंचोली, सदस्य, विधान सभा को सभापति तालिका का सदस्य मनोनीत करता हूं।

(श्री अध्यक्ष)

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र। श्री सचिव।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

महामहिम राज्यपाल से अनुमति प्राप्त विधेयक

श्री सचिव (राजस्थान विधान सभा): मैं गत सत्र में पारित निम्नांकित विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं, जिन पर राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है:

राज्यपाल महोदय से अनुमति प्राप्त विधेयक

(1) राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 1985।

(1) राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या-2) विधेयक, 1985।

(3) राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 1985।

(4) राजस्थान नहर (नाम प्रतिस्थापना) विधेयक, 1985।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय।

अध्यादेश

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान आबकारी (संशोधन) अध्यादेश, 1985 (अध्यादेश संख्या-1 सन् 1985) सदन की मेज पर रखता हूं।

श्रीमती कमला (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) अध्यादेश, 1985 (अध्यादेश संख्या-3 सन् 1985) सदन की मेज....

व्यवस्था का प्रश्न

अध्यादेश जारी करने के कारणों का विवरण सदन पटल पर रखा जाना

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): पाइन्ट आफ आर्डर। यह अध्यादेश अध्यक्ष महोदय, जो रखा जा रहा है यह रूल 63 मे रखा जाना चाहिए। मैं आपका ध्यान रूल-63 की तरफ आकर्षित करना चाहता हू। रूल 63 में बिल का पुन:स्थापन किया जाता है। अध्यादेश यदि जारी किया गया है तो उसके कारण भी उसके साथ में ही सदन की मेज पर रखे जाते हैं। मंत्री महोदय, जो बिल इस अध्यादेश के प्रत्यारोपण में यहां रखेगी उसके कारण यहां नहीं रखे।

श्री अध्यक्ष : Not necessary कारण रखना जरूरी नहीं है।

(व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : आपने इतनी जल्दी, यह जो रूलिंग दी है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सदैव की प्रक्रिया रही है।

श्री मानिक चन्द सुराना : आप यदि सब प्रक्रियाओं को....

श्री अध्यक्ष : सदैव की प्रक्रिया रही है।

श्री मानिक चन्द सुराना : सदैव की प्रक्रिया रही होगी। आप कम से कम उस रूल को पढ़ने का कष्ट करें, उस रूल को देखने का कष्ट करें, यदि बिल पुरस्थापित करना है और बिल के साथ में ही यह अध्यादेश रखा जाना हो तो आवश्यकता क्या है। इस अध्यादेश को सदन की मेज पर रखने के लिये बिलों के साथ ही इसको रखना आवश्यक है। बिल आप अलग रखेंगे, अध्यादेश को अलग रखेंगे, आवश्यकता क्या है? मेरा आब्जेक्शन यह है, मेरी आपत्ति यह है।

श्री अध्यक्ष : आप पढ़िये इसको।

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं पढ़ रहा हूं—

"Whenever a Bill seeking to replace an Ordinance with or without modification is introduced in the House there shall be pelaced before the House alongwith the Bill a statement explaining the circumstances which had necessitated immediate legislation by ordinance.

श्री अध्यक्ष : बिल्कुल सही है।

श्री मानिक चन्द सुराना : बिल नहीं है, बिल आवेगा तब यह सब होगा।

श्री अध्यक्ष : जो आर्डिनेन्स निकला है, Ordinance has been issued already.

श्री मानिक चन्द सुराना : मेरा निवेदन है कि....

श्री अध्यक्ष : कृपया समझने की कोशिश कीजिये। जो आर्डिनेन्स राज्य सरकार ने जारी किया है और जिसकी पालना होनी शुरू हो गयी है, उस आर्डिनेन्स को सदन की सूचनार्थ सदन की टेबल पर रखा जा रहा है। अब बिल पेश करना है या आर्डिनेन्स पर बहस कराना है, या क्या करना है, it is for the Government to decide.

श्री मानिक चंद सुराना : अध्यक्ष महोदय, जिस दिन विधान सभा मिलती है, संविधान में लिखा हुआ है उसके कितने दिन के बाद आर्डिनेन्स यदि बिल के रूप में नहीं रखा जाता है तो अपने आप लेप्स हो जाता है। इसलिए यदि सरकार को बिल लाना है तो बिल के साथ इस अध्यादेश के कारणों को रखना चाहिए। सदन के समय का दुरुपयोग अनावश्यक रूप से कर रहे हैं। एक बार अध्यादेश रखा फिर बिल रखा। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप सदन के समय की कीमत को समझते हुए अनावश्यक प्रक्रियाओं को दोहरायें नहीं। भविष्य के लिये इनको निर्देश दें कि यदि उस आर्डिनेन्स का बिल पारित करना है तो निश्चित रूप से बिल के साथ ही अध्यादेश जारी करने के कारण भी रखें। एक दिन, सदन के कार्यक्रम में अध्यादेशों को रखने का है, उसके बाद में एक दिन बिलों को रखने का है, यह कोई मौजूं नहीं है। और रूल केवल इसीलिए बनाया गया है।

श्री अध्यक्ष : अगर आपने प्रोसीजर को देखने की कृपा की होती तो शायद यह एतराज आप नहीं करते। इसमें क्लियर दे रखा है—"An Ordinance promulgated under this article shall have the same force and effect as an

(श्री अध्यक्ष)

Act of the Legislature of the State assented to by the Governor, but every such Ordinance

(a) shall be laid before the Legislative Assembly of the State, or where there is a Legislative Council in the State, before both the Houses, and shall cease to operate at the expiration of six weeks from the reassembly of the Legislature, or if before the expiration of that period a resolution disapproving it is passed by the Legislative Assembly and agreed to by the Legislative Council, if any, upon the passing of the resolution or, as the case may be, on the resolution being agreed to by the Council;"

यह तो आब्लीगेटरी है।

It is obligatory on the State.

श्री मानिक चंद सुराना : आप संविधान की धारा पढ़ रहे हैं ना।

श्री अध्यक्ष : यह आब्लीगेटरी है कि कोई आर्डिनेन्स निकाला गया है। तो आर्डिनेन्स सदन की टेबल पर ले लिया जाय, अब उस आर्डिनेन्स का आगे क्या शेष होने वाला है that is a next term.

श्री मानिक चंद सुराना : प्रश्न यह नहीं है, अध्यक्ष महोदय। प्रश्न यह है कि आप संविधान की जो धारा पढ़ रहे हैं, यह आर्डिनेन्स संविधान की इस धारा के तहत इस हाउस में रखा जाना चाहिए था। मेरे आब्जेक्शन का मतलब यह है कि आप संविधान की इस धारा के तहत इस अध्यादेश को जारी करने का कारण यहां रखते।

श्री अध्यक्ष : जो आब्लीगेटरी है स्टेट के ऊपर, उस आब्लीगेशन का निर्वहन कर रहे हैं।

श्री मानिक चंद सुराना : अध्यक्ष महोदय, रूल 63 का सहारा न लीजिये।

(1.00 म. प.)

संविधान की उस अनुच्छेद का सहारा लीजिये कि इस कारण से यह यहां रखे जायं, मेरी आपत्ति यही है और आपको मेरी आपत्ति अलाऊ करनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, यह रूल 63 का हवाला बिल्कुल गलत दिया गया है, इसकी जगह संविधान की उस धारा को आधार बनाना चाहिये।

(व्यवधान)

राज्य सरकार के कानून विभाग को अधिक सतर्क रहना चाहिये। यह कोई ऐसी जगह नहीं है जहां आपने चाहा जो रूल कोट कर दिया। एप्रोप्रियेट रूल कोट कोट करिये। जो धारा है संविधान की, उसको आप कोट करिये।

श्री अध्यक्ष : राजस्व मंत्री !

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अध्यादेश

श्रीमती कमला (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन)

(श्रीमती कमला)

अध्यादेश, 1985 (अध्यादेश संख्या-3, सन् 1985) सदन की मेज पर रखती हूं।

श्री अध्यक्ष : सहकारिता राज्य मंत्री जी।

श्री शीशराम ओला : (राज्य मंत्री, सहकारिता) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 63 (1) के अन्तर्गत राजस्थान कृषि साख प्रचालन (कठिनाइयां-निराकरण) (संशोधन) अध्यादेश, 1985 (अध्यादेश संख्या-2 सन् 1985) सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : अधिसूचनायें।

अधिसूचनाएं

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त ग्रुप (4) विभाग की अधिसूचनायें संख्या प. 4 (2) वित्त/ग्रुप-4/79, दिनांक 1 मई 1985 जिसके द्वारा राजस्थान विक्रय कर नियम, 1955 में संशोधन किये गये हैं, सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : उनका काम नहीं है बोलने का, आपने कैसे रख दी। आपको परमिशन दे दी क्या?

श्री अध्यक्ष : दे दी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उन्होंने मांगी ही नहीं।

श्री अध्यक्ष : आप अनुमती ले लें।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : अध्यक्ष महोदय, मैं अधिसूचना सदन की मेज पर रखने के लिए अनुमति के लिए प्रस्ताव कर रहा हूं....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप प्रार्थना करें।

श्री अध्यक्ष : मुख्य मंत्री के बजाय आप रख रहे हैं, यह कह दें।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : ये तो प्रस्ताव रख रहे हैं, अनुमति नहीं मांग रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी के अन्य कार्य में व्यस्त होने की वजह से उनके स्थान पर मैं अधिसूचना रखने की आपसे प्रार्थना कर रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री किसी अन्य कार्य में व्यस्त हैं यही कहा है ना आपने।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप तो केवल अनुमति ले लें कि आपकी अनुमति से प्रस्तुत कर रहा हूं।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कृपया बैठें। आप कह दें कि आपकी अनुमति से प्रस्तुत कर रहा हूं।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त विभाग की अधिसूचना आपकी अनुमति से सदन की मेज पर प्रस्तुत कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त (ग्रुप-4) विभाग की अधिसूचना संख्या प. 4 (2) वित्त/ग्रुप–4/79, दिनांक 1 मई, 1955, जिसके द्वारा राजस्थान विक्रय कर नियम, 1985 में संशोधन किये गये हैं सदन की मेज पर रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं गृह विभाग की अधिसूचना आपकी स्वीकृति से, अनुमति से सदन की मेज पर रखने की प्रार्थना कर रहा हूं।

एक माननीय सदस्य : प्रार्थना कर रहे हैं, अनुमति नहीं मांग रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : अनुमति के लिए प्रार्थना कर रहा हूं।

श्री नाथूसिंह (टोडारायसिंह) : कोचिंग लेकर आये।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : अध्यक्ष महोदय, मैं तो रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं। उनसे प्रार्थना कर रहा हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा : आपकी तो बारी है। मुख्य मंत्री नहीं हैं।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : कल आपकी हो जायेगी।

एक माननीय सदस्य : धन्यवाद।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर-ग्रामीण) : आपके मुंह में घी शक्कर।

श्री भवरलाल शर्मा : आपके मुंह में घी शक्कर।

(व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : परन्तु इसके लिए आपको काफी इन्तजार करना होगा।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : अध्यक्ष महोदय, मैं गृह....

व्यवस्था का प्रश्न

अधिसूचनाएं सदन के पटल पर प्रस्तुत करने में विलम्ब

श्री भैरोंसिंह शेखावत : (नेता प्रतिपक्ष) : पाइन्ट ऑफ आर्डर।

अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय जो अधिसूचनायें सदन में प्रस्तुत कर रहे हैं वह पिछले सत्र में प्रस्तुत होनी चाहिए थी। आप खुद इनकी तारीख देखेंगे, एक तो 18 अक्टूबर, 1984 की है, दूसरी है 18 अक्टूबर 1984 की, तीसरी है 23 जनवरी, 1985 की और चौथी है 23 जनवरी, 1985 की। ये पिछले सत्र में प्रस्तुत होने वाली थी। सरकार इसको प्रस्तुत नहीं कर पायी उसके तो कारण सरकार बताये और यदि आप अनुमति दे तो खेद प्रकट करें।

श्री अध्यक्ष : समय पर प्रस्तुत हो जाय, सरकार को इस बात के लिए प्रयत्न करना चाहिए। अभी तो अनुमति दे रहा हूं प्रस्तुत कर दें।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (किशनपोल) : ऊपर जो की गई हैं, यह भी लेट हो गई हैं।

सदन पटल पर रखे गये पत्र अधिसूचनाएं

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मै (ग्रुप 5) की निम्नांकित अधिसूचना सदन की मेज पर रखता हूं:

(1) अधिसूचना संख्या एफ 1/6 (7) गृह 5/84, दिनांक 18 अक्टूबर, 1984 जिसके द्वारा राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के अन्तर्गत समस्त सेवाओं को अत्यावश्यक सेवा घोषित किया गया है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : संख्या कितनी है, आप तो इकट्ठी बता दें।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : 1 से 4 तक अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखता हूं। निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखी गई :—

(2) अधिसूचना संख्या प 1/6 (7) गृह-5/84 दिनांक 18 अक्टूबर, 1984 जिसके द्वारा राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के अन्तर्गत समस्त सेवाओं हड़ताल किये जाने पर प्रतिबंध किया गया है।

(3) अधिसूचना संख्या प. 1/6 (2) गृह-5/85 दिनांक 23 जनवरी, 1985 जिसके द्वारा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के अन्तर्गत समस्त सेवाएं अत्यावश्यक घोषित की गई हैं।

(4) अधिसूचना संख्या प. 1/6 (2) गृह 5/85, दिनांक 23 जनवरी, 1985 जिसके द्वारा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के अन्तर्गत समस्त सेवाओं में हड़ताल किये जाने पर प्रतिषेध किया गया है।

इसी तरह से माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से गृह (ग्रुप 7) विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखता हूं एक से 26।

(1) अधिसूचना संख्या प 5 (33) गृह-7/84, दिनांक 27-9 1984

(2) अधिसूचना संख्या प. 5 (38) गृह-7/84, दिनांक 1-10-1984

(3) अधिसूचना संख्या प. 5 (34) गृह- 7/84, दिनांक 8-10-84

(4) अधिसूचना संख्या प. 5 (37) गृह-7/84, दिनांक 9-10-1984

(5) अधिसूचना संख्या प. 5 (36) गृह-7/84, दिनांक 10-10-1984

(6) अधिसूचना संख्या प. 5 (39) गृह 7/84 दिनांक 10-10-1984

(7) अधिसूचना संख्या प. 5 (45) गृह-7/84 दिनांक 15-10-1984

(8) अधिसूचना संख्या प. 5 (53) गृह-7/84 दिनांक 16-10-1984

(9) अधिसूचना संख्या प. 5 (55) गृह-7/84 दिनांक 16-10-1984

(10) अधिसूचना संख्या प. 5 (27) गृह-7/84, दिनांक 17-10-1984

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

(11) अधिसूचना संख्या प. 5 (44) गृह-7/84 दिनांक 18-10-1984

(12) अधिसूचना संख्या प. 5 (43) गृह-7/84 दिनांक 19-10-1984

(13) अधिसूचना संख्या प. 5 (47) गृह-7/81 दिनांक 19-10-1984

(14) अधिसूचना संख्या प. 5 (48) गृह-7/84, दिनांक 19-10-1984

(15) अधिसूचना संख्या प. 5 (49) गृह-7/84, दिनांक 19-10-1984

(16) अधिसूचना संख्या प. 5 (50) गृह-7/84 दिनांक 20- 0-1984

(17) अधिसूचना संख्या प. 5 (42) गृह-7/84, दिनांक 22-10-1984.

(18) अधिसूचना संख्या प. 5 (59) गृह-7/84, दिनांक 27-10-1984

(19) अधिसूचना संख्या प. 5 (54) गृह-7/84 दिनांक 30-10-1984

(20) अधिसूचना संख्या प. 5 (57) गृह-7/84, दिनांक 2-11-1984

(21) अधिसूचना संख्या प. 5 (58) गृह-7/84 दिनांक 6-11-1984

(22) अधिसूचना संख्या प. 5 (61) गृह-7/84 दिनांक 24-11-1984

(23) अधिसूचना संख्या प. 5 (62) गृह-7/84 दिनांक 27-11-1984

(24) अधिसूचना संख्या प. 5 (64) गृह-7/84, दिनांक 22.12 1984

(25) अधिसूचना संख्या प. 5 (67) गृह-7/84, दिनांक 7.1.1985

(26) अधिसूचना संख्या प. 5 (10) गृह-7/82, दिनांक 29.4.1985

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रार्थना करता हूं कि कम्पनीज अधिनियम 1956 की धारा 619 के........

व्यवस्था का प्रश्न

कम्पनियों के प्रतिवेदन एवं लेखे सदन पटल पर प्रस्तुत करने में विलम्ब

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : पाइन्ट ऑफ ऑर्डर !

मैं इस पर आपत्ति नहीं कर रहा हूं कि वह इसको सदन की मेज पर रख रहे हैं। मैं व्यवस्था का यह प्रश्न उठाना चाहता हूं कि कम्पनी लॉ के तहत जिन कम्पनीज की रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत की जाती हैं वह बहुत देरी से प्रस्तुत की जाती हैं। शेयर होल्डर्स की जनरल मीटिंग में एप्रूव हो जाती है, आडिटर की रिपोर्ट एप्रूव हो जाती हैं, उसके बाद कम्पनी लॉ के अन्तर्गत "एज सून एज पासिबल" वर्ड यूज किया गया है जिसके आधार पर पहला सत्र हो या उसके पहले का सत्र हो, उसी समय प्रस्तुत की जानी चाहिये। मेरी जानकारी है कि जो रिपोर्ट्स यह सदन में प्रस्तुत कर रहे हैं उसकी नेक्स्ट मीटिंग की रिपोर्ट जनरल बॉडी में एप्रूव हो गयी उसके बाद में गवर्नमेंट यहां सबमिट कर रही है। आखिर

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

लेजिस्लेचर में इन सब चीजों पर विचार करने के लिए ही तो आप इसको प्रस्तुत कर रहे हैं। यदि डिलेड रिपोर्ट आप सदन की मेज पर रखेंगे तो उस पर जो चर्चा होगी वह बहुत पुरानी होगी। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, आप 1983-84 की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं, मेरी जानकारी में है कि 84-85 की रिपोर्ट भी तैयार है, उस तैयार रिपोर्ट को दबाने की आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूं, आपका कोई परपज नहीं होगा इसको विदहैल्ड करने में। लेकिन बिना परपज के ही कुछ लोग जो चाहते हैं कि समय पर इन रिपोर्ट्स पर चर्चा नहीं हो, उनका सदा ही यह प्रयत्न रहता है कि रिपोर्ट्स समय पर सदन की मेज पर नहीं रखी जायं। मैं सरकार से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा और आपसे भी व्यवस्था चाहूंगा कि गवर्नमेंट इस प्रकार की कम्पनीज की रिपोर्ट जो इन्कम टैक्स अधिनियम की धारा 619 के ए और बी में भी दिया हुआ है उसके अनुसार ज्योंही रिपोर्ट आती है पेश करें। इससे सरकार को यह लाभ होगा कि उस रिपोर्ट को शेयर होल्डर्स की जनरल मीटिंग में नहीं रखने की, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में नहीं रखने की जो आदत सी पड़ गई है, उस आदत पर भी रोक लगेगी और रिपोर्ट भी समय पर मिलेगी।

श्री अध्यक्ष : भविष्य में समय पर प्रस्तुत किया करें, इसकी व्यवस्था करें।

श्री मानिक चन्द सुराणा (लूणकरणसर) : पाइन्ट ऑफ ऑर्डर।

मेरी आपत्ति यह है कि जो रिपोर्ट पेश की जा रही हैं सदन में, इन रिपोर्टस में आडिट रिपोर्ट जिस साल का लेखा है उस साल की है। इस आडिट रिपोर्ट के लिये धारा 6.9 ए के सब सैक्शन 3 के क्लाज बी में लिखा हुआ है —

"As soon as may be after such preparation laid before the House or both Houses of the State Legislature with a copy of the audit report and comments or supplement referrred to in sub-section (1)."

अध्यक्ष महोदय, आप मुलाहिजा करें कि जो तीनों रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही हैं उनमें आडिट रिपोर्ट पूरी गायब है। आडिट रिपोर्ट में राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड का सिर्फ एक पेज है।

स्माल इडस्ट्रीज कार्पोरेशन में सिर्फ एक पेज है, वह अगवारियों के निमित्त दे दिया गया है मैं यह मानकर चलता हूं मैंने आडिट रिपोर्ट देखी है अध्यक्ष महोदय, आडिट रिपोर्ट इसकी एक पेज में हो नहीं सकती इसलिये वह जो 10-5 बातें लिखी गई हैं, एक पेज में, स्माल इन्डस्ट्रीज कार्पोरेशन की आडिट रिपोर्ट में, और में, ऐसी कोई आडिट रिपोर्ट मुझे देखने को नहीं मिली। इसमें आडिट रिपोर्ट आवश्यक है। जिस धारा में आप यह रिपोर्ट यहां ले डाउन कर रहे हैं, सिर्फ वार्षिक लेखे नहीं, वार्षिक लेखे और आडिट रिपोर्ट, आडिट रिपोर्ट के ऊपर कट्रोलर, आडिटर जनरल के कमेंट्स और उसकी सप्लीमेंट भी आवश्यक हैं। आडिटर जनरल का सप्लीमेंट तो आपने इसमें दे दिया है लेकिन मूल आडिट

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

रिपोर्ट, यह तीनों जो प्रतिवेदन यहां ले डाउन किये जा रहे हैं, एकाउंट्स जो ले डाउन किये जा रहे हैं गवर्नमेंट कम्पनीज के, उनकी इसमें नहीं है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप स्वयं इन रिपोर्ट्स को देखें। यदि आप इसमें इस नतीजे पर आवें कि आडिट रिपोर्ट कुछ अलग है इन तीनों की, तो उन आडिट की रिपोर्ट्स को भी इस प्रक्रिया के बाद में ले डाउन करवाने की प्रक्रिया करवावें।

श्री अध्यक्ष : ठीक है अगर इस चीज की आवश्यकता है, वह आडिट रिपोर्ट इससे जुड़ी हुई नहीं है........

(व्यवधान)

श्री नाथू सिंह (टोडारायसिंह) : आडिट रिपोर्ट से तो यह पता लग जायेगा घोटाले का, कितना घोटाला है.......

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री नाथू सिंह : साथ रखने का है.......

श्री अध्यक्ष : मैं समझ गया आपकी बात को लेकिन जो चीज आयी है उसको तो रखने दीजिये। अगर होगी रिपोर्ट इसका मतलब है और डिले करवायेंगे आप। सुनिये आप। आडिट रिपोर्ट की आवश्यकता है, कानूनन जरूरी है, नियमों के अनुसार जरूरी है तो आनी चाहिये, इसमें कोई दो राय नहीं है, साथ आनी चाहिये। आलरेडी यह रिपोर्ट्स के आने में देर हुई है। आज यह रिपोर्ट्स पेश हो जाती हैं। डिस्कशन्स जब भी होंगे उसके पहले रिपोर्ट आ जानी चाहिये। यदि इसके साथ में आडिट रिपोर्ट नहीं लगी हुई है तो मंगवा ली जायं। माननीय सदस्य।

श्री मानिकचन्द सुराना : इसमें एक सप्ताह का समय निर्धारित कर दें।

श्री अध्यक्ष : जल्दी से जल्दी मंगायेंगे। आडिट रिपोर्ट तो होंगी ही जब रिपोर्ट बन गयी है तो।

श्री भवरलाल शर्मा (हवामहल) : आप फरमाइये न, आप क्यों नहीं फरमा रहे है?

श्री अध्यक्ष : आदेश हो चुका।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आदेश हो गया........

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आप देखेंगे खोलकर, उसमें आडिट रिपोर्ट लगी हुई है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय।

सदन पटल पर रखे गये पत्र प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री) : मैं कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619 ए की उप धारा 3 का भाग (बी) के अन्तर्गत निम्नांकित प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखता हूं :

(1) दी राजस्थान स्माल इण्डस्ट्रीज

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

कार्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर का 23वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 1983-84।

(2) राजस्थान स्टेट मिनरल डवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का पांचवा वार्षिक प्रतिवेदन 31 मार्च, 1984 को समाप्त हुए वर्ष के लेखे।

(3) राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड का 37वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1983-84।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान स्टेट ब्रिज कार्पोरेशन से आपकी........

(व्यवधान)

अनुमति लेने की जरूरत नहीं, मेरी खुद की पेश कर रहा हूं........

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : अध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619 ए की उप धारा 3 का भाग ख के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट ब्रिज एण्ड कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड का पंचम वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 1983-84 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही अपराह्न तीन बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

तदनन्तर सदन की बैठक म. प. 1-14 बजे 3.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

(3.00 म. प.)

(श्री हीरालाल देवपुरा, अध्यक्ष, पदासीन)

परिवर्तित आय व्ययक अनुमान 1985-86 का उपस्थापन

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य मन्त्री जी!

श्री हरिदेव जोशी (मुख्यमन्त्री) : श्रीमन्, आपकी अनुमति से मैं वित्तीय वर्ष 1985-86 के परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान प्रस्तुत कर रहा हूं।

2. गत 26 मार्च, 1985 को राजस्थान राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण विधान सभा के सम्मुख प्रस्तुत किया गया था एवं संविधान के अनुच्छेद 206 के अन्तर्गत 4 माह का लेखानुदान स्वीकृत किया गया था। यह अवधि 31 जुलाई, 1985 को समाप्त हो रही है। अतः अब इस वर्ष की मांगों पर विधान सभा की स्वीकृति अपेक्षित है।

3. वर्ष 1984 भारत के लिये काफी परेशानियों को लेकर आया। देश की अखण्डता को एक चुनौती दी गई। काफी प्रयत्न किये गये पर पंजाब की समस्या का चर्चा द्वारा कोई हल निकलना सम्भव नहीं हो सका और तनाव बढ़ता गया। दिनांक 31 अक्टूबर, 1984 को यह राष्ट्र कभी नहीं भुला सकता। उस दिन प्रातः राष्ट्र नेता प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या की गई। कांग्रेस के नेतृत्व ने इस चुनौती का भली-भांति मुकाबला किया। बगैर समय खोये हुए लोक सभा के चुनावों को निश्चित अवधि में कराने की घोषणा की गई। देश ने नये युवा प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी

(श्री हरिदेव जोशी)

में अपना विश्वास व्यक्त किया और इतना बड़ा बहुमत कांग्रेस दल को दिया जो आज तक कभी किसी को नहीं मिला था। राजस्थान में अन्य प्रान्तों की तरह मार्च, 1985 में राजस्थान विधान सभा के चुनाव हुए जिनमें कांग्रेस दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। कांग्रेस आम आदमी की स्थिति को सुधारने और एक सबल लोकतांत्रिक सार्वभौम राष्ट्र के निर्माण में विश्वास करती है। इस परिप्रेक्ष्य में राजस्थान की सरकार अपना अकिंचन योगदान देना चाहती है। इसी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर यह बजट इस सदन की सेवा में प्रस्तुत किया जा रहा है।

4. राज्य की जनता ने मार्च, 1985 के चुनाव द्वारा जिन आशाओं और जिस विश्वास के साथ हमें कार्य-भार सौंपा है उन्हें पूरा करने के लिये हम वचनबद्ध हैं। हमारा यह प्रयत्न होगा कि आर्थिक विकास में हम अधिक गतिशील हों, विकास का लाभ समाज के कमजोर वर्गों को समुचित रूप से मिले और राज्य के सभी क्षेत्रों का सन्तुलित विकास हो। इस दृष्टिकोण से हम अपनी नीतियों को एक नया मोड़ देने का प्रयत्न करेंगे।

5. माननीय सदस्यों को आर्थिक समीक्षा पृथक् से वितरित की जा रही है। मैं केवल उन उपलब्धियों की ओर संकेत करना चाहता हूं जिनका बजट पर सीधा प्रभाव पड़ता है। 1984-85 छठी पंचवर्षीय योजना का अन्तिम वर्ष था। छठी पंचवर्षीय योजना काल में एक वर्ष को छोड़कर प्रायः सूखे की स्थिति रही। मांग के अनुरूप ऊर्जा की उपलब्धि में भी कमी रही। तथापि अर्थ व्यवस्था में निरन्तर सुधार की प्रवृत्ति बनी रही। वर्ष 1979-80 में 1970-71 के स्थिर मूल्यों पर शुद्ध राज्य आय 1722.30 करोड़ रुपये थी जो कि वर्ष 1984-85 में त्वरित अनुमानों के अनुसार 2252.56 करोड़ रुपये अनुमानित की गई है। वर्ष 1979-80 में ऊर्जा की उपलब्धि लगभग 488 करोड़ यूनिट थी जो कि 1984-85 में बढ़कर 582 करोड़ यूनिट हो गई। खाद्यान्नों का उत्पादन 52.12 लाख टन से बढ़कर 81.07 लाख टन हो गया तथा सिंचित क्षेत्र में 3.52 लाख हैक्टेयर की वृद्धि हुई। इस अवधि में राज्य के बुनियादी आर्थिक ढांचे का जो विकास हुआ है उससे हमें सातवीं पंचवर्षीय योजना काल में राज्य के द्रुत आर्थिक विकास के लिये ठोस आधार उपलब्ध होंगे।

6. छठी पंचवर्षीय योजना 2025 करोड़ रुपये की थी। इसके पेटे अग्रिम योजना सहायता सहित कुल योजना व्यय लगभग 2128 करोड़ रुपये होगा। राज्य को छठी पंचवर्षीय योजना काल में 750.70 करोड़ रुपये के अतिरिक्त संसाधनों की व्यवस्था करनी थी। उसके पेटे हमने कुल मिलाकर 763.71 करोड़ रु. के संसाधनों की व्यवस्था की। माननीय सदस्य यह देखेंगे कि योजना व्यय को पूरा करने और उसके लिये यथेष्ट साधन जुटाने की दिशा में हमने पूरा प्रयत्न किया है और इसी का यह परिणाम है कि निरन्तर सूखे की स्थिति के बावजूद अर्थ व्यवस्था में विकास की गति बनी रही।

7. अध्यक्ष महोदय, मैंने लेखानुदान प्रस्तुत करते समय यह बताया था कि अभी

(श्री हरिदेव जोशी)

सातवीं पंचवर्षीय योजना एवं वर्ष 1985-86 की वार्षिक योजना पर योजना आयोग से विचार-विमर्श नहीं हुआ है। यह हर्ष की बात है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना का आकार योजना आयोग द्वारा 3000 करोड़ रुपये का स्वीकृत किया गया है। यह छठी पंचवर्षीय योजना के लिये स्वीकृत धन राशि से 48.14 प्रतिशत अधिक है।

8. सातवीं पंचवर्षीय योजना में हमने बिजली, खाद्यान्न तथा औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि तथा रोजगार के साधनों में सुधार को महत्त्व दिया है। हम यथा सम्भव प्रशासन को चुस्त बना कर अपने संसाधनों में वृद्धि करने का प्रयत्न करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक विकास के लिये सभी यथोचित प्रयत्न किये जायेंगे।

9. सातवीं पंचवर्षीय योजना में होने वाले व्यय का मुख्य-मुख्य मदों में विभाजन इस प्रकार है :—

	(करोड़ रु. में)
1. सिंचाई एवं विद्युत्	1560.47
2. सामाजिक एवं सामुदायिक सेवायें	640.06
3. कृषि एवं सम्बद्ध सेवायें	397.83
4. परिवहन एवं संचार सेवायें	139.84
5. उद्योग एवं खनिज	190.52
6. सहकारिता	46.20
7. अन्य	25.08
योग	3000.00

10. माननीय सदस्य यह देखेंगे कि हमारी प्राथमिकताओं के अनुरूप सिंचाई एवं विद्युत् को हमने सातवीं योजना में कुल योजना व्यय की 52.02 प्रतिशत राशि आवंटित कर महत्त्वपूर्ण स्थान दिया है। सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर होने वाला व्यय भी कुल योजना व्यय का 21.34 प्रतिशत है। मैंने सातवीं योजना के जिन उद्देश्यों के बारे में पूर्व में इंगित किया है उनकी पूर्ति को ध्यान में रखते हुए ही योजना व्यय का मद वार विभाजन किया है।

11. सातवीं योजना के वित्त पोषण के लिये 1139.77 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता उपलब्ध होगी। शेष राशि राज्य सरकार को अपने साधनों से उपलब्ध करनी होगी। इस राशि में 1000 करोड़ रुपये की व्यवस्था अतिरिक्त संसाधन जुटाकर की जायेगी।

12. छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक विद्युत् उत्पादन की क्षमता लगभग 1713 मेगावाट हो गई थी। सातवीं योजना काल के अन्त तक इसके 2660 मेगावाट हो जाने का अनुमान है। इस प्रकार 947 मेगावाट की वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त पलाना लिग्नाइट प्रोजेक्ट से 120 मेगावाट की उपलब्धि की आशा सातवीं योजना काल में ही है। अतः 1067 मेगावाट की वृद्धि इन्हीं पांच वर्षों में होगी जो आज तक की क्षमता का 62.3 प्रतिशत है। राज्य में पांचवीं योजना के अन्त में 17.73 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध थी। छठी योजना काल में 3.12 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई, जबकि

(श्री हरिदेव जोशी)

सातवीं योजना काल में 4.38 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा सृजित होगी। 1500 से अधिक जनसंख्या वाले सभी गांवों तथा 1000 से 1500 तक की जनसंख्या वाले 50 प्रतिशत गांवों को सड़कों से जोड़ा जायेगा। जनजाति तथा मरुस्थलीय क्षेत्रों में 1000 की जनसंख्या वाले सभी गांवों को तथा 500 से 1000 जनसंख्या वाले 50 प्रतिशत गांवों को सड़कों से जोड़ा जायेगा।

13. शिक्षा सुविधाओं में भी यथोचित विस्तार होगा। इस अवधि में लगभग 5000 नये प्राथमिक विद्यालय खोले जायेंगे तथा 4500 अतिरिक्त अध्यापकों के पद भी सृजित किये जायेंगे। 1100 नये उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा 300 नये माध्यमिक विद्यालय खोले जायेंगे। 1270 नये विषय भी प्रारम्भ किये जायेंगे। 10 नये महाविद्यालय स्थापित किये जायेंगे तथा विभिन्न महाविद्यालयों में 24 नये विषय प्रारम्भ किये जायेंगे। औद्योगिक शिक्षा के विकास हेतु 27 नए आई टी. आई. तथा 2 नये इन्जिनियरिंग कालेज खोले जायेंगे। इसके साथ ही 13 नये पोलीटैक्निक्स की स्थापना भी की जायेगी। युवक कल्याण के लिये एक पृथक् विभाग स्थापित किया जायेगा तथा प्रत्येक जिले में खेलकूद की सुविधाओं के विस्तार हेतु स्टेडियम भी बनाये जायेंगे।

14. चिकित्सा के क्षेत्र में प्रत्येक पंचायत समिति में 2 प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों की स्थापना का लक्ष्य पूरा करने के लिये 111 नये प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र खोले जायेंगे तथा 124 प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत किया जायेगा। 3800 समस्याग्रस्त गांवों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। बीसलपुर परियोजना का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा जिससे अजमेर, ब्यावर, जयपुर तथा इस मार्ग पर पड़ने वाले अन्य कस्बों में पेयजल की सुविधा का विस्तार हो सके।

15. अखिल भारतीय स्तर पर राजस्थान आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ प्रदेश है। माननीय सदस्यगण जानते हैं कि इस पिछड़ेपन के ऐतिहासिक और भौगोलिक कारण हैं। रियासती जमाने में जन सामान्य का विकास मुख्य मुद्दा नहीं था और यहीं कारण है कि विकास के मूलभूत साधनों व इन्फ्रास्ट्रक्चर का यह अभाव था। राजस्थान में पिछले वर्षों में वर्षा और बिजली की कमी के कारण उद्योग एवं खेती के विकास को और इस प्रकार कहा जाये तो सम्पूर्ण आर्थिक विकास को धक्का लगा है। इसलिये राज्य सरकार ने सातवीं योजना काल में इन कमियों को दूर करने का लक्ष्य सामने रखा और योजना आयोग के समक्ष भी इन्हीं मुद्दों को पुरजोर शब्दों में रखने की कोशिश की। हमें खुशी है कि योजना आयोग ने इस प्रश्न पर सहानुभूतिपूर्वक ध्यान दिया है। हमने योजना आयोग के समक्ष इन्दिरा गांधी नगर, मरु विकास और पीने के पानी को प्राथमिकता देने की पेशकश की थी। आयोग के उपाध्यक्ष और केन्द्रीय राज्य मन्त्रीजी ने भी इसे स्वीकार किया है। हम यह चाहते हैं कि वे मरु विकास के लिए वही नीति अपनायें जो कि योजना आयोग पर्वतीय क्षेत्रों के लिए अपना रहा है। हम आशा करते हैं कि पूर्ण योजना

(श्री हरिदेव जोशी)

ग्रायोग की ग्रोर नेशनल डवलपमेंट कौंसिल की बैठकों में इस पर चर्चा होगी। इस पृष्ठभूमि के साथ में ग्रापको सातवीं पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष 1985-86 की वार्षिक योजना से ग्रवगत करा रहा हूं।

16. योजना ग्रायोग द्वारा राज्य की वर्ष 1985-86 की योजना का ग्राकार 430 करोड़ रु. स्वीकृत किया गया है। इसका मुख्य-मुख्य मदों में विभाजन इस प्रकार है :—

	(करोड़ रु. में)
1. सिंचाई एवं विद्युत्	242 45
2. सामाजिक एवं सामुदायिक सेवायें	86 56
3. कृषि एवं सम्बद्ध सेवायें	53 00
4. परिवहन एवं संचार सेवायें	20.00
5. उद्योग एवं खनिज	18 50
6. सहकारिता	6.50
7. ग्रन्य	2.99
योग	430.00

17. योजना व्यय के वित्त पोषण के लिये 215.65 करोड़ रु की केन्द्रीय सहायता उपलब्ध होगी। शेष 214.35 करोड़ रु. की राशि राज्य सरकार के संसाधनों से उपलब्ध करनी होगी।

18. ग्राठवें वित्त ग्रायोग द्वारा पूंजीगत कार्यों के लिये दी गई सहायता (9.88 करोड़ रुपये) तथा सीमावर्ती एवं सामरिक महत्व की सड़कों पर होने वाला व्यय (5.80 करोड़ रुपये) भी योजना व्यय का ही ग्रंश है। इस वर्ष राहत कार्यों के लिये 26.57 करोड़ रुपये के योजना व्यय की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा दी गई है। इसके ग्रतिरिक्त 90 लाख रुपये का ग्रधिक योजना व्यय भी प्रस्तावित है। इन सभी को योजना व्यय में सम्मिलित करने पर वार्षिक योजना का ग्राकार 473.15 करोड़ रुपये होता है।

विद्युत् :

19. जैसा कि मैंने कहा है पिछले वर्ष राजस्थान की प्रगति में बिजली का ग्रभाव बहुत बड़ा कारण रहा है। माननीय सदस्य जानते हैं कि कोटा थर्मल, राणा प्रताप सागर ग्रौर जवाहर सागर के हाइडल प्रोजेक्ट को छोड़कर राजस्थान के ग्रपने विद्युत् उत्पादन के साधन नहीं हैं। हमें बिजली मध्य प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश ग्रादि से लानी होती है। परन्तु इन पर तथा ग्रटामिक पावर स्टेशन पर हमारा नियंत्रण नहीं है।

20. वर्ष 1985-86 में विद्युत विकास पर 123 करोड़ रु. का प्रावधान प्रस्तावित है जो कि योजना व्यय का 28 60 प्रतिशत है। कोटा ताप बिजली घ के द्वितीय चरण में 210 मेगावाट के दो यूनिट लगाने का कार्य प्रगति पर है। इस वर्ष इस कार्य के लिये 60 करोड़ रु का प्रावधान रखा गया है। द्वितीय चरण की पहली इकाई मार्च, 1987 में व दूसरी इकाई द्वारा दिसम्बर, 1987 में विद्युत् उत्पादन प्रारम्भ करने का लक्ष्य है। कोटा ताप बिजली घर को कुशलता से कार्य करने

(श्री हरिदेव जोशी)

के लिये पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। माही जल विद्युत् परियोजना में 25-25 मेगावाट की दो इकाइयों से आगामी 2-3 महीनों में विद्युत् उत्पादन प्रारम्भ हो जायेगा। इस परियोजना में द्वितीय विद्युत् गृह का कार्य दिसम्बर, 1988 तक पूरा हो जायेगा। इस वर्ष माही जल विद्युत् परियोजना पर 16 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है।

21. अनूपगढ़ लघु बिजली परियोजना के लिये 2 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है तथा परियोजना के प्रथम विद्युत्-गृह से अक्टूबर, 1986 व द्वितीय विद्युत् गृह से मार्च, 1987 तक विद्युत् उत्पादन का लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त योजना आयोग से मांगरोल, सूरतगढ़, चारणवाला; पूगल व जाखम पन बिजली परियोजनाओं के लिये तथा रामगढ़ (जिला जैसलमेर) में गैस आधारित तापीय विद्युत् गृह के लिये विनियोजन की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। इन परियोजनाओं के लिये भी इस वर्ष एक करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

22. ग्रामीण विद्युतीकरण पर 16 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है जिससे एक हजार ग्राम, एक हजार हरिजन बस्तियां तथा दस हजार कुओं का विद्युतीकरण किया जायेगा।

23. जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं अपने राज्य में बिजली के वितरण में अधिक क्षति होती है। इसके लिये हमें नई लाइन, सब-स्टेशन तथा विशेष यंत्र लगाना आवश्यक है। इस वर्ष ट्रान्समिशन तथा सब-ट्रान्समिशन कार्यों पर 25.29 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 220 के. वी. की 288 कि. मी. लाइन और 132 के. वी. की 126 कि. मी. लाइन बनाने का लक्ष्य है। प्रणाली में सुधार के लिए 19 ई.एच.वी. ग्रिड सब-स्टेशन पर 100 एम वी. ए. आर. क्षमता के केपेसीटर बैंक भी स्थापित किये जायेंगे।

सिंचाई :

24. राज्य में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार पर वर्ष 1985-86 में 125.34 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है। इन्दिरा गांधी नहर तथा माही परियोजना पर क्रमशः 50 करोड़ एवं 15 करोड़ रुपये, मध्यम सिंचाई योजनाओं पर लगभग 15 करोड़ रुपये तथा सिंचाई परियोजनाओं के आधुनिकीकरण पर 4.70 करोड़ रुपये का व्यय होगा। राज्य में इस वर्ष 77,000 हैक्टेयर अतिरिक्त भूमि में सिंचाई क्षमता सृजित होगी।

शिक्षा :

25. वर्ष 1985-86 में शिक्षा पर 32.50 करोड़ रुपये के योजना व्यय का प्रावधान प्रस्तावित है। शिक्षा के विकास एवं विस्तार के लिये हमें अभी बहुत कुछ करना है। इस दिशा में आगे बढ़ने के पूर्व यह श्रेयस्कर समझा गया है कि पहले वर्तमान ढांचे को अधिक सुदृढ़ कर दिया जाय।

26. राज्य के अध्यापकों की कमी दूर करने के उद्देश्य से 1985-86 में लगभग 6 हजार विभिन्न श्रेणी के अध्यापकों के

(श्री हरिदेव जोशी)

पद सृजित किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त आठवें वित्त आयोग की शिफारिश के आधार पर भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त होते ही 1800 तृतीय श्रेणी के अध्यापकों के पद और सृजित किये जायेंगे। कालेज शिक्षा के क्षेत्र में भी अध्यापकों का अभाव पाया जाता है। इस वर्ष लगभग 150 अतिरिक्त पद व्याख्याताओं के सृजित किये जायेंगे।

27. माननीय सदस्य प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवनों के निर्माण की आवश्यकता से अवगत हैं। इस कार्य में जन सहयोग की भी आवश्यकता होगी। मेरा यह प्रस्ताव है कि प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवन निर्माण के लिये जहां आवश्यक जन सहयोग उपलब्ध हो वहां राज्य सरकार की ओर से उतनी ही राशि विद्यालय भवन के निर्माण के लिये दी जाय। इस दृष्टि से विभिन्न स्रोतों से राज्य सरकार एक करोड़ रु. की राशि उपलब्ध करायेगी तथा एक करोड़ रु. की राशि जन सहयोग से एकत्रित की जायेगी। हमारा लक्ष्य है कि इस वर्ष 1300 विद्यालय भवनों का निर्माण किया जाय।

28 राज्य में प्रतिभावान छात्रों को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से प्रत्येक जिले में जनसंख्या के आधार पर छात्रों को पुरस्कृत करने का प्रस्ताव है। माध्यमिक परीक्षा में जिले में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र को 600 रुपये तथा उच्च माध्यमिक परीक्षा में अधिकतम अंक लाने वाले छात्र को 1000 रुपये का पुरस्कार दिया जायेगा। यह पुरस्कार विज्ञान, वाणिज्य एवं कला विषयों के लिये पृथक्-पृथक् दिया जायेगा। 5 लाख तक की जनसंख्या वाले जिले में प्रत्येक विषय में एक छात्र को, 5 से 10 लाख की जनसंख्या वाले जिले में 2 छात्रों को 10 से 20 लाख की जनसंख्या वाले जिलों में 3 छात्रों को तथा 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जिलों में 4 छात्रों को पुरस्कार दिया जायेगा। इस प्रकार 219 पुरस्कार माध्यमिक तथा इतने ही पुरस्कार उच्च माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों को उपलब्ध होंगे।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य :

29 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं पर 16.56 करोड़ रुपये के व्यय का प्रावधान है। वर्ष 1984-85 तक किये गये चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार कार्यक्रम को सुदृढ़ करने के लिये इस वर्ष 14.04 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त 30 शय्याओं वाले 3 चिकित्सालयों को 50 शय्याओं वाले चिकित्सालयों में क्रमोन्नत किया जायेगा। भिण्डर, फतेहपुर, राजगढ़, सागवाड़ा में एक्स-रे सुविधायें उपलब्ध कराई जायेंगी तथा मेड़तासिटी, श्री माधोपुर एवं आबू रोड में रोगी वाहन सेवायें उपलब्ध कराई जायेंगी। जयपुर में एक नये जनाना अस्पताल की स्थापना प्रस्तावित है। राज्य के सभी आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों एवं संबद्ध चिकित्सालयों में 1.23 करोड़ रुपये के नये उपकरण खरीदने का प्रस्ताव है। 10 "बी" श्रेणी आयुर्वेदिक चिकित्सालयों को "ए" श्रेणी में क्रमोन्नत किया जायेगा। इससे 50 अतिरिक्त शय्याओं की उपलब्धि होगी। आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर में रोग विज्ञान का एक नया विभाग भी खोलने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त कार्य चिकित्सा में

(श्री हरिदेव जोशी)

स्नातकोत्तर अध्ययन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जायेगी। उदयपुर में 50 शय्याओं वाले आयुर्वेदिक चिकित्सालय भवन के निर्माण का भी प्रस्ताव है।

कृषि :

30. वर्ष 1985-86 में कृषि एवं सम्बद्ध कार्यक्रमों पर 25.15 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। ऐसी आशा है कि कुल कृषि क्षेत्र में इस वर्ष लगभग 11 प्रतिशत वृद्धि होगी तथा खाद्यान्नों का उत्पादन लगभग 95.15 लाख टन होने का अनुमान है। विश्व बैंक की सहायता से कृषि प्रसार की एक बड़ी योजना क्रियान्वित की जा रही है। इसके दूसरे चरण में इन पांच वर्षों में इसके लिए 21.84 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। वर्ष 1985-86 में 3.95 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है। इस योजना का लक्ष्य अनुसंधान और और नई तकनीक के फल को किसान तक पहुंचाने का है। इस योजना के अन्तर्गत वर्तमान 17 जिलों के अतिरिक्त सीकर, झुंझुनूं, जालोर तथा सिरोही के पूरे जिले तथा जोधपुर व बाड़मेर के चयनित क्षेत्रों को भी लिया जायेगा।

31. माननीय सदस्यों को विदित है कि हमारे राज्य में कृषि मुख्यतया वर्षा पर आधारित है। कृषकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए रबी 1985–86 से फसल बीमा योजना राज्य में पहली बार प्रारम्भ किये जाने का प्रस्ताव है। प्राकृतिक विपदाओं से फसल नष्ट होने की स्थिति में ऋण मात्रा की क्षतिपूर्ति एक से दो प्रतिशत प्रीमियम राशि देने पर की जायेगी।

पशुपालन एवं डेयरी विकास :

32. हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था में पशुपालन एवं डेयरी विकास का महत्त्वपूर्ण स्थान है। वर्ष 1985–86 की वार्षिक योजना मे पशुपालन पर 3.69 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रस्ताव है। सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर द्वारा बीकानेर में एक शीर्ष केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव है।

33. इण्डियन डेयरी कारपोरेशन को अगले छः वर्ष के लिए आपरेशन फ्लड-2 की 68 करोड़ रुपये की परियोजना प्रस्तुत की गई है जिसको उन्होंने सिद्धान्ततः स्वीकृति दे दी है। इस योजना के अधीन चार नये दुग्ध संयंत्र और 14 अवशीतन केन्द्र बनेंगे। इसके अतिरिक्त 1800 दुग्ध सहकारी समितियां और बनेंगी और औसत दुग्ध संकलन 10 लाख लीटर प्रतिदिन हो जायेगा।

पर्यटन :

34. राजस्थान के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक केन्द्रों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए वर्ष 198 -86 में पर्यटन पर 1.50 करोड़ रुपये का योजना व्यय प्रस्तावित है। राज्य के विभिन्न पर्यटन स्थलों के विकास पर लगभग 30 लाख रुपये व्यय किये जायेंगे। जयपुर में एक पर्यटक स्वागत केन्द्र की स्थापना की जायेगी।

बीस सूत्री कार्यक्रम :

35. यह सुनिश्चित करने के लिये की विकास के फल कमजोर तबके के व्यक्तियों को यथेष्ट मात्रा में उपलब्ध हों, हम राजस्थान में बीस सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन में कमजोर तबके के लोगों को लाभ पहुंचाने वाले कार्यक्रमों को और अधिक गति से

(श्री हरिदेव जोशी)

क्रियान्वित करेंगे। वर्ष 1985-86 में इस कार्यक्रम पर लगभग 300 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रस्ताव है जो कि योजना व्यय का 70 प्रतिशत है। यह हमारे लिये गर्व की बात है कि राजस्थान का देश में इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में बहुत उच्च स्थान रहा है।

36. राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रगति का लाभ समाज के गरीब तबके तक पहुंचाने की दृष्टि से एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण है। 1985-86 में हम गुणात्मक लक्ष्य निर्धारित करने पर जोर देंगे। छठी पंचवर्षीय योजना में लाभान्वित परिवारों में से 1.17 लाख परिवारों को पात्रता के आधार पर गरीबी रेखा से उठाने के लिए आवश्यकतानुसार दूसरी आर्थिक किश्त दी जायेगी तथा 39,000 नये परिवारों को लाभान्वित किया जायेगा। इस प्रकार कुल 1.56 लाख परिवार लाभान्वित होंगे। इसमें अनुसूचित जाति व जन जाति के परिवारों का भौतिक लक्ष्य क्रमशः 35 और 20 प्रतिशत होगा। इस कार्यक्रम में लगभग 25 करोड़ रुपये वित्तीय संस्थाओं से साख सृजन के रूप में उपलब्ध होंगे।

जनजाति क्षेत्रीय विकास :

37. राज्य के जन जाति परिवारों के आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक विकास हेतु वर्ष 1985-86 में जन जाति क्षेत्रीय विकास योजना में लगभग 43 करोड़ रुपये राज्य योजना के अन्तर्गत तथा 5.9? करोड़ रुपये विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत व्यय होंगे। जन जाति उपयोजना क्षेत्र के बाहर बिखरी हुई जन जाति की जनसंख्या को लाभान्वित करने के लिए परिवर्तित क्षेत्रीय विकास उपागमन कार्यक्रम में लगभग 3 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रस्ताव है।

समाज कल्याण :

38. अनुसूचित जाति के परिवारों को योजना का लाभ पहुंचाने हेतु अनुसूचित जाति विशेष संघटक योजना के अन्तर्गत इस वित्तीय वर्ष में लगभग 61 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है तथा इससे लगभग 1.20 लाख परिवारों को लाभान्वित किये जाने की सम्भावना है। इस वर्ष लगभग 3.50 लाख छात्रों को प्रीमैट्रिक तथा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां दी जावेंगी।

39. अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए 11 तथा अनुसूचित जन जाति के छात्रों के लिये 6 नये छात्रावासों का निर्माण प्रस्तावित है। भंगी कष्ट मुक्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत 6 नये छात्रावास ऐसे बच्चों के लिये खोलने का प्रस्ताव है जिनके माता-पिता अस्वच्छ व्यवसायों में लगे हुए हैं।

मरुस्थल क्षेत्र विकास :

40. सन्तुलित क्षेत्रीय विकास की दृष्टि से राज्य में मरुस्थलीय क्षेत्र के विकास के लिए इस समय मरुस्थल विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम पर वर्ष 1985-86 में 12.96 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रस्ताव है। इस क्षेत्र के सन्तुलित विकास के लिये कमाण्ड एरिया विकास की योजना में इस बात पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि यहां की अर्थव्यवस्था को समुचित बल मिले और उनकी पेयजल, चरागाह तथा पशुपालन की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाये।

74/

(श्री हरिदेव जोशी)

सिंचित क्षेत्र विकास :

41. राजस्थान भूमि विकास निगम ने छठी योजना में 56.50 करोड़ रुपये के व्यय से 2.68 लाख हैक्टेयर में भूमि विकास कार्य (ओ एफ डी) किये। वर्ष 1984-85 में 10.82 करोड़ रुपये के व्यय से 58,000 हैक्टेयर में भूमि विकास कार्य किये गये तथा वर्ष 1985-86 में 59,000 हैक्टेयर क्षेत्र में कार्य करने का लक्ष्य है।

42. इन्दिरा गांधी नहर के पहले चरण में सिंचित क्षेत्र में भूमि विकास कार्यों के निर्माण में कई चकों में कोयले तथा सीमेंट की उपलब्धि नहीं होने से विलम्ब हो गया था। इस कारण लाभान्वित होने वाले किसानों पर बैंक ऋणों से चक्रवृद्धि ब्याज का दायित्व आ गया। जन प्रतिनिधियों से इस समस्या पर विचारविमर्श करने के पश्चात् मेरा यह प्रस्ताव है कि विलम्ब होने के कारण जो अधिक ब्याज का भार बनता है उसे काश्तकारों पर न लादा जावे और कतिपय शर्तों के साथ केवल साधारण ब्याज ही वसूल किया जाये। साथ ही 2 अक्टूबर, 1985 तक इस संबंध में वसूली के लिए कोई बल प्रयोग की कार्यवाही नही की जाये। इससे किसानो को लगभग 3.50 करोड़ रुपये तक की राहत उपलब्ध होगी।

सहकारिता :

43. वर्ष 1985-86 में सहकारी क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं पर 6.50 करोड़ रुपये योजना व्यय का प्रस्ताव है इस वर्ष जैसलमेर में एक नये केन्द्रीय सहकारी बैंक की स्थापना की जायेगी। गंगापुर सहकारी कताई मिल में इसवर्ष व्यावसायिक उत्पादन प्रारम्भ हो जायेगा। विश्व बैंक की सहायता से गोदाम निर्माण की एक और परियोजना ली जायेगी जिसमें सातवीं योजना के दौरान 1000 गोदामों का निर्माण किया जायेगा जिससे भण्डारण क्षमता में 77500 मैट्रिक टन की वृद्धि हो जायेगी।

44. वर्ष 1985-86 में 150 करोड़ रुपये के अल्पावधि, 15 करोड़ रुपये के मध्यम तथा 25 करोड़ रु. के दीर्घ अवधि के ऋण सहकारिता के अन्तर्गत वितरण करने का लक्ष्य है। माननीय सदस्यों को यह विदित है कि यदि ऋणों का समय पर भुगतान नहीं हो तो इस कार्यक्रम का और अधिक विस्तार करने में बाधा आती है। अतः मेरा सदन के सभी माननीय सदस्यों से ऋण की समय पर वसूली मे सहयोग देने का अनुरोध है।

रोजगार :

45. बेरोजगारी की समस्या को विशेष कर ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर हल करने का प्रयत्न किया जा रहा है। राज्य की वृहद् विकास परियोजनाओं में रोजगार के अवसर उपलब्ध होने के अतिरिक्त अन्य विशिष्ट योजनाओं के जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम के क्रियान्वयन से जहां रोजगार के साधन उपलब्ध कराये गये हैं वहा उत्पादक सामुदायिक सम्पत्तियों का निर्माण भी हुआ है। इन दोनो कार्यक्रमों पर वर्ष 1985-86 मे 19.31 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है जिससे 92.32 लाख मानव दिवस रोजीगार उपलब्ध होंगे। राज्य सरकार द्वारा भी शासन तथा पंचायती राज संस्थाओं के अधन

(श्री हरिदेव जोशी)

वर्ष 1985-86 में विभिन्न पदों पर लगभग 20,000 व्यक्तियों को सीधा रोजगार मिलेगा। स्वनियोजन योजना से भी लगभग 15,000 व्यक्ति लाभान्वित होंगे। खादी तथा ग्रामोद्योगों में भी 3.75 लाख व्यक्तियों को रोजगार दिलाने का लक्ष्य है। लघु एवं ग्रामीण औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन देकर लगभग 10,000 इकाइयां पंजीकृत करने का लक्ष्य है जिससे लगभग 4 लाख व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध होगा। हमें आशा है कि राज्य के औद्योगिक विकास की हमारी नीति से सातवीं योजना काल में रोजगार की विपुल सम्भावनायें सृजित होंगी जिससे बेरोजगारी की समस्या को हल करने में मदद मिलेगी।

पेय जल :

46. सम्पूर्ण राज्य में पेयजल की उपलब्धि को सुनिश्चित करना हमारा लक्ष्य है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वर्ष 1985-86 में पेयजल योजनाओं पर 76.75 करोड़ रु. का व्यय प्रस्तावित है। इसमें केन्द्र सरकार से ग्रामीण जल प्रदाय कार्यक्रम के लिये मिलने वाली राशि भी सम्मिलित है। शहरी जल प्रदाय योजनाओं पर 16.77 करोड़ रुपये तथा ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं पर 59.98 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है। ग्रामीण एवं नगरीय जल प्रदाय योजनाओं पर होने वाले व्यय में से लगभग 2 करोड़ रुपये अनुसूचित जाति तथा जनजाति के एवं आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लोगों को पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने पर व्यय किया जायेगा।

उद्योग :

47. राज्य के औद्योगिक विकास के लिए औद्योगिकरण को तीव्र गति देना आवश्यक है। पिछड़े जिलों में उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए हम सतत प्रयत्नशील हैं। राज्य सरकार के प्रयत्नों से चूरू व बाड़मेर जिलों को भारत सरकार द्वारा पिछड़े जिलों की "अ" श्रेणी में सम्मिलित कर लिये जाने से इन जिलों में उद्यमियों को 1 अप्रैल, 1985 से 25 प्रतिशत केन्द्रीय विनियोजन अनुदान की सुविधा उपलब्ध हो गई है।

48. राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा वर्ष 1985-86 में इन्टीग्रेटेड इन्लैण्ड कार्गो कम्पलेक्स, कुछ राज्यों की राजधानियों में एम्पोरिया एवं हस्त शिल्प बाहुल्य क्षेत्रों में हैण्डीक्राफ्ट एस्टेट की स्थापना का प्रस्ताव है। राजस्थान वित्त निगम द्वारा वर्ष 1985-86 में 65 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत करने का लक्ष्य है।

49. रीको द्वारा अब तक 160 औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जा चुकी है। वर्ष 1985-86 में रीको द्वारा 50 नये औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का लक्ष्य है। इस वर्ष इस कार्यक्रम पर 7 करोड़ रुपये व्यय होंगे। सिरोही जिले में जो 'नो इंडस्ट्री' जिला है, संयुक्त क्षेत्र में 26 करोड़ रुपये की लागत से उच्च तकनीक पर आधारित एक्स्ट्रा हाई टेन्शन इन्सुलेटर बनाने की एक महत्वपूर्ण परियोजना भी रीको द्वारा लगाई गई है। यह इसी वर्ष उत्पादन में आ जायगी।

खनिज :

50. राज्य में प्रचुर खनिज सम्पदा का दोहन हमारे प्रदेश के विकास के लिये आत

(श्री हरिदेव जोशी)

आवश्यक है। वर्ष 1985-86 में खनिजों की खोज एवं खनिज विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 4500 वर्ग किलोमीटर तक खोज का कार्यक्रम है। राक फास्फेट हेतु झामर कोटरा क्षेत्र में 1087 मीटर ड्रिलिंग कार्य किया जायगा। इन क्षेत्रों में राक फास्फेट के भण्डारण की मात्रा 744 लाख टन पहुंच गई है। कम ग्रेड के राक फास्फेट के बेनीफिशियेशन की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट एक विदेशी विशेषज्ञ कम्पनी से तैयार करा ली गई है और सातवीं योजना काल में इस पर निर्धारित बेनीफिशियेशन प्लांट, और फर्टिलाइजर इकाई के लिये संयुक्त क्षेत्र में एक कम्पनी बनाने का प्रस्ताव है।

राजकीय उपक्रम :

51. राजस्थान में विभिन्न निगमों, बोर्डों तथा कम्पनियों में राज्य सरकार द्वारा 31.3.1985 तक 818.54 करोड़ रुपये का विनियोजन किया जा चुका है। इस विनियोजन से राज्य के संसाधनों में अपेक्षित अंशदान नहीं हो रहा है। यह प्रयत्न होगा कि उनकी कार्य क्षमता में अपेक्षित सुधार करके उन्हें लाभ की स्थिति में लाया जाये जिससे कि वे राज्य के समाधनों में अपना उचित अंशदान कर सकें। राजकीय उपक्रमों में कुशलता लाने की दृष्टि से पुनर्गठित राजकीय उपक्रम ब्यूरो को इन संस्थाओं में हुए विनियोजन की मोनीटरिंग व मूल्यांकन का कार्य सौंपा गया है।

वन :

52 माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य की वन सम्पदा की सुरक्षा एवं वन क्षेत्रों का विकास एवं विस्तार हमारी नीति का एक प्रमुख अंग है। वर्ष 1985-86 में वनों के विकास के महत्वपूर्ण कार्यक्रम पर 6.85 करोड़ रुपये का योजना व्यय प्रस्तावित है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विश्व बैंक द्वारा स्वीकृत 39 करोड रुपये की एक परियोजना का कार्य इस वर्ष प्रारम्भ किया जा रहा है। इस योजना पर इस वर्ष 3.34 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रस्ताव है। इस वर्ष राज्य में 7.50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है जिससे कि पर्यावरण सुधार कार्यक्रम को गति मिल सके। सड़कों एवं रेल्वे लाइनों के दोनों ओर वृक्षारोपण कार्यक्रम को और अधिक गति दी जायेगी। वनों की सुरक्षा के लिए 3 नये उड़न दस्ते गठित किये जा रहे हैं तथा 10 सुरक्षा चौकियों की स्थापना करने का प्रस्ताव है।

53. वनों की रक्षा तथा उनके उचित विकास के लिए प्रधान मन्त्री जी ने एक राष्ट्रीय परिषद् की स्थापना की है जो कि नेशनल वेस्ट लैण्ड डवलपमेंट बोर्ड तथा नेशनल लैण्ड यूज एण्ड कन्जरवेशन बोर्ड के कार्यों पर निगाह रखेगी। उन्होंने राज्य स्तर पर भी ऐसी ही व्यवस्था करने का सुझाव दिया है। हम राज्य में उनके सुझाव क्रियान्वित करने के लिए राज्य स्तर पर ऐसी ही परिषद् का गठन करेंगे जिससे कि हम इस राष्ट्रीय महत्व के कार्य को अपना योगदान दे सकें।

आवास :

54. राज्य में नगरीय विकास के साथ आवास की समस्या कठिन होती जा रही है। इस वर्ष आवासन मण्डल द्वारा 12500 आवासों का निर्माण किये जाने का लक्ष्य है। इसमें आर्थिक दृष्टि से कमजोर

(श्री हरिदेव जोशी)

आय वर्ग के 7000 तथा अल्प आय वर्ग के 2000 आवास होंगे पर्यावरण सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित कच्ची बस्तियों के सुधार कार्यक्रम में वर्ष 1985–86 में एक लाख व्यक्तियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है।

अल्प बचत :

55. वर्ष 1984–85 में अल्प बचत से 136 करोड़ रुपये की शुद्ध राशि एकत्रित हुई। वर्ष 1985–86 में 145 करोड़ रुपये के शुद्ध धन संग्रहण का लक्ष्य है। भारत सरकार से हमें शुद्ध संग्रहीत राशि का दो तिहाई ऋण के रूप में प्राप्त होता है। इस वर्ष अब तक राज्य सरकार को अल्प बचत के पेटे 34.95 करोड़ रुपये प्राप्त हो चुके हैं तथा हमें आशा है कि वर्ष 1985-86 में 92.50 करोड़ रुपये अल्प बचत संग्रहण के पेटे भारत सरकार से उपलब्ध होंगे।

अष्टम वित्त आयोग :

56. आठवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 1985–89 के 4 वर्षों में प्रशासन स्तर के सुधार के लिए 48.20 करोड़ रुपये का अनुदान प्राप्त होगा, जिसमें राजस्व व्यय के लिए 18.47 करोड़ रुपये तथा पूंजीगत व्यय के लिए 29.73 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। इस वर्ष राजस्व व्यय के लिए 2.22 करोड़ रुपये की राशि तथा पूंजीगत व्यय के लिए 9.88 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त होने की सम्भावना है। इस व्यय से स्वीकृति अनुसार पुलिस के लिए आवास, न्यायालय भवन व नये न्यायालय स्थापित करने, कोष कार्यालयों तथा तहसीलों एवं उपतहसीलों में भवन निर्माण आदि का कार्य किया जायेगा।

सेवा निवृत्त कर्मचारियों को राहत :

57. 31 मार्च, 1979 से पूर्व के सेवा निवृत्त पेंशनर्स को उदारीकृत पेंशन फार्मूले का लाभ देने का प्रस्ताव है। इससे लगभग 45000 पेंशनर्स लाभान्वित होंगे तथा प्रति वर्ष 3.5 करोड़ रुपये का अतिरिक्त दायित्व होगा। इस वर्ष इसके लिए 12.50 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

58. सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों के उपदान के भुगतान में प्रशासनिक चूक या निष्क्रियता के कारण होने वाले विलम्ब को कम करने की दृष्टि से तीन माह से अधिक देरी होने पर 5 प्रतिशत सालाना की दर से ब्याज देने का निश्चय किया गया है। इसके लिए सम्बन्धित अधिकारी की जिम्मेदारी भी तय की जावेगी।

वर्ष 1984–85 की वास्तविक स्थिति :

59. मार्च, 1985 में लेखानुदान के प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय मैंने अपने वक्तव्य में वर्ष 1984 85 के अन्त में 106.56 करोड़ रुपये का घाटा अनुमानित किया था। इस घाटे को पूर्ति करने के लिए मैंने भारत सरकार से 87.00 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता उपलब्ध होने की सम्भावना भी व्यक्त की थी तथा शुद्ध घाटा 17.90 करोड़ रु का अनुमानित था. भारत सरकार से 87 करोड़ रुपये के पेटे हमें 52.18 करोड़ रुपये की सहायता उपलब्ध हुई। चूंकि भारत सरकार से अपेक्षित सहायता में कमी रही अतः वित्तीय वर्ष के अन्तिम माह में खरीद पर रोक लगादी गई तथा विभागों द्वारा किये जाने वाले व्यय पर अंकुश लगाया गया। इन सब प्रयत्नों का परिणाम यह

(श्री हरिदेव जोशी)

रहा कि वर्ष 1984-85 के अन्त में रिजर्व बैंक से प्राप्त सूचना के आधार पर कुल घाटा 12.31 करोड़ रुपये का रहा जो कि निर्धारित मार्गोपाय सीमा में है।

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 1985-86 :

60. वर्ष 1985-86 में परिवर्तित अनुमानों के अनुसार 1423.95 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्तियां तथा 1510.38 करोड़ रुपये का राजस्व व्यय प्रस्तावित है। अतः राजस्व खाते में 86.42 करोड़ रुपये का घाटा रहेगा। पूंजी खाते में लोक लेखे सहित 2.97 करोड़ रुपये की शुद्ध प्राप्तियां होंगी। अतः वर्ष 1985-86 का घाटा 83.45 करोड़ रुपये अनुमानित है। वर्ष 1984-85 के अन्त में रहे घाटे को जोड़ने पर वर्ष 1985-86 के अन्त में समग्र घाटा 95.76 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।

61. अध्यक्ष महोदय, प्रायः इस सदन में तथा इसके बाहर राज्य के सम्पूर्ण व्यय में अनुत्पादक व्यय को कम करने एवं राजकीय विभागों में कुशलता के स्तर को सुधारने की चर्चा होती रहती है। इस दृष्टि से राज्य सरकार समस्त व्यय की समीक्षा करेगी। मेरा यह अनुमान है कि हम इस प्रकार के व्यय में कम से कम 20 करोड़ रुपये की कमी करेंगे। राज्य कर्मचारियों की कुशलता में वृद्धि करने के लिए अनेक प्रशासनिक सुधार विचाराधीन है तथा हम उन पर शीघ्र निर्णय लेंगे। मैं इस विषय पर माननीय सदस्यों के सुझावों का भी स्वागत करूंगा।

62. व्यय में उपरोक्त कमी से कुल घाटा 75.76 करोड़ रुपये रह जायेगा। राज्य में विकास की धारा का प्रवाह अनवरत बना रहे इसके लिए संसाधनों को जुटाने की आवश्यकता निर्विवाद है। अतः इस घाटे की पूर्ति के लिये मैं निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :

नये उपाय :

63. आवश्यक वित्तीय संसाधन जुटाने हेतु हमने कई नये कदम उठाने पर विचार किया है, विशेष कर कुछ ऐसे मदों में जो अन्य राज्यों में तो कारगर साबित हो चुके हैं किन्तु हमारे यहां अभी तक इन्हें परखा नहीं गया है। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, राजस्थान एक खनिज-विपुल राज्य है, किन्तु हमारी खनिज सम्पदा के दोहन से हमें मिलने वाली राजस्व आय अब तक प्रमुख तथा गौण खनिजों (मेजर तथा माइनर मिनरल) पर लागू अधिशुल्क (रायल्टी) तक ही सीमित रही है। मेजर मिनरल पर रायल्टी केन्द्रीय सरकार द्वारा तय की जाती है। इसलिए गैर-शहरी इलाकों में कृषि भूमि तथा आबादी भूमि, सरकारी भूमि तथा स्थानीय निकायों और शैक्षणिक संस्थाओं की भूमि को छोड़कर बाकी भूमि पर कर लगाने के लिए अधिनियम बनाना प्रस्तावित है। इस अधिनियम के अन्तर्गत मुख्य रूप से खनिज, जंगलात, उद्योग, फलोद्यान तथा वाणिज्यिक कार्यों के लिए उपयोग में ली जा रही भूमि के वार्षिक मूल्यन (एनुअल वेल्यू) अथवा कुल कीमत के आधार पर कर लगाया जाने का प्रस्ताव है। प्रारम्भ के इस अधिनियम के अन्तर्गत केवल खदानों के नीचे आने वाली भूमि के वार्षिक मूल्यन (एनुअल वेल्यू) की 25 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाना प्रस्तावित है। वार्षिक मूल्यन (एनुअल वेल्यू) रायल्टी का आधा अथवा वार्षिक डेड-रेन्ट के बराबर जो भी अधिक हो, के बराबर

(श्री हरिदेव जोशी)

माना जायेगा। इससे वर्ष 1985-86 में 7 00 करोड़ रुपये की आमदनी का अनुमान है। छोटे खदानों को अधिनियम के अन्तर्गत बनाये जाने वाले नियमों में छूट देने का प्रावधान करने का प्रस्ताव है।

64 जैसा कि मैंने पूर्व में निवेदन किया है, राज्य सरकार के निगम तथा उपक्रम यथा संभव घाटे में नहीं चलने चाहिये। वास्तव में जनाकांक्षा तो यह है कि उनमें किये गये विशाल विनियोजन पर कुछ लाभ हो। हमारा राज्य विद्युत मण्डल काफी बड़े घाटे की स्थिति से बचने में मुख्य रू० से इसलिए असमर्थ रहा है कि विद्युत की बिक्री से होने वाली प्राप्तियां मण्डल के विभिन्न खर्च के लिए पर्याप्त नहीं हैं। दूसरी ओर मण्डलों के परियोजना तथा अन्य व्यय में वृद्धि होती रही है। यह स्थिति इतनी लम्बी अवधि से निरन्तर चली आ रही है कि मण्डल अब अपने दायित्व पूरा करने में अक्षम हो गया है। वित्तीय वर्ष 1985-86 में राज्य विद्युत मण्डल को लगभग 125 करोड़ रुपये का वाणिज्यिक घाटा होने का अनुमान है। मण्डल के राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि के बगैर मण्डल के क्रिया कलाप की कार्य कुशलता तथा उसके महत्वपूर्ण बिजली उत्पादन इकाइयों के लिए पर्याप्त संसाधन सुनिश्चित करना कठिन होगा। अतः अगस्त, 1985 के बिलिंग माह के विद्युत दरों में निम्न वृद्धि प्रस्तावित है :—

क्रम सं.	श्रेणी	प्रस्तावित राशि (प्रति यूनिट/। पैसों में)
1.	उद्योग—	
	(क) वृहद् उद्योग (एच. टी उपभोक्ता)	24
	(ख) मध्यम उद्योग	32
	(ग) लघु उद्योग	31
2.	थोक आपूर्ति (बल्क सप्लाई जैसे रेलवे, प्रतिरक्षा संस्थान आदि)	34
3.	गैर घरेलू (वाणिज्यिक) आपूर्ति	30
4.	सार्वजनिक सड़क लाइटिंग आपूर्ति (पब्लिक स्ट्रीट लाइटिंग)	20
5.	घरेलू आपूर्ति—	
	(क) प्रकाश एवं पंखे	15
	(ख) पॉवर	25
6.	कृषि—	
	(क) मोटर से आपूर्ति	9

(श्री हरिदेव जोशी)

	(प्रति होर्स पावर/ प्रति माह रुपयों में)
(ख) फ्लैट रेट आपूर्ति	
(i) तीन होर्स पावर तक के कनेक्शन	9.00
(ii) तीन से पांच होर्स पावर	10.00
(iii) पांच से साढ़े सात होर्स पावर	11.00
(iv) साढ़े सात से दस होर्स पावर	11 00

65. प्रस्तावित दर-वृद्धि से वित्तीय वर्ष 1985-86 के शेष भाग में 64 करोड़ रुपये तथा एक पूरे वित्तीय वर्ष में 96 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राजस्व आय अनुमानित की गई है। वित्तीय वर्ष 1985-86 में होने वाली अतिरिक्त आय का आधा हिस्सा अर्थात् 32 करोड़ रुपये विद्युत् मण्डल अपने योजना व्यय हेतु अंशदान देगा तथा शेष 32 करोड़ रुपये अपने राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए काम में लायेगा। इससे राज्य सरकार के 1985-86 के बजट के घाटे में 32 करोड़ रुपये की कमी होगी।

बिक्री कर :

66. बिक्री कर हमेशा से राज्य के कर राजस्व का एक प्रमुख स्त्रोत रहा है। राज्य सरकार द्वारा गठित सरकारी तथा गैर सरकारी सदस्यों वाली समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए बिक्री कर की दरों का विवेकीकरण अगस्त, 1984 में किया गया था तथा कई वस्तुओं पर कर की दर में कमी की गई थी। अब मैं 75,000 रुपये से अधिक का सालाना कारोबार (टर्न ओवर) करने वाले समस्त व्यापारियों के लिए निर्धारित सालाना कर राशि पर 10 प्रतिशत अधिभार (सरचार्ज) लागू करने का प्रावधान करने का प्रस्ताव रखता हूं केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत घोषित महत्वपूर्ण वस्तुओं पर अधिभार (सरचार्ज) का प्रावधान लागू नहीं होगा। इस सरचार्ज के लागू करने से पूरे वित्तीय वर्ष में 21 करोड़ रु. की अतिरिक्त राजस्व आय होने का अनुमान है तथा इस वित्तीय वर्ष में 14 करोड़ रु. की प्राप्तियां होंगी। इस सरचार्ज को लागू करने के लिये बिक्री कर संशोधन विधेयक पृथक् से प्रस्तुत कर रहा हूं।

67. संसाधनों की कमी के बावजूद मैं यह महसूस करता हूं कि आम उपयोग की कुछ वस्तुओं पर कर-भार कम करके जन-साधारण को कुछ राहत दिया जाना उपयुक्त होगा। साइकिल अभी भी आम आदमी का आवश्यक वाहन है। वर्तमान में साइकिल, साइकिल के खुले कल-पुर्जे तथा साइकिल टायर पर 8 प्रतिशत बिक्री कर लागू है। मैं इसे कम करके 4 प्रतिशत

(श्री हरिदेव जोशी)

निर्धारित करता हूं । इस छूट का लाभ साइकिल-रिक्शा को भी प्राप्त होगा।

68. प्लास्टिक तथा कांच की चूड़ियां महिला का सबसे लोकप्रिय तथा कम कीमत वाला आभूषण है, जिस पर वर्तमान में 4 प्रतिशत बिक्री कर लागू है। अतः मैं कांच तथा प्लास्टिक की चूड़ियों पर बिक्री-कर समाप्त करने का प्रस्ताव रखता हूं।

69. कोयला तथा कोक (चारकोल के अतिरिक्त) अन्य प्रकार के ईंधन जैसे चारकोल, लकड़ी आदि का विकल्प है तथा इनका अधिक उपयोग चारकोल एवं लकड़ी जैसे ईंधनों की खपत कम करने में सहायक होगा, जिससे हमारी वन सम्पदा को संरक्षण मिलेगा। अतः कोयला तथा कोक (चारकोल के अतिरिक्त) पर लागू 4 प्रतिशत बिक्री-कर समाप्त करना प्रस्तावित है।

70. उपरोक्त छूटों से राज्य सरकार को कर राजस्व में 1 करोड़ 12 लाख का वार्षिक घाटा अनुमानित है। अतः शुद्ध प्राप्तियां इस वर्ष 51.88 करोड़ रुपये होंगी। इस राशि को 75.76 करोड़ रुपये के घाटे में से कम करने के पश्चात् वर्ष के अन्त में समग्र घाटा 23.88 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। इस घाटे को फिलहाल में अपूरित ही छोड़ने का प्रस्ताव करता हूं।

71. जैसा कि मैं पूर्व में निवेदन कर चुका हूं हमारा उद्देश्य विकास की गति को मन्द नहीं होने देना है। अतः इस बजट के द्वारा हमने यह प्रयत्न किया है कि जो कार्य छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त में प्रारम्भ किये गये थे, उन्हें कन्सोलीडेट किया जाय तथा राजस्थान जो इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से पिछड़ा हुआ है वह आगे बढ़ सके। इन प्रयत्नों में आप सब माननीय सदस्यों के सहयोग और समर्थन की अपेक्षा करता हूं। मुझे विश्वास है कि सदैव की तरह वह प्राप्त होता रहेगा।

72. माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ राजस्थान के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए मैं इस वर्ष 1985-86 का परिवर्तित बजट सदन के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ कर प्रस्तुत रहा हूं।

जय हिन्द।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : कोटा के मेडिकल कालेज का क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

विधायी कार्य

विधेयक का पुरः स्थापन
राजस्थान भूमि कर विधेयक, 1985

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान भूमि कर विधेयक, 1985 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान भूमि कर विधेयक, 1985 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

विधेयक पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय,

(श्री हरिदेव जोशी)

मैं राजस्थान भूमि कर विधेयक, 1985 को पुरःस्थापित करता हूं।

राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 1985

अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 1985 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 1985 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 1985 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही कल प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

(तद्नन्तर सदन की बैठक मध्यान्ह पश्चात् 3.48 बजे, बुधवार, दिनांक 3 जुलाई, 1985 के म. पू. 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

———

परिशिष्ट-1

तारांकित प्रश्न संख्या 1 की सूचना

क्र. सं.	पद	रिक्त स्थान (अनु. जन जाति)			कुल रिक्त पद
		उदयपुर	बांसवाड़ा	डूंगरपुर	
1.	अधिकारी	–	–	–	–
2.	मंत्रालयिक	1	3	4	8
3.	अधीनस्थ	2	1	–	3
4.	तकनीकि	–	–	–	–
5.	चालक	17	11	7	35
6.	परिचालक	23	14	4	41
7.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	3	1	2	6
	योग :-	46	30	17	93

परिशिष्ट-2

तारांकित प्रश्न संख्या 6 की अधिसूचना व विवरण

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं सम्बन्धी विज्ञप्तियां आदि।

स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर

अधिसूचनाएं

जयपुर, मई 1, 1985

संख्या एफ 1 (4) एल एस जी/747/670 :—राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 (अधिनियम संख्या 38, सन् 1959) की धारा 6 की उप-धारा (1) के अनुसरण में नगर परिषद् सीकर की सीमा विस्तार हेतु उद्घोषणा क्रमांक एफ 1 (4) एल एस जी/74/2500 दिनांक 14.9.81 के द्वारा जारी की गई थी जिसका प्रकाशन राजस्थान राज-पत्र के भाग 6 (क) के असाधारण अंक दिनांक 24.9.81 में प्रकाशित हुआ था। इस प्रकार उपरोक्त धारा के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में जो आपत्तियां प्राप्त हुई सभी अमान्य पाई गई।

अतः राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1959 की धारा 4 की उप-धारा 2 (बी) (सी) व (डी) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा नगर परिषद् सीकर की सीमा को निम्न प्रकार से विस्तार करती है :—

उत्तरी लाइन :—सीकर सालासर मार्ग पर 3/100 किलोमीटर से नानी व सबलपुरा की सीमा के सहारे-सहारे पूर्व व उत्तर की ओर नेशनल हाइवे नं. 11 सीकर फतेहपुर मार्ग को 5/100 किलोमीटर स्टोन पर क्रोस कर श्री डालसिंह पी. टी. आई. के मकान को दाहिने शामिल करते हुये सबलपुरा गांव की उत्तरी सीमा के सहारे-सहारे पूर्व ओर सीकर फतेहपुर (सीकर बीकानेर) रेल्वे लाइन पर आकर दक्षिण की ओर रेल्वे लाइन के सहारे गांव जगमालपुरा की सीमा तक। रेल्वे लाइन पर गांव जगमालपुरा की सीमा के सहारे सहारे पूर्व की ओर सीकर झुंझुनूं रेल्वे लाइन को क्रास करते हुये जगमालपुरा की दक्षिणी सीमा के सहारे-सहारे गांव श्योसिंहपुरा की सीमा तक। गांव श्योसिंहपुरा की पश्चिमी सीमा के सहारे-सहारे सीकर-नवलगढ़ मार्ग पर 2/250 किलो स्टोन का समस्त भाग।

पूर्वी लाइन :—सीकर नवलगढ़ मार्ग पर 2/250 किलो स्टोन से गांव श्योसिंहपुरा की दक्षिणी सीमा के सहारे पूर्व की ओर गांव कुण्डली की उत्तरी पश्चिमी सीमा

पर आकर दक्षिण की ओर गांव समरथपुरा तथा गांव कुण्डली की विभाजित रेखा के सहारे-सहारे दक्षिण की ओर सीकर उदयपुर मार्ग पर 2/200 किलो स्टोन तक। सीकर उदयपुर मार्ग के 2/200 स्टोन से दक्षिण की ओर गांव समरथपुरा व गांव राधाकिशनपुरा के उत्तरी जंक्शन तक उत्तरी जंक्शन से दक्षिण की ओर ढाणी मालियान व भोलजी रसोईया की ढाणी को दाहिने अन्दर लेते हुये रेल्वे लाइन पर रेल्वे पुलिया तक रेल्वे पुलिया से पूर्व की ओर दासा की ढाणी को बायें छोड़ते हुये दासा की ढाणी की सीमा के सहारे दूला की सीमा तक। दूला की ढाणी व दासा की ढाणी के सीमा जंक्शन से दक्षिण की ओर दूला की ढाणी की पश्चिमी सीमा के सहारे-सहारे रेल्वे लाइन को क्रास कर देवीपुरा की पूर्वी सीमा के सहारे-सहारे सीकर जयपुर मार्ग पर 5/250 किलो स्टोन तक का समस्त भाग।

दक्षिणी लाइन :—सीकर जयपुर मार्ग पर 5/250 किलो स्टोन से श्री हरिशचन्द्र चौधरी के नोहरे व धर्मशाला को दाहिने अन्दर लेते हुये दक्षिण की ओर देवीपुरा की दक्षिणी सीमा के सहारे-सहारे गांव गोकलपुरा को छोड़ते हुये पश्चिम की ओर ढाणी सालमसिंह की सीमा तक। ढाणी सालमसिंह की सीमा से सीमा के सहारे-सहारे दक्षिण पश्चिम की ओर ढाणी की सीमा के सहारे-सहारे सीकर हर्ष मार्ग पर 4/200 किलो स्टोन तक समस्त भाग।

पश्चिमी लाइन :—सीकर हर्ष मार्ग पर 4/200 किलो स्टोन से उत्तर पश्चिम की ओर नीमड़ी का बालाजी तक। सीधी रेखा नीमड़ी का बालाजी से उत्तर पश्चिम की ओर वर्तमान सीमा के सहारे-सहारे सीकर पैत लोसल रोड पर श्री पोखल खाती की प्याऊ तक। श्री पोखल खाती की प्याऊ से उत्तर की ओर श्री गोपाल पुरोहित की कोठी व गेगली मालन की कोठी को दाहिने अन्दर लेते हुये गांव ढाणी की पूर्वी सीमा के सहारे उत्तर की ओर सीकर सालासर मार्ग पर 3/100 किलो स्टोन तक का समस्त भाग।

जयपुर, मई 1, 1985

संख्या एफ 1 (37) एल एस जी/75/1682—राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 1959 (अधिनियम संख्या 38 सन् 1959) की धारा 6 की उप-धारा (1) के अनुसरण में नगर पालिका पिण्डवाड़ा की सीमा वृद्धि करने के सम्बन्ध में जन आपत्तियां आमन्त्रित करने हेतु इस विभाग की उदघोषणा क्रमांक एफ 1 (37) एल एस जी /75/3049-55 दिनांक 17.10.83 को निर्गमित की गई थी, उसे राजस्थान राज-पत्र में असाधारण अंक के भाग 6 (क) में दिनांक 25.4.84 को प्रकाशित हुई थी। इस प्रकार उपरोक्त धारा के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

(86)

सम्मिलित किए गए गांवों व ढाणियों के नाम व

जनसंख्या का विवरण

		कुल
1.	नानी (चन्दपुरा पंचायत) आंशिक भाग	610
2.	सबलपुरा (सबलपुरा पंचायत) आंशिक भाग	70
3.	शिवसिंहपुरा (कुडली पंचायत) आंशिक भाग	22
4.	राधाकिशनपुरा (चैनपुरा पंचायत) आंशिक भाग	463
5.	समरथपुरा (कुडली पंचायत) आंशिक भाग	500
6.	देवीपुरा (गोकुलपुरा पंचायत) पूर्ण भाग	780
7.	सालम सिंह की ढाणी (चन्दपुरा पंचायत) आंशिक भाग	375
		2973

(87)

परिशिष्ट–3

तारांकित प्रश्न संख्या 7 का विवरण

परिशिष्ट 'क"

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकार को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत योजनाओं का विवरण

क्रमांक	नाम कार्य	अनुमानित लागत
1.	सड़कें तथा सम्पर्क सड़कें (पी. डब्ल्यू. डी. द्वारा)	972.125 लाख रुपये
2.	भू-सरक्षण कार्य (खडीन, एनीकट आदि)	257.880 लाख रुपये
3.	सामाजिक वानिकी कार्य (वन विभाग द्वारा)	562.000 लाख रुपये
4.	लघु सिचाई कार्य (डी. आर. डी. ए. द्वारा)	189.620 लाख रुपये
5.	सिचाई कार्य (सिचाई विभाग द्वारा)	242.382 लाख रुपये
	योग –	2224.007 लाख रुपये

परिशिष्ट–4

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

सांचौर तहसील के विद्यालयों में रिक्त पदों की पूर्ति

8. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचौर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे.–

(1) क्या यह सत्य है कि सांचोर उच्च माध्यमिक, झाब उच्च माध्यमिक, हाड़ेचा माध्यमिक, सांकड़ चीतलवाना एवं पुर माध्यमिक पाठशालाओं में अध्यापक एवं अन्य स्टाफ समुचित मात्रा में नहीं है ? यदि हां, तो उक्त पाठशालाओं में कहां-कहां पर कितने-कितने शिक्षकों एवं अन्य स्टाफ की कमी है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पाठशालाओं में स्टाफ की कमी कब तक पूरी कर दी जायेगी ?

(3) क्या यह सत्य है कि तहसील सांचोर में उच्च प्राथमिक पाठशालाओं (ब्वायज) एवं कन्या पाठशालाओं दोनों में स्टाफ की बड़ी भारी कमी है ? यदि हां, तो क्यों ? तहसील की सब पाठशालाओं में किस-किस में कितने स्टाफ की कमी है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें। उक्त पाठ-शालाओं में स्टाफ की कमी कब तक पूरी किये जाने की संभावना है ?

(4) क्या यह भी सत्य है कि उक्त पाठशालाओं में भवनों का भी अभाव है ? यदि हां, तो भवनों का अभाव कब तक दूर कर दिया जायेगा ?

(5) तहसील सांचोर की उच्च प्राथ-मिक पाठशालाओं (कन्या) में विशेष तौर पर स्टाफ एव भवनों की कमी राज्य सरकार किस प्रकार दूर करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां, इन विद्यालयों में कुल 28 पद रिक्त हैं। सूची सलग्न है।

(2) सभी रिक्त पदों को शीघ्र भरने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(3) जी नहीं, छात्र उच्च प्राथमिक विद्यालय में केवल तीन प्रधानाध्यापकों की कमी है। छात्रा विद्यालयों में 13 अध्या-पिकाओं की कमी है। क्योंकि महिला अध्यापिकाएं दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में जाने हेतु उपलब्ध नहीं होती है। छात्रा विद्यालयों में जिन अध्यापिकाओं का पदस्थापन किया जाता है वहां पर कार्यभार नहीं संभालती है। अध्यापकों की कमी को शीघ्र दूर करने के प्रयास किये जा रहे हैं। (सूची सलग्न)

(4) जी हां, भवनों का अभाव जन-सहयोग द्वारा पूरा करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(5) स्टाफ की कमी नवीन नियुक्तियां एवं स्थानान्तरण द्वारा दूर की जायेगी। भवनों की कमी को दूर करने के लिये जन सहयोग प्राप्त करने के प्रयास किये जायेंगे।

विद्यालयवार कमी का विवरण (बिन्दु संख्या 1 का विवरण)

(1)	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सांचोर	5
(2)	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, झाब	7
(3)	राजकीय माध्यमिक विद्यालय, सांकड़	3
(4)	राजकीय माध्यमिक विद्यालय, चितलवाना	4
(5)	राजकीय माध्यमिक विद्यालय, कोड़का	5
(6)	राजकीय माध्यमिक विद्यालय, पुर	4
	योग	28

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कमी का विवरण (बिन्दु संख्या 3 का विवरण)

(1)	उच्च प्राथमिक विद्यालय, खारा	1
(2)	उच्च प्राथमिक विद्यालय, डूंढवा	1
(3)	उच्च प्राथमिक विद्यालय, नैनोलचीमड़ा	1
		3

(1)	बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, खिरोड़ी	5
(2)	बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, हाड़ेतर	3
(3)	बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, सांचोर	5
		13

डिस्पेन्सरी एवं एड पोस्ट खोलने के मापदण्डों में संशोधन

9. **श्री हेमाराम चौधरी** (गुड़ा मालानी) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या राज्य सरकार वर्ष 1985-86 में 4000 से अधिक की आबादी के ग्रामों में डिस्पेन्सरी खोलने एवं 3000 से अधिक आबादी के ग्रामों में एड पोस्ट खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी नहीं।

वित्तीय वर्ष 1985-86 में कोई डिस्पेन्सरी तथा एड पोस्ट खोले जाने का प्रावधान योजना मद में नहीं है।

घाटोल तहसील के आंगनबाड़ी केन्द्र

श्री नवनीत लाल (घाटोल) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा में कहां-कहां आंगनबाड़ी केन्द्र स्थापित हैं ?

(2) क्या आंगनबाड़ी कार्यक्रम में प्रशिक्षित महिलाओं को सिलाई मशीनें वितरित की जाती हैं ? यदि हां, तो किस-किस आंगनबाड़ी केन्द्र पर किस-किस महिला को कौन-कौन सी मशीन किस-किस तारीख को वितरित की गई ? कृपया विगत 5 वर्षों का विवरण नाम सहित सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) सूची सदन के पटल पर रखदी गई है। (परिशिष्ट "अ")

(2) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

परिशिष्ट "अ"

परिक्षेत्र-घाटोल-ए

क्र. सं. 1	आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम 2	आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का नाम 3	अन्य विवरण 4
1.	मूखिया	श्रीमती सुशीला देवी जैन	
2.	देलवाड़ा रावणा	,, गेंद कुंवर राजपूत	
3.	देलवाडा लोकिया	,, पुखराज व्यास	
4.	हिंगोरियाडा	,, फूलवन्ती देवी आदिवासी	
5.	ओडवाल	,, पुष्पादेवी जैन	
6.	रुंजिया	,, राधादेवी आदिवासी	
7.	हिम्मतसिंह कांगडा	,, शारदा देवी वैष्णव	

(91)

1	2	3	4
8.	कुंडली	श्रीमती उषा देवी वैष्णव	
9.	कोमजी का गडा	,, यशवन्ता देवी जोशी	
10.	छोटी पडाल	,, काला देवी आदिवासी	
11.	हरिजन बस्ती (घाटोल)	,, दुर्गादेवी वैष्णव	
12.	कुम्हारवाडा (घाटोल)	,, गुणमाला जैन	
13.	घाटीपाडा	,, पुष्पा देवी वैष्णव	
14.	लखेरिया	,, गुणमाला जोदावत	
15.	घनेलापाडा	सुश्री अन्तरकुमारी आदिवासी	
16.	भरकनिया	श्रीमती लक्ष्मी देवी आदिवासी	
17.	घोलियादाड़	सुश्री जनता कुमारी	

परिक्षेत्र-घाटोल-बी

क. सं. 1	आंगनवाड़ी केन्द्र का नाम 2	आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का नाम 3	अन्य विवरण 4
1.	हरो	श्रीमती सरस्वती देवी भावसार	
2.	जोदलापाडा	,, राधादेवी वैष्णव	
3.	करमचिया	,, जीवनदेवी बुनकर	
4.	बार्मसियर	,, गिरजाकुंवर राजपूत	
5.	बडीपडाल	,, कैलाशदेवी जैन	
6.	चौकडी	,, कांतादेवी बुनकर	
7.	मकनपुरा	,, अमृतदेवी आदिवासी	
8.	सेमलपारडा	,, रूकमणीदेवी आदिवासी	
9.	बडीमान्दली	,, अमृतदेवी आदिवासी	
10.	गणेशपुरा	,, दरियावदेवी आदिवासी	
11.	बोलया	,, कान्तादेवी जैन	
12.	सवनिया	,, पार्वती देवी राजपूत	
13.	खडियों का पाडा	,, निर्मलादेवी पाठक	
14.	नवाटापरा	सुश्री सज्जनकुमारी कलाल	
15.	पादराटोपियों की डूंगरी	श्रीमती कान्तादेवी पाटक	
16.	रूपारेल टांडा	,, फूलकुंवर राजपूत	
17.	हादडी	,, चमेलीदेवी जैन	

(९२)

परिक्षेत्र-खमेरा

क्र. सं.	आंगनबाडी केन्द्र का नाम	आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता का नाम	अन्य विवरण
1.	खमेरा	श्रीमती सुगन देवी जैन	
2.	उदाजी का गड़ा	,, दुर्गा देवी जैन	
3.	नाथू खेड़ी	,, कनकमला जैन	
4.	बालोता का खेड़ा	,, सुशीला देवी आदिवासी	
5.	खेरवा	,, मन्द कुंवर राजपूत	
6.	बरोड़ा	,, कैलाश कुंवर राजपूत	
7.	महापुरा	,, रूप सागर राजपूत	
8.	मुडासेल	,, हकरी देवी आदिवासी	
9.	कमणी का खेड़ा	,, गंगादेवी आदिवासी	
10.	भगोरों का खेड़ा	,, शकुन्तला देवी जैन	
11.	रूपजी का खेड़ा	,, प्रेमलता देवी जैन	
12.	झांभोर	सुश्री भंमर कुवर राजपूत	
13.	रोहनिया कालियर	श्रीमती लक्ष्मीदेवी जैन	
14.	डागल	,, शीतल देवी बरागी	
15.	डुंगरिया	,, केलादेवी पाठक	
16.	बोरपीखाटा	,, छूरी देवी सेन	
17.	बड़ेता	,, आसुदेवी रावत	
18.	कोटामगरी	,, सरस्वती देवी आदिवासी	
19.	नेगडिया	,, मधुबाला सेन	
20.	आमलीला	सुश्री शारदा कुमारी	
21.	देवलिया आडा	सुश्री मंजुलता लबाना	
22.	देवलिया शक्तावत	श्रीमती रूकमणीदेवी वैष्णव	

परिक्षेत्र—देवदा

क्र.सं	आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम	आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का नाम	अन्य विवरण
1.	देवदा (प्रथम)	श्रीमती गीतादेवी राजपूत	
2.	देवदा (द्वितीय)	" सूरजदेवी जैन	
3.	कड़बा उमरी	" पदमादेवी राजपूत	
4.	छतरी पाड़ा	" इन्द्रकुंवर राजपूत	
5.	पडोली राठौड़	" निर्मला देवी मेहता	
6.	बनेतर राड़ा	" पुष्पलता देवी मेहता	
7.	मंगेला पाड़ा	" गोरी कुमारी	
8.	अन्तकालियर	" बाईराजकुंवर राजपूत	
9.	दौलतसिंह का गढा	" चन्द्रकुंवर राजपूत	
10.	बिजोर	" निर्मला देवी राजपूत	
11.	सेनाबासा	" सरस्वती देवी सुथार	
12.	बेतोर	" मीरा देवी आदिवासी	
13.	जेदला (प्रथम)	" रतन कुंवर राजपूत	
14.	जेदला (द्वतीय)	" कवरी देवी जैन	
15.	शंकरपुरा उदयपुरा	" कमला देवी आदिवासी	
16.	सोमपुरा	" प्रभादेवी गुप्ता	
17.	मूंगड़ा	" तारा देवी जैन	
18.	बाडगुन	" भगवतीदे वी कलाल	

(94)

परिक्षेत्र—चिरावलागडा

क्र.सं.	आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम	आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का नाम	अन्य विवरण
1	2	3	4
1.	चन्दुजीकागडा	श्रीमती इन्दर कुंवर राजपूत	
2.	नागदला	,, राजकुंवर राजपूत	
3.	मोरडी नीचली	,, लता देवी जोशी	
4.	टांटिया	,, कंचनदेवी सुनार	
5.	मुंगाना	,, सरस्वती देवी गर्ग	
6.	सिगपुरा	सुश्री दसरथ कुंवर राजपूत	
7.	नागनसेल	,, बसन्ती पाटीदार	
8.	नई आबादी	श्रीमती कमलेश कुंवर राजपूत	
9.	सवाका पाडा	,, कलावंती देवी गोस्वामी	
10.	वेलूपाडा	,, भगवती देवी गोस्वामी	
11.	फाटाआंबा	,, बदुदेवी आदिवासी	
12.	बुडा बस्सी	,, नर्बदा देवी आदिवासी	
13.	बस्सी	,, प्रेम कुंवर राजपूत	
14.	टामटिया (प्रथम)	सुश्री मेवा कुमारी कलाल	
15.	टामटिया (द्वितीय)	श्रीमती रमादेवी आदिवासी	
16.	चिरावलागडा	,, कनक कुंवर राजपूत	
17.	बन्देबपाडा	,, सूरज कुंवर राजपूत	

परिक्षेत्र—गनोडा

क्र.सं.	आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम	आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का नाम	अन्य विवरण
1	2	3	4
1.	गनोडा (प्रथम)	श्रीमती राजकुंवर राजपूत	
2.	गनोडा (द्वितीय)	श्रीमती अन्नपूर्णा देवी भट्ट	
3.	सज्जनसिंह कागडा	श्रीमती रतन प्रभा देवी व्यास	
4.	भुवासा	सुश्री प्रेमकुंवर राजपूत	
5.	घाणी भुवासा	श्रीमती हेमलता देवी आदिवासी	
6.	चिरोला	सुश्री ज्योति कुमारी पाटीदार	
7.	साठका टापरा	सुश्री आशा कुमारी पाटीदार	
8.	ढुकवाडा	श्रीमती नानी देवी आदिवासी	
9.	बोदला पाडा	श्रीमती नर्बदा देवी आदिवासी	
10.	बोरदा (प्रथम)	सुश्री कमला कुमारी आदिवासी	
11.	बोरदा (द्वितीय)	श्रीमती निर्मलादेवी पंचाल	
12.	भोयर	सुश्री इन्दिरा कुमारी आदिवासी	
13.	बामनपाडा (प्रथम)	सुश्री दरियाव कुमारी आदिवासी	
14.	बामनपाडा (द्वितीय)	श्रीमती केशरदेवी आदिवासी	
15.	दधोदपाडा	सुश्री अन्जना कुमारी आदिवासी	
16.	सितिथया	श्रीमती कमलादेवी आदिवासी	
17.	लाबापाडा	सुश्री विष्णुकुंवर राजपूत	

परिक्षेत्र—मोटागांव

क्र.सं.	आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम	आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का नाम	अन्य विवरण
1.	मोटागांव (प्रथम)	श्रीमती मन्जुलता देवी कोठारी	
2.	मोटागांव (द्वितीय)	,, शकुन्तला देवी पंड्या	
3.	मोटागांव (तृतीय)	,, परमेश्वरी देवी राजपूत	
4.	चेकला	,, लक्ष्मीदेवी सुनार	
5.	कसनपुरा	,, उषादेवी देवडा	
6.	नागवेला	,, पुष्पेन्द्रकुंवर राजपूत	
7.	कोलियार खडी	,, जसोदा देवी राजपूत	
8.	अमरसिंह कागडा	,, नन्दबाला जोशी	
9.	तखताजी का टांडा	,, कमलादेवी आदिवासी	
10.	करण	,, प्रेमलता देवी जोशी	
11.	भाकपडा	सुश्री उषा कुमारी जैन	
12.	कालीकापाडा	श्रीमती गीतादेवी	
13.	बिछावाडा	,, अन्जनादेवी वैष्णव	
14.	मोटाटांडा	,, गीतादेवी पटेल	
15.	पादर	,, निर्मलादेवी पटेल	
16.	काकाजीकागडा	सुश्री मंगलाकुमारी जैन	
17.	चांदुकावेला	श्रीमती शान्तिदेवी आदिवासी	

गंगानगर जिले में कृषि भूमि आवंटन के लम्बित प्रकरण

11. श्री हीरा लाल इन्दोरा (केसरीसिंहपुर) : क्या उपनिवेशन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में कृषि भूमि आवंटन के लिये जिला गंगानगर में तहसीलवार कुल कितने प्रार्थना-पत्र लम्बित हैं ?

(2) इनमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों के कितने प्रार्थना-पत्र हैं और इन पर आगे क्या कार्यवाही की जा रही है।

उत्तर

(1) इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र के प्रथम चरण में जिला गंगानगर में 14505 प्रार्थना पत्र लम्बित हैं। जिनका विवरण तहसीलवार परिशिष्ट "क" पर सलग्न है।

(2) उपरोक्त प्रार्थना-पत्रों में से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के 7, 145 प्रार्थना पत्र भूमि आवंटन से शेष हैं।

इन भूमिहीन व्यक्तिओं के प्रार्थना-पत्रों पर भूमि आवंटन द्वितीय चरण में उनकी प्राथमिकता आने पर भूमि आवंटन की कार्यवाही की जा सकेगी।

परिशिष्ट—(क)

गंगानगर जिले में प्रथम चरण में तहसील अनुसार आवंटन से शेष घोषित प्रार्थियों की संख्या, मार्च 85

क्र.स.	नाम उपनिवेशन तहसील	अ.जा./जनजाति	अन्य	योग
1.	रावतसर	79	58	137
2.	नोरंगदेसर	114	253	367
3.	हनुमानगढ़	28	26	54
4.	विजयनगर	517	514	1031
5.	सूरतगढ़ नं. 1	—	—	—
6.	सूरतगढ़ नं 2	218	351	569
7.	सूरतगढ़ नं. 3	16	50	66
8.	रायसिंहनगर	308	224	532
9.	अनूपगढ़	248	679	927
10.	घड़साना	5617	5205	10822
	योग	7145	7360	14505

(98)

पशु चिकित्सालय

12. **श्री चुन्नी लाल इन्दलिया (नोरदा)** : क्या पशु पालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य सरकार द्वारा 1 जनवरी, 1982 से 1984-85 के अन्त तक कहां-कहां कितने-कितने पशु चिकित्सालय खोले गये हैं ? कृपया विवरण सदन पटल पर रखें।

(2) वर्तमान वित्तीय वर्ष में सरकार का कहां-कहां पर चिकित्सालय खोलने का विचार है ?

उत्तर

(1) 1 जनवरी, 1982 से 1984-85 तक 26 पशु चिकित्सालय खोले गये। सूची सदन पटल पर रख दी गई है।

(2) वर्तमान वित्तीय वर्ष 1985-86 के दौरान नया पशु चिकित्सालय खोलने का फिलहाल कोई प्रावधान नहीं है।

1 जनवरी, 1982 से 1984-85 तक खोले गये पशु चिकित्सालयों की सूची

जिला	चिकित्सालय
1. अजमेर	आदर्श नगर
2. अलवर	नीमराना
	उमरेन
3. बांसवाड़ा	कालीगंर
4. बाड़मेर	गडरा रोड
5. भीलवाड़ा	आमली
	सुवाना
6. बीकानेर	बीकमपुर
7. गंगानगर	मीजांवाली
8. जयपुर	झोटवाड़ा
	सांभर
	कृषि उपज मंडी

1	2	3
9.	झुंझुनू	पिलानी
		मन्डेला
		मुवाना
10.	जोधपुर	मिल्क मैन
		कालोनी
11.	कोटा	पीपल्दा
		सुल्तानपुर
		सिविल लाइन्स
12.	सीकर	पीपराली
13.	टौंक	पेचवर
14.	उदयपुर	खमनोर
		बडगांव
		लसाडिया
		कृषि उपज मंडी, गिरवा

भरतपुर जिले में समर्थन मूल्य पर सरसों की खरीद

13. श्री नत्थी सिंह (कुम्हेर) : क्या खाद्य एवं रसद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भरतपुर जिले में मई व जून, 1985 में सरसों के भाव समर्थन मूल्य से काफी नीचे चले गये हैं ?

(2) क्या राज्य सरकार द्वारा भरतपुर जिले की विभिन्न मंडियों में समर्थन मूल्य पर सरसों की खरीद किये जाने की कोई व्यवस्था की गई है ? यदि हां, तो कहां-कहां और कितनी सरसों समर्थन मूल्य पर खरीदी गई ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(1) जी नहीं।

(2) जिले की विभिन्न क्रय विक्रय सहकारी समितियों को समर्थन मूल्य पर सरसों की खरीद किये जाने हेतु अधिकृत कर, समर्थन मूल्य पर सरसों खरीद किये जाने की व्यवस्था की गई है। भरतपुर जिले में समर्थन मूल्य पर खरीदी गई सरसों की सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

क्र. सं.	क्रय केन्द्र का नाम	नाम सहकारी समिति	सरसों की क्रय की गई मात्रा
1.	भरतपुर	क्रय विक्रय सहकारी समिति, भरतपुर	65 बोरी
2.	नदबई	क्रय विक्रय सहकारी समिति नदबई	39 क्विन्टल
3.	कुम्हेर	क्रय विक्रय सहकारी समिति, कुम्हेर	-
4.	डीग	क्रय विक्रय सहकारी समिति, डीग	-
5.	कामा	क्रय विक्रय सहकारी समिति, कामा	-
6.	नगर	क्रय विक्रय सहकारी समिति नगर	-

खारची क्षेत्र में चिकित्सीय संस्थानों में स्टाफ का अभाव

14. **श्री खंगार सिंह चौधरी** (खारची) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र खारची जिला पाली के कौन-कौन से गांवों में सब सेन्टर, एड पोस्ट, डिस्पेन्सरी एवं मातृ शिशु कल्याण केन्द्र क्रियाशील हैं ? उनमें कितना कितना स्टाफ स्वीकृत है एवं कौन-कौन से पद रिक्त हैं ? रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि ग्राम राजावास तहसील खारची में तत्कालीन मुख्य मन्त्री द्वारा मातृ शिशु कल्याण केन्द्र खोलने की घोषणा की गई थी ? यदि हां, तो स्वीकृति कब जारी हुई ? यदि नहीं हुई, तो क्यों व अब कब तक स्वीकृति जारी कर स्टाफ लगा दिया जायेगा ?

(3) यदि स्वीकृति जारी हो गई है, तो कब तक स्टाफ लगा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है रिक्त पदों को शीघ्र भर दिया जायेगा ।

(2) जी नहीं, विभाग को इस प्रकार की घोषणा बाबत कोई जानकारी नहीं है । परन्तु ग्राम राणावास तहसील खारची जिला पाली को निदेशालय के आदेश संख्या/योजना/विकास/84-85/29 12 दिनांक 23/30-10-84 के द्वारा डिस्पेन्सरी से सहायक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किया गया है, जिसके अन्तर्गत प्रसूति सुविधा भी उपलब्ध कराई जाने की व्यवस्था है ।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता ।

भाग "ग" की सूची

स्वीकृत संस्थान	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त
प्रा. स्वा. केन्द्र, खरच्ची			
सी. ए. एस.	1	1	—
मेल नर्स श्रेणी 2	2	2	—
ए. एन. एम.	2	2	—
एल. एच. वी.	2	2	—
बी. ई. ई.	1	1	—
एस. आई.	1	1	—
एम. आई.	1	1	—
वाहन चालक	1	1	—
वरिष्ठ लिपिक	1	–	1
सेक्टर सुपरवाइजर	3	3	—
च. श्रे. कर्मचारी	4	4	—
सहायक स्वा. केन्द्र, रतनावास			
सी. ए. एस.	1	1	—
सी. एच. ओ.	1	–	1
मेल नर्स श्रेणी 2	2	1	1
ए. एन. एम.	1	1	—
च. श्रे. कर्मचारी	6	4	2
लेबोरेटरी टेक्नीशियन	1	1	—
एस. आई.	1	–	1
कनिष्ठ लिपिक	1	–	1
सहायक स्वास्थ्य केन्द्र, जोजावर।			
सी. ए. एस.	1	1	—
सी. एच. ओ.	1	–	1
मेल नर्स श्रेणी–2	2	1	1
ए. एन. एम.	1	1	—
च. श्रे. कर्मचारी	5	4	2
लेबोरेटरी टेक्नीशियन	1	1	—
एस. आई.	1	–	1
कनिष्ठ लिपिक	1	–	1

102

1	2	3	4
राजकीय चिकित्सालय, बन्टर			
सी. ए. एस.	1	1	—
मेल नर्स श्रेणी-2	2	-	2
ए. एन. एम.	1	1	—
च. श्रे. कर्मचारी	4	4	—
राजकीय चिकित्सालय, आऊ			
सी. एस. एस.	1	1	—
मेल नर्स श्रेणी-2	2	-	2
ए. एन. एम.	1	1	—
च. श्रे. कर्मचारी	4	4	—
राजकीय चिकित्सालय, दनला			
सी. ए. एस.	1	1	—
मेल नर्स श्रेणी-2	2	2	—
ए. एन. एम.	1	1	—
च. श्रे. कर्मचारी	4	4	—
उच्चीकृत सब सेन्टर, धामली			
मेल नर्स श्रेणी-1	1	-	1
हेल्पर अंशकालीन	1	-	1
स्वीपर	1	-	1
उच्चीकृत सब सेन्टर सिरयारी			
मेल नर्स ग्रेड-1	1	1	—
हेल्पर पार्ट टाइम	1	-	1
स्वीपर	1	-	1
सब सेन्टर्स			
ए एन. एम.	15	8	7

1	धुम्बला	6	खारडी	11	बाफनी
2	चिरपटिया	7	धामली	12	रेडावास
3	गुडाराम सिंह	8	देवली अरवा	13	जाउण
4	सिरयारी	9	गुडा केसरीसिंह	14	गादाना
5	फुलाद	10	जाणद	15	पाचेटिया

जनजाति क्षेत्र में नारू रोग उन्मूलन

15. **श्री बहादुर सिंह** (दानपुर) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जनजाति क्षेत्र में नारू रोग उन्मूलन हेतु सार्वजनिक व प्राइवेट बावड़ियों के सुधार की योजना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो कब से ?

(2) जिले पंचायत समितिवार ऐसी कितनी बावड़ियों को सुधार हेतु चयन किया गया है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) अब तक कितनी बावड़ियां सुधारी गई हैं एवं कितनी राशि खर्च हुई है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) शेष ऐसी बावड़ियों को कब तक ठीक कराने का कार्यक्रम है ?

उत्तर

(1) हां, जनजाति क्षेत्र में नारू रोग उन्मूलन हेतु सार्वजनिक एवं प्राइवेट बावड़ियों को सुधारने की योजना ली गई है। यह कार्य मई, 85 से प्रारम्भ किया गया है।

(2) उपयोजना क्षेत्र में सम्मिलित कुल 23 पंचायत समितियों में से 14 पंचायत समितियों में अब तक कुल 1176 सार्वजनिक व निजी बावडियों का सुधार हेतु चयन किया गया है। जिला डूंगरपुर की पं.स. बीच्छीवाड़ा, जिला उदयपुर की प.स. झाडोल एवं जिला बांसवाड़ा की पं.स. घाटोल, बागीदौरा, आनन्दपुरी, पीपलखूंट, गढ़ी एव सज्जनगढ़ में बावड़ियों का चयन कार्य प्रगति पर है जिला सिरोही की प.स. आबूरोड नारू रोग से प्रभावित नहीं है। जिले व पंचायत समितिवार सूचना संलग्न परिशिष्ट—'अ' में दी गई है।

(3) अब तक 25 बावडियों को सुधार दिया गया है एव 15 का कार्य प्रगति पर है। अब तक कुल 1.86 लाख रु. की राशि व्यय की गई है। पचायत समितिवार वांछित सूचना सलग्न परिशिष्ट—'ब' में दी गई है।

(4) निश्चित समय निर्धारित किया जाना सम्भव नहीं है क्योंकि यह कार्य राशि की उपलब्धता पर निर्भर है।

परिशिष्ट—अ

जनजाति उपयोजना क्षेत्र में नारू रोग उन्मूलन हेतु सार्वजनिक एवं निजी बावडियों को सुधारने सम्बन्धित जिलेवार एवं पंचायत समितिवार विवरण

क्रमांक	जिला	पंचायत समिति	चयन की गई सार्वजनिक एवं निजी बावड़ियों की संख्या	बावड़ियों की संख्याएं जिनको सुधारा गया तथा जिनका कार्य प्रगति पर है		अब तक व्यय की गई राशि (लाख रुपये)
				कार्य पूर्ण	प्रगति पर	
1	2	3	4	5	6	7
1.	उदयपुर	1. खेरवाड़ा	15	–	1	0.10
		2. सराड़ा	15	–	1	0.08
		3. धरियावद	4	–	–	–
		4. सलुम्बर	11	–	1	0.07
		5. गिर्वा	8	-	1	0.10
		6. कोटड़ा	20	–	1	0.07
		योग	73	–	5	0.42
2.	चित्तौडगढ़	1. प्रतापगढ़	33	1	–	0.10
		2. अरनोद	1	1	–	0.10
		योग	34	2	–	0.20
3.	डूंगरपुर	1. डूंगरपुर	465	17	–	0.57
		2. सागवाड़ा	15	1	5	0.07
		3. सिमलवाड़ा	25	1	–	0.03
		4. बिच्छीवाड़ा	चयन कार्य प्रगति पर है।			
		5. आसपुर	519	1	–	0.10
		योग	1024	20	5	0.77

1	2	3	4	5	6	7
4.	बांसवाड़ा	1. तलवाड़ा	34	–	1	00.7
		2. कुशलगढ़	11	1	–	0.10
		3. घाटोल	चयन कार्य प्रगति पर है।	–	1	0.03
		4. बागीदौरा	,,	–	1	0.03
		5. आनन्दपुरी	,,	1	–	0.11
		6. पीपलखूंट	,,	–	1	0.03
		7. गढ़ी	,,	1	–	0.07
		8. सज्जनगढ़	,,	–	1	0.03
		योग	45	3	5	0.47
5.	आबूरोड	यह क्षेत्र नारू रोग से ग्रस्त नहीं है।				
		महायोग	1176	25	15	1.86

जयपुर नगर में पेयजल हेतु हैण्ड पम्प्स व कुओं की खुदाई

16. **श्री भंवर लाल** (हवामहल), **श्री गिरधारी लाल भार्गव** (किशनपोल), **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण), **श्री काली चरण सराफ** (जोहरी बाजार) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर के नागरिकों के पीने के पानी की समस्या हल करने के लिए हैण्ड पम्प लगाने का निर्णय लिया गया ? यदि हां, तो यह निर्णय कब लिया गया और कितने हैण्ड पम्पों के लिये ?

(2) क्या यह भी सही है कि जयपुर शहर में हैण्ड पम्प लगाये गये हैं ? यदि हां, तो कितने हैण्ड पम्प और कहां-कहां लगाये गये ? शेष कब तक लगा दिये जायेंगे ? कृपया निर्वाचन क्षेत्रानुसार हैण्ड पम्प्स की सूची सदन पटल पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि हैण्ड पम्प लगाने में विभाग ने न तो किसी जन प्रतिनिधि को विश्वास में लिया और ना ही नगर परिषद् या जिला परिषद् को ? यदि हां, तो क्यों नहीं ?

(4) क्या यह भी सही है कि हैण्ड पम्प जयपुर शहर की मांग से बहुत कम हैं ? यदि हां, तो राज्य सरकार जयपुर शहर में और हैण्ड पम्प लगाने का विचार रखती है या नहीं ?

(5) क्या यह भी सही है कि हैण्ड पम्प बिना पानी टेस्ट कर ही लगा दिये गये जिसके कारण कई हैण्ड पम्पों में पानी खारा आ रहा है ?

(6) क्या यह भी सही है कि जयपुर शहर में जो हैण्ड पम्प लगाये गये हैं उनमें कितने से बेकार पड़े हैं ? यदि हां, तो कितने ? राज्य सरकार इन्हें ठीक कराने का विचार रखती है या नहीं ?

(श्री कालीचरण सराफ)

(7) क्या यह सही है कि विधान सभा के गत सत्र में मन्त्री महोदय द्वारा जयपुर शहर के पेयजल संकट के निवारण हेतु पुराने कुओं की सफाई एवं मरम्मत करके पेयजल उपलब्ध करवाने की घोषणा की गयी थी? यदि हां, तो अब तक कितने कुओं की सफाई की गई एवं शेष कुओं की सफाई कब तक करवा दी जावेगी ?

(8) क्या यह भी सही है कि उक्त समस्या के निवारण हेतु सरकार ने जयपुर में 70 नए कुए खुदवाये जाने की घोषणा की थी ? यदि हां, तो अब तक कितने कुए खुदवाये गये, कितनों का कार्य चालू है व शेष कब तक खुदवा दिये जावेंगे ?

(9) जयपुर नगर के जल संकट को दूर किये जाने के लिये विभाग ने स्थाई एवं अस्थाई क्या प्रबन्ध किये हैं ?

उत्तर

(1) जी हां। जयपुर शहर में हैण्ड पम्प लगाने का निर्णय दिनांक 23/11/84 को लिया गया था। स्वीकृत आपातकालीन योजना में 335 हैण्डपम्पस लगाने का प्रावधान था।

(2) जी हां। जयपुर शहर में दिनांक 30/6/85 तक 310 हैण्डपम्पस लगाये गये है। शेष हैण्डपम्प जुलाई, 85 के अन्त तक लगा दिये जावेंगे। लगाये गये हैण्डपम्पों की सूची 'अ' सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) हैण्डपम्प लगाये जाने के चयन तकनीकी आधार पर एवं समस्या को देखते हुए आवश्यकतानुसार किया गया था।

(4) तत्काल जहां-जहां समस्या दृष्टिगत हुई है व्यवस्था की गई है तथा की जा रही है तथा जैसे-जैसे और कही वास्तविक समस्या प्रतीत हो रही है साधनों की सीमा में, उनके लिये व्यवस्था प्रस्तावित की जा रही है।

(5) जी हां। कार्य बहुत तत्परता से किया जाना था। अतः पास-पड़ोस के कुओं के पानी को देखकर हैण्डपम्प लगा दिये गये हैं। कुछेक स्थानों पर पानी खारा है।

(6) जी नहीं। जयपुर शहर में दिनांक 30/6/85 तक 310 हैण्डपम्प लगाये गये हैं जिनमें से केवल 12 हैण्डपम्पों के खराब होने की सूचना थी जिन्हें ठीक करा दिया गया है।

(7) जी नहीं। दिनांक 30/6/85 तक इस कार्य के अन्तर्गत 22 स्थानीय कुए चालू करवा दिये गये। बाकी के कुओं में जल की मात्रा कम उपलब्ध होने के कारण व नागरिकों द्वारा कुए उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण बकाया कार्य नहीं कराया जा सका है। इसकी पूर्ति के लिये 5 नये कुए बन्द गेट व रामगढ़ क्षेत्र में बनवा दिये हैं।

(8) जी नहीं। सरकार ने जयपुर शहर में कुछ पुराने कुओं पर मशीन लगाने के अलावा 35 नये नलकूप बनवाने की घोषणा की थी इनमें से 33 स्त्रोत बन चुके हैं तथा 2 पर कार्य चालू है जो जुलाई, 85 के अन्त तक पूरा हो जावेगा।

(9) जयपुर शहर में पेयजल समस्या के समाधान हेतु किये गये स्थाई व अस्थाई प्रबन्धों का विवरण सूची 'ब' सदन के पटल पर रख दी गई है।

[redacted]

107

सूची "अ"

LIST OF 310 NOS. HAND PUMPS COMMISSIONED UPTO 30.6.1985 IN JAIPUR CITY

S. No.	Location	Name of Chowkri	No. of H. P.
1.	Boardi ka Rasta, Dewanji ka Chowk H. N. 499 & PSP.	Modikhana.	1 No. 1 No.
2.	Godhe ka Rasta, Near Uday Singh ki Haveli H. N. 471, Raja Narsingh Das ji ki Geli PSP.	"	1 No.
3.	Maniharon ka Rasta Ist crossing Patiiya Bhawan Wali gali Inside.	"	1 No.
4.	Chure ki gali Deewanji ki Dharmashala.	"	1 No.
5.	Nataniyoo ka Rasta, Bhomiya ki Mandir H. N. 290 & PSP	"	1 No.
6.	Lalji Sand ka Rasta, Papliyan Jain Mandir near well & PSP.	"	1 No.
7.	Nataniyoo ka Rasta infront of Parashanath bhawan & Modikhana School H. N. 755	"	1 No.
8.	Maniheroo ka Rasta Radha Swami Bhawani 182 & PSP.	"	1 No.
9.	Ajabghar ka Rasta, infront of Vijay Traders & Temple.	"	1 No.
10.	Maniharoo ka Rasta, Mahaveer Park H. N. 1132 & PSP.	"	1 No.

1	2	3	4
11.	Nataniyoo ka Rasta, Balanand ji ka Chowk H. No. 171.	Modikha	1 No.
12.	Behind Mayur Cinema.	„	1 No.
13.	Maniharon ka Rasta, behind Chandlia Bhawan inside Chowk H. N. 14 & 15.	„	„
14.	Boraj Thakur ka Rasta corner.	„	„
15.	Pandit Shiv din ji ka Rasta crossing chakhwati Misthan Bhandar & PSP.	„	„
16.	Thathroo ka Rasta near PSP.	„	„
17.	Lalji Sand ka Rasta Sewa Path.	„	„
18.	Bari chaupar near Piyoo & Katla.	Vishwarji	„
19.	Sanganeri gate near Taxi Stand	„	„
20.	Talipara ka Rasta crossing near PSP & Temple infront of Yadav Bhawan.	„	„
21.	Telipara ka Rasta, Kathrio ka Chowk, uear Sackhela Bhawan No. 1994 & PSP.	„	„
22.	Pitliyoo ka Chowk-corner of Bagechiwali piyoo	„	„
23.	Sothiliyoo ka Rasta, Baragan-goor ka crossing opposite temple H. No. 2000	„	„

1	2	3	4
24.	Jodiyoo ka Rasta Ist crossing near Goshala ka Kuwa & PSP	Vishwarji	1 No.
25.	Jodiyoo ka Rasta between Ist & IInd crossing Sitaram ji ki Gali, H. No. 1039.	"	"
26.	Jodio ka Rasta opposite kot Bhandar H. No. 1387 & PSP.	"	"
27.	Purohit ji ka Katla, Lakshmi Chand Cloth Merchant near PSP.	"	"
28.	Gopal ji ka Rasta corner of Acher walon ki Gali IInd crossing near PSP.	"	"
29.	Gopal ji ka Rasta, Kashinath ji ki gali H. No. 575 near PSP	"	"
30.	Vidhadhar ka Rasta, near Happy School & PSP.	"	"
31.	Gopal ji ka Rasta corner.	"	"
32.	Bapu Bazar, Link road to Telipara ka Rasta, near Park.	"	"
33.	Choura Rasta, near Jachha Khana.	"	"
34.	Challoo ka Mohalla near PSP	Sarhad	"
35.	Jalabi Chowk infront of Irrigation office near PSP	"	"

1	2	3	4
36.	Jalabi Chowk infront of Vidhan Sabha.	Sarhad	I No.
37.	Janta Market infront of Shop No. B-35 & PSP Bus Stand.	"	"
38.	Infront of Janta Market behind Ram Prakash Cinema.	"	"
39.	Muncipal Colony infront of Plot No. 5 PSP.	"	"
40.	Harizan Basti 80 quarter in between Plot No. 36-46 near PSP.	"	"
41.	Harizan Basti 80 quarters near PSP near Calvert.	"	"
42.	Talkatora Colony, Shri Bherulal Murari lal Plot No. 5 near PSP.	"	"
43.	Tal Katora colony near young blood exercise centre Plot No. B-9 near PSP.	"	"
44.	Sadual Singh ji ka Mal near PSP Nadirio ki Masjid.	"	"
45.	Chini ki Barag Shyam Sundar Agrawal near PSP.	"	"
46.	Infront of Govind dev ji ka Temple,	"	"
47.	Bankar Basti infront of Langer ka Balani ka Rasta.	"	"

1	2	3	4
48.	Infront of RSEB, Sub Station Janta Market, Kanwar Nagar Plot No, 195 A.	Sarhad.	1 No.
49.	In Kanwar Nagar infront of Plot No. 191 Ploy Clinic.	"	"
50.	Shri ji Mori Chowkri Sarhad.	"	"
51.	Chini Burg, IInd lane, Anjeeri Darwajia near Sales Tax office.	"	"
52.	Atish Market i Side.	"	"
53.	Khumaroo ka chowk Ragroo ki Kothi ka Rasta, near PSP Sri Garesh khan House.	Ghatgate	"
54.	Mani Ram ji ki Kothi ka Rasta, Lahron ka Chowk, near PSP.	"	"
55.	Bistayoo ka Mohalla nea PSP.	"	"
56.	Shikarioyoo ka Mohalla near PSP Purani Kotwali ka Rasta.	"	"
57.	Niyon ki Gali, Kudigarh Bharoon ka Rasta.	"	"
58.	Nath ka Kuwa, Kundigarh Bharoon ka Rasta.	"	"
59.	Patwoo ka Mohalla, Kawantiyon ki pipli.	"	"
60.	Deenwallon ka Mohalla, near Deen Walon ka Kuwa, Ragree ki Kothi ka Rasta.	"	"

1	2	3	4
61.	Mahroon ki Nadi Kolay walon ki Gali,	Ghatgte	1 No.
62.	Sawariyoo ka Chowk purani Kotwali ka Rasta, near PSP.	,,	,,
63.	Harizan Basti, Purani kotwali ka Rasta, behind School.	,,	,,
64.	Sikatarji ka chowk, Kundigarh Bharoon ka Rasta, near Sri R. N. Bhatnagar House, Tikki walon ki Gali.	,,	,,
65.	Totiyon ka Mohalla, Kundigarh Bharoon ka Rasta, IInd crossing near PSP, Sri Ghanshyam Sharma H. No. 4045	,,	,,
66.	Khatatoo ki Masjid-Kundigarh Bharoon ka Rasta and Gujroo ka Chowk.	,,	,,
67.	Moti Singh Bhomiyoo ka Rasta, crossing near PSP near Sri Milay Chand ji Golecha.	,,	,,
68.	Gheawalon ka Rasta, Nagerion ka chowk & Godha ka Chowk.	,,	,,
69.	Ghee walon ka Rasta and near Vidh Bhawan.	,,	,,
70.	Chakano ka Chowk, Haldiyon ka Rasta, near Digamber Jain Temple & PSP.	,,	,,
71.	Haldiyon ka Rasta, behind ball in ball in bldg. & PSP	,,	

1	2	3	4
72.	Kawantiyoo ki pipali near two PSP's.	Ghatgate	1 No.
73.	Thakur pachwar ka Rasta, Ist crossing near Milk Dairy & PSP.	„	„
74.	Onda Mahadeo Niwai Mahant temple & PSP.		„
75.	Mnhandi ka Chowk near temple & PSP.		„
76.	Johari Bazar campus of Anaj Mandi.		„
77.	Loharoo ka Khurra Ahero ki Imli.	„	„
78.	Purani Kotwali ka Rasta near Masjid.	Ghatgate	„
79.	Purani Kotwali ka Rasta, Ledhina House.	„	„
80.	Jangallowalon ka Mohalla, near Padampura House, Rasta Khandar.	Gangapole	„
81.	Bandri ka Nasik ka Rasta, Lawan Rajaji ka Gher.	„	„
82.	Bandri ka Nasik, Lawan Rajaji ka Gher, near PSP & pipple tree.		
83.	Khandar ka Rasta, IIIrd Crossing, near PSP (near Dindi Nadrai & PSP).	„	„

1	2	3	4
84.	Back of Motikatla School, Haykan Basti, near Shiv temple & PSP.	Gangapole	1 No.
85.	Baskhoo ki Mori-Sri Ashah Ram ji house.	,,	,,
86.	Shakhoo ka Mohalla, Khandar ka Rasta, Sri Nisar Ahmed Hazi H. No. 837.	,,	,,
87.	Nalmandhoo ka Mohalla infront of Naibendhoo ki Masjid & PSP.	,,	,,
88.	Behind Chomy Haweli, Ram Das ka Rasta inside chowk.	,,	,,
89.	Baldarse ka Gali, Bandri ka Nasik, near Sri Hukam Chandji Patal H. No. 426.	,,	,,
90.	Bhasso walon ka Mohalla Kachhap Marg PSP near Sri Latifshai	,,	,,
91.	Bandri ka Nasik, Khatiwalon ki Galioar Shiv Mandir.	,,	,,
92.	Kachhap Marg, Bhasoo walon ka Mohalla, near H.No. 325, back of Motikatla School.	,,	,,
93.	Borikabbi ka Rasta, Mushi Khandas ji ka Rasta.	,,	,,
94.	Bandri ka Nasik ka Rasta, infront Ramkripa Ramji ka. Gher on Purana Amer Road.	,,	,,

1	2	3	4
95.	Bandri ka Nasik (end near PSP-Junction of Munshi Ramdas ji ka Rasta & Rawatji ka Bazar.	Gangapole	1 No.
96.	Corner of road in front of Ayurvedic Hospital College.	"	"
97.	Bai ji Gher near temple.	"	"
98.	Munshi Ram Das ji ka Rasta, near Anand Bhawan.	"	"
99.	Sandoo ka Tiba Mandir ka pass Phutta Khura.	Ramchandraji	"
100.	Jagion ka Tiba Dayon ka Chowk, Phutta Khura.	"	"
101.	Jagan Nath Shah ka Khurra near Jagjid.	"	"
102.	Khawas ji ka Rasta, Roshiya Marg, Barkat ki Haweli ke pass.	"	"
103.	Mala nool gaton Teliyon ka Chowk.	"	"
104.	Phutta Khura, near Lakdi ki Tal & PSP.	"	"
105.	Khawas ji ka Rasta, IInd Crossing.	"	"
106.	Bhemiyon ka Gher, Patany walon ki Gali.	"	"

116

1	2	3	4
107.	Santoshi Mata Ka Mandir Dhabhai ji ka Khurra.	Ramchandraji	I No.
108.	Panni Garon ka Rasta, near Masjid & PSP, Charkiyon Marg.	"	"
109.	Charkiyon Marg, Corner of Musebro ki Gali.	"	"
110.	Achrol house, Chankiyo Marg near PSP.	"	"
111.	Mohalla Purahan near Reopal Tree, Silawetyon ka Rasta.	"	"
112.	Jagnath Shah ka Khurra, Mandi Pura near Imambara PSP, H. No. 3626.	"	"
113.	Uppala Gurawada Gajan Nath Shah ka Rasta, Mandi pura, Nieermi Churi walay ka Sammcey.	"	"
114.	Jagnath Shah ka Rasta, Mohalla Ramchandraji, Momiyan Patang wale ki gali No. 4402.	"	"
115.	Dhabhimi ka Hawali, Chowkari Ramchandraji Corner of Batto ki Gali near PHED, Booster pump.	"	"
116.	Infront of police Subhash chowk, Moti Katla Bazar.	"	"
117.	Ramganj Chaupar infront of family planning centre.	"	"

1	2	3	4
118.	Pan ka Dariba ka Rasta Ozhaji ka Gher PSP.	Ramchandraji	1 No.
119.	Near Nabazi ji ka Mohalla, Mahadev ji ka Temple PSP, Dariba pan.	"	"
120.	Radha Krishna ka Kuzd-Rasta Panni Garon behind Hari Ghat PSP.	"	"
121.	Silawaloo ka Mohalla, Bhusay Khan ki Gali Silawatoo ki Rasta H. No. 3395.	"	"
122.	Jagan Nath Shah ka Rasta, Karag ji ka Bagh Jawar Shah ka Takiya H. No. 4668 infront of Dainik Kirdar Office.	"	"
123.	Jagan nath Shak ka Rasta Jalaboo ki Masjid near PSP.	"	"
124.	Nala Neel Garon Imam Chowk PSP expo of Sri Aziz House No. 2330.	"	"
125.	Ladji ka Khura-Sammad Sabals ka Ghar infront of Jahind Floor Mill PSP.	"	"
126.	Nala Neelgaron Kamal Nayan ka Chowk	"	"
127.	Silawatoo ka Rasta infront of Moti Katla Dispensary.	"	"

118

1	2	3	4
128.	Musabaroo ki Gali last PSP.	Ramchandraji	1 No.
129.	Takiya Yaki Shah ki Masjid near Park & PSP, Balaji ki kalsi ka Rasta.	Topkhana Hazoori	"
130.	Methi Kothi ka Rasta-near Pahar Gang area, Janta Clinic.	"	"
131.	Mochhi Walon ka Rasta Kalyan ki Kothi near temple & PSP (Khichi Floor Mill).	"	"
132.	Munerr Baser Wallon ka Mohalla, Bhagiyoo ki Titi near Chakki & PSP.	"	"
133.	Kaliyav Basti of infront of Gulzar Masjid.	"	"
134.	Ghat Ghate Book of Police Chowki	"	"
135.	Jeerna Mata ka Khurra infront of Patri Bhawan H. No. 124 & PSP.	"	"
136.	Bala ji ka Rasta, Rai Wallon ka Mohalla near PSP House No 553 Deepak Banai Kenra.	"	"
137.	Baba ka Tiba ka Rssta, Talioo ka Mohalla near PSP.	"	"
138	Darjiyooka Rasta, Banzzoo ki Basti near temple & PSP infront of Sri Chagganla House.	"	"

(119)

1	2	3	4
139.	Chappar Bandho ka Rasta Sri Mehboob patal House & PSP.	Topkhana Hazoori	1 No.
140.	Thakur Geezgarh ka Rasta Mahavatan ka Mohalla near Milk Dairy mata ka.	"	"
141.	Thakur Geezgarh ka Rasta near well & parhayti Masjid & PSP.	"	"
142.	Imam Chowk Mahavatoo ka Mohall Imam Bara Rasta in between Geezgarh Thakur ka Rasta & Bal ji ka Rasta.	"	"
143.	Kaji ka Nalay ka Rasta Mohalla Fathatan near PSP & Chabbel.	"	"
144.	Machhi Wallon ka Rasta near Ramdev temple.	"	"
145.	Babu ka Tiba near Madho's house No. 3780 Sri Shankar Singh pariar or near Nagina masjid.	"	"
146.	Gotabdaroo ki Masjid Muneer Khan patel house No. 2479	"	"
147.	Peela ka Chowk-Madarsa Abasiayn Ch. top Khana Hazoori. H. No. 2481.	Topkhana Hazoori.	1 No.
148.	Bistiyioo ki Choti Masjid PSP.	"	"

(120)

1	2	3	4
149.	Purviyoo ka Tiba, Pahad gang H. No. 3575 Khuroo Rasta.	Topkhana Hazoori.	1 No.
150.	Purviyoo ka Mori Rasta, Pahand-gan Bombay Shahim Dawa Khana.	,,	,,
151.	Ganga bux Joshi ka Rasta, Barva Basti near Tank.	,,	,,
152.	Koliyoon ki Basti-Mochhi walon ka Rasta, Sagroo ka Mohall. PSP.	,,	,,
153.	Geeggarh Thakur ka Rasta, Behind Bhamino ka Gher.	,,	,,
154.	Kalayan ka Chowk near PSP (Machtri waloon ka Rasta)	,,	,,
155.	Rasta Chappar Bandhar last PSP.	,,	,,
156.	Babu ka Tiba near Bar wali Masjid-Behind Fahahpura House.	,,	,,
157.	Balji ki Kothi ka Rasta Jalahoo ka Mohalla PSP.	,,	,,
158.	Near Dargah Kadam Rasul.	Basbadanpura & Idgah, Housing Board Area.	1 No.
159.	Mohalla Dakotan near Chote Shanishar ji temple inside chok infront of Sri Phoolchand ji house.	,,	,,
160.	Mohalla Dakotan Bara Shenishar ji temple near PSP & Khurra.	,,	,,

(121)

1	2	3	4
161.	Bas Badanpura-Agra Delhi bye pass Mohalla & Bilochiyan.	Basbadanpura & Idgah, Hoursing Board Area.	1 No.
162.	Idgah, Katchi Basti.	"	"
163.	Bas Badanpura near, Kirdar House.	"	"
164.	Basbadanpura E. th watoki Masjid near PSP.	"	"
165.	Basbadanpura, near well and PSP Mohalla Bilcchiyan & Regar Basti	"	"
166.	Karbala.	"	"
167.	Infront of School & behind Ayurvedic Hospital.	Mandikhakhatikan, Basbadanpura, Shyampuri, and Yetri ji ki Bagchi.	1 No.
168.	Yatri ji ki Bagchi, P. No. 74 Sri Prahlad Rai Sharma, Laxminerisapurs	"	"
169.	Laxminarianpuri, Sri Radhey Shyhm ji Sharma P. No. A-2.	"	"
170.	Crossing of laxhari Darianpuri, near P. No. 59 & PSP.	"	"
171.	Laxminarainpuri, Shri Ram Colony, Vyas Marg, infront of House No. 5/24.	"	"
172.	Shyampuri, near Sri Bharathji contractor & PSP.	"	"

1	2	3	4
173.	Tatkala Shewripuri, near Shiv temple & PSP.	Mandikhakhatikan, Basbadanpura, Shyampuri, and Yetri ji ki Bagchi.	1 No.
174.	Sitarampuri corner near PSP.	"	"
175.	Madi khatikan, Dewrnath ji ki Bagchi near Postoffice & PSP.	"	"
176.	Mandi khatikan near Khura and Sh. Sualalji, house & PSP	"	"
177.	Mandi Khatikan, Bhomion ka Chowk.	"	"
178.	H. A. R. Colony near well.	"	"
179.	H.A.R. Colony near Setla mata ki mandir PSP.	"	"
180.	Infront of Sri Gherraj ki Mali house tiyoo ki Guhedi, outside chardarwaja infront of sagar shah mahal (PSP)	"	"
181.	Laxminarianpuri infront of H. No. 203.	"	"
182.	Shyampuri, Aarijan Basti.	"	"
183.	Goverdhanpuri.	Rishi Galav Nagar Goverdhanpuri.	1 No.
184.	Suryanagar, near Road No. 1	"	"
185.	Surya nager near Road No. 7	Rishi Galav Nagar Goverdhanpuri.	1 No.

1	2	3	4
186.	Rishi Galav Nagagar, Upper part.	Rishi Galav Nagar Goverdhanpuri	1 No.
187.	Khania Basti, near Crusher.	"	1 No.
188.	Outside Surajpole Gate–Nag Tali begning.	"	1 No.
189.	Nag Tali infront of Surajpole grain mandi east.	"	1 No.
190.	Truck stand infront of pump house on road.	"	1 No
191.	Khaniya basti opposite Sub-Dn, RSEB on road side.	"	1 No.
192.	Khal ka Hanumanji Delhi Agra bye pass.	"	1 No.
193.	Amagarh Katchi Basti.	"	1 No.
194.	Infront of RAC head quaters motor work shop temple.		
195.	Goverdhan puri Katchi Basti	"	1 No.
196.	Getor Road of link road of Chota Akhara near PSP	Brahampuri, Amer Road Govind Nagar East/West.	1 No
197.	Kagdiwada near Milk Booth.	"	1 No.
198.	Harijan Basti, near School mount Road.	"	1 No.
199.	Barahmori, near National Clinic.	"	1 No.
200.	Chota Akhera near Veer-hanuman ji ka Mandir.		
201.	Kagdiwara, Madrasi Baba ki Bagchi.		
202	Chandrashwar Mahadev, Gayaguru ki Gali, sitaram Bazar.	"	1 No.

(१९)

1	2	3	4
203.	Gandhi Coloney, Kaliyon ka Mohalla, New Well.	Braham Puri, Amer Road, Govind Nagar East/West	1 No. 1
204.	Bara Akhara Mangle marg near public school.		
205,	Bara Akhara near, RSEB, Grid Sub-station,	"	1 No.
206.	Brahampuri suklpani.	"	1 No.
207.	Getor Road near park on mount Road.	"	1 No
208.	Purohit pada, Inside chowk & temle.	Brahampuri, Ajmer Road Govind Ngr. East/ Wese.	1 No.
209.	Parasrampuri Indira Colony.	Amer Road upto Air Force Parasrampuri, Gurjar Ghati Indira Colony, Kashev Colony.	1 No.
210-	Parashrampuri Indira Colony, Near nala.	"	1 No.
211.	Gujar Ghat near Park	"	1 No.
212.	Gujar Ghat near Bawri.	"	1 No.
213.	Parasrampuri J. P. Colony.	"	1 No.
214-	Motidoongari Road, Kemalay ki Gali imliwali PSP.	M. I. Road, Moti Doon-gri, Road & New Colony.	1 No.
215.	Motidoongari Road, Kamlay ki Gali, opp. H. No. 2623 & elect-ric transformer.	"	1 No.

1	2	3	4
216.	Motidoongari Road, Ladhe ki Gali Mohan Das ji Bagchi.	M. I. Road, Moti Doongri Road & New Colony	1 No.
217.	Motidoongari Road, Hard Mardhan khan ki Gali PSP near Sonny Mistry.	"	1 No.
218.	Moti doongari Road Masjid Mureshiyon P. S. P. main Road.	"	1 No.
219.	Motidoongari Road, near Dadu Dayal Ayurvedic Hospital, Chnd Ice Factory.	"	1 No.
220.	Motidoongari Road behind Muslim School Kailashpuri, near PSP.	"	1 No.
221.	Behind Minerva Cinema, PSP. Harijan Basti.	"	1 No.
222.	Behind old High Court Harijan Basti	"	1 No.
223.	Sipaiyan Basti near Shema Travels, Agra Road.	"	1 No.
334.	Agra Road inside Ramlila campus, new gate.	"	1 No.
225.	New Colony infront of Vetenary Hospital PSP.	"	1 No.
226.	Harijan Basti, new colony, near Sindhi Panchayat Dharamshala towards Jajoo Dispensary.	"	1 No.
227.	Makashpura Haweed Nagar near Mardhana Toilet	"	"

(१९८)

1	2	3	4
228.	S.M.S. Hospital, Tonk Road.	M. I. Road, Moti Doongri Road & New Colony.	1 No.
229.	Near Tela Ram, Sabji Mandi Ajmerigate.	"	"
230.	Uniaroo ka Rasta, infront of Khata House.	Purani Basti	"
231.	Taja ji ki Bagichi infront of Janwarron ka Hospital.	"	"
232.	Dinadas ji ka Rasta near kuwa, Madhav ji ka Mandir Shri Hanuman Singh H. No. 3829 near PSP.	"	"
233.	Dinand ji ka Rasta Tiwari ka Khurra & PSP.	"	"
234.	Jai Lal Munshi ka Rasta, neet Kanth ka Mandir Sri Anand Mohari H. No. 20/3439.	"	"
235.	Govind Rajio ka Rasta 5th crossing Khan Mahajan Kabar.	"	"
236.	Hari Zethi Chowk Bagrowalon ka Rasta.	"	"
237.	Bagrowalon ka Rasta infront of Angira Bhawan & PSP.	"	"
238.	Balanand ji ka Rasta Balai basti near PSP infront of Jodhraj ji house	"	"

1	2	3	4
239.	Dechanath ka Rasta near Mistri Khana IInd crossing & PSP.	Purani Basti	1 No.
240.	Balanand ka Rasta Harijan Basti PSP.	"	"
241.	Uniaroon ka Rasta Ist crossing infront of Timber merchants.	"	"
242.	Bagroowalon ka Rasta Pachwered kaway ki Gali near IInd crossing	"	"
243.	Jat ka Kuwa ka Rasta, Chippeo ka Mandir VI corssing.	"	"
244.	Jailal Munshi ka Rasta near PSP & Jachha Khana.	"	"
245.	Jailal Munshi ka Rasta, Mission School.	"	"
246.	Govind Rajio ka Rasta, Badaiyoo ki Gali PSP & Chowki.	"	"
247.	Nahargarh ka Rasta, Barah Bhaioon ka crossing PSP.	"	"
248.	Nahargarh ka Rasta near Hatilay Hanuman near PSP.	"	"
249.	Nahargarh ka Rasta, near Goverdhan nath ka Mandir.	"	"
250.	Denanath ji ka Rasta, Bara ji ki Gali towards Gangauri Bazar chowk & PSP.	"	"

(128)

1	2	3	4
251.	Brahampuri Khura behind floor mill inside parkota.	Purani Basti	1 No.
252.	Infront of Purani Basti Dispensari Gangori Bazar.	"	"
253.	Meenapada Nahargarh Road near Sri Girdhari Meena's house.	"	"
254.	Indrapuri & Shiwaji Nagar before Dhobighate.	"	"
255.	Harijan Basti near Phutta Kot.	"	"
256.	Yagshala ki Bawari near Park.	"	"
257.	Neegarion ki Basti.	"	"
258.	Chamiagia Marg Nahargarh Road.	"	"
259.	Jai Lal Munshi ka Rasta before Ist crossing.	"	"
260.	Langar ka Balaji ka Rasta Kutti ka Modine in between Nahargarh & Govind Rajio ka Rasta Sri Mohanlal ji house.	"	"
261.	Zarkot Harizan Basti.	"	"
262.	Bagroowallon ka Rasta Ist crossing.	"	"
263.	Balanard ji ka Rasta near Hanumanji temple.	"	"
264.	Bagroo walon ka Rasta Rukmani Bhawan.	"	"

129

1	2	3	4
265.	Topkhana Desh ka Rasta Well & PSP infront of Kalwar House.	Topkhana Desh	1 No.
266.	Infront of Darbar School PSP, Topkhana Desh ka Rasta.	"	"
267.	Needar raeo ji ka Rasta, Bawariyo ki Masjid near PSP.	"	"
268.	Kalyan ji ka Rasta infront of Jehoor Ahmad house No. 3804, Nagnoo Walon ki Masjid.	"	"
269.	Harijan Basti Kalyan ji ka Rasta and near Shri P.C. Soni's house PSP.	"	"
270.	Khajanewalon ka Rasta, Prajapati ki Gali PSP.	"	"
271.	Baba Harish Chandar Marg Kalward house near PSP.	"	"
272.	Baba Harish Chandra Marg, 4th crossing infront of Shri Vadavji house & temple.	"	"
273.	Namak ki Mandi inside chowk.	"	"
274.	Akid ka Rasta Baxi ji ka chowk.	"	"
275.	Ajmerigate.	"	"
276.	Chotichauper infront of Kotwali.	"	"
277.	Purayoo ka Chowk Khajanay Wallon ka Rasta, infront of Shri Hans Raj ji House.	"	"

(126)

1	2	3	4
278.	Tikkiwalon ka Rasta, Tikki wallon ka Chowk H.No. 433 Shri Santish. OR Tikkar Walon ka Rasta Padi Guhadi Chowk & PSP.	Topkhana Desh	1 No.
279.	Tikkar Malkà Rasta entrance near public latrin & PSP.	"	"
280.	Mishra Rajaji ka Rasta 5th crossing Sundar ka Bas near temple & PSP.	"	"
281.	Khutato ka Rasta, Ramchandra ji ki Gali infront of Shri Ganeshji Nanaji house No. 779.	"	"
282.	Khejray ka Rasta, H. No. 1349 Maliao ka Chowk 3rd crossing PSP.	Topkhana Desh.	1 No.
283.	Kheray ka Rasta 4 th crossing infront of Dalmia house PSP	"	"
284.	Kharay ka Rasta Bharoo ji ka Chowk infront of Balashwar Murti house.	"	"
285.	Khajaney wallon ka Rasta, Baddri nath ji ka chowk H. No. 2082 & PSP	"	"
286.	Bhindoo ka Rasta Man Kayisho ka chowk.	"	"

1	2	3	4
287.	Kalyan ji ka Rasta Ist crossing infront of Narsingh milk Dairy PSP.	Topkhana Desh	1 No.
288.	Kalyan ji ka Rasta Chaswalon ka Chowk H. No. 3776 infront of Lakhani Bhawan.	"	"
289.	Khutato ka Rasta Patwa ka Chowk, Kalyanji ka Rasta.	"	"
290.	Kalyan ji ka Rasta Sriki Garoo ki Masjid PSP.	"	"
291.	Bhindoo ka Rasta 5th crossing purohit ji ka Chowk Vijendra Murti kala Kendra.	"	"
292.	Needar Rao ji ka Rasta IInd crossing PSP, Ragar Basti PSP.	"	"
293.	Top khana Desh Needar Rao ji ka Rasta-Kayam Khaniyoo ka Mohalla.	"	"
294.	Top Khana Desh ka Rasta-near police Chowki & PSP.	"	"
295.	Indira Market.	"	"
296.	Baba Harish Chandra Marg, Darbar Middle School.	"	"
297.	Needar rao ji ka Rasta, Narsingh ka Temple.	"	"
298.	Gundi ka Chowk, Khajanewlalon ka Rasta.	"	"

1	2	3	4
299.	Khumaree ka Mohalla near Ramdeoji temple.	Ghatgate	1 No.
300.	Moti singh Bhomiyoo ka Rasta	,,	,,
301.	Inside Char Darwaja.	Ramchandraji	,,
302.	Godha Nikas Road Mohalla Taliyan.	,,	,,
303.	Thakur Geejgarh ka Rasta Bhominonka Gher.	Topkhana Hazoori.	1 No.
304.	Tiba purbiyan, Paharganj	,,	,,
305.	Mehta Marg H. No. 4216.	,,	,,
306.	Babu ka Tiba Chainpura Harijan Basti	,,	,,
307.	Paharganj infront of School.	,,	,,
308.	Balji Kothi ka Rasta, Meena Basti.		
309.	Laxhminarinapuri P. No. B-75.	Lakhminarianpuri.	1 No.
310.	Chipiwada.	Brahmpuri.	1 No.

List of approved sites where Hand Pumps are to be installed

S No.	Location	No. of Hand Pump	Name of Chokri
1.	Hanumanji ka Rasta Sabun walon ki Gali	1 No.	Vishashwari ji

1	2	3	4
2.	Telepara ka Rasta & Ramlal ji ka Rasta, Dula House	1 No.	—do—
3.	Kundigar Bharon ka Rasta, IInd Crossing, Kaloo ka Mohalla	„	Ghat Gate
4.	Kavantiyoo ka Khura, Kamli garoo ka Mohalla	„	Ramchandra ji
5.	Mohalla Goriyan Sri Mohammad Umar House	„	Bas Badanpura
6.	Mohalla Dakotan near Madanji House & P.S.P.	„	—do—
7.	Badanpura Nanji Malin ka Akhara, Regar Basti	„	—do—
8.	Mandi Khatikan, Slotter House.	„	Mandi Khatikan
9	Nayko ka Tiba, Agra Raod	„	Agra Road
10.	Agra Road, Ghat ki Guni	„	—do—
11.	Mahatma Gandhi Colony behind Sisodiya Rani Palace	„	—do—
12.	Truck Stand inside	„	—do—
13.	Jogeshwar Mahadev ka Chowk	„	Bhrampuri
14.	Musuim Ram Niwas Bagh	„	M I. Road
15.	Zanana Hospital	„	—do—
16.	J. K Hospiial	„	Jawaharlal Nehru Marg

(134)

1	2	3	4
17.	Chandpole Shamshan	1 No.	Amanishah Road
18.	Adarsh Nagar Shamshan	"	Adarsh Nagar
19.	Mohan Nagar	"	Purani Basti
20.	Bhram Koopki Bagichi	"	—do—
21.	Nograh ka Mandir, Nahargargh ka Rasta	"	—do—
22.	Mishra Rajaji ka Rasta Nataniyoon ka Darwaja	"	Top Khanadesh
23.	Jhalaniyoon ka Rasta, Raj Kumar Mahant ka Chowk	"	—do—
24.	Khajanay walon ka Rasta, Corner-Rubber ki Tuti	"	—do—
25.	H.A.R. Colony, Motu Bhai ki Masjid	"	Bas Badanpura

परिशिष्ट—"ब"

जयपुर शहर में पेयजल व्यवस्था के समाधान हेतु
विभाग द्वारा कराये जा रहे कार्यों की सूची :—

स्थाई :—

(1) स्थानीय 295 नलकूप के अलावा 35 नये नलकूप बनाकर उत्पादन में वृद्धि करना।

(2) रामगढ़ बांध को ऊंचा करके बहाव क्षमता बढ़ाना व मरम्मत का कार्य।

(3) बाड़ी बेसिन का अध्ययन ।

(4) शहर में 335 हैण्डपम्प बनाने का कार्य ।

(5) रामगढ़ से लक्ष्मणडूंगरी के मध्य नये नलकूप/कुएँ बनाना व चालू करना, स्थानयी कुओं को चालू करना और रामगढ़ बांध के रिसाव के पानी का जल वितरण हेतु उपयोग करना ।

(6) शहर के विभिन्न सप्लाई जोन्स का मिलान करके ट्यूबवैल जोन्स से रामगढ़ सप्लाई जोन को कुछ भागों में पानी देना ।

(7) शहर में उपलब्ध खुले कुओं पर पम्प लगाकर जल वितरण लाइन से जोड़ना ।

(8) रामगढ़ बांध के पानी का रिसाव व वाष्पीकरण कम करना ।

दीर्घकालीन व्यवस्था :—

(1) बीसलपुर बांध का निर्माण और वहां से जयपुर शहर को जलपूर्ति ।

सवाई माधोपुर जिले में एकीकृत ग्रामीण विकास योजना की उपलब्धि

17. **श्री मोती लाल मीणा** (सवाई माधोपुर) : क्या विशिष्ट योजना सगठन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) एकीकृत ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत छठी पंचवर्षीय योजना में सवाई-माधोपुर जिले की किस-किस पंचायत समिति में कितने-कितने परिवारों का चयन हुआ है ?

(2) इन परिवारों को किस-किस वर्ष में किस-किस कार्य के लिये कितनी-कितनी सहायता दी गई है ?

(3) कितने चयनित परिवारों को इन योजनाओं में किसी भी प्रकार की सहायता नहीं दी गई है, और क्यों ?

उत्तर

(1) एकीकृत ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत छठीं पंचवर्षीय योजना में सवाई-माधोपुर जिले को सभी 11 पंचायत समितियों में परिवारों का चयन किया गया था । वर्षवार चयनित परिवारों की सूचना परिशिष्ट—'अ' में अंकित कर संलग्न कर दी गई है ।

(2) जिन परिवारों को सहायता उपलब्ध कराई गयी उनका उद्देश्यवार वर्गीकरण संलग्न परिशिष्ट—'ब' मे दर्शाया गया है । कुल सहायता दिए गए परिवारों की संख्या एवं उनको दिए गए ऋण एवं अनुदान की राशि का विवरण निम्नानुसार है :—

136

वर्ष	लाभान्वित परिवारों की संख्या	ऋण राशि (लाख रु.)	अनुदान राशि (लाख रु.)	योग (लाख रु.)
1980-81	3161	103.13	46.13	149.26
1981-82	5556	119.39	70.52	189.91
1982-83	8865	177.14	113.10	290.24
1983-84	7778	145.07	84.79	229.86
1984-85	6764	152.09	98.70	250-79

(3) छठीं पंचवर्षीय योजना में सवाई-माधोपुर जिले में प्रत्येक पंचायत समिति के 3000 परिवारों को लाभान्वित किया जाना था। इस प्रकार जिले की 11 पंचायत समितियों में छठीं पंचवर्षीय योजना काल में 33000 परिवार लाभान्वित होने थे।

एकीकृत ग्रामीण विकास योजनान्तर्गत लाभान्वित किये जाने वाले परिवारों का चयन लक्षित संख्या से कहीं अधिक किया जाता है। जिससे निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित हो।

छठीं पंचवर्षीय योजना में सवाई-माधोपुर जिले में कुल 32,124 परिवार लाभान्वित किये गये एवं शेष व्यक्ति सीमित साधनों के कारण लाभान्वित नहीं हो सके।

परिशिष्ट — 'अ'

चयनित परिवारों की सूची

वर्ष	सवाईमाधोपुर	खण्डार	बौंली	बामनवास	नादौती	गंगापुर	सपोटरा	करौली	हिण्डौन	टोडाभीम	महुवा	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1980-81	636	693	578	417	736	590	637	618	647	634	670	6856
1981-82	727	720	601	442	833	609	676	633	658	673	805	7377
1982-83	528	790	1004	549	785	914	884	613	383	537	762	7749
1983-84	367	825	924	1255	966	832	837	1352	1022	835	836	10051
1984-85	639	945	1522	1139	842	864	896	897	811	460	975	9990
योग	2897	3973	4629	3802	4162	3809	3930	4113	3521	3139	4048	42023

परिशिष्ट—"ब"

छठीं पंचवर्षीय योजना में उद्देश्यवार लाभान्वित परिवार :—

क्र. सं.	नाम	80-81	81-82	82-83	83-84	84-85
1	2	3	4	5	6	7
1.	बैलजोड़ी	119	160	160	216	197
2.	बैलगाड़ी	532	841	839	1365	1506
3.	ऊँटगाड़ी	376	637	1472	2274	2266
4.	भैंस	834	1635	2118	1778	1216
5.	बकरी यूनिट	214	955	1373	926	474
6.	भैंस यूनिट	42	164	276	347	234
7.	कूप निर्माण	345	239	252	—	—
8.	कूप मरम्मत	10	102	10	—	—
9.	पम्प सैट	604	715	626	3	5
10.	ग्रामीण दस्तकार	64	122	1681	3751	717
11.	अन्य	27	41	54	116	149
	योग	3161	5556	8865	7778	6764

मै. कैप्सटन मोटर व जय ड्रिंक्स प्राइवेट लि. से बकाया कर की वसूली

18. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भूमि व भवन कर विभाग जयपुर द्वारा मै. कैप्सटन मोटर व जय ड्रिंक्स प्राइवेट लि., जयपुर का कर निर्धारण नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि किया है, तो वर्ष का कितना टैक्स निर्धारित किया गया है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त कम्पनी द्वारा कोई टैक्स अभी तक जमा नहीं करवाया गया है ? यदि हां, तो कितना बकाया है और कब से ? कृपया वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है उक्त कम्पनी ने राज्य सरकार को एक आवेदन किया है कि उसे इस टैक्स से मुक्त किया जावे ? यदि हां, तो उसका क्या निर्णय हुआ ?

(4) क्या विभाग द्वारा इस कम्पनी से उसकी बकाया राशि की वसूली के लिए कोई कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। मैसर्स कैप्स्टन मीटर्स का वार्षिक कर-निर्धारण विभाग द्वारा निम्नानुसार किया गया :

1.4.73 से 31.3.77	रुपये 4671.50
1.4.77 से 31.3.85	रुपये 7843.00

इसी प्रकार मैसर्स जय ड्रिंक्स प्राइवेट लिमिटेड का वार्षिक कर निर्धारण निम्नानुसार किया गया :—

1.4.73 से 31.3.76	रुपये 6707.00
1.4.76 से 31.3.77	रुपये 10852.50
1.4.77 से 31.3.85	रुपये 26307.50

(2) जी नहीं। उक्त दोनों कंपनियों द्वारा पूर्ण टैक्स जमा करा दिया गया है।

(3) जी नहीं।

(4) भूमि एवं भवन कर बकाया न होने के कारण कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

नीमकाथाना स्थित राजकीय कपिल चिकित्सालय का भवन

19. **श्री फूलचन्द** (नीमकाथाना) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजकीय कपिल चिकित्सालय, नीमकाथाना का भवन सार्वजनिक निर्माण विभाग के संधारण अधीन है ? यदि हां, तो यह उक्त विभाग को कब स्थानान्तरित हुआ है तथा प्रति वर्ष इसके रख रखाव पर कितना खर्च किया गया ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि चिकित्सालय भवन जर्जरित अवस्था में है तथा जन-जीवन को सदैव खतरा बना रहता है ? यदि हां, तो इस भवन को उचित अवस्था में रखने के लिए सरकार कब तक क्या कदम उठाने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। परन्तु भवन सामान्य मरम्मत अवश्य चाहता है। जन जीवन को कोई खतरा नहीं है। मरम्मत हेतु मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है। आवश्यक मरम्मत शीघ्र करा दी जावेगी।

खिलाड़ियों को सुविधायें

20. **श्री नवरंग सिंह** (नवलगढ़)

श्री अश्क अली (फतेहपुर) : क्या खेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में खिलाड़ियों को प्रतिदिन प्रति खिलाड़ी क्या भत्ता दिया जाता है ?

(2) क्या यह सही है कि पंजाब हरियाणा व अन्य राज्यों में खिलाड़ियों को प्रति खिलाड़ी दिया जाने वाला भत्ता रु. 25/– प्रतिदिन है ? क्या राजस्थान में भी 25/– प्रतिदिन खिलाड़ियों को भत्ता दिये जाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ?

(3) राज्य में राज्य सरकार के स्तर पर नौकरी आदि में खिलाड़ियों को क्या-क्या सुविधायें मुहैय्या करवायी जाती हैं ? खेल परिषद् के गठन से अब तक कितने खिलाड़ियों को राज्य सेवा में क्या-क्या सुविधायें प्रदान की गई ?

(4) क्या अन्य राज्यों के मुकाबले यहां सुविधायें समुचित नहीं हैं ? यदि हां, तो सरकार का सुविधाओं को भविष्य में बढ़ाने के लिये क्या विचार है ?

उत्तर

(1) वर्तमान में खिलाड़ियों को निम्न प्रकार भत्ता देय है :—

1. राज्य स्तरीय प्रतियोगिता रु. 12.00 तथा प्रशिक्षण शिविर।
2. उन स्थानीय खिलाड़ियों को रु. 12.00 जो 24 घण्टे शिविर स्थल पर रहते हैं।
3. स्थानीय खिलाड़ियों को रु. 03.00 प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने हेतु सवारी भत्ता।
4. राष्ट्रीय प्रतियोगिता अथवा रुपये 15/- राज्य के बाहर प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने पर।

(2) पंजाब व हरियाणा में खिलाड़ियों को देय दैनिक भत्ते की दरें मालूम की जा

(खेल मन्त्री)

रही हैं। राजस्थान में खिलाड़ियों के भत्ते में वृद्धि का मामला फिलहाल राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है। हाल ही में 1.8.84 से दैनिक भत्तों की दरों में वृद्धि की गई है।

(3) राज्य में राज्य सरकार के कार्यालयों में कार्यरत खिलाड़ी कर्मचारियों को विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने पर नियमानुसार विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकार किया जाता है। विभिन्न सेवा नियमों में खिलाड़ियों को नौकरी दिये जाने हेतु प्राथमिकता दिये जाने हेतु आवश्यक संशोधन राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(4) अन्य राज्यों के मुकाबले में यह सुविधा समुचित है।

परिवहन निगम का लेखा जोखा

21. **श्री शोपत सिंह** (हनुमानगढ़) : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

राजस्थान राज्य परिवहन निगम में गत दो वर्षों की लाभ-हानि का लेखा-जोखा क्या रहा ? कृपया डिपो-वाइज विवरण सदन की मेज पर रखें ?

उत्तर

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में गत दो वर्षों की लाभ हानि दर्शाते हुए आगार वार लेखा जोखा सदन के पटल पर रख दिया गया।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में गत दो वर्ष (1983-84 एवं 1984-85) की लाभ/हानि दर्शाते हुए आगार वार मानचित्र

क्र. स.	नाम आगार	लाभ/हानि (+)/(—) (रुपये लाख में) 1983-84		1984-85	
1.	अलवर	(—)	28.99	(+)	9.55
2.	भरतपुर	(—)	23.88	(—)	29.45
3.	धौलपुर	(+)	15.04	(+)	16.41
4.	कोटपूतली	(—)	39.38	(—)	7.56
5.	जयपुर	(—)	1.55	(+)	13.55
6.	हिण्डौन	(—)	16.41	(—)	9.28
7.	द्रुतगामी	(+)	163.42	(+)	195.02
8.	उप नगरीय	(+)	1.93	(+)	6.33
9.	नगर वाहन सेवा	(—)	46.87	(—)	6.54

1	2	3	4	5	6
10.	जयपुर पश्चिम		—	(—)	15.50
11.	जयपुर पूर्व		—	(—)	13.51
12.	सीकर	(—)	8.71	(+)	9.72
13.	झुंझुनू	(—)	9.80	(+)	4.7ɔ
14.	खेतड़ी	(—)	16.25	(—)	4.72
15.	जोधपुर	(+)	16.70	(+)	35.86
16.	आबूरोड़	(+)	13.57	(+)	22.52
17.	सिरोही	(+)	00.86	(+)	3.63
18.	बाड़मेर	(+)	3.40	(—)	5.64
19.	जालौर	(—)	2.90	(+)	3.50
20.	फलौदी	(+)	8 44	(+)	8.24
21.	कोटा	(—)	14.90	(—)	11.17
22	झालावाड़	(—)	15.15	(—)	21.04
23.	बूंदी	(+)	17.28	(+)	25 83
24.	टौंक	(+)	8.64	(+)	25.13
25.	उदयपुर	(+)	16.07	(+)	23.69
26.	चित्तौड़गढ़	(+)	15.50	(+)	28.86
27.	बांसवाड़ा	(+)	7.38	(+)	16.50
28.	डूंगरपुर	(+)	10.99	(—)	2.89
29.	अजमेर	(+)	23.51	(+)	41.19
30.	नागौर	(+)	3.95	(—)	5.36
31.	ब्यावर	(+)	26.50	(+)	36.69
32.	भीलवाड़ा	(+)	29.33	(+)	41.78
33.	बीकानेर	(+)	4.81	(+)	6.70
34.	गंगानगर	(—)	16.02	(—)	9.07
35.	हनुमानगढ़	(—)	11.77	(—)	19.37
36.	सरदारशहर	(—)	16.07	(—)	7.92
		(+)	118.67	(+)	406.43

नोट : (1) क्र सं. 10 एवं 11 पर अंकित जयपुर पश्चिम एवं जयपुर पूर्व आगार माह अगस्त, 1984 में सृजित हुए अत: इन आगारों के संबंध में वर्ष 1983-84 के लिये कोई सूचना नहीं दर्शाई गई है।

(2) परिवहन निगम की आगार इकाइयों के लाभ हानि के उक्त लेखों जोड़ों में प्रधान कार्यालय एवं अन्य प्रशासनिक इकाइयों का खर्चा भी सम्मिलित है।

श्रीमाधोपुर के व्यापारियों के विरुद्ध कार्यवाही

23. श्री हरलाल सिंह (श्रीमाधोपुर) : श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : क्या खाद्य एवं रसद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत एक साल में तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने कितने व्यापारियों को दण्डित किया ? कृपया सूची तारीखवार सदन पटल पर रखें।

(2) उक्त व्यापारियों का क्या-क्या दोष था ? कृपया अलग-अलग दोषों का विवरण सदन पटल पर रखें।

(3) उक्त व्यापारियों को क्या-क्या दंड दिया गया ? कृपया दण्ड का अलग-अलग विवरण सदन पटल पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि एक ही दोष में अलग-अलग दण्ड दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) गत एक वर्ष में किसी भी व्यापारी को दण्डित नहीं किया गया फिर भी सदन की जानकारी हेतु तत्पश्चात् दण्डित किये व्यापारियों की सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(2) प्रस्तुत सूची के कालम नं. "4" में वांछित सूचना अंकित है।

(3) प्रस्तुत सूची के कालम नं. "5" में वांछित सूचना अंकित है।

(4) एक ही प्रकार के दोषों में अलग-अलग दण्ड इसलिए दिये गये हैं क्योंकि दण्ड दोष की गम्भीरता के आधार पर लाइसेंसिंग अधिकारी अपने विवेक (डिशक्रेशन) पर होता है।

भाग 1, 2 व 3 की सूची :—

क्र.सं.	गत एक वर्ष में दण्डित व्यापारियों का नाम	दण्डित करने की तिथि	दोष का संक्षिप्त विवरण	दिया गया दण्ड
1	2	3	4	5
1.	तनसुखलाल बोदीलाल, श्री माधोपुर।	3-5-85	निरीक्षण के समय मूल्य सूची नवीन व्यापार स्थल पर नहीं लगाना। 2-बिक्री के बिलों पर लाइसेन्स नम्बर नहीं लिखना।	13 दिन के लिये लाइसेन्स निलम्बित किया गया।

144

1	2	3	4	5
2.	मालीराम श्रवणकुमार, श्रीमाधोपुर।	3-5-85	निरीक्षण के समय मूल्य सूची नवीन व्यापार स्थल पर नहीं लगाना। 2-बिक्री के लिये बिलों पर लाइसेन्स नम्बर नहीं लिखना।	11 दिन के लिये लाइसेन्स निलम्बित किया गया।
3.	छिगनलाल कन्हैयालाल, श्रीमाधोपुर।	3-5-85	मासिक व पाक्षिक नक्शा 8 माह तक नहीं भेजना।	17 दिन के लिये लाइसेन्स निलम्बित किया गया।
4.	देवी सहाय सालिगराम, श्रीमाधोपुर।	3-5-85	मासिक व पाक्षिक नक्शे दो वर्ष तक नहीं भेजना।	43 दिन के लिये लाइसेन्स निलम्बित किया गया।
5.	बनवारीलाल जुगलकिशोर, श्रीमाधोपुर।	4-5-85	व्यापार स्थल परिवर्तन की सूचना समय पर नहीं देना 2-बिल बुक में लाइसेन्स नम्बर नहीं लिखना।	51/- अमानत राशि में से जप्त किये गये।
6.	नटवरलाल कृष्टकुमार, श्रीमाधोपुर।	6-5-85	व्यापार नहीं करते हुये वैद्य लाइसेन्स के साम्यिक व पाक्षिक नक्शे डेढ़ वर्ष तक नहीं भेजना।	अमानत राशि में से 101/- जप्त किये गये।
7.	चिमनलाल टेकचन्द, श्रीमाधोपुर।	7-5-85	निरीक्षण के समय मूल्य सूची नवीन व्यापार स्थल पर नहीं लगाना व बिल बुक में	अमानत राशि में से 100/- जप्त किये गये।

1	2	3	4	5
			लाइसेन्स नम्बर नहीं लिखना व्यापार परिवर्तन की सूचना विलम्ब से देना ।	
8.	बलदेवदास नरसिंहदास, श्रीमाधोपुर ।	7-5-85	मासिक व पाक्षिक नक्शा विलम्ब से पेश करना ।	अमानत राशि में से 51/- जप्त किये गये ।
9.	हनुमानबक्श शंकरलाल श्रीमाधोपुर ।	7-5-85	व्यापार स्थल परिवर्तन की सूचना 13 दिवस तक प्रस्तुत नहीं करना ।	अमानत राशि में से 151/- जप्त किये गये ।
10	चौधरी ब्रदर्स, श्रीमाधोपुर ।	7-5-85	व्यापार स्थल परिवर्तन की सूचना विलम्ब से देना तथा उसका जवाब पेश नहीं करना ।	अमानत राशि में से 21/- जप्त किये गये ।
11.	ज्योति एजेन्सी, श्रीमाधोपुर ।	7-5-85	व्यापार स्थल परिवर्तन की सूचना विलम्ब से देना ।	अमानत राशि में से 21/- जप्त किये गये ।
12.	मालीराम चौथमल, श्रीमाधोपुर ।	7-5-85	,, ,,	,, ,,
13.	गोविन्दराम सुरेश कुमार, श्रीमाधोपुर ।	7-5-85	,, ,,	,, ,,
14.	देवीदत ओमप्रकाश शर्मा, श्रीमाधोपुर ।	7-5-85	व्यापार स्थल परिवर्तन की सूचना विलम्ब से देना ।	अमानत राशि में से 21/- जप्त किये गये ।
15.	गोविन्दराम पुरषोत्तमदास, श्रीमाधोपुर ।	7-5-85	,, ,,	,, ,,

(146)

1	2	3	4	5
16.	रामोतार राधेश्याम, श्रीमाधोपुर।	14-5-85	व्यापार परिवर्तन स्थल की सूचना 14 दिन तक नहीं देना।	अमानत राशि में से 101/- जप्त किये गये।
17.	शंकर आयल मिल, श्रीमाधोपुर।	14-5-85	,, ,,	,, ,,
18.	पटवारी ब्रदर्स, श्रीमाधोपुर।	14-5-85	व्यापार परिवर्तन स्थल की सूचना 14 दिन तक नहीं देना।	अमानत राशि में में 101/- जप्त किये गये।
19.	अशोका ट्रेडिंग कम्पनी, श्रीमाधोपुर।	14-5-85	,, ,,	,, ,,
20.	रमेश कुमार अमरचन्द, श्रीमाधोपुर।	14-5-85	,, ,,	,, ,,
21.	शोभाराम भगवानदास, श्रीमाधोपुर।	14-5-85	व्यापार स्थल परिवर्तन की सूचना 13 दिन तक नहीं देना।	,, ,,
22.	मातादीन बाबूलाल, श्रीमाधोपुर।	14-5-85	,, ,,	,, ,,
23.	ज्ञानचन्द पवनकुमार, श्रीमाधोपुर।	14-5-85	व्यापार स्थल परिवर्तन की सूचना 16 दिन तक नहीं देना।	,, ,,
24.	भगवान सहाय गोयल, खण्डेला।	19-6-85	मासिक नक्शे पेश नहीं करना व बिना रोस्टर सूची के कैरोसीन देना।	अमानत राशि में से 51/- जप्त किये गये।
25.	गोयल ब्रदर्स, खण्डेला।	19-6-85	,, ,,	,, ,,
26.	राधेश्याम दयाशंकर, खण्डेला।	19-6-85	मासिक नक्शा पेश नहीं करना।	,, ,,

1	2	3	4	5
27.	मोदी ब्रदर्स, खण्डेला।	19-6-85	मासिक नक्शे पेश नहीं करना।	अमानत राशि में से 51/- जप्त किये गये।
28.	सावरमल अशोक कुमार, खण्डेला।	19-6-85	,, ,,	,, ,,
29.	पूरामल सत्यनारायण, रींगस।	19-6-85	पाक्षिक नक्शा पेश नहीं करना।	,, ,,
30.	लालचन्द सुरेश कुमार, रींगस।	19-6-85	बिक्री के बिलों पर पूर्ण पता नहीं लिखना तथा गुड़ शक्कर के नगों के साथ वजन नहीं लिखना।	,, ,,
31.	गणेश आयल स्टोर, कांवट।	19-6-85	मासिक नक्शा पेश नहीं करना शिकायत की जांच हेतु रिकार्ड पेश नहीं करना लाइसेन्स व किसी भी नोटिस का जवाब नहीं देना।	750/- अमानत राशि जप्त व लाइसेन्स निरस्त।

दूदू क्षेत्र में चिकित्सीय संस्थानों में स्टाफ एवं दवाइयों का अभाव

24. **श्री जयकृष्ण तोसावड़ा (दूदू)** : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) दूदू निर्वाचन क्षेत्र में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा उप स्वास्थ्य केन्द्र कहां-कहां स्थित हैं?

(2) क्या यह सही है कि निर्धारित माप दण्ड के आधार पर स्वास्थ्य सेवायें पर्याप्त हैं ? यदि नहीं, तो अब किन गांवों में यह व्यवस्था की जानी है ?

(3) क्या यह भी सही है कि वर्तमान में जो स्वास्थ्य केन्द्र या उपस्वास्थ्य केन्द्र हैं उनमें निर्धारित स्टाफ व दवाइयों की कमी है ? यदि हां, तो इसकी पूर्ति कब तक कर दी जावेगी ?

148

उत्तर

(1) दूदू पचायत समिति क्षेत्र में निम्न प्रा. स्वा. केन्द्र एवं उप स्वा. केन्द्र हैं :—

प्रा. स्वास्थ्य केन्द्र बीचून

उप स्वास्थ्य केन्द्र—प्रा. पं. क. केन्द्र

1. हरसोली	10. मोमाना
2. सुनाडिया	11. रोजडी
3. हिरनोदा	12. चांघली
4. पडासोली	13. चैनपुरा
5. सेवा	14. साखून
6. सावली	15. गिदानी
7. केसरी सिंहपुरा	16. गंगातीकलां
8. सावरदा	17. पिचियास
9. बोराज	18. कोरसोना

(2) जी हां।

(3) जी नहीं।

चूरू जिले में पिछड़े वर्ग के लोगों के उन्नयन की योजनायें

25. **श्रीमती हमीदा बेगम (चूरू) :** क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला चूरू में पिछड़े वर्ग के बच्चों के कल्याणार्थ कितने छात्रावास किस-किस जगह अब तक खोले गये हैं ? इनसे कितने लड़के, लड़कियां लाभन्वित हो रहे हैं ? जिले के लिए भावी योजनाएं क्या हैं ?

(2) सरकार इस जिले के पिछड़े लोग के उन्नयन के लिये क्या नई योजनाएं तैयार कर रही है ?

उत्तर

(1) सूचना परिशिष्ट "अ" सदन के पटल पर रख दी गई है। आवश्यकता अनुसार तथा वित्तीय साधनों को देखते हुये और छात्रावास खोलने की योजना बनाई जायेगी।

(2) वर्तमान में कोई नई योजना विचाराधीन नहीं है।

परिशिष्ट "अ"

चूरू जिले में अनुसूचित जाति, जन जाति के बच्चों के लिये खोले गये छात्रावासों की सूचना।

राजकीय छात्रावास

क्र. सं.	योजना	स्थान	स्वीकृत छात्र संख्या
1.	अनुसूचित जाति छात्रावास	चूरू	80
2.	,, ,, छात्रावास	सुजानगढ़	60

1	2	3	4
3.	अनुसूचित जाति छात्रावास	राजगढ़	25
4.	„ (हरिजन) छात्रावास	रतनगढ़	25
5.	„ (हरिजन कन्या) छात्रावास	चूरू	25

अनुदानित छात्रावास

1.	बापा सेवा सदन, सरदार शहर	सरदार शहर	85

उपरोक्त के अनुसार 5 राजकीय छात्रावास द्वारा 186 छात्र/छात्राएं लाभान्वित हो रहीं हैं और एक अनुदानित छात्रावास द्वारा 85 छात्र लाभान्वित हो रहे हैं। इस प्रकार कुल 271 छात्र/छात्रायें लाभान्वित हो रही हैं।

मण्डी अनूपगढ़ में पेय जल व्यवस्था

26. **श्री हंसराज (सूरतगढ़)** : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या मण्डी अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर में पेयजल योजना द्वारा पानी की सप्लाई नियमित रूप से हो रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि मण्डी अनूपगढ़ की कच्ची बस्तियों में पीने के पानी की व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। जल योजना मंडी अनूपगढ़ का जल स्त्रोत इन्दिरा गांधी नहर है। दिनांक 11-4-85 से 30-4.85 तक यह नहर बन्द होने के कारण पेयजल वितरण में कठिनाई आई थी। इस समस्या के स्थाई समाधान हेतु स्टोरेज टैंक की क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। इसके अलावा एक कुए का निर्माण कराया जा रहा है, जिसका कार्य प्रगति पर है।

(2) जी नहीं, समस्त कच्ची बस्तियों में पेयजल की व्यवस्था नहीं है। इन बस्तियों में पाईप लाइन डालने का प्रस्ताव विचाराधीन है, जो कि तकनीकी उपयुक्तता एवं धन उपलब्धता के अनुसार कार्य हाथ में लिया जावेगा।

जयपुर नगर में शराब के ठेके

28. **श्री गिरधारीलाल भार्गव (किशनपोल)** : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य सरकार द्वारा देशी शराब का ठेका खोलने के क्या आधार व नियम हैं ?

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

(2) क्या यह सही है कि सरकारी नीति के अनुसार मन्दिर, मस्जिद, मान्यता प्राप्त स्कूल व कालेज के पास शराब का ठेका नहीं खोला जाना चाहिये ?

(3) जयपुर शहर में कौन से मन्दिर, मस्जिद, मान्यता प्राप्त कालेज व स्कूल के पास शराब का ठेका खोला हुआ है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या जनता के विरोध पर भी देशी शराब का ठेका बन्द किया जा सकता है ?

उत्तर

(1) देशी शराब के ठेकों का स्थान आबकारी नियम 1956 के नियम 75 के अनुसार स्वीकृत किया जाता है।

(2) जी हां, यह सही कि आबकारी नियम 1956 के नियम के अन्तर्गत कालेज स्तर की शैक्षिणक, संस्थायें, अस्पताल, डिस्पेन्सरी एवं धार्मिक स्थान, फैक्टरी, लेबर हरिजन कालोनी के पास देशी शराब का ठेका नहीं होना चाहिये।

(3) चांदपोल के हनुमान जी के मन्दिर के पास दरवाजे बाहर संसार चन्द्र रोड के पूर्व में स्थिति देशी मदिरा की दुकान पूर्व में वर्षों में (वर्ष 81 से पूर्व) उनियारा राव के रास्ते में खुली हुई थी लेकिन जनता की शिकायत पर उसे हटाकर दरवाजे के बाहर 22.6.81 को अतिरिक्त जिलाधीश व अपर पुलिस अधीक्षक नगर व जिला आबकारी अधिकारी की सहमति से लगाई गई है।

(4) ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित दुकानों को बन्द करने हेतु राज्य सरकार ने राजस्थान एक्साइज (Closure of country liquor shop by localoption) नियम 1975 बनाये हैं जिसके अन्तर्गत दुकान बन्द करने की कार्यवाही की जाती है।

होम्योपैथिक औषधालयों में रिक्त पदों की पूर्ति

29. **श्री रामेश्वरलाल यादव** (चौमूं) क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में होम्योपैथिक औषधालय कुल कितने हैं ? कृपया जिले वार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) होम्योपैथिक औषधालय में प्रभारी चिकित्सकों के पद कब से कहां कहां रिक्त है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त रिक्त पदों पर अब तक पदस्थापन नहीं करने के क्या कारण हैं ?

(4) क्या राज्य सरकार उक्त रिक्त पदों की पूर्ति हेतु नई भर्ती करके चिकित्सकों की नियुक्ति करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। (परिशिष्ट "अ")

(2) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। (परिशिष्ट "ब")

(3) माह फरवरी, 1981 में होम्योपैथ डाक्टर द्वितीय श्रेणी के 25 पदों पर

(आयुर्वेद मंत्री)

नियुक्ति हेतु आमंत्रित प्रार्थना पत्रों में से 11 व्यक्ति नियुक्त कर दिये गये। तत्पश्चात होम्योपैथ डाक्टर प्रथम श्रेणी व द्वितीय श्रेणी के पद समाप्त किये जाकर एक ही पदनाम (होम्योपैथ चिकित्सक) स्वीकृत होने, यह पद राजस्थान लोक सेवा आयोग की परिधि में आने के कारण तथा न्यायालय द्वारा नवीन रूप से प्रार्थना पत्र आमंत्रित करने पर स्थगन आदेशों के कारण इन रिक्त पदों को भरने में मुख्यतः विलम्ब हुआ है। अपर मुंसिफ मजिस्ट्रेट जयपुर के न्यायालय में प्रस्तुत वाद दिनांक 4-2-85 को खारिज हुआ, परन्तु उच्च न्यायालय में प्रस्तुत याचिका अभी विचाराधीन है। उक्त नवीन पदनाम के साथ पद के लिये अर्हता निर्धारित करने का मामला भी कार्मिक विभाग के परामर्श से विचाराधीन है।

(4) इन रिक्त पदों को शीघ्रातिशीघ्र भरने हेतु कार्यवाही विचाराधीन हैं।

परिशिष्ट "अ"

जिलेवार होम्योपैथिक औषधालयों की सूची

क. सं.	जिला	स्वीकृत होम्योपैथ औषधालय
1.	अजमेर	3
2.	अलवर	4
3.	बांसवाड़ा	2
4.	बाड़मेर	1
5.	भरतपुर	3
6.	भीलवाड़ा	3
7.	बीकानेर	6
8.	बुन्दी	5
9.	चित्तोड़गढ़	2
10.	चूरू	2
11.	डूंगरपुर	2
12.	धौलपुर	1
13.	श्रीगंगानगर	3
14.	जयपुर	10
15.	जैसलमेर	1

152

1	2	3
16.	जालोर	1
17.	झालावाड़	2
18.	झुंझुनूं	2
19.	जोधपुर	2
20.	कोटा	3
21.	नागोर	2
22.	पाली	4
23.	सवाई माधोपुर	2
24.	सीकर	1
25.	सिरोही	4
26.	उदयपुर	6
27.	टोंक	3
	योग :-	80

परिशिष्ट "ब"

दिनांक 1-4-84 से पूर्व के रिक्त स्थानों की सूची

1.	सोनाई भापी	जिला पाली
2.	सुमेल	,,
3.	बाड़मेर	जिला बाड़मेर
4.	हरिजन बस्ती	जिला बीकानेर
5.	मामनवाली	,,
6.	बरसलपुर	,,
7.	करणीसर	,,
8.	नीमला	जिला गंगानगर
9.	चूरू	जिला चूरू
10.	सुलई	जिला उदयपुर

11	राजगढ़	जिला चित्तोड़गढ़
12.	बेडसा	जिला डूंगरपुर
13.	खेरवा	जिला बांसवाड़ा
14.	रेलावन	जिला कोटा
15.	झालरापाटन	जिला झालावाड़
16.	भरणी	जिला टोंक
17.	आबूरोड	जिला सिरोही
18.	नारायणपुरा	जिला अलवर
19.	नयावास	जिला भरतपुर
20.	बाछोला	जिला बुन्दी
21.	बांवाड़ा शहर	जिला बांसवाड़ा

वर्ष 1984-85 में खोले गये होम्योपैथिक औषधालय जहां स्थान रिक्त है

22.	ब्यावर	जिला अजमेर
23.	सिरोही	जिला सिरोही
24.	भीलवाड़ा	जिला भीलवाड़ा
25.	नयागांव (घोपड़ा)	जिला पाली
26.	खम्बोरी	जिला बुन्दी
27.	सलूम्बर	जिला उदयपुर
28.	टोंक	जिला टोंक

ग्रामीण एवं महिला खेलकूद केन्द्र

30. **श्री केदार नाथ** (श्री गंगानगर) क्या खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) खेल परिषद् ने प्रदेश में कितने ग्रामीण एवं महिला खेलकूद केन्द्र स्थापित किये है ?

(2) वर्ष 1984-85 में खिलाड़ियों पर कितनी राशि व्यय की गई है ?

उत्तर

(1) खेल परिषद् के वर्तमान में 171 केन्द्र बालकों व 12 केन्द्र बालिकाओं के ग्रामीण तथा जनजाति क्षेत्र में कार्यरत हैं। परिषद् द्वारा खिलाड़ियों को निःशुल्क प्रशिक्षण के अलावा दी जा रही सुविधाओं का विवरण परिशिष्ट "क" में अंकित है।

(2) वर्ष 1984-85 के दौरान प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप में रु. 16,67,000 खिलाड़ियों पर व्यय किये गये।

154

परिशिष्ट "क"

1. राज्य एवं राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में दी जाने वाली सुविधाऐं— नियमानुसार यात्रा व्यय, दैनिक भत्ता तथा अनुसांगिक (ईन्सीडेनटल) व्यय।

2. विभिन्न प्रशिक्षण शिविरों में दी जाने वाली सुविधायें :—

केन्द्रीय प्रशिक्षण शिविर	राष्ट्रीय प्रतियोगिता से पूर्व प्रशिक्षण शिविर	प्रतिभा खोज व फालोअप शिविर	ग्रामीण एवं महिला
यात्रा व्यय निशुल्क आवास, भोजन अथवा नियमानुसार दैनिक भत्ता, निशुल्क खेल उपकरण एवं टी शर्टस	यात्रा व्यय नियमानुसार दैनिक भत्ता व स्थानीय खिलाड़ियों को रु. 3 सवारी भत्ता, तथा 24 घंटे प्रशिक्षण स्थल पर रहने पर दैनिक भत्ता दर रुपये 12 प्रतिदिन व निशुल्क खेल उपकरण	रु. 3 का प्रतिदिन प्रति खिलाड़ी अल्पाहार और निशुल्क खेल उपकरण	रु. 3 का प्रति दिन प्रति खिलाड़ी अल्पाहार और खेल उपकरण

3. पुरस्कार के रूप में दी गई सुविधा

1. राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय एव तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को नियमानुसार पुरस्कार राशि।

2. राज्य एवं राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में नये कीर्तिमान स्थापित करने वाले खिलाड़ियों को नियमानुसार पुरस्कार।

3. प्रदेश के कुछ प्रतिभा सम्पन्न चयनित खिलाड़ियों का महाराणा प्रताप पुरस्कार से सम्मान।

4. अन्य सुविधायें

1. चयनित राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को नियमानुसार मासिक खुराक भत्ता।

2. राज्य सरकार के खिलाड़ी कर्मचारियों को विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने पर नियमानुसार विशेष आकस्मिक अवकाश।

परिशिष्ट-5

(अतारांकित प्रश्न संख्या 2 की सूची)

गृह निर्माण सहकारी समितियों की स्वीकृत योजनाओं की सूची

क्रमांक	नाम समिति			नाम योजना
1	2			3
1.	स्वर्णकार गृह निर्माण सहकारी समिति लि			बस्सी सीताराम पुरा
2.	न्यू पिंक सिटी	,,	,,	श्याम नगर (अजमेर रोड)
3.	सुदर्शनपुरा	,,	,,	सुदर्शनपुरा
4.	इन्कम टैक्स	,,	,,	सिविल लाइन्स
5.	किसान	,,	,,	दुर्गापुरा (टौंक रोड)
6.	बसंत बहार	,,	,,	मानपुर देवी (टौंक रोड)
7.	नवगृह	,,	,,	ग्राम बूला (ऊषा कालोनी)
8.	महेश	,,	,,	रामपुरा कपा
9.	किर्ती नगर	,,	,,	सोढाला (न्यू सांगानेर रोड)
10.	राम नगर	,,	,,	हथरोई (संसार चन्द रोड)
11.	सहकारी विभाग कर्म.	,,	,,	अजमेर रोड
12.	ज्योति जगजीवन	,,	,,	शहर हाऊस
13.	सुदर्शनपुरा	,,	,,	स्कीम न. 2
14.	सुदर्शनपुरा	,,	,,	स्कीम न. 3
15.	सुदर्शनपुरा	,,	,,	स्कीम न. 4
16.	ज्योति जगजीवन	,,	,,	कल्याण कालोनी (ख. न. 531)
17.	श्रीरामपुरा	,,	,,	सिविल लाइन्स (2वी. 2वी.एक्स.)
18.	नवजीवन	,,	,,	कृष्णा नगर
19.	खुदाबादी	,,	,,	चौधरी कालोनी
20.	खुदाबादी	,,	,,	लक्ष्मण कालोनी
21.	गोविन्द	,,	,,	ज्ञान विहार
22.	नवजीवन	,,	,,	निर्माण नगर
23.	अरविन्द नगर	,,	,,	शालीमार बाग

(158)

1	2			3
24.	दी कृष्णा गृह निर्माण सहकारी समिति			भन नगर
25.	संयुक्त	,,	,,	कासम्मो कालोनी
26.	प्रताप नगर	,,	,,	स्कीम नं. 1
27.	आनन्द भवन	,,	,,	बिर बिहार
28.	अपोलो नगर	,,	,,	नीलकंठ कालोनी
29.	आनन्द भवन	,,	,,	महात्मा गांधी नगर
30.	स्वास्तिक	,,	,,	गौरव नगर
31.	खुदाबादी	,,	,,	विवेक बिहार
32.	खुदाबादी	,,	,,	माधव नगर
33.	गुलाब बाडी	,,	,,	विजय नगर ए. बी.
34.	सुभाष सिन्धी	,,	,,	स्कीम नं. 10
35.	नवजीवन	,,	,,	स्कीम नं. बी
36.	गुलाबबाडी	,,	,,	सूरज नगर
37.	गोविन्द नगर	,,	,,	गोविन्द नगर पूर्व
38.	गोविन्द नगर	,,	,,	गोविन्द नगर एक्स
39.	प्रताप नगर	,,	,	स्कीम नं. 9
40.	अपोलो	,,	,,	रामनगर एक्स.
41.	प्राइवेट सब डिविजन	,,	,,	नटराज नगर
42.	प्राइवेट सब डिविजन	,,	,,	कृष्णा कालोनी
43.	अम्बेडकर	,,	,,	किदवई नगर
44.	राजहंस	,,	,,	लवकुश नगर प्रथम
45.	राजहंस	,,	,,	लवकुश नगर द्वितीय
46.	पथिक भवन	,,	,,	स्कीम नं. 1
47.	राज. सके. मिनी. एम्प.		,,	सचिवालय कालोनी
48.	राजहंस	,,	,,	जनकपुरी ब्लाक ए
49.	राजहंस	,,	,,	जनकपुरी ब्लाक बी
50.	सैन कालोनी	,,	,,	स्कीम नं. 1
51.	शंकर भवन	,,	,,	चित्रगुप्त नगर प्रथम

1	2			3
52.	शंकर भवन गृह निर्माण सह. समिति लि.			चित्रगुप्त नगर द्वितीय
53.	प्राइवेट सब डिवी.	,,	,,	फ्रेंड्स कालोनी
54.	सुभाष सिन्धी	,,	,,	स्कीम नं. 5
55.	सुभाष सिन्धी	,,	,,	स्कीम नं. 8
56.	गुलाब बाड़ी	,,	,,	मूर्तिकला कालोनी
57.	तोपखाना देश	,,	,,	स्कीम नं. 8
58.	तोपखाना देश	,,	,,	स्कीम नं. 11
59.	भारत भवन	,,	,,	वंसुन्धरा कालोनी
60.	सैन कालोनी	,,	,,	शिव कालोनी
61.	प्राइवेट सब डिवी.	,,	,,	ईमलीवाला फाटक
62.	आनन्द भवन	,,	,,	टैगोर नगर
63.	नवजीवन	,,	,,	निर्माण नगर डी
64.	अरविन्द नगर	,,	,,	शिव शक्ति नगर
65.	बाल्मिकी	,,	,,	वृन्दावन बिहार
66.	महाराज गोपालपुरा	,,	,,	शिवाजी नगर
67.	न्यू पिंक सिटी	,,	,,	वेंकटेशवर कालोनी
68.	न्यू पिंक सिटी	,,	,,	अजेगढ़ बिहार
69.	गुलाब बाड़ी	,,	,,	कल्याण कालोनी
70.	न्यू पिंक सिटी	,,	,,	श्याम नगर विस्तार डी
71.	नवजीवन	,,	,,	साकेत नगर
72.	गुलाब बाड़ी	,,	,,	हबीब कालोनी
73.	बाल्मिकी	,,	,,	ऋषि कालोनी
74.	प्रताप नगर	,,	,,	स्कीम न. 9
75.	प्रताप नगर	,,	,,	स्कीम नं. 3 ए
76.	प्रताप नगर	,,	,,	वेंकटेशवर नगर
77.	अपोलो	,,	,,	रामनगर स्कीम
78.	प्राइवेट सब डिवी.	,,	,,	कृष्णा नगर
79.	न्यू पिंक सिटी	,,	,,	बरकत नगर (भू. 1 से 836)

(158)

1	2			3
80.	पथिक भवन गृह निर्माण सह. समिति लि.			स्कीम नं. 9 (ब्लाक ए व बी)
81.	प्रताप नगर	,,	,,	स्कीम नं. 8 (बी व सी)
82.	शंकर भवन	,,	,,	शक्ति नगर
83.	नेशनल	,,	,,	स्कीम नं. 7
84.	न्यू पिंक सिटी	,,	,,	महेश नगर
85.	बजाज नगर	,,	,,	मधुबन उत्तर व पश्चिम
86.	मोती भवन	,,	,,	सुरेन्द्रा पाल कालोनी
87.	पथिक भवन	,,	,,	योजना सं. 12
88.	जय चामुण्डा	,,	,,	आयुवान सिंह नगर
89.	अपोलो नगर	,,	,,	सन्तोष नगर
90.	न्यू पिंक सिटी	,,	,,	कृष्णा विहार विस्तार
91.	न्यू पिंक सिटी	,,	,,	श्याम नगर विस्तार
92.	न्यू पिंक सिटी	,,	,,	महावीर नगर
93.	गुलाब बाडी	,,	,,	हनुमान कालोनी
94.	सिविल लाइन्स	,,	,,	सिविल लाइन्स
95.	गोविन्द	,,	,,	गोविन्द नगर वेस्ट
96.	प्राइवेट सब डिवी.	,,	,,	जय किसान कालोनी
97.	इन्द्रा नगर	,,	,,	नित्यानन्द नगर ए
98.	इन्द्रा नगर	,,	,,	नित्यानन्द नगर बी
99.	कृष्णा	,,	,,	बे-5
100.	न्यू पिंक सिटी	,,	,,	अग्रसेन नगर
101.	न्यू पिंक सिटी	,,	,,	अशोक विहार एक्स
102.	न्यू पिंक सिटी	,,	,,	कृष्णा विहार नगर
103.	सहकारी मित्र	,,	,,	जमना नगर
104.	मौजी	,,	,,	—
105.	जय जवान	,,	,,	यूनिट नं. 3
106.	जय जवान	,,	,,	यूनिट नं 2
107.	पथिक भवन	,,	,,	12 बी

1	2			3
108.	फोरेस्ट एम्प गृह निर्माण सह. समिति लि.			वन बिहार पार्ट
109.	छत्रपति शिवाजी	,,	,,	पटवारी कालोनी
110.	न्यू पिंक सिटी	,,	,,	हरी मार्ग
111.	विद्युत अभियन्ता	,,	,,	—
112.	सुभाष सिन्धी	,,	,,	स्कीम नं. 12
113.	माणिक्य पुरी	,,	,,	कजोड़ कालोनी
114.	मित्र गृह	,,	,,	मरुधर नगर
115.	नवजीवन	,,	,,	विद्युत नगर ए
116.	राजहंस	,,	,,	रूप नगर II
117.	राजहंस	,,	,,	सैन कालोनी I
118.	राजहंस	,,	,,	अवधपुरी
119.	सुभाष सिन्धी	,,	,,	स्कीम नं. II
120.	माणिक्यपुरी	,,	,,	भागीरथ नगर
121.	खुदाबादी	,,	,,	पार्श्वनाथ कालोनी
122.	शिल्पाचार्य	,,	,,	किशन नगर
123.	ज्योति जगजीवन	,,	,,	अचरोल नगर
124.	लक्ष्मीनारायणपुरी	,,	,,	अर्जुन नगर पार्ट
125.	अपोलो	,,	,,	कागजीयान कालोनी
126.	अपोलो	,,	,,	महावीर नगर
127.	दी कृष्णा	,,	,,	दुसाद नगर
128.	खादी ग्रामोद्योग कर्म.	,,	,,	खादी ग्रामोद्योग
129.	न्यू पिंक सिटी	,,	,,	कृष्णा नगर
130.	पथिक भवन	,,	,,	स्कीम नं. 1
131.	नेशनल	,,	,,	योजना स. 2
132.	अपोलो	,,	,,	हीरा नगर
133.	पथिक भवन	,,	,,	स्कीम नं. 9
134.	नवजीवन	,,	,,	विद्युत नगर बी
135.	गुलाब बाडी	,,	,,	महादेव नगर

(160)

1	2			3
136.	मोती भवन गृह निर्माण सह. स. लि.,			हनुमान नगर
137.	अपोलो	,,	,,	महेश नगर विस्तार
138.	नवजीवन	,,	,,	निर्माण नगर ए. बी.
139.	अरविन्द नगर	,,	,,	एस. बी बी. जे. कालोनी
140.	कृष्णापुरी	,,	,,	योजना स. 1
141.	अरविन्द नगर	,,	,,	उदय नगर ए
142.	कृष्णापुरी	,,	,,	योजना सं. 2
143.	न्यू पिंक सिटी	,,	,,	सिद्धार्थ नगर ई. ब्लाक
144.	पथिव भवन	,,	,,	योजना स. 13
145.	शिल्पाचार्य	,,	,,	गंगा जमना
146.	जयपुर मेटल्स	,,	,,	सीकर रोड
147.	बजाज नगर	,,	,,	मधुबन विस्तार
148.	न्यू लाइट	,,	,,	मान सरोवर
149.	प्रताप नगर	,,	,,	स्कीम नं. 3
150.	छत्रपति शिवाजी	,,	,,	सम्राट नगर
151.	शिल्पाचार्य	,,	,,	ऋषभ नगर
152.	नवजीवन	,,	,,	संजय नगर ए
153.	नवजीवन	,,	,,	दादाबाड़ी

आवासीय कॉलोनी एप्रूव्ड करने के मापदण्ड एवं नियम

विभिन्न गृह निर्माण सहकारी समितियों की योजनाओं में स्थित भूमि के रूपान्तरण हेतु सिफारिश करने एवं योजनाओं को नियमित करने के प्रयोजन से जयपुर शहर को 28 सैक्टरों में बांटा गया। सुविधा की दृष्टि से योजनाओं को 5 श्रेणियों में विभक्त किया गया। प्रथम श्रेणी में वे योजनाएं आती हैं जिनमें 50 प्रतिशत से अधिक भू-खण्डों का रूपान्तरण शुल्क, समिति या उसके सदस्यों द्वारा दिनांक 31-5-82 से पूर्व जमा कराया गया था। द्वितीय श्रेणी में वे योजनाएं आती हैं जिनमें भूमि रूपान्तरण

शुल्क समिति द्वारा या उसके सदस्यों द्वारा दिनांक 31-5-82 से पूर्व 2 प्रतिशत भूखण्डों से अधिक एवं 50% से कम के लिये जमा कराया गया हो। तृतीय चतुर्थ एवं पंचम श्रेणियों में वे योजनाएं आती हैं जिनमें रूपान्तरण शुल्क की राशि 2 प्रतिशत से कम भूखण्डों के लिये 31-5-82 से पूर्व जमा कराई गई हो। इन सेक्टरों का सेक्टर प्लान बनाया जा चुका है। सभी योजनाओं का सेक्टर प्लान के अनुसार निस्तारण किया जाता है।

राज्य सरकार के निर्णयानुसार केवल श्रेणी प्रथम व द्वितीय की योजनाओं को अनुमोदन हेतु तकनीकी दृष्टि से जांचा जा रहा है।

ग्रीन बैल्ट क्षेत्र में केवल श्रेणी प्रथम की योजनाओं को तकनीकी दृष्टि से अनुमोदित किया जा रहा है।

मास्टर प्लान के अनुसार आवासीय क्षेत्र में आने वाली भूमि का नियमन किया जाता है सेक्टर एवं सेक्टर से बाहर गैर आवासीय उद्योग में समितियों की योजनाओं का वहीं अनुमोदन किया जा रहा है जहां कि निर्माण कार्य अधिक तादाद में है। बिल्टअप योजनाओं के अलावा गैर आवासीय उपयोग में आने वाली योजनाओं को अनुमोदन हेतु सिफारिश नहीं की जाती।

योजनाओं में 60 प्रतिशत क्षेत्र आवासीय व 40 प्रतिशत क्षेत्र सुविधाओं व सड़कों के लिए छोड़ा गया है।

सेक्टर प्लान के अनुसार व तकनीकी दृष्टि से जांच कर योजनाओं को द्वितीय स्तर भवन मानचित्र की बैठक के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद जिलाधीश कार्यालय को भूमि रूपान्तरण हेतु सिफारिश कर भिजवाया जाता है।

जिलाधीश कार्यालय से भूमि रूपान्तरण आदेश प्राप्त हो जाने के बाद समितियों से योजना का डिमारकेशन प्लान मांगा जाता है ताकि मौके पर योजना व भूखण्डों की सही स्थिति का पता चल जाय फिर योजना पर प्लानिंग पैरामीटर लगाये जाते है और समाचार पत्रों में विज्ञप्ति दी जाती है। 250 वर्ग गज तक के भूखण्डों के लिए बिल्डिंग प्लान प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

परिशिष्ट–6

(अतरांकित प्रश्न संख्या 5 की सूची)

बीड़ मैथना तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर में वन भूमि पर अतिक्रमियों की सूची

क्र. सं.	नाम वल्दियत व सकूमत	अतिक्रमित भूमि का क्षेत्रफल
1.	रघुवर पुत्र किशन गुर्जर सा मैथना	1 बीघा 16 बिस्वा
2.	भीमा पुत्र हीरा गुर्जर सा. मैथना	3 बीघा 2 बिस्वा
3.	रोशन पुत्र जल्ली गुर्जर सा. मैथना	1 बीघा 11 बिस्वा
4.	रामधन पुत्र हनुमत गुर्जर सा. मैथना	1 बीघा 6 बिस्वा

परिशिष्ट–7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 11 की सूचियां)

परिशिष्ट—"अ"

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर
शहरवार आवासों का पंजीकरण

[आरम्भ से वर्ष 1984—85 तक]

क्र.सं.	शहर का नाम	पंजीकरण	क्र.सं.	शहर का नाम	पंजीकरण
1.	हनुमानगढ़	1487	25.	भिवाड़ी	686
2.	श्रीगंगानगर	2029	26.	ब्यावर	1264
3.	सूरतगढ़	277	27.	भवानीमण्डी	267
4.	बीकानेर	4332	28.	गुलाबपुरा	183
5.	जोधपुर	14158	29.	सवाईमाधोपुर	1042
6.	उदयपुर	8173	30.	धौलपुर	480
7.	भीलवाड़ा	1912	31.	सिवाना	208
8.	पाली	1841	32.	रायला	150
9.	चित्तौड़गढ़	709	33.	सांगानेर	22457
10.	बालोतरा	547	34.	सुनेल	343
11.	बांसवाड़ा	1036	35.	प्रतापगढ़	163
12.	सागवाड़ा	615	36.	सिरोही	251
13.	बून्दी	647	37.	हिण्डौन	131
14.	झालावाड़	133	38.	सुमेरपुर	155
15.	रामगन्जमण्डी	430	39.	टोंक	134
16.	बारां	481	40.	आबूरोड	178
17.	अजमेर	9040	41.	चौमूं	153
18.	किशनगढ़	438	42.	दौसा	204
19.	भरतपुर	383	43.	नाथद्वारा	123
20.	जयपुर	41944	44.	गंगापुरसिटी	165
21.	झुन्झुनूं	740	45.	मानटाउन	146
22.	सीकर	1290	46.	गंगाशहर	256
23.	कोटा	26277	47.	नोहर	263
24.	अलवर	7395	48.	निम्बाहेड़ा	185

(164)

क्र.सं.	शहर का नाम	पंजीकरण	क्र.सं.	शहर का नाम	पंजीकरण
49.	डूंगरपुर	665	80.	मकराना	27
50.	अनूपगढ़	29	81.	नागौर	32
51.	बाड़मेर	79	82.	नसीराबाद	56
52.	बिलाड़ा	13	83.	नीमकाथाना	29
53.	बरियानकाली	04	84.	नवलगढ़	01
54.	बिसाऊ	01	85.	फलौदी	47
55.	बयाना	21	86.	पिपाड़	07
56.	बाड़ी	15	87.	पिलानी	38
57.	भीनमाल	39	88.	पीलीबंगा	43
58.	भादरा	44	89	फुलेरा	07
59.	चुरू	56	90.	राजसमन्द	38
60.	चिड़ावा	12	91.	रावला	17
61.	डीडवाना	18	92.	रामगढ़	01
62.	डूंगरगढ़	01	93.	रतनगढ़	10
63.	डीग	27	94.	राजगढ़	15
64.	फतहनगर	81	95.	रावतसर	05
65.	फतहपुर	02	96.	रायसिंहनगर	43
66.	घड़साना	22	97.	सलूम्बर	46
67.	जैसलमेर	72	98	शाहपुरा	02
68.	जैतारण	32	99.	श्रीमाधोपुर	16
69.	जालोर	50	100.	सरदारशहर	10
70	कोटपूतली	97	101.	सुजानगढ़	13
71.	कांकरोली	36	102.	सोजत सिटी	29
72.	केकड़ी	07	103.	सांगोद	04
73.	केसरीपाटन	03	104.	उदयपुरवाटी	02
74.	कुचामन	26	105.	विजयनगर	61
75.	कामां	37	106.	रींगस	01
76.	करौली	54	107.	समदड़ी	01
77.	लूणकरनसर	15	108.	देवली	08
78.	लाडनूं	07	109.	माउंट आबू	24
79.	मेड़ता सिटी	78	110.	शिवगन्ज	01

नोट :—निम्न शहरों में पंजीकरण नहीं हुआ है :—लक्ष्मणगढ़, लाखेरी, मांडलगढ़, मंडावा, नोखा एवं नैनवा।

परिशिष्ट—"ब"

शहरवार आवासों का आवंटन

(प्रारम्भ से वर्ष 1984—85)

क्र. सं.	शहर का नाम	कुल आवंटन
1.	हनुमानगढ़	752
2.	श्रीगंगानगर	895
3.	सूरतगढ़	183
4.	बीकानेर	2349
5.	जोधपुर	6504
6.	उदयपुर	2951
7.	भीलवाड़ा	664
8.	पाली	982
9.	चित्तौड़गढ़	229
10.	बालोतरा	136
11.	बांसवाड़ा	949
12.	सागवाड़ा	615
13.	बूंदी	514
14.	झालावाड़	82
15.	रामगंजमण्डी	373
16.	बारां	335
17.	अजमेर	2038
18.	किशनगढ़	288
19.	भरतपुर	229
20.	जयपुर	14519
21.	झुन्झुनू	317
22.	सीकर	236
23.	कोटा	16152
24.	अलवर	2779
25.	भिवाड़ी (अलवर)	335
	कुल	55406

परिशिष्ट—"स"

राजस्थान आवासन मण्डल : जयपुर

विभिन्न शहरों में अब तक आवासन मण्डल द्वारा कब्जा दिये गये मकानों का विवरण :—

क्र.सं.	शहर का नाम	मकानों की संख्या
1.	जयपुर	8754
2.	अलवर	1388
3.	झुन्झुनूं	30
4.	भरतपुर	221
5.	भिवाड़ी	45
6.	कोटा	8439
7.	बून्दी	246
8.	जोधपुर	4799
9.	उदयपुर	2745
10.	बीकानेर	1677
11.	अजमेर	1655
12.	पाली	726
13.	श्रीगंगानगर	771
14.	भीलवाड़ा	563
15.	चित्तौड़गढ़	212
16.	बांसवाड़ा	749
17.	सागवाड़ा	619
18.	हनुमानगढ़	477
19.	सूरतगढ़	85
	योग :	34201

परिशिष्ट—"द"

राजस्थान आवासन बोर्ड : जयपुर

विभिन्न शहरों की सूची जहां राज. आवासन मण्डल ने आवासों का निर्माण किया है :—

क्र. सं.	शहर का नाम
1.	जयपुर
2.	अलवर
3.	सीकर
4.	झुन्झुनू
5.	भरतपुर
6.	धौलपुर
7.	कोटा
8.	बून्दी
9.	रामगन्ज मण्डी
10.	बारां
11.	झालावाड़
12.	जोधपुर
13.	अजमेर
14.	किशनगढ़
15.	ब्यावर
16.	बालोतरा
17.	बीकानेर
18.	पाली
19.	श्रीगंगानगर
20.	सवाईमाधोपुर
21.	सिवाना
22.	हनुमानगढ़
23.	चित्तौड़गढ़

1	2
24.	सूरतगढ़
25.	उदयपुर
26.	डूंगरपुर
27.	गुलाबपुरा
28.	रायला
29.	भीलवाड़ा
30.	सागवाड़ा
31.	भिवाड़ी
32.	बांसवाड़ा

परिशिष्ट—"य"

राजस्थान आवासन मण्डल : जयपुर

उन शहरों की सूची जिनकी आबादी अन्य शहरों में चल रही योजनाओं की आबादी से अधिक है :—

उन शहरों की आबादी 20,000 से कम है :—

क्र.सं.	जिले का नाम	शहर का नाम
1.	श्री गंगानगर	करणपुर
2.	"	सादुलशहर
3.	"	सांगरिया
4.	"	रायसिंहनगर
5.	"	पीलीबंगा
6.	"	अनूपगढ़
7.	"	

1	2	3
8.	बीकानेर	नापासर
9.	चूरू	तारानगर
10.	,,	राजलदेसर
11.	,,	बीदासर
12.	,,	छापर
13.	झूंझुनू	बिसाऊ
14.	,,	मण्डावा
15.	,,	बगड़
16.	,,	पिलानी
17.	,,	सूरजगढ़
18.	,,	गोठड़ा
19.	,,	खेतड़ी
20.	,,	मुकुन्दगढ़
21.	,,	उदयपुर वाटी
22.	अलवर	खैरथल
23.	,,	तिजारा
24.	,,	राजगढ़
25.	भरतपुर	कामां
26.	,,	नदबई
27,	,,	कुम्हेर
28.	,,	वैर
29.	,,	गजाखेड़ा
30.	सवाईमाधोपुर	टोड़ा भीम
31.	जयपुर	शाहपुरा
32.	,,	मनोहरपुर
33.	,,	आमेर
34.	,,	सांभर
35	,,	फुलेरा

1	2	3
36.	जयपुर	बसवा
37.	,,	बांदीकुई
38.	,,	चाकसू
39.	,,	लालसोट
40.	,,	रामगढ़
41.	सीकर	नीम का थाना
42.	,,	खण्डेला
43.	,,	श्रीमाधोपुर
44.	,,	रींगस
45.	,,	लोसर
46.	अजमेर	विजयनगर
47.	टोंक	मालपुरा
48.	,,	निवाई
49.	,,	टोडारायसिंह
50.	पाली	निमाज
51.	,,	सादड़ी
52.	,,	सुमेरपुर
53.	,,	बाली
54.	जालोर	साचौर
55.	सिरोही	शिवगंज
56.	,,	पिण्डवारा
57.	भीलवाड़ा	शाहपुरा
58.	,,	जहाजपुर
59.	,,	माण्डलगढ़
60.	उदयपुर	देवगढ़
61.	,,	फतेहनगर
62.	,,	भिण्डर

1	2	3
63.	उदयपुर	सलूम्बर
64.	चित्तौड़गढ	रावतभाटा
65.	"	कपासन
66.	"	छोटी सादड़ी
67.	"	बड़ी सादड़ी
68.	कोटा	मांगरोल
69.	"	कैथून
70.	"	सांगोद
71.	"	छबड़ा
72.	झालावाड़	झालरापाटन
73.	"	भवानीमंडी

राजस्थान आवासन बोर्ड : जयपुर

उन शहरों की सूची जिनकी आबादी अन्य शहरों में चल रही योजनाओं की आबादी से अधिक है :—

(क) उन शहरों की सूची जिनकी जनसंख्या 50,000 से कम है :—

1.	गंगानगर	रावतसर
2.	"	नोहर
3.	"	भादरा
4.	बीकानेर	गंगाशहर
5.	"	नोखा
6.	चूरू	राजगढ़
7.	"	डूंगरगढ़
8.	"	रतनगढ़
9.	झुंझुनू	चिड़ावा
10.	"	नवलगढ़
11.	भरतपुर	डीग

1	2	3	4
12.	भरतपुर	बयाना	
13.	,,	वाड़ी	
14.	सवाई माधोपुर	हिण्डौन	
15.	,,	गंगापुर	
16.	,,	करौली	
17.	जयपुर	कोटपुतली	
18.	,,	चौमूं	
19.	,,	सांगानेर	
20.	,,	दौसा	
21.	सीकर	लक्ष्मणगढ़	
22.	अजमेर	नसीराबाद	
23.	,,	केकड़ी	
24.	जैसलमेर	जैसलमेर	
25	जोधपुर	फलौदी	
26.	,,	पीपाड़	
27.	,,	बिलाड़ा	
28.	नागौर	लाडनूं	
29.	,,	डीडवाना	
30.	,,	नागौर	
31.	,,	कुचामन	
32.	,,	मेड़ता सिटी	
33.	,,	मकराना	
34.	पाली	सोजत	
35.	जालौर	जालौर	
36.	,,	भीनमाल	
37.	सिरोही	सिरोही	
38.	,,	आबूरोड	
39.	उदयपुर	राजसमन्द	

1	2	3
40.	उदयपुर	नाथद्वारा
41,	चित्तौड़गढ़	निम्बाहेड़ा
42.	,,	प्रतापगढ़
43.	बून्दी	लाखेरी

उन शहरों की सूची जिनकी जनसंख्या (एक लाख) 1,00,000 से कम है :—

1.	चूरू	सरदारशहर
2.	,,	चूरू
3.	,,	सुजानगढ़
4.	सीकर	फतेहपुर
5.	टौंक	टौंक
6.	बाड़मेर	बाड़मेर

परिशिष्ट—8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 12 की सूची)

परिशिष्ट "क"

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत अजमेर तहसील के स्वीकृ कार्यों का विवरण

राशि (लाखों में

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	स्वीकृति दिनांक	कार्य कराने वाली एजेन्सी	कार्य प्रगति
1.	अप्रोच रोड बनेवड़ा वाया नसीराबाद बाघसूरी	7.00	18-1-84	सा.नि.वि.	कार्य रहा
2.	अप्रोच रोड साम्प्रोदा वाया रामसर	4.40	"	"	"
3.	सामाजिक वानिकी मीरशाली	420	जनवरी, 84	वन विभाग	कार्य
4.	सा. वानिकी महुआबोड़	4.20	"	"	,
5.	" " तारागढ़	8.40	"	"	कार्य चल
6.	" " मदारपहाड़	8.40	"	"	,
7.	वृक्षारोपण कार्य श्रीनगर	2.71	"	"	कार्य
8.	" " पीसांगन	3.62	"	"	कार्य चल
9.	सामु. सिंचन कूप मुहामी	0.416	17-11-84	प.स. श्रीनगर	
10.	फूल सागर कायड	1.46	21-1-85	सिंचाई विभाग	
11.	फूल सागर बीर	0.53	"	"	
12.	सापुन्दा एनिकट	0.60	11-4-85	कृषि(भू-संरक्षण)	
13.	दूमाडा एनिकट	0.98	"	"	
14.	लीडी एनिकट	0.50	"	"	
15.	चरागाह रामसर	1.17	"	"	
16	चरागाह तिहारी	0.80	"	"	
17.	चरागाह भूढोल	0.80	"	"	
18.	चरागाह भडसूरी	0.65	"	"	

परिशिष्ट–9

अतारांकित प्रश्न संख्या 15 की ग्राडिट रिपोर्ट की प्रति

ग्राडिट नोट वर्ष 83-84

नाम समिति : दी लाडनू क्रय विक्रय सहकारी समिति लि., लाडनू
पोस्ट–लाडनू पं. सं. एवं तहसील–लाडनू, जिला नागौर (राज.)

पंजीयन संख्या 999/ एस.

पंजीयन दिनांक 4/7/1966

नाम गत ग्राडिटर श्री चौथाराम डंडिया

नाम वर्तमान ग्राडिटर श्री राम सिंह राजावत

	गत ग्राडिट के समय			वर्तमान ग्राडिट के समय		
	संस्था	व्यक्तिगत	योग	संस्था	व्यक्ति योग	योग
सदस्य	26 +	200 =	226	26 +	200 =	226
वर्गीकरण :—		"द"			"द"	

स्वीकृत अधिकतम ऋण सीमा : ग्राडिट अवधि में ऋण सीमा स्वीकृत नहीं कराई है।

कार्यक्षेत्र – लाडनू तहसील तक

क्रमांक	उत्तर
1.	समिति का यह ग्राडिट दिनांक 1/7/83 से 30/6/84 तक का है ग्राडिट दिनांक 26/12/84 को प्रारम्भ करके दिनांक 28/12/84 को समाप्त किया गया है।
2.	समिति में पंजीयन प्रमाण पत्र एवं उपनियम की प्रतियां नहीं हैं तथा समिति में अधिनियम 1965 व नियम 1966 की प्रतियां नहीं हैं।
3.	समिति में वर्ष 1982-83 की ग्राडिट रिपोर्ट है लेकिन व्यवस्थापक ने ग्राडिट ग्राक्षेपों की पूर्ति नहीं की है। एवं ग्राक्षेप पूर्ति रिपोर्ट सम्बन्धित अधिकारियों को समय पर प्रस्तुत नहीं की है वर्ष 1982-83 के महत्वपूर्ण ग्राडिट ग्राक्षेप निम्न हैं :—

क्र.सं.	आडिटपैरा	विवरण
1.	20	खाली बारदाना चीनी एवं पाम आयल टीन की बिक्री राशि 1336.00 रुपये श्री महावीर प्रसाद वर्मा भू. पू. व्यवस्थापक से वसूल नहीं की है।
2.	34	रोकड़ पोता अधिक रखा दण्डनीय ब्याज 360.00 रुपये श्री महावीर प्रसाद वर्मा भू.पू. व्यवस्थापक से वसूल किया जावे।
3.	36	रोकड़ पोता अन्तर 10.00 रुपये दिनांक 2/5/83 का वसूल नहीं किया है।
4.	35	बिना वाउचर भुगतान करके 420.00 रुपये का दुरुपयोग किया गया है।
5.	53 [3]	सकल हानि 1393.79 पैसे के लिए श्री महावीर प्रसाद वर्मा भू.पू. व्यवस्थापक उत्तरदायी हैं।

4\. समिति दी नागौर सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक लि., की सदस्य है विनियोग राशि 1800.00 रुपये के हिस्सा प्रमाण पत्र वक्त आडिट उपलब्ध नहीं कराये जिससे परीक्षण नहीं किया जा सका।

5\. समिति में संचालक मण्डल नहीं हैं। श्री सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियां नागौर प्रशासक हैं लेकिन आदेश की प्रति समिति के पत्रावलि में नहीं है।

(ब) आडिट अवधि में संचालक मण्डल का चुनाव नहीं कराया है।

(स) लेखक का कार्य श्री महावीर प्रसाद वर्मा निरीक्षक (कार्यकारी) ने दिनांक 1/7/83 से 30/11/83 तक एवं श्री अवधेश कुमार मिश्रा, निरीक्षक (कार्यकारी) ने वक्त आडिट तक किया है। वेतन कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, नागौर से दिया जाता है।

(द) आडिट अवधि में प्रशासक समिति द्वारा चार बैठकें की हैं जिनमें समिति का चार्ज श्री अवधेश कुमार मिश्रा, निरीक्षक (कार्यकारी) लाडनूं को देने एवं खर्चों की स्वीकृति दी गई है।

6. आडिट अवधि में समिति का वार्षिक अधिवेशन एवं ग्राम सभा की बैठकें नहीं की गई हैं।

7-9. **सदस्यता :—**

सदस्य रजिस्टर अपूर्ण है। आडिट अवधि में नये सदस्य नहीं बनाये हैं। एवं किसी भी सदस्य की सदस्यता समाप्त नहीं की है।

10. आडिट अवधि में संस्था द्वारा उप समिति नहीं गठित की है।

11. आडिट अवधि में सदस्यों एवं असदस्यों से अमानतें ली गई हैं एवं वापिस भुगतान की है। जिनके खाते चालू नहीं किये हैं।

12. आडिट अवधि में समिति को वाहन ऋण नहीं मिला है। डीडवाना क्रय विक्रय सहकारी समिति लि., से लेवी चीनी, कपड़ा, पाम आयल खरीद भुगतान 1500.00 रुपये लेना है।

13. समिति में हिस्साधारी रजिस्टर उपलब्ध नहीं है।

14. समिति ने सदस्यों को हिस्सा प्रमाण पत्र नहीं दिए हैं।

15. हिस्से की किश्तें अवधि पार नहीं हैं।

16. आडिट अवधि में समिति ने कृषि हेतु खाद बीज अन्य क्रय विक्रय कार्य नहीं किया है। लाडनूं शहर के कुछ वार्डों को लेवी चीनी, कपड़ा, पाम आयल, क्रय विक्रय कार्य किया है। जिसका व्यापार खाता संलग्न है।

17. आडिट अवधि में समिति ने उपज की प्रतिभूति पर पेशगी नहीं दी है।

18. आडिट अवधि में क्रय विक्रय हेतु सदस्यों को ऋण नहीं दिया गया है।

19. समिति द्वारा ऋण नहीं दिया गया है एवं प्रतिज्ञा पत्र नहीं भराया है।

20. समिति में 30 जून, 84 को माल स्टाक 2061.00 रुपये का बारदाना 30 जून, 83 का 1336.00 रुपये एवं 30 जून, 84 का 725.00 रुपये श्री महावीर प्रसाद वर्मा भू.पू. व्यवस्थापक ने विक्रय कर दिया है। राशि समिति में जमा नहीं कराई है दण्डनीय ब्याज समेत वसूल करने की कार्यवाही की जावे। पुराना खाद स्टाक

(178)

200.00 रुपये संबंधित व्यक्तियों से वसूल करने की कार्यवाही नहीं की है वक्त आडिट समिति में स्टाक कुछ नहीं है।

21. आडिट अवधि में रहन माल नहीं रखा है।

22. आडिट अवधि में बिक्री की रसीदें नहीं की है। एवं बिक्री रजिस्टर नहीं रखा हैं।

23. समिति द्वारा एजेन्ट के रूप में कार्य नहीं किया है। इसलिये क्रय एव विक्रय करने वालों से कमीशन नहीं लिया है।

24. समिति द्वारा दलाल या एजेन्ट के रूप में कार्य नही किया गया है।

25. समिति के पास सदस्य या असदस्य द्वारा विक्रय हेतु माल नहीं लाया जाता है इसलिये जमा पत्र जारी नही किये गये हैं।

26. समिति द्वारा माल का विक्रय एजेन्ट के रूप में नहीं किया जाता है। इसलिये बिक्री के भुगतान का प्रश्न भी नहीं उठता है।

27. क्रय विक्रय खाते नहीं खोले गये है। एवं समिति द्वारा एजेन्ट एवं दलाल के रूप में क्रय विक्रय नहीं किया गया है।

28. समिति द्वारा नियन्त्रित वस्तुओं (चीनी, कपड़ा, पाम आयल) का क्रय विक्रय का कार्य किया गया है। जिसके विक्रय का स्टाक रजिस्टर वक्त आडिट प्रस्तुत नहीं किये हैं।

29. समिति कृषि उपज एवं विभिन्न प्रकार के माल पेशगी पर रहन नहीं रखती है।

30. ऋण नहीं दिया गया है। वसूली का प्रश्न ही नहीं उठता है।

31. समिति में बट्टा खाता एवं सन्देहात्मक ऋण नहीं है।

32. खाते नहीं खमाये गये हैं। इसलिये रोकड़ बही से मिलान नहीं किया जा सका।

33. संचालक मण्डल नहीं है एवं संचालक मण्डल के सदस्यों से ऋण नहीं लेना है।

34. आडिट अवधि में प्रशासक के आदेशानुसार व्यवस्थापक का कार्य श्री महावीर प्रसाद वर्मा निरीक्षक (कार्यकारी) एवं श्री अवधेश कुमार मिश्रा निरीक्षक (कार्यकारी) लाडनूं ने किया है। वेतन कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, नागौर से भुगतान किया गया है। रोकड़ पोता व्यवस्थापक के पास रखा जाता है।

35. रोकड़ बही दैनिक बही लिखी जाती है। रोकड़ बही पर दिनांक 2/12/83 तक श्री महावीर प्रसाद वर्मा एवं वक्त आडिट तक श्री अवधेश कुमार मिश्रा के हस्ताक्षर हो रहे हैं। रोकड़ बही दिनांक 18/7/84 तक लिखी है। रोकड़ पोता 2164.67 रु. पर श्री अवधेश कुमार मिश्रा निरीक्षक (कार्य) के हस्ताक्षर हो रहे हैं। रोकड़ पोता अधिक रखा है। रोकड़ बही तारीख लिखकर रोकड़ पोता यथा शीघ्र बैंक में जमा कराया जाय। दिनांक 28/11/83 रोकड़ पृष्ठ 9 पर श्री महावीर प्रसाद वर्मा ने अमानत अग्रिम 600.00 रुपये नाम लिखकर समिति की राशि का दुरुपयोग किया है एवं वक्त आडिट तक उक्त राशि समिति में जमा नहीं कराई है। तथा दिनांक 2/1/84 को रोकड़ पृष्ठ 3 पर श्री अवधेश कुमार मिश्रा के अमानत 700.00 रुपये लिखकर समिति की राशि का दुरुपयोग किया है। दण्डनीय ब्याज सहित वसूली की जावें।

36. रोकड़ पोता की सीमा निर्धारित नहीं की है। आडिट अवधि में कोई बड़ी रकम आवश्यकता से अधिक समय के लिए रोकड़ में नहीं रखी गई है।

37. प्रतिभूति तहसील में 600.00 रुपये के प्रमाणक समिति के पत्रादि में रखे हैं।

38. बचत खाता बैंक पास बुक अवशेष 19976.46 पैसे का मिलान किया एवं सही पाया गया।

39. डेड स्टाक रजिस्टर चालू नहीं किया है। डेड स्टाक 973.60 पैसे पर घिसावट नहीं काटी है। सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। आडिट अवधि में कमी एवं टेबिल 80.00 रुपये की क्रय की है। पुराना स्टाक 291.10 पैसे की सूची एवं वस्तुयें समिति में नहीं हैं।

40. खातों का मिलान रोकड़ बही से नहीं किया जा सका। समिति में खाता रजिस्टर चालू नहीं किया है।

41. जनरल खाता रजिस्टर चालू नहीं किया है।

42. समिति में पुष्टि पत्र नहीं पाया गया है।

43. समिति की अन्य शाखायें नहीं हैं।

44. लाभ वितरण : समिति में हानी है।

45. समिति में समस्त रजिस्टर सहकारी संस्था नियम 100 के अनुसार प्रचलित नहीं किये गये हैं।

46. हिसाबात साफ सुथरे नहीं रखे गये हैं।

47. कार्यालय नहीं है। समिति का रिकार्डस् श्री अवधेश कुमार मिश्रा निरीक्षक (कार्यकारी) के पास रखा हुआ है।

48. पत्र व्यवहार उचित ढंग से फाइल नहीं रखा गया है।

49. समिति में वर्ष 83-84 के वार्षिक नक्शे की प्रति नहीं है जिसमें मिलान नहीं किया जा सका।

50. आडिट अवधि में समिति का निरीक्षण नहीं किया गया है।

51. निर्धारित स्तरों के आधार पर समिति को वर्ष 83-84 के लिए "द" श्रेणी में वर्गीकृत करने की सिफारिश की जाती है।

52. आडिट अवधि में समिति को अनुदान नहीं मिला है।

53. विशेष विवरण एवं सुझाव :—

1. समिति की ओर राज्य सरकार का ऋण बकाया नहीं है।

2. वर्ष 83-84 का टर्न ओवर/32825.00 रुपये पर आडिट फीस के 100.00 रुपेय देय होती है गत वर्षों की बकाया आडिट फीस 250.00 रुपये जमा नहीं करायी है।

3. समिति हानि में है राज्य सरकार से कुल व अनुदान मिलाना सम्भव नहीं है। अतः समिति में अवसायक नियुक्त किया जाय।

4. श्री महावीर प्रसाद वर्मा भू. पू. व्यवस्थापक ने डीडवाना से लाडनूं का ट्रक किराया 5/- रुपये प्रति क्वी. दर से भुगतान किया है। जबकि ट्रान्सपोर्ट कम्पनी 2 से 3 रुपये प्रति क्वी. पर माल ले जाती है। वर्मा ने अधिक किराया लिखकर समिति को 272.00 रुपये की हानि पहुंचाई है श्री वर्मा को व्यवस्थापक दी लाडनूं क्रय विक्रय सहकारी समिति लि., का कार्य विभाग द्वारा दिया गया था लेकिन अनावश्यक सेल्समैन रखकर समिति को 1100.00 रुपये की हानि पहुंचाई है। सेल्समैन की नियुक्ति पत्रादि फाइल एवं उपस्थिति रजिस्टर समिति में नहीं रखा है। अतः श्री महावीर प्रसाद वर्मा के विरुद्ध धारा 74 के अन्तर्गत कार्यवाही कर 1172.00 रुपये दण्डनीय ब्याज सहित वसूल किया जावें।

(राज सिंह राजावत)
निरीक्षक (आडिट)
सहकारी समितियाँ, लाडनूं

नामा समिति : लाडनूं क्रय विक्रय सहकारी समिति लि., लाडनूं

व्यापार खाता वर्ष 83-84

क्रय	राशि	विक्रय	राशि
प्रारम्भिक स्टॉक	7284.04	अन्तिम स्टाक	2061.00
माल खरीद	32824.45	माल बिक्री	40132.76
सकल लाभ	2085.27		
योग	42193.76	योग	42193.76

हानि लाभ खाता वर्ष 83-84

हानि	राशि	लाभ	राशि
विविध व्यय	2721.30	सकल लाभ	2085.27
आडिट फीस 83-84	100.00	कांटा बाट बिक्री	370.00
शुद्ध लाभ	107.71	ब्याज बैंक	473.74
योग	2929.01	योग	2929.01

ह./-

व्यवस्थापक

लाडनूं क्रय विक्रय सहकारी समिति

लि., लाडनूं

नाम समिति : "दी लाडनूं क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि, लाडनूं

संन्तुलन चित्र 30 6-84

30-6-83	देनदारियां	30-6-84	30-6-83	लेनदारियां	30-6-84
15420.00	हिस्सा सदस्यान	30920 00	1979.66	रोकड़ हाथ में	1864.67
8000.00	अमानत ग्राम सेवा	11500.00	0.55	श्री शिवदानसिंह	0.55
200.00	सण्ड्री हिस्सा खाता	200.00	10.00	रोकड़ अन्तर	10.00
300.00	प्रवेश शुल्क कोष	300 00	600.00	श्री महावीरप्रसाद	800.00
400.61	सेल्टेक्स गत	400.61	1800.00	हिस्सा सी.सी.बी. नागौर	1800.00
4032.53	चेरेटी फण्ड	4032.53			
1941.90	देना विभिन्न	1941.90	1810.72	बचत खाता बैंक	19976.46
3900 00	डीडवाना मार्के.	—	600.00	प्रतिभूति तहसील	600 00
250.00	आडिट फीस	350 00	200.00	खाद पुराना	200.00
156.95	लाभ गत वर्षों का	156.95	893.60	डैड स्टाक	973.60
—	लाभ इस वर्ष का	107.71	7284.04	माल स्टाक	2061.00
			596.99	विभिन्न लेना	596.99
			—	डीडवाना मार्के.	1500.00
			—	श्री अवधेश कु.	700 00
			16364.03	हानि गत वर्षों की	18826.43
			2462.40	हानि इस वर्ष की	—
34601.09	योग	49909.70	34601 99	योग	49909.70

ह. व्यवस्थापक,
लाडनूं क्रय विक्रय सह. समि. लि.,

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने लाडनूं क्रय विक्रय सहकारी समिति लि., के 30-6-84 के सन्तुलन चित्र एवं संलग्न वर्ष के लाभ हानि खाता की जांच करली है। मैंने समस्त ऐच्छिक सूचनाएँ व उत्तर प्राप्त कर लिये हैं। मेरी सम्मति में अतिरिक्त इसके कि जिसका उल्लेख पृथक से आडिट रिपोर्ट में किया गया है। कथित संतुलन चित्र लाभ हानि खाता मुझको दी गई सूचनायें व उत्तर तथा समिति की किताबें व वाउचर्स के अनुसार समिति के कारोबार की वास्तविक और ठीक स्थिति प्रदर्शित करती है।

ह./-
(रामसिंह राजावत)
निरीक्षक (आडिट)
सहकारी समितियां, लाडनूं

नाम समिति : लाडनूं क्रय विक्रय सहकारी समिति लि., लाडनूं

आय व्यय दिनांक 1-7-83 से 30-6-84 तक का

आय पक्ष	राशि	व्यय पक्ष	राशि
प्रारम्भिक पोता	1979.66	चीनी क्रय की	27986.00
चीनी विक्रय की	28382.99	पाम आयल	2996.70
पाम आयल बिक्री	8761.04	कपड़ा कन्ट्रोल क्रय	1611.75
कपड़ा नि. बिक्री	2988.73	एस./बी. खाता में जमा	79100.74
कांटा बाट बिक्री	370.00	डीडवाना क्रय वि. को	30892.70
हिस्सा वृद्धि सस्था	15500.00	बकाया	
अमानत वृद्धि सस्था	4000.00	डीडवाना को ब्याज	225.00
बचत खाता से उठाये	60935.00	महावीर को उदरत	600.00
डीडवाना क्रय विक्रय को माल पेटे अमानत जमा	25492.70	ट्रक भाड़ा व्यापार	430.00
		गोदाम भाड़ा	390.00
महावीर से वसूल उदरत	400.00	वेतन सेल्स मैन	1100.00
एस/बी. खाता से ब्याज	473.74	कांटा बाट खरीद	355.00
मैनेजर से उदरत वसूल	69.50	कुर्सी टेबल क्रय	80.00
		विविध अन्य खर्च	651.30
		अमानत वापसी हजार	
		ग्राम सेवा	500.00
		उदरत मैनेजर को	769.50
		अन्तिम पोता	1804.67
योग	149353.36	योग	149353.36

ह/-

(ब्रजेश कुमार मिश्रा)

व्यवस्थापक

लाडनूं क्रय विक्रय सह. समि. लि., लाडनूं

परिशिष्ट–10

अतारांकित प्रश्न संख्या 19 की सूचियां

परिशिष्ट "क"

राज्य खेल परिषद में नियुक्त/प्रतिनियुक्त प्रशिक्षकों का खेलवार विवरण :–

क. सं.	खेल का नाम	क्रीड़ा परिषद् के प्रशिक्षकों की संख्या	क्रीड़ा संस्थान के प्रतिनियुक्त प्रशिक्षकों की संख्या	अल्पकालीक परिषद् के प्रशिक्षक	कुल
1.	एथलेटिक्स	3	5	–	8
2.	बास्केटबाल	5	2	2	9
3.	बैडमिन्टन	–	3	–	3
4.	बांक्सिग	1	1	1	3
5.	क्रिकेट	3	2	1	6
6.	साइकिलिग	3	–	1	4
7.	फुटबाल	5	1	–	6
8.	जिम्नास्टिक	2	5	–	7
9:	हाकी	6	3	2	11
10.	जूडो	–	1	–	1
11.	कब्बड़ी	1	1	–	2
12.	खो-खो	1	1	1	3
13.	लान टेनिस	–	1	1	2
14,	तैराकी	1	–	1	2
15.	वालीबाल	3	1	2	6
16.	भारोत्तोलन	2	1	–	3
17,	कुश्ती	4	2	–	6
18.	हैण्डबाल	–	1	–	1
19.	माउन्टेरिंग	–	–	1	1
20.	तीरन्दाजी	–	–	1	1
21.	गोल्फ	–	–	1	1
22.	टेबिल टेनिस	1	2	–	3
		41	33	16	90

परिशिष्ट ब

जयपुर, जिला मुख्यालयों पर नियुक्त प्रशिक्षकों की नामों की सूची:—

राष्ट्रीय खेल संस्थान

-अजमेर

1-श्री महेश सैनी	एन. आई. एस.	एथलेटिक्स
2-श्री विक्रम सिंह	खेल परिषद	बास्केटबाल
3-श्री भारत भूषण	एन. आई. एस.	बास्केटबाल
4-श्री एम. एल. बिनावरा	खेल परिषद	फुटबाल
5-श्री एन. एन. माथुर	एन. आई. एस.	जिमनास्टिक
6-श्री भूपेन्द्र सिंह	पार्ट टाइम	हाकी
7-श्री श्यामसुन्दर शर्मा	एन. आई. एस.	खो-खो
8-श्री भवानी मुकर्जी	एन. आई. एस.	टेबिल-टेनिस

2. बीकानेर

1-श्री सुखमिन्दर सिंह	एन. आई. एस.	एथलेटिक्स
2-श्री रामदेव शर्मा	खेल परिषद्	साइकिलिंग
3-श्री राम कुमार जोशी	"	"
4-श्री एस. आर. शर्मा	"	फुटबाल
5-श्री एम. एस. शेखावत	एन. आई. एस.	जिमनास्टिक
6-श्री जसबीर सिंह	खेल परिषद्	हाकी
7- श्री केवल चन्द सुथार	पार्ट टाइम	खो-खो

3-भीलवाड़ा

1-हरी शंकर शर्मा	खेल परिषद्	एथलेटिक्स
2-श्री विजय सिंह	पार्ट टाइम	बास्केटबाल
3-श्री जमीलुद्दीन	पार्ट टाइम	वालीबाल

4-भरतपुर

1-कु. गुरमीत कौर	एन. आई. एस.	हाकी

5-चित्तोड़गढ़

1-श्री एन. एन. सिसोदिया	पार्ट टाइम	क्रिकेट
2-श्री अनिरूध सिंह	खेल परिषद्	कुश्ती

6-चुरू

1-श्री सलीम मोहम्मद	पार्ट टाइम	बास्केटबाल
2-श्री अमर सिंह	खेल परिषद्	जिमनास्टिक

7-अलवर

1-श्री आर. एस. सोलंकी	खेल परिषद्	एथलेटिक्स

8-सवाई माधोपुर

1-श्री जसवन्त सिंह	खेल परिषद्	फुटबाल

9-सीकर

1-श्री ईश्वर सिंह	खेल परिषद्	बास्केटबाल
2-श्री सूरज मल हूडा	एन. आई. एस.	वालीवाल

10-झुन्झूनू

1-श्री किशन सिंह	खेल परिषद्	बास्केटबाल
2-श्री आर. सी. बुन्देला	,,	कुश्ती

11-उदयपुर

1-श्रीमती माया चावत	एन. आई. एस.	बैडमिन्टन
2-श्री भंवरसिंह	खेल परिषद्	बास्केटबाल
3-श्री सुरेन्द्र सिंह	,,	क्रिकेट
4-श्री जी. एस. राठौड़	,,	फुटबाल
5.-श्री विक्रम सिंह	पार्ट टाइम	तैराकी
6-श्री बी. एस. चावत	एन. आई. एस.	टेबिल-टेनिस
7-सुश्री सुशीला सुखवाल	खेल परिषद्	वालीवाल
8-श्री एस. सी. गोयल	एन. आई. एस.	भारोत्तोलन
9-श्री के. के. सनाढ्य	,,	कुश्ती

12. जोधपुर

1–श्री शक्तिसिंह	खेल परिषद्	वालिबाल
2–कु. उमा दाधिच	पार्ट टाइम	साइकिलिंग
3–श्री किशनलाल प्रजापति	एन. आई. एस.	जिमनास्टिक
4–श्री सुरेन्द्रपाल	"	हाकी
5–श्री ए. पी. सांखला	खेल परिषद्	टेबिल-टेनिस

13. श्रीगंगानगर

1–श्री जी. एस. राई	एन. आई. एस.	एथलेटिक्स
2–श्री मेघसिंह	खेल परिषद्	फुटबाल
3–श्री एन. एस. बरार	"	हाकी
4–श्री गुरजीत सिंह	पार्ट टाइम	वालीबाल
5–श्री राम निवास शर्मा	खेल परिषद्	कुश्ती

14. कोटा

1–श्री प्रहलादसिंह फोजदार	एन. आई. एस.	एथलेटिक्स
2–श्री हरदेव सिंह	"	बैडमिन्टन
3–श्री मुकुल शर्मा	"	बास्केटबाल
4–श्री अशोक गुप्ता	"	क्रिकेट
5–श्री बी. एम. सिंह	खेल परिषद्	हाकी
6–श्री दिलीप सिंह	एन. आई. एस.	हैण्डबाल

15. कांकरोली

1–श्री सी. डी. सिंह	खेल परिषद्	हाकी
2–श्री दामोदर बागोरा	"	कुश्ती

16. (जयपुर केन्द्र पर कार्यरत प्रशिक्षकों की सूची)

प्रशिक्षक का नाम	खेल का नाम	
1–श्री पोकर मल	एथलेटिक	रा. रा. क्री. प.
2–श्री सोहन वीर सिंह	"	एन. आई. एस.
3–श्री एच. सी. भार्गव	बैडमिन्टन	
4–श्री रतन मलहोत्रा	बास्केटबाल	रा. रा. क्री. प.

1	2	3
5–श्री आर. सी. भानगव	लान टेनिस	एन. आई. एस.
6–श्री गुरमेलसिंह	जूडो	"
7–श्री एस. के शर्मा	फुटबाल	"
8–श्री शाकिर हुसेन	क्रिकेट	रा. रा. क्री. प.
9–श्री अशोक जोशी	"	एन. आई. एस.
10–श्री विनय मेहता	"	रा. रा. क्री. प.
11–श्री ललित छंगाणी	साइकिलिंग	"
12–श्री डी. एस. रन्धावा	वालीबाल	"
13–श्री जरनेल सिंह	हाकी	"
14–श्री मेहर चन्द	जिम्नास्टिक	"
15–श्री के. एल. यादव	कब्बड़ी	"
16–श्री बी. एस. बैनीवाल	कुश्ती	एन. आई. एस.
17–श्री आर. आर. थाभाई	भारोत्तोलन	रा. रा. क्री प.
18–श्री पी. डी. लोदी	"	"
19–कु. मीना शर्मा	हाकी	एन. आई. एस.
20–श्री जसबीर कौर	कब्बड़ी	"
21–श्रीमती उषा किरण	जिम्नास्टिक	"
22– " रुकमणी चतुर्वेदी	तैराकी	रा. रा. क्री. प.
23– " उर्मिला पोकर	वालीबाल	"
24–श्री भीम कुमार	खो-खो	"
25–श्रीमती विमल शर्मा	हाकी	"
26–श्री मूल सिंह	बाक्सिंग	एन. आई. एस.
27–श्री ललित कुमार	जिम्नास्टिक	"
28–श्री के. एन. सिंह	माउन्टेरिंग	रा.रा.क्री.प. पार्ट टाइम
29–श्री के. एन. कक्कड़	लान टेनिस	" "
30–श्री अनूप कुमार	बाक्सिंग	" "
31–श्री मोहम्मद मुस्तफा	गोल्फ	" "

17. हनुमानगढ़

1	2	3
1–श्री इकबाल सिंह	हाकी	रा. रा. क्री. प. पार्ट टाइम
	18. बांसवाड़ा	
1–श्री नाहर सिंह	तीरन्दाजी	,, ,,
	19. कोटड़ा	
1–श्री प्रम सिंह	तीरन्दाजी	,, ,,

परिशिष्ट-11

(अतारांकित प्रश्न संख्या 23 के आडिट आक्षेप की प्रतिलिपि)

(7) एस. एस. पाइप पोल की खरीद में न्यास कोष को रु. 60,440/- की हानि एवं खरीद में अनियमितताए :—

अधिशाषी अभियन्ता नगर सुधार न्यास, जोधपुर ने अपने पत्र दिनांक 25-9-82 के द्वारा एस. एस. पाइप पोल की खरीद हेतु अल्पकालिन निविदा सूचना सं. 11/82-83 जारी करके दिनांक 4-10-82 को निविदा प्राप्त की है। उक्त अल्पकालीन निविदा से प्रकाशन के संबंध में उक्त खरीद में पत्रावली में जलते दीप व हिन्दू संदेश का उल्लेख किया गया है। लेकिन उक्त प्रकाशन के संबध में पत्रावली में पेपर कटिंग का अभाव है। दिनांक 5-10-82 को 3 निविदा प्राप्त की गई जिसमें न्यूनतम दर मैसर्स रिषी इन्जिनियरिंग वर्क्स जोधपुर की 11.25 प्रति किलो आने का उल्लेख किया गया। उक्त अधिकारी ने अपने पत्र सं 1683 दिनांक 19.10.82 के द्वारा प्रथम न्यूनतम दर दाता से नेशासियेशन करके पुन: दर दिनांक 20.10.82 को प्रस्तुत करने हेतु निवेदन किया गया। उक्त फर्म ने इसी पत्र पर अपनी दर रु. 10.80 का प्रति किलो ग्राम का उल्लेख किया है। अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र सं 17 19 दिनांक 21.10.82 के द्वारा मैसर्स रिषी इंजिनियरिंग वर्क्स जोधपुर को 00 पोल मापिक स्पेसिफिकेशन के प्रदाय करने हेतु आदेश जारी किया है। उक्त फर्म ने उक्त प्रदाय आदेश के अनुसार निम्नानुसार पोल की प्रदाय की है।

क्र. सं.	वाउचर सं व दि.	एस.एस. पोल की संख्या	वजन	दर	राशि	बिल स. व दिनांक
1.	23223 3-10-82	70 सिमल	8281 कि.ग्रा.	10.80 रु.किग्रा.	89414.80	27/23-10-82
2.	150/12-11-82	20 ,,	2366 ,,	,,	25552.80	29/11-11-82
3.	232/29-11-82	5 ,,	991-500	,,	10693.20	30/27-11-82
4	39/27-1-83	295 ,,	5111 ,,	,,	55198.80	102/25-1-83
5.	236/ 6-3-83	80 ,,	3200 ,,	,,	34560.00	3/25-3-83
	योग :—	270 ,,	20949-500		215429.60	

इसके प्रतिवित न्यास ने उक्त फर्म से इसी प्रदाय आदेश सं. 1719, दिनांक 21.10.82 के अनुसार निम्नानुसार एम. एस. पाइप पोल बड़ी साईज के प्राप्त किए :—

वाउचर सं. दि.	पोल सं.	वजन	दर	राशि	बिल सं./दिनांक
239/27-1-83	30 बड़ी साइज	3774 किग्रा.	10.80 प्र.किग्रा.	40759/20	22/25-1-83
238/26-3-83	25 "	2500 "	"	27000/–	3/25-3-83
150/12-11-82	12 छोटी साइज	589-300	"	6364/44	29/11-11-82
	5	991	"	10706/20	
32/29-11-82	30 "	1473-600	"	15914.88	30/27-11-82
योग :–	102	8327-900		100746 72	
कुल योग :–	372	29274-400		316186.32	

उपरोक्त एस. एस. पाइप पोल की खरीद में निम्नानुसार आदेश है :—

(क) राज्य सरकार के आदेश सं. प. 2(1) वित्त/व्यय/111/1061 दिनांक 11.9.78 के 3 अनुसार उक्त खरीद हेतु निविदा सूचना में कम से कम एक माह का समय आवश्यक था लेकिन अधिशासी अभियन्ता ने उक्त प्रदाय हेतु अल्पकालीन निविदा सूचना जारी करके मात्र 10 दिन का समय प्रकाशन हेतु दिया गया है। इसके अलावा इसका प्रकाशन राज्य सरकार के किसी भी समाचार पत्र में नहीं कराया गया है। अतः उक्त खरीद में प्रतियोगी दरों का पूर्ण अभाव रहा है।

(ख) न्यास ने अपने पत्र सं. 1719 दिनांक 21-10-82 के द्वारा उक्त फर्म को 100 पोल प्रदाय करने हेतु आदेश दिया था लेकिन फर्म ने 372 पोल बिना न्यास के विधिवत प्रदाय आदेश के प्रदाय किये हैं। जैसा कि उक्त खरीद की पत्रावली से स्पष्ट होता है कि संबधित अधिकारियों से उक्त फर्म से उक्त पोल की प्रदाय लेने के पश्चात् स्वीकृति प्राप्त है जो पूर्णतया अनियमित है।

(ग) उक्त फर्म से कोई धरोहर राशि नहीं ली गई है। तथा उक्त खरीद की पत्रावली के नोट सीट पेरा 3 में उल्लेख किया गया है कि उक्त तीनों फर्म एस.एस.आई.

(192)

यूनिट की होने के कारण धरोहर राशि नहीं ली गई है। लेकिन उक्त पत्रावली में इस संबंध का कोई प्रमाण-पत्र की प्रति आदि उपलब्ध नहीं है। तथा संबंधित फर्मों ने भी इस संबंध का अपने टेण्डरों में कोई उल्लेख नहीं किया है इस प्रकार की सत्यता की जांच करना नियमानुसार आवश्यक है। ऐसी स्थिति मे न्यास के अधिकारियों ने इन फर्मों से धरोहर राशि न लेकर गंभीर अनियमितता की है।

(घ) उक्त खरीद की निविदा में सूचना के अनुसार मोहरबन्द निविदाएं आमंत्रित की गई है। लेकिन उक्त खरीद में तीनों प्राप्त निविदाये के साथ मोहरबन्द को स्पष्ट करने के सम्बन्ध में लिफाफे संलग्न नहीं है। तथा लेडयूल जी एवं अनुबन्ध की प्रति से स्पष्ट होता है कि उक्त निविदाये किसी बन्द लिफाफे में प्राप्त नहीं हुई है, अगर बन्द लिफाफे प्राप्त होती तो इसमें फोल्ड आवश्यक होते। इसके अलावा तीन फर्मों के दो का अवलोकन करने से भी स्पष्ट होता है कि दरों में नाममात्र का अंतर है। जैसे दरे का उल्लेख 11.20, 11.50, 13.50 का है। इस प्रकार की स्थिति से स्पष्ट होता है कि उक्त खरीद में तीनों फर्मों ने मिलकर अपनी दरों का उल्लेख किया है। जिससे प्रतियोगी दरों का अभाव रहा है। तथा न्यास के अधिकारियों ने भी उक्त खरीद में उचित दर प्राप्त करने का कोई प्रयास नहीं किया है। बी. एस. आर. 1979 के पृष्ठ सं 38 चेप्टर 16 के आइटम सं. 4 में एस. एम. पोल की दर रु. 875/- प्रति पोल (पोल की ऊंचाई 10 मीटर) का उल्लेख किया है तथा बी. एस. आर. में अंकित एम. एस. पोल की साइज 5.5019 × 139.7 व 2.25 एम. एस. 114.3 व 2.25 एम. एस. 88.917 एम. का का उल्लेख है तथा न्यास ने एम. एस. पोल की खरीद की साइज 114.3 × 6 एम. व 88.9 एम. एम. × 4 एम. व 60.3 × 2 × 2 एक के प्राप्त किये हैं। इससे स्पष्ट है कि बी.एस.आर. में उल्लेखित पोल बड़े प्रतीत होते हैं। तथा बी.एस.आर. में उल्लेखित दर के आधार पर न्यास द्वारा क्रय किये गये पोल की दर 1050/-प्रति पोल आती है जिसमें पोल लगाने आदि का समस्त व्यय सम्मलित है। लेकिन न्यास ने उक्त पोल रु. 10.80 प्रति किलोग्राम के हिसाब से क्रय किया है। तथा प्रत्येक 12 मीटर लम्बे एम. एस. पोल का वजन 118.50 किग्रा. माना है इस प्रकार मात्र एक पोल की कीमत रु. 1279/80 होते है। जिसमें पोल लगाने का व्यय सम्मलित नहीं है। अगर पोल खड़ा करने का व्यय रु. 150/- प्रति पोल सम्मिलित किये जाने कर प्रति पोल कीमत 1429.80 रु. होते हैं। इस प्रकार दोनों दरों में प्रति पोल अन्तर रु. 1429.80–1050.00= 379.80 आता है। इसमें 20% लाभ ठेकेदार का कम करने पर 379.80–210= 169.80 प्रति पोल अन्तर होता है। अर्थात न्याय कोष पर रु. 168.80 प्रति पोल अधिभार पड़ना प्रतीत होता है। इस प्रकार न्यास में मैसर्स रिधी इंजिनियरींग कम्पनी जोधपुर से 335 पोल बड़े व 42 पोल छोटे खरीदे हैं। जिससे न्यास कोष से रु. 60,443/= का अधिभार वहन करना पड़ा है। टेण्डरों दरों पर अन्तिम निर्णय पूर्व बाजार दरों का विश्लेषण तैयार किया जाता है तो उसकी औचित्यता प्रमाणित हो सकती थी और अतिरिक्त अधिभार का संदेह नहीं रहता अत: उक्त मामला अध्यक्ष नगर

विकास न्यास जोधपुर के ध्यान में विशेष रूप से लाया जाकर लेख है कि उक्त पोल खरीद में विस्तृत प्रकाशन के अभाव में प्रतियोगी दरों का अभाव रहना प्रतीत होता है। जिससे न्यास कोष को बिना किसी उचित कारण के 60449/- को हानि होना प्रतीत होता है। अतः इस प्रकरण की जाँच वर्तमान अधिशासी अभियन्ता से कराई जावे एवं हानि होना पाया जाने पर दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जावे। एव उक्त हानि की प्रतिपूर्ति की जावे। एवं इस विभाग को पालना से अवगत कराया जावे।

परिशिष्ट–12

(अतारांकित प्रश्न संख्या 30 से सम्बन्धित ब्यौरा)

परिशिष्ट—"अ"

सूची ग्राम से सहकारी समितियां, जिन्हें विलीन एवं अवसायन में लाया गया।

क्र.सं.	नाम पंचायत समिति	नाम समिति जिसमें विलिन की गई	नाम समिति जो कालम संख्या 3 की समिति में विलिन की गई	नाम समिति जिसके कार्य क्षेत्र में अवसायन समिति का कार्य क्षेत्र मिलाया	नाम समिति जिसे अवसायन में लाया गया
1	2	3	4	5	6
1.	बाली	1. खुडाला	1. फालना		
			2. प्रगतिशील खुडाला		
		2. बीसलपुर वृहताकार	3. बीसलपुर बहुधंधीय		
			4. पैरवा		
			5. साखडा आदिवासी		
		3. खिमेल	6. मोकमपुरा		
		4. मुण्डारा	7. भोटवाड़ा		
			8. कोटवालिया		
		5. लटारा	9. मालारी		

195

1	2	3	4	5	6
		6. लुमावा	10. सेसली	1. किसानवाली	1. जनता टीएनसी
			11. बारवा		2. श्रीराम टीएनसी
		7. सेवारी	12. पाटवा		
			13. पवारला		
		8. बीजापुर वृहताकार	14. बीजापुर बहुधधीय		
			15. फोला		
		9. वेडा वृहताकार	16. वेडा बहुधधीय		
			17. कुमातीया		
		10. नॉना	18. भीलबस्ती		
		11. चामुन्ड्री	19. मालनू		
		12. भीमामा	20. कोयलाबाहू		
		13. मोरिया	21. वोरियां बहुधधीय		
			22. काकरदी		
		14. भादुन्डा	23. कुण्डल		
			24. सेना		
		15. रूपानाडी	25. नई दूदली		

1	2	3	4	5	6
		16. थानी	26. पांचलवाड़ा		
		17. मंडर	27. आसापुरा		
			28. वीरमपुरा		
2.	सुमेरपुर	18. सुमेरपुर वृहताकार	29. सुमेरपुर बहुधंधी		
			30. गलथानी		
		19. पांवा	31. बंसत		
		20. खितदी	32. मेतरा		
		21. पोभावा	33. सिलुपरिया	सिलूपरिया	3. पावडी
		22. साडेराव	34. सिदूरू		
		23. वाखली	35. भारून्दा		
			36. नावी		
			37. वालूपुरा		
		24. देवदरा	38. ग्रामी	ग्रामी	4. कोरता
		25. कोसेलाव	39. खीमडा		
		26. वालोना	40. रामपुरा		
3.	खारची	27. जोजावर	41. वासती		

1	2	3	4	5	6
		28. चोकरिया	42. फुलाव		
		29. मुंसालिया	43. घूंघला	गुडा सूरसिंह कंठालिया	5. मलसावावडी 6. भवाम
		30. मांडा	44. वाडी 45. नीमली मंडा 46. सेखावास		
		31. भामली	47. करांडी		
		32. खारची	48. हेमलियावास खुर्द 49. हेमलियावास कला 50. बिठोरा		
		33. गुडारामसिंह	51. राणावास		
		34. ईसाली	52. जाणुंदा		
		35. बोरानाडो	53. सेवाज		
		36. सारण	54. वोरीमादा		
4.	वेसुरी	37. माडोल	55. कोठडी		
		38. नरलाई	56. भाना		

1	2	3	4	5	6
		39. घानेराव	57. आदर्श घानेराव		
			58. बूतापुरा		
		40. मनोता	59. सांसरी		
		41. लोहखते सादडी	60. सादडी बहुधंधी	सादडी बहुधंधीय	7. बावरी
			61. माडीगढ़		
		42. बागोल	62. कोलाड		
		43. प्रतापगढ़	63. सादडी मीना		
		44. डेलाना	64. सुमेर		
		45. मोरखा	65. मांडा		
		46. ढालोद	66. सिंडारली		
		47. दादाई	67. वरोठ (सेरतुर)		
5.	रानी	48. चाचोडी	68. ईटवरा चारनाए		
		49. भादरलाव	69. हरीग्रोम निम्बेडा		
		50. वीजोवा	70 वरकाना		
		51. सांवलता	71. देवली		

1	2	3	4	5	6
		52. घनेड़ी	72. पीलवनी		
			73. कुंदेर		
			74. सिवास		
		53. जीवन कलां	75. केरली		
			76. निंवल		
		54. सादड़ियां	77. किशानपुरा		
		55. जवाली	78. घारिया		
		56. मजानन्द रानीगांव	79. ईंटंदरा मेडतिया		
			80. रानीस्टेशन		
			81. गुड़ा		
			82. मेडतियों का बेरा		
6.	जैतारण	57. आनन्दपुरा कालू	83. बस्सी		
		58. जैतारण चक नं. 1	84. जैतारण चक नं. 2		
		59. बलाड़ा	85. आसर राई		
		60. चामुडिया	86 आगेराबा		
		61. निम्बाज चक नं. 1	87. निम्बाज चक नं. 2		
7.	रायपुर	62. सेंदड़ा	88. चिताड़		
		63. अमरपुरा	89. चांग		

1	2	3	4	5	6
		64. नानड़ा	90. रेतड़ा		
		65. मोहराकलां	91. वासियाकलां		
		66. कोटकिराना	92. काललिया		
			93. पचानपुरा		
8.	सोजत	67. सियार	94. सोजतरोड		
		68. करमावास	95. खोडिया		
			96. लाइपुरा		
		69. गुडारामसिंह	97. गुडाकलां		
		70. बगडी	98. बगडी रेगरान	मेसाना	8. खाडियासोड़ा
		71. खोखरा	99. बसना	घीनावास	9. बीलावास
		72. अटवाडा	100. अटवाडा मजदूर	सोजत चक नं. 1 व 2	10. सोजत मोचियान
9.	पाली	73. सोनाई मांजी	101. करणी सोडावास	खेतावास	11. पाली महादेव
					12. पाली वार्ड नं. 6, 13 व 16
					13. पाली का बुतबासन
					14. पाली मोचियान
					15. पाली टाउन टी एण्ड सी

परिशिष्ट–13

(अतारांकित प्रश्न संख्या 33 की सूची)

बीकानेर प्रौढ़ शिक्षण समिति, बीकानेर

ग्रामीण क्रियात्मक साक्षरता परियोजना वर्ष 1985–86 में खोले जाने वाले केन्द्रों की सूची

क्र. सं.	गांव	पुरुष केन्द्र	महिला केन्द्र	योग केन्द्र
1	2	3	4	5
1.	दियातरा	2	1	3
2.	खेतोलाई	1	–	1
3.	लाडखान	1	–	1
4.	भाणेका	2	–	2
5.	ढाणी भोमसिंह	1	–	2
6	होरई	1	–	1
7.	गोविन्दसर	2	–	2
8.	राणेरी	1	–	1
9.	छनेरी	1	..	1
10.	नयागांव	1	–	1
11.	मण्डाल	2	1	3
12.	गडियाला	1	1	2
13.	गिरिजराजसर	2	2	4
14.	पैंथरों की ढाणी	1	1	2
15.	गांधी	1	1	2
16.	क्रियावन्धा	1	–	1
17.	लोढ्या	1	–	1
18.	श्रीकोलायत	2	3	5
19.	मढ	2	2	4
20.	कोटड़ी	2	–	2
21.	इन्दों का बाला	1	–	1
22.	चांदी	1	–	1
23.	चाण्डासर	1	1	2
24.	गजनेर	2	2	4
25.	कोटड़ा	1	–	1

२०२

1	2	3	4	5
26.	कोडमदेसर	1	–	1
27.	नाल	1	1	2
28.	करणीसर	1	–	1
29.	बच्छासर	1	–	1
30.	स्वरूपदेसर	2	–	2
31.	कोलासर	2	–	2
32.	मेघासर	1	–	1
33.	भोदूसर	1	–	1
34.	भोलासर	2	1	3
35.	हाडला रावतन	1	–	1
36.	हाडला भाटियान	1	–	1
37.	मोखा खालसा	1	–	1
38.	मोखा चारणान	1	–	1
39.	झझू	1	2	3
40.	भुर्ज भाटियान	1	–	1
41.	खेतोलाई मूलवान	1	–	1
42.	खाखूसर	2	–	2
43.	हुंदा	2	–	2
44.	लम्बाणा मूलवाण	1	–	1
45.	लम्बाणा भाटियान	1	2	1
46.	मियाकोर	1	–	1
47.	खोंखरिया	1	–	1
48.	खोंदासर	2	–	2
49.	मांदडा	1	–	1
50.	भेजू	2	–	2
51.	खजोड़ा	2	–	2
52.	दासूडी	2	1	3
53.	मेहरासर	1	–	1
54.	बराला	1	–	1
55.	भरू	1	1	2
56.	लाखूसर	1	1	2
57.	बरजू	1	–	1
58.	पूंगल	1	2	3

1	2	3	4	5
59.	खालूवाला	1	1	2
60.	7 ए. डी.	1	1	2
61.	14 ए. डी.	1	1	2
62.	बल्लर	1	—	1
63.	रम्माई	1	1	2
64.	मुम्हारवाला	1	—	1
65.	3 के. जे. डी.	1	—	1
66.	13 के. वाई. डी.	1	1	2
67.	करनीसर	1	—	1
68.	छत्तरगढ़	1	1	2
69.	कांवनी	1	1	2
70.	जयमलसर	1	1	2
71.	रिडमलसर	1	1	2
72.	देवीकुण्डसागर	—	1	1
73.	घडकीसर	1	—	1
74.	गाढवाला	1	1	1
75.	नापासर	2	2	4
76.	सोंथल	1	1	2
77.	बेलासर	1	1	2
78.	तेजरासर	1	1	2
79.	मूण्डसर	1	1	2
80.	सूरतसिंहपुरा	1	1	2
81.	किलचू	1	1	2
82.	सुरधणा चौहानान	1	1	2
83.	सुरधणा पड़िहारान	1	—	1
84.	कोटडी	1	—	1
85.	केसरदेसर बोहरान	1	—	1
86.	केसरदेसर जाटान	1	—	1
87.	श्रीरामसर	1	1	2
88.	किसमीदेसर	—	1	1
89.	पलाना	1	1	2
90.	देशनोक	2	1	3
91.	गांडाणू	2	—	2

(२०५)

1	2	3	4	5
92.	गोगासर	1	1	2
93.	सूरपुरा	1	1	2
94.	नोखा	1	1	2
95.	बीजासर	-	1	1
96.	भामरसर	2	1	3
97.	किसनासर	1	1	2
98.	देसलसर	2	1	3
99.	मान्याणा	1	1	2
100	जेगला	1	-	1
101.	हिमादेसर	1	1	2
102.	लूनकरणसर	1	2	3
103.	कालवास	1	-	1
104.	फूलदेसर	-	1	1
105.	सणियाला	1	-	1
106.	हरियासर	1	-	1
107.	नाथवाणा	1	-	1
108.	पोपेंरा	1	1	2
109.	मलसीसरबड़ा	1	-	1
110.	कपूरीसर	1	1	2
111.	गोपलान	1	-	1
112.	नोखसर	1	1	2
113.	घोरदान	1	1	2
114.	अमरपुरा	1	-	1
115.	कालू	1	3	4
116.	गारबदेसर	1	2	3
117.	आडसर	1	-	1
118.	छटटासर	1	-	1
119.	किशनासर	1	-	1
120.	सहजरासर	1	1	2
121.	उदासर	1	1	2
122.	हिम्मतासर	1	-	1
123.	रायसर	1	2	3
124.	मोरगदेसर	1	-	1

1	2	3	4	5
125.	रानीसर	2	–	2
126.	कोरेरा	2	1	3
127.	हेमेंदा	2	1	3
128.	भोजेदां	1	–	1
129.	ग्रासेदां	1	–	1
130.	रूपेदा	1	–	1
131.	राजेंरा	1	–	1
132.	रूणियाबड़ाबास	3	2	5
133.	घोरेदांवास	1	–	1
134.	कतरियासर	2	–	2
135.	खारडा	2	1	3
136.	बासन वाली	2	2	4
137.	घोरेदां	1	2	3
138.	साकेदां	1	1	2
139.	इलमेरा	1	1	2
140.	हुंणेरा	1	1	2
141.	सुरनाणा	1	1	2
142.	उदेणियां	1	–	1
143.	दुलडेरा स्टेशन	1	1	2
144.	घोरेंदा ,,	1	1	2
145.	उस्तदेसर	2	1	3
146.	बन्दा	1	1	2
147.	इवाणी	2	1	3
148.	कुजरो	1	1	2
149.	कानासर	1	2	3
150.	लालगढ़ गांव	–	1	1
151.	जामसर गांव	2	1	3
152.	जामसर कालोनी	–	1	1
153.	जलालसर-I	1	–	1
154.	जलालसर-II	1	1	2
155.	खोंचियां	2	1	3
156.	धोलेरा	1	–	1
157.	ढाणीकानासर	1	1	2
158.	हुसनसर	2	1	3

२०६

1	2	3	4	5
159.	जगदेववाला	1	–	1
160.	सालासर	2	–	2
161.	जामसर स्टेशन	1	1	2
162.	इन्द्राबस्ती (शहरी क्षेत्र)	–	1	1
163.	जाबुवाड़ी बस्ती („)	–	1	1
164.	फतीपुरा („)	–	1	1
165.	सर्वोदय बस्ती („)	–	1	1
166.	भगवानपुरा बस्ती(„)	–	1	1
	योग :—	191	109	300